राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या 11

मंगलवार,

दिनांक 19 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल।

बाली (पाली) में महाविद्यालय

36. **श्री अमृतलाल** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाली जिला पाली में महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र में वहां महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु दानदाता आर्थिक सहयोग देने हेतु तैयार हैं ? यदि हां तो क्या सरकार दानदाताओं को इसकी स्वीकृति प्रदान करने को तैयार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दानदाता वहां विज्ञान महाविद्यालय बनाने पर भी सहमत हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी अनुमति प्रदान करने को तैयार है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के आसपास भी कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण छात्रों को अग्रेतर अध्ययन हेतु उदयपुर व जोधपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक विचार कर स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मंत्री उच्च शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) जी हां। राज्य में नए महाविद्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित हैं :—

(अ) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हों।

(ब) प्रस्तावित स्थान के आसपास कम से कम चार हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

(स) प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई भी महाविद्यालय नहीं हो।

(डा. रतनलाल जाट)

(द) क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो। महाविद्यालय खोलने पर विचार इन्हीं के आधार पर होता है।

(2) बाली में महाविद्यालय के लिए दानदाता द्वारा भवन निर्माण के आर्थिक सहयोग देने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(4) बाली जिला पाली में आता है जहां तीन महाविद्यालय क्रमशः पाली, राणावास तथा फालना में चल रहे हैं जिसमें फालना में एवं पाली में स्नातकोत्तर की सुविधा भी उपलब्ध है।

(5) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अमृतलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक में जो दिया है, यह जो बताया गया है, इनकी बात है, मैं सही बात मानता हूं। रही कालेज की बात तो फालना में कालेज है। आपकी बात मैं मानता हूं उसके बाद मैंने····

श्री अध्यक्ष : फालना कितनी दूर है बाली से ?

श्री अमृतलाल : पांच किलोमीटर है।

श्री अध्यक्ष : खत्म हुआ मामला।

श्री अमृतलाल : नहीं मेरी बात सुनिये। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फालना के अन्दर जो कालेज है, उसमें साइंस का विषय नहीं है और वहां के जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वे बाली में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले आप तो जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, उनकी तरफ से प्रपोजल तो भिजवाइये।

श्री अमृतलाल : वह मैं भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, वह भिजवाइये, फिर बात करिये। अभी तो कुछ भी नहीं है।

श्री अमृतलाल : मेरी बात सुन लीजिये। मैं इसलिये बोल रहा हूं····

श्री अध्यक्ष : सुन ली। न तो वहां अभी यह तैयार है। बिल्डिंग बनाने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अमृतलाल : भवन बना हुआ तैयार है। देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार को लिखकर नहीं दोगे तो कोई सपना आयेगा क्या उनको।

श्री अमृतलाल : मैं कई बार यह निवेदन कर चुका हूं। मैं इसलिये बोल रहा हूं, अगर यहां नहीं है तो यह भी आपसे मांग कर सकते हैं····

श्री अध्यक्ष : अब आपने पालिसी सुन ली। इसके अन्तर्गत अब आप अपनी भूमिका बना लो। फिर बात करिये आगे।

श्री अमृतलाल : दानदाता हमारे पास तैयार है। अगर फालना में नहीं बैठती है तो सुमेरपुर कर सकते हो आप।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार करेगी सरकार। आगे चलिये। श्री राजेन्द्र गहलोत। अभी सोजत मांगते हैं, सुमेरपुर मांगते हैं। कोई मतलब नहीं है इसमें।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसी के बारे में ?

श्री जितेन्द्र : इसी के बारे में। महाविद्यालय के बारे में।

श्री अध्यक्ष : बाली के लिये ?

श्री जितेन्द्र सिंह : नहीं, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का क्या मापदण्ड है ?

श्री अध्यक्ष : यह मापदण्ड का इस सवाल में नहीं था। श्री राजेन्द्र गहलोत। प्रश्न संख्या 37 (अनुपस्थित) कृपया आगे देखें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। इम्पोर्टेन्ट सवाल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आसन से इजाजत किसी भी माननीय सदस्य को दे दें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष : तो मैं क्या करूं ? सदस्य ही गायब हैं तो ?

श्री परसादीलाल मीणा : मैं पूछ लूं साहब, आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता। और किसी रूप में उठायें। किसने मना किया है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

देशी व अंग्रेजी शराब हेतु जिलों के सर्किलों का पुनर्गठन

38. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में देशी व अंग्रेजी शराब के लिए जिलों को कितने-कितने सर्किलों में बांटा गया है, उक्त सर्किलों के बनाने में राज्य सरकार ने क्या कोई मापदण्ड एवं नियम तय किये हैं ? यदि हां, तो सर्किलों की सूची एवं मापदण्ड एवं नियम की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सर्किलों में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त सर्किलों का पुनर्गठन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) राज्य में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा के व्यवसाय पर शासन का प्रभावी नियंत्रण करने के लिए 18 आबकारी जिलों को 123 सर्किलों में बांटा गया है। सर्किलों के सृजन के लिए कोई निश्चित मापदण्ड एवं नियम तय किये हुए नहीं हैं। सर्किलों की सूची संलग्न है।

(2) सर्किलों का गठन करते समय मुख्यतः क्षेत्र विशेष की आबकारी आय, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र की व्यापकता, अपराधवृत्ति (नाजायज शराब कसीदगी) आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः प्रशासनिक दृष्टि से बने इन सर्किलों में भारी अन्तर नहीं है। वस्तुतः

(श्रीमती विद्या पाठक)

जैसे-जैसे उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकता प्रतीत होती है, कार्यकारी सर्किल का पुनर्गठन कर दिया जाता है। किन्तु तत्काल किसी पुनर्गठन की आवश्यकता एवं संभावना नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इन सर्किल्स के बनाने के लिये कोई समिति का गठन किया है?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिन 18 सर्किल्स में इनका विभाजन किया है, उस विभाजन के क्या मापदण्ड हैं। चूरू और बीकानेर, दो जिलों को एक ही सर्किल में कर रखा है। इसमें आपस में असमानता है, तो इस असमानता का क्या कारण है और किस मापदण्ड के आधार पर यह असमानता कायम की गयी है?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलों का कार्यकारी गठन प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है, इसके लिये कोई समिति गठित नहीं की गई है। प्रशासनिक सुविधा और जो कारण अभी मैंने निवेदन किये, भौगोलिक स्थिति, आबकारी आय, व्यापकता, शराब कसीदगी, राजस्व आय, और कुछ एरियाज जो एक दूसरे से जुड़े हुये हों, इस तरह के क्षेत्र को सर्किल बना दिया जाता है। इनके अलावा न कोई समिति की आवश्यकता है, न बनाई गई थी न ही इसके कोई मापदण्ड हैं। असमानता नहीं है। दो जिले जो आपने बताये हैं वह छोटे जिले हैं। एक सर्किल के अन्तर्गत एक, दो या तीन तहसील भी होती हैं, तो तहसीलों के अनुसार उसको निर्माण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा सिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत आबकारी मंत्री से जानना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनको अनुभव है, इसलिये बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : बिल्कुल अनुभवशील। इस संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हर प्रकार की जानकारी नहीं रखता। तो मुझे भी इसकी कम्प्लीट जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : अनुभव और जानकारी में अन्तर है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों उपभोक्ता हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण करते समय यह जो शराब के कुछ ऊंचे स्तर के ठेकेदार हैं, या यों कहिये कि जिन्होंने सारी मोनोपोली बना रखी है, उस मोनोपली के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक एक जिले में तीन तीन प्रकार के ठेकेदार हैं। मेरा पाली जिला है, पाली जिले में रायपुर तहसील का कुछ हिस्सा ब्यावर को दे रखा है और कुछ हिस्सा है जो जोधपुर को दे रखा है। इससे न तो आबकारी इन्सपेक्टर से देखभाल ठीक तरह होती है और अवैध

(श्री हीरासिंह चौहान)

शराब, जो हम कहते हैं कि बिना लाइसेन्स धड़ल्ले से बिक रहा है, उसका सबसे ज्यादा कारण यह है कि जिले का जो आबकारी अधिकारी होता है, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्ट पर, क्योंकि आबकारी इन्सपेक्टर्स दूसरे होते हैं, इसलिये उस क्षेत्र में प्रभावशाली कार्यवाही नहीं होती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया है, परन्तु हमारे प्रान्त में ब्यावर में एक बोतल 80 रुपये में बिकती है, वही बोतल वैर में 50 रुपये में बिकती है, आपके अजमेर में 100 रुपये की बिकती है और जयपुर में 150 रुपये में बिकती है। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम देशी और अंग्रेजी मदिरा के भाव तो सब जगह एक से किये जायं। इन भावों में इतना भारी अन्तर है, मन चाहे लूट रहे हैं। इससे क्या होता है कि राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप तो भाषण दे रहे हैं। आपके दोनों सवाल आ गये।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए मेरा निवेदन है कि वर्गीकरण के साथ भावों का स्थरीकरण भी किया जाय पूरे राज्य में।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आगे है आपका नम्बर। आ रहा है आपका नम्बर (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे साथ तो कोई सेवन नहीं करता है। एक भी बता दे कि मैं शराब सेवन करता हूं तो मैं इस्तीफा देता हूं। एक भी बता दे। मैं तो नहीं पीता। मैं घोषणा कर रहा हूं। या तो इस्तीफा देता हूं कोई कह दे कि मैंने शराब पी है। मेरे पर तो मेरे दल वाले भी आरोप लगाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोषणा की है, ध्यान रखना आप। आज आपने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष : मगर यह घोषणा दिन में की है, यह भी ध्यान रखिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ जिलों का, जो छोटे-छोटे जिले हैं, उन एक एक जिलों में कई कई इन्सपेक्टर्स हैं। अध्यक्ष महोदय मैंने पहले ही निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : नहीं इन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं कि एक तो ऐसा लगता है कि जो आपने सर्किल बनाये हैं, वह ठेकेदारों की सुविधा के अनुसार हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : सवाल ही नहीं उठता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : देखिये दूसरा प्रश्न यह है कि इस वजह से एक ही जिले में कई-कई ठेकेदार हो गये हैं, इसलिए स्टाफ भी अलग अलग हो गया है तो उसकी चैकिंग नहीं हो पाती, यह दो सवाल हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि ठेकेदार एक ही जिले में कई हो गये हैं, तो वह तो हो सकते हैं मगर सर्किल में ठेकेदारों की सुविधा असुविधा का सवाल नहीं है। यह मात्र प्रशासनिक दृष्टि से बनाये हैं। 18 जिले हैं, 18 आबकारी अधिकारी हैं, उनके अन्तर्गत 123 सर्किल्स हैं और हर आबकारी अधिकारी के अधीन कुछ इन्सपेक्टर्स हैं, उनको वह क्षेत्र बांटे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की आबकारी नीति और सर्किल सरकार ने गठित किये हैं, यह बहुत चिन्ता का विषय है। चाहे पूर्व सरकार रही हो चाहे यह सरकार हो, मगर अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि देश के विभिन्न प्रान्तों के अन्दर एक्साइज लॉबी बहुत स्ट्रोंग होती जा रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे जानकारी चाहता हूं कि क्या राज्य के हित में, प्रशासन के हित में, और जनहित में यह उचित नहीं रहेगा कि भविष्य के अन्दर इन जिलों को छोटा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि जितने बड़े-बड़े एक्साइज कान्ट्रेक्टर्स हैं, एक तरह से एक्साइज विभाग तो गौण हो गया, अपना समानान्तर प्रशासन चला रहे हैं, गुण्डों की फौज इकट्ठी कर ली है, नाजायज शराब को रोकने के लिए आपकी सरकार असमर्थ है और कहीं कहीं गुण्डों के साथ मारपीट होने में हत्यायें तक हो गई हैं। आप इनको इतना मजबूत मत बनाइये। भविष्य में यह पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए यह चिन्ता का विषय बन जायेगा। तो भविष्य के लिए कृपया आप इस नीति में परिवर्तन करें और आप छोटे-छोटे सर्किल बनाइये, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और यह इतने मजबूत नहीं होंगे कि यह अपनी मनमानी करें और सरकार से अपने मनमाने ढंग से कार्य करवाने की चेष्टा करें। इस नीति पर आपको पुर्नविचार करना चाहिये। क्या सरकार इसके लिए तैयार है, भविष्य के लिए यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो शराब के लाइसेंस दिये जाते हैं, उनकी क्या शर्तें हैं। राज्य में कई मंदिरों और मस्जिदों के पास, मोटर स्टैण्ड के पास शराब की दुकानें हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : तो क्या....

श्री अध्यक्ष : आप कहां ले आये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो दुकानें हैं क्या उनको वहां से हटाकर और नगर से....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। माननीय मंत्री जी विराजिये आप।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, यह...

श्री अध्यक्ष : यह बहुत इम्पोर्टेण्ट है, मगर इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मंदिरों मस्जिदों और मोटर स्टैन्डों के पास यह दुकानें राज्य में हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल भी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बहुत चर्चा हो चुकी। बहुत चर्चा हो चुकी। विराजिये आप।

श्री बालचन्द आर्यवीर : उससे बहुत गड़बड़ होती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये ना इससे......

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, इसका भी जवाब माननीय मंत्री महोदय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : यह दे चुके, बहुत दे चुके हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है। उसका भी साथ में मंत्रीजी जवाब दे दें। आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जो विदेशी मदिरा ठेकेदार देते हैं वह रिफाइन्ड स्प्रिट से बनाते हैं। एक बोतल के 7-8 रुपये ही लगते हैं और वही रिफाइण्ड स्प्रिट...

श्री अध्यक्ष : आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते हैं। इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल केवल सर्किल और जिले बनाने का है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हां, अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी.....

श्री अध्यक्ष : हां, उसी बारे में पूछिये। उसी बारे में पूछिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा जालौर जिला बोर्डर के ऊपर आया हुआ है, जालौर को अलग कर दिया। वहां पौने तीन करोड़ का ठेका हुआ, भीनमाल में, हमारे उपखण्ड में सवा 3 करोड़ का ठेका हुआ, यह सब मदिरा वहां से स्मगलिंग होकर पाकिस्तान जाती है और अधिकतर यह सब गुजरात में जाती है। क्या राजस्थान सरकार की यह नीति है कि मदिरा का पैसा पास के प्रोविन्स से कमाई करके ठेकेदारों की मार्फत लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सर्किल और समूह में कुछ कनक्लूजन किया जा रहा है। सर्किल आबकारी जिला और उसके अन्तर्गत आने वाले सर्किल, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। समूह ठेकेदारों का समूह है, जिनका न आबकारी व दूसरे जिलों से सम्बन्ध है। आबकारी जिले 18 हैं, सर्किल 123 हैं,

(श्रीमती विद्या पाठक)

समूह 55 हैं, तो इसको जिले के अनुसार तो बांधकर नहीं रखा जा सकता और न जिलेवार इनकी कोई प्रशासनिक प्रक्रिया तय है, पर ठेकेदारों का जिलों के अन्तर्गत कहीं Restrict किया जाना आवश्यक नहीं है। उसके लिए वैरीएशन भी हो सकते हैं। अभी यह पूछा है, डग से आने वाले माननीय सदस्य बालचन्दजी ने कि अनुचित स्थानों पर दुकानें, दो साल पहले ठेके हुए थे। ठेके के लोकेशन के नियम बने हुए हैं, उन लोकेशन के नियमों के विरुद्ध भी कई जगह ठेके दे दिये गये। इस बार जो एक अप्रेल से नया सेटलमेण्ट शुरू होगा, उसमें नियमों के विरुद्ध एक भी दुकान आवंटित न की जाये, इसके विशेष रूप से इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंहजी ने पूछा कि ठेकेदार बहुत पावरफुल हो गये, यह आपके ध्यान में है या नहीं कि इनको इस तरह से ज्यादा पावरफुल नहीं बनने दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ठेकेदार पावरफुल हो गये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और इनकी जो चिन्ता है, वह हमारी भी चिन्ता है। आपको याद होगा, जब मैं पहले मुख्य मंत्री था, मैंने शराबबंदी कर दी और इसी दृष्टिकोण से कहा था कि शराब के ठेकेदार ज्यादा पावरफुल न हों। आपने मेरी नीति के विरोध में शराब यहां चालू की और उसके बाद समय समय पर यह प्रभावशाली होते गये। इनको कम प्रभावशाली कैसे किया जाये, इसके दो तरीके हैं जैसे एक तरीका तो आपने बताया कि छोटे छोटे कांट्रेक्ट्स लिये जायें ताकि बाकी के लोग शामिल हों, लेकिन पिछली सरकारों ने यह भी अनुभव किया है कि छोटे-छोटे ठेके दिये जायें तो बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं, वह छोटे ठेकेदारों को तो ठेका लेने ही नहीं देते, किसी न किसी नाम से रकम बढ़ाते रहते हैं और वह छोटे ठेकेदार उसमें भी नहीं आ पाते। इस समस्या के समाधान पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, लोगों ने विचार भी किया है, सरकार ने भी किया है और उसके बाद में एक ग्रुप सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया है। अब इससे यह कितने बढ़ रहे हैं कितने नहीं बढ़ रहे हैं, यह दूसरी समस्या है। जिस समस्या का समाधान, जैसा आपने चिन्ता व्यक्त की है, समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से माफिया का रूप नहीं ले सके।

श्री अध्यक्ष : पूनमचन्द विश्नोई। प्रश्न (संख्या 39 कृपया आगे देखें) (अनुपस्थित।)

श्रीमती मदन कौर प्रश्न संख्या 40 (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

श्री शिवजीराम मीणा।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुदानित इकाइयां

41. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को दिये गये 10,000/- रु. के ऋण सहायता राशि को

(श्री शिवजीराम)

अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ऋण माफ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पिछले 10 वर्षों से कितनी सहायता प्राप्त इकाइयां कार्यरत हैं ? मृत एवं रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) ट्राइबल एरिया के लिए निर्धारित बजट में से कितने आदिवासियों को लाभान्वित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री मोहन मेघवाल) : (1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण दस्तकारों को दिये गये ऋणों की राशि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बम्बई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है अतः 10,000 रुपयों तक के ऐसे ऋणों की माफी राज्य सरकार की परिधि में नहीं है ।

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पिछले 10 वर्षों में वित्त पोषित इकाइयों में लगभग 87955 इकाइया कार्यरत हैं । बोर्ड द्वारा अब तक 85 संस्थागत इकाइयों को 5.73 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है ।

(3) ट्राइबल एरिया के लिए उपलब्ध बजट से 3,766 इकाइयां आदिवासियों को स्वीकृत की जाकर 9,415 आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इनका उद्योगवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क. सं.	नाम उद्योग	आदिवासियों को स्वीकृत इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	लुहारी सुथारी	632
2.	बांसबैंत	1530
3.	सिलोई	18
4.	रेशा	1453
5.	कुम्हारी	7
6.	अनाज दाल प्रशोधन	19
7.	ताड़पत्ती	65
8.	झाडू	1
9.	धोबी	2
10.	खस टट्टी	2
11.	लक्ष चूडी	1
12.	चूना	25
13.	गुड़ खांडसारी	7
14.	पत्तल	3
15.	पोपकोर्न	1
	योग	3766

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या दो के जवाब में 85 संस्थागत इकाइयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए निवेदन किया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत इकाइयां बन्द हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ? दूसरा

(10)

(श्री शिवजीराम)

इसी प्रश्न में निवेदन है कि क्या इन इकाइयों के बन्द होने का कारण यह है कि इन इकाइयों को बिना विद्युत कनेक्शन के कार्यकारी के पूंजी का भुगतान किया गया है ? यदि हां तो इस प्रकार की कितनी इकाइयां हैं ? तीसरे क्वेश्चन के बारे में निवेदन है कि ट्राइबल एरिया के लिए जो बजट आता है वह क्या ट्राइबल के लिए ही या अन्य जातियों को भी उससे लाभान्वित किया गया है ? यदि ऐसा किया गया है तो क्यों ?

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से दस्तकारों को ऋण के साथ जो 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था क्या वह बन्द कर दिया गया है ? दूसरा, दस्तकारों और बुनकरों को आई आर.डी.पी. के ट्रेनीज के समान मानकर ऋण दिया जाता है, छोटे छोटे लोन हैं उनके उनको आप माफ नहीं करते हैं जब कि दूसरे बड़े बड़े ऋण माफ कर दिये गये हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दस्तकारों को, कुटीर उद्योग के उद्यमियों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये जो ऋण दिया जाता है वह ऋण माफ करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये, सवाल हो गये आपके ।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं, साहब, एक रह गया ।

आपका उत्तर यह है कि यह राज्य सरकार की परिधि में नहीं आता है, केन्द्र सरकार और बम्बई के कमीशन की परिधि में आता है । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कुछ पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा । माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न संख्या 41 के खण्ड एक के उत्तर में कहा है कि बुनकरों और दस्तकारों को जो ऋण दिया जाता है वह राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है, बल्कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई से दिलवाया जाता है । केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि किसानों के साथ दस्तकारों और बुनकरों के दस हजार तक के ऋण माफ किये जायेंगे । यह माना कि आप खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के सौजन्य से ऋण दिलवाते हैं, क्या राज्य सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने खादी ग्रामोद्योग आयोग से इस सम्बन्ध में कोई बात की है, या आप सिफारिश करने जा रहे हैं कि इस तरीके के ऋण माफ किये जायं ? दूसरा सवाल यह है कि खादी और ग्रामोद्योग में निजी इकाइयों को जो ऋण स्वीकृत किया गया है वह खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के माध्यम से एक को भी नहीं किया गया है बल्कि अन्त्योदय योजना में आपने उनको ऋण दिया है । माननीय मंत्रीजी ने यह तो बता दिया कि 85 रुग्ण इकाइयों को चालू कराने के लिए 5.73 लाख की आपने ग्राण्ट दी है लेकिन यह बताना आप भूल गये कि 87955 यूनिट्स जो राजस्थान भर में हैं उनमें से कितनी इकाइयां अभी बन्द पड़ी हैं, रुग्ण पड़ी हैं ? यह आप कृपया बतायें कि कितनी इकाइयां बन्द पड़ी हैं और उन बन्द और

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

रुग्ण इकाइयों को कब तक शुरू करवा देंगे? तीसरा, ट्राइबल एरिया में इन्होंने बताया कि हमने अलग इस तरीके से योजना की है, लेकिन निजी क्षेत्र में जिन लोगों की इकाइयां बन्द पड़ी हैं क्या उनको भी चालू कराने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं, उससे भी सदन को अवगत करायें।

श्री मोहन मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने ट्राइबल एरिया के लिए करीब 11995 इकाइयों को ऋण वितरण किया है, उसमें सिर्फ आदिवासी लोगों की 3766 इकाइयों को ऋण वितरण किया है। माहिर साहब ने जो इकाइयां रुग्ण पड़ी हैं उनके बारे में और 10 हजार तक के लोन के बारे में सवाल पूछा है। हमने निवेदन किया कि राज्य सरकार तो यह चाहती है कि लोन माफ हो लेकिन यह भारत सरकार द्वारा ही दिया हुआ है इसलिए हमारी परिधि में नहीं आता है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग द्वारा संस्थागत इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं दिया जाता है, इस कारणवश माफ नहीं किया जा सकता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अनुदान क्या कर रहे हैं इस सम्बन्ध में? यह बात तो साफ हो गयी कि आपकी परिधि में नहीं आता है, करेगी तो भारत सरकार या खादी ग्रामोद्योग आयोग, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?

श्री मोहन मेघवाल : मेरा निवेदन है कि हमने भारत सरकार को लिखकर दे दिया है, उसका जवाब हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब लिखा था आपने?

श्री मोहन मेघवाल : करीब साल भर हो गया हमें लिखे हुए। मेरे मंत्री पद ग्रहण करते ही मेरे द्वारा भारत सरकार खादी कमीशन बम्बई को लिख दिया था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बाद में कोई रिमाइण्डर भेजा?

श्री मोहन मेघवाल : अभी दो रोज पहले ही हमारे चेयरमैन साहब आये थे, उनको अभी कहा है मैंने 15 तारीख को।

श्री मोहनलाल चौहान : 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है उसका क्या किया आपने? उसका नहीं आया आपका जवाब। अनुदान व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं दिया जाता है संस्थागत इकाइयों को दिया जाता है। (व्यवधान)

अनुदान के बारे में क्या है आपका? बन्द कर दिया गरीबों को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मदन दिलावर।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा अटरू क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम

42. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

क्या राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर द्वारा अटरू विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या, क्या कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : जी नहीं ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, काफी गरीब लोग वहां निवास करते हैं । राजस्थान के ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी गरीब आदमी को लाभ नहीं पहुंचाया गया । इसका क्या कारण है ? पूर्व सरकार इसको अभी तक उपेक्षा की दृष्टि से देखती आयी है तो क्या वर्तमान मंत्रीजी नये कार्यक्रम संचालित करने का ध्यान रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि अटरू में काम होने का क्या कारण हैं ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि आज से पांच वर्ष पूर्व तक अटरू विधान सभा क्षेत्र से कोई भी ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिससे किसी भी व्यक्ति ने यह मांग की हो कि मैं इस तरह कार्य करना चाहता हूं, जिससे वह लाभान्वित हो सके ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप कुछ पूछिये मत, इनको एप्लीकेशन दिलाइये काम वालों के लिए । नैक्स्ट, श्री लक्ष्मी लाल ।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

43. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसींद) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाई कोर्ट के कितने जज अन्य प्रदेशों में चीफ जस्टिस बनाये गये ?

(2) अन्य प्रदेश के हाई कोर्ट के कितने जज राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री विधि एवं न्याय (श्री शान्तिलाल चपलोत) : (1) पांच न्यायाधीश श्री चांदमल लोढ़ा, श्री मोहनलाल श्रीमाल, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री नरेन्द्र मोहन कासलीवाल व श्री मिलापचन्द्र जैन ।

(2) छः न्यायधीश—श्री कैलाशनाथ वांचू, श्री सरजू प्रसाद, श्री सी. होनैया, श्री पी.के. बनर्जी, श्री जगदीश शरण वर्मा एवं श्री के.सी. अग्रवाल ।

श्री अध्यक्ष : अभी पूछेंगे क्या इसमें ?

श्री लक्ष्मीलाल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सूची मांगी, दे दी ।

श्री लक्ष्मीलाल : मैं इसी से सम्बन्धित पूरक प्रश्न तो पूछ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : हां, पर इसमें कोई सवाल ही नहीं है। आपने जो सूचना मांगी, दे दी।

श्री लक्ष्मी लाल : मान्यवर, सूचना के आधार पर तो प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या, फर्माइये ?

श्री लक्ष्मी लाल : मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान उच्च न्यायालय देश के महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों में से है। यहां के न्यायधिपतियों को दूसरे न्यायालयों में बहुत कम अवसर मिला है।

श्री अध्यक्ष : पांच और छः बराबर हैं।

श्री लक्ष्मी लाल : सूची से यह साबित है कि हमारे यहां के पांच जजेज को बाहर मुख्य न्यायाधिपति के पद पर आरोपित किया गया और बाहर के छः न्यायाधिपति यहां मुख्य न्यायाधिपति बनकर आये। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे उच्च न्यायलय के न्यायाधीश देश के अन्दर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बाहर से कोई न्यायाधिपति हमारे यहां लगाये जाते हैं तो क्या राज्य सरकार ने इस बात का समुचित प्रयास किया है कि हमारे यहां के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को बाहर मुख्य न्यायाधिपति बनाया जाय ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि न्यायाधिपति जो लगायें जाते हैं वे प्रायः राष्ट्रपति द्वारा लगाये जाते हैं। बराबर-बराबर की गिनती है। राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हमारे यहां के जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं उन्हें दूसरी जगह उच्च न्यायालयों में जाने का मौका मिले। राज्य सरकार इसके लिए सतत् प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हेमराज।

केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा लेखन एवं मुद्रण सामग्री का क्रय

44. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सत्र 1990 में राजकीय मुद्रणालय जयपुर ने लेखन एवं मुद्रण सामग्री खरीद हेतु कब तक टेण्डर आमन्त्रित किये ? किन किन कम्पनियों ने किस किस सामग्री की सप्लाई हेतु किस किस रेट से टेण्डर भरे, किन किन कम्पनियों के टेण्डर किस किस रेट के किस किस सामग्री की सप्लाई हेतु पास किये गये ?

(2) क्या स्वीकृत कम्पनियों के टेण्डर से कम रेट पर अन्य कम्पनियों द्वारा टेण्डर भरे गये ? यदि हां, तो उनके टेण्डर स्वीकृत क्यों नहीं किये गये ? इससे राज्य सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

(3) अब तक टेण्डर स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्री उम्मेद सिंह) : (1) (क) वर्ष 1990 में लेखन एवं मुद्रण सामग्री की खरीद हेतु दिनांक 4.4.1990 को निविदाएं आमन्त्रित की गयी ?

(ख) वांछित सूचना संलग्न है।

(श्री उम्मेद सिंह)

(2) जी हां, कुछ आइटमों में स्वीकृत कम्पनियों से कम दर प्राप्त हुई थी।

(ख) न्यूनतम दर वाली कम्पनी का माल निविदा में चाहे गये स्पेसिफिकेशन/क्वालिटी का न होने के कारण न्यूनतम दर पर नहीं खरीदे गये। (ग) न्यूनतम दर देने वाली कम्पनी का माल टेण्डर नोटिस में दिये गये स्पेसिफिकेशन से निम्न कोटि का होने के कारण ही उससे नहीं खरीदा गया है, अतः राज्य सरकार को हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जैसा कि ऊपर बताया गया है माल टेण्डर नोटिस में दिये गये स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही खरीदा गया है, अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या लेखन एवं मुद्रण सामग्री के टेण्डर्स करते समय स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी का जो सामान था क्या वह टेण्डर्स के पहले देख लिया गया था ताकि उन्होंने उनकी दरें स्वीकार नहीं की ?

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि राजकीय मुद्रणालय में लेखन एवं मुद्रण सामग्री टेण्डर्स होने के बाद भी कौन कौन सी कम्पनियां हैं जिनको आपने वर्क आर्डर्स दे दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने आगे काम नहीं किया, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करना तो दूर रहा वैसे ही उन कम्पनियों को डिफाल्टर घोषित नहीं करके दुबारा फिर उनको हाथ आर्डर दे दिया, ऐसी कम्पनियों की लिस्ट बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री उम्मेद सिंह : जो स्टेण्डर्ड कम्पनियां थीं 6, जिन्हें लिफाफे भेजे जाने थे, उनके अलावा दो को दिया उन्होंने न तो सैम्पल दिया, न उनकी कास्ट मिली, कौनसी मिल का पेपर हमको देंगे यह भी टेण्डर में नहीं दिया तो उनसे खरीदने का सवाल ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बहादुरसिंह।

बांसवाड़ा जिले के महिला व बालविकास केन्द्र

45. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा व कुशलगढ़ पंचायत समितियों में महिला व बाल विकास केन्द्र बन्द किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बन्द किये गये केन्द्र अकाल राहत के तहत चल रहे थे ? यदि हां, तो क्या वे अस्थायी प्रकृति के थे ? यदि नहीं तो उनको स्थायी

(श्री बहादुरसिंह)

क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (डॉ. रतनलाल जाट) : (1) जी हां। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा एवं कुशलगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत क्रमश: 15-15 आंगनवाड़ी केन्द्र बन्द किये गये हैं। इन अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार से नहीं मिलने के कारण बन्द किये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। स्थाई करने के लिये भारत सरकार से निवेदन किया गया था। स्वीकृति के अभाव में इन केन्द्रों को बन्द करना पड़ा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा एवं कुशलगढ़ पंचायत समितियों में ये केन्द्र कब कब से चालू किये गये थे और कब बन्द कर दिये गये और इतने लम्बे समय के बाद अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, यह 15-15 केन्द्र जनवरी, 1987 में बजट विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई थी उसके तहत चालू किये गये थे और चालू करने के पीछे जो कारण रहे थे मिनिस्ट्री आफ सोशल वेलफेयर्स, गवर्नमेंट आफ इण्डिया से नवम्बर, 1983 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके तहत उन्होंने यह चाहा था कि—

During their field visits it has been noted that there are projects in which the entire population of children and mothers have not been covered by the package of services provided under the scheme. It has re-iterated, that the State Government should ensure, that every project area is divided into Anganwadi areas so that no areax is left out.

उसी के तहत यह एडीशनल सैन्टर्स खोले गये थे और इसी पत्र में उन्होंने इन एडिशनल सैन्टर्स के लिये एडीशनल फण्ड देने के लिये भी लिखा था। हम बराबर प्रयत्नशील हैं कि मिनिस्ट्री आफ सोशल वेलफेयर ने जो केन्द्र बन्द कर दिये खोलने के बाद उनकी पुन: स्वीकृति प्राप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशोर सैनी।

दौसा को जिला व बांदीकुई को उपखण्ड बनाने बाबत

46. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान सरकार जयपुर जिले के विस्तृत स्वरूप को देखते हुए दौसा को जिला व बांदीकुई को उपखण्ड घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (गंगाराम चौधरी) : दौसा में नया जिला बनाने की घोषणा दिनांक 6-3-1991 में हो चुकी है। बांदीकुई में उपखण्ड स्थापित करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकिशोर सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो मुख्य मंत्रीजी को दौसा जिला घोषित करने के लिये बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा की बांदीकुई क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए जहां पर सभी कार्यालय हैं, कोर्ट्स हैं, कालेज हैं तो ग्रामीण जनता को सस्ता, सुलभ न्याय और प्रशासन उपलब्ध कराने के लिये बांदीकुई को उपखण्ड घोषित करने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार कर लेंगे। नेक्स्ट। श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

इससे क्या सम्बन्ध है आपका ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : दौसा के बारे में है ?, नहीं, नहीं आप बैठिये। आप तो दूसरी तहसील की बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन करना है कि....

श्री अध्यक्ष : अगर आप सोचते रहे तो गाड़ी निकल गई। माननीय मंत्री जी। जवाब दे रहे हैं। बैठिये आप।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति

47. **श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित आयल मिल कब आरम्भ की गई थी और इस पर कितनी लागत आई थी ? इसे वापस बन्द क्यों कर दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बन्द पड़ी इस मिल पर प्रति माह कितना व्यय हो रहा है तथा अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ? क्या इस मिल को पुनः शुरू किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? पुनः चालू करने में कितना खर्चा आयेगा ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित आयल मिल मार्च 1986 में चालू हुई थी। मिल पर 17.90 लाख रुपए की लागत आई थी। यह मिल मशीनरी के कुछ पार्ट खराब हो जाने तथा बाजार में प्राइवेट मिलों से प्रतिस्पर्द्धा में हानि होने से बन्द करनी पड़ी।

(2) बन्द पड़ी इस मिल पर प्रतिमाह 11,329/– रुपए खर्च हो रहे हैं जिसके अतिरिक्त बकाया ऋण पर 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लग रहा है। स्थापना पर हो चुके व्यय 17.90 लाख रुपए के अतिरिक्त मिल चलाने में मार्च 1990, तक 17.58 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। क्रय विक्रय सहकारी समिति 90,000/– रुपए के अनुमानित व्यय पर इसको वर्ष 1991 में चलाने की कार्यवाही कर रही है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित आयल मिल बन्द होने के बारे में जो जवाब मंत्रीजी ने दिया है उससे बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं। इन्होंने यह बताया है कि मशीनरी के कुछ पार्ट्स खराब हो जाने और बाजार में प्राइवेट मिलें प्रतिस्पर्द्धा में आ जाने के कारण मिल बन्द की है और नीचे दूसरे पैरा में लिखा है कि 1991 में चलाने की कार्यवाही की जा रही है, तो क्या आप हानि उठाते हुए भी इसको चलायेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापारियों की मिली भगत से, जब व्यापारियों को हानि हो रही थी तो उन्होंने डाइरेक्टर्स, मैनेजर आदि से मिल कर मिल की मशीनरी का पार्ट्स जो 30-40 हजार रुपए का था उसे खराब कर दिया गया और इस कारण से वह मिल बन्द पड़ी है, लागत से ज्यादा खर्च मिल में आया है, यानी सहकारी समिति बिलकुल घाटे में चल रही है। मैं एक साल से उक्त आयल मिल को चालू करने के लिये मंत्रीजी से निवेदन कर कर रहा हूं, वहां के डाइरेक्टर्स, चेयरमैन और जनरल मैनेजर को भी कह चुका हूं लेकिन वह अपने स्वार्थों के लिये इसे चालू नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर वर्तमान में कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है वह इसमें बिलकुल इन्ट्रेस्टेड नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि या तो इस बोर्ड को भंग किया जाय या इसको तुरन्त चालू किया जाय। चालू करने के लिए 90 हजार की कास्ट बताई गई है। एक साल पहले 30 हजार रुपए थी, दो महीने बाद 40 हजार फिर 60 हजार और अब 90 हजार रुपए तो माननीय अध्यक्ष महोदय कास्ट बढ़ रही है इसका समुचित जवाब दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं कि घाटा बढ़ रहा है खराबी हो जाने के कारण से प्रतिस्पर्द्धा में नहीं आ रही है। तो क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि ऐसी आयल मिलें पार्ट्स खराब हो जाने के कारण महीनों तक बन्द पड़ी रहती हैं जिससे यह घाटे में आ जाती हैं ?

दूसरा, प्रश्न यह है कि आयल मिल खोलने के क्या मापदण्ड हैं, आप किन मापदण्डों के आधार पर आयल मिल खोलते हैं ? यह भी आप बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि 90 हजार रुपए इसमें लग चुके हैं चालू करने की स्थिति में है, मार्च के अन्तिम सप्ताह में नहीं तो कम से कम अप्रेल माह में इसको चालू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीरासिंह चौहान।

आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा सिपाही की बर्खास्तगी

48. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक

(18)

(श्री हीरासिंह चौहान)

8-2-1980 को आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री अमरसिंह सोढ़ा निवासी लूणोद तहसील रेवदर जिला सिरोही को आबकारी अधीनस्थ सेवाओं में सिपाही की नियुक्ति दी गई तथा दिनांक 22-10-84 को उक्त सिपाही को राजस्थान सी सी ए नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र देकर बिना उचित सुनवाई के नियम विरुद्ध सेवाओं से पृथक कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी को सेवाओं से पृथक् करने से पूर्व जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम, पद व जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सी सी ए रूल्स के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को सेवा से पृथक् करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस सिपाही को नियम विरूद्ध सेवाओं से पृथक् किया गया ? यदि हां तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इसे पुनः नियमानुसार सेवा में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ले लिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) यह सही है कि आबकारी आयुक्त, राज. उदयपुर द्वारा श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री अमरसिंह सोढ़ा निवासी लूणोद तहसील रेवदर जिला सिरोही को आबकारी अधीनस्थ सेवाओं में दिनांक 4–3–1980 को सिपाही के पद पर नियुक्ति दी गई। यह सिपाही राज्य सेवा में रहते हुए जब उदयपुर में पदस्थापित थे, तब दिनांक 18-4-1981 से 30–9–81 तक डूंडू में पदस्थापित थे, तब 23–6–82 से 11–10–82 तक सिरोही में पदस्थापित थे तब दिनांक 18–11–82 से अक्टूबर, 1984 तक (राज्य सेवा से पृथक करने तक) बिना किसी सूचना के जानबूझकर अनुपस्थित रहे। उनके विरुद्ध दिनांक 17–2–84 को नियम 16 राजस्थान असैनिक सेवाएं 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर ज्ञापन दिया जो इन्हें दिनांक 20–2–1984 को प्राप्त हुआ। इन्हें दिनांक 20–10–84 को सेवा से पृथक् किये जाने तक भी पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार विभागीय जांच की जाकर आदेश दिनांक 22–10–84 से राज्य सेवा से पृथक किया गया है।

(2) नहीं ? जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। अभिलेख के आधारों पर तथा श्री स्वरूपसिंह द्वारा आरोपों का उत्तर पेश नहीं करने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह सिपाही स्वेच्छा से राज्य सेवा से अनुपस्थित रहने का आदी था, इसी कारण जांच अधिकारी की नियुक्ति की अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आवश्यकता नहीं समझते हुए नहीं की

(3) सीसीए रूल्स के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी की गई हैं। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(आबकारी मंत्री)

(4) नहीं, क्योंकि उक्त सिपाही राज्य सेवा से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित रहा तथा राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 में नियमानुसार आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये जाकर पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अतः इन्हें पुनः राज्य सेवा में लेने का विचार नहीं है, क्योंकि वे निरन्तर स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया इस सवाल के खण्ड 1 में····

श्री अध्यक्ष : वैसे सामान्यतया ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं एक व्यक्ति को लेकर। यह पता नहीं किस तरह से हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं अर्ज करूं जिसका डिसमिशल एब इनीशियो ही रांग हुआ, एक्स पार्टी हुआ और जिसको कोई नोटिस नहीं दिया। इस प्रकार के नेचुरल जस्टिस के लिए ऐसे सवाल नहीं लाये जा सकते। मेरा निवेदन है कि इस सिपाही को डिसमिशल देने से पूर्व 20.2.84 का नोटिस है उसको यह फाइनल मानते हैं। इस रजिस्टर्ड नोटिस की तामील होना कतई नहीं पाया जाता है। केवल 20.2.84 का जो नोटिस दिया गया इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं क्या 16 सी.सी.ए. का नोटिस देने के पूर्व 17 सी.सी.ए. का नोटिस देना आवश्यक था?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप उस सिपाही को कहिए कि वह कोर्ट में जाए वह ज्यादा समझता है।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन सुनिए आप। क्या यह बात भी सही है कि स्वरूप सिंह को बिना तामिली कार्यवाही एब इनीशियो वर्ड की गई है और एब इनीशियो वर्ड होने के कारण से इसके जो डिसमिशल के आदेश दिए गए हैं, बिल्कुल गलत दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व यह पाकिस्तान से विस्थापित था। पाकिस्तान के 1971 की लड़ाई के दौरान आए शरणार्थी परिवारों में से एक था। इसलिए शरणार्थियों को किस प्रकार एस्टेब्लिश होना पड़ता है, किस प्रकार की बाधाएँ थीं इसके लिए जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी माननीय शिवचरण जी माथुर साहब को इनकी स्थिति देखते हुए लिखा। एम. पी. साहब जसवन्त सिंह जी ने पांच बार इस प्रकार का निवेदन किया। यादवेन्द्र सिंह जी जो आबकारी आयुक्त हैं कि इस को वापिस सेवा में लिया जाए। इसके किसी प्रकार के कोई साधन नहीं हैं। इसकी कार्यवाही एब एनीशियो वर्ड हुई है, इसको डिसमिशल के पहले किसी प्रकार की भी तामिल नहीं की गई है। व्यक्तिशः तामील बहुत जरूरी है जब किसी को सेवाओं से पृथक किया जाता है तो।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण झाड़ रहे हैं। आपका कोई जवाब मिलेगा नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपसे प्रोटेक्शन लेते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिसको बिना किसी सूचना के····

श्री अध्यक्ष : देश में अदालतें हैं वह प्रोटेक्शन देंगी।

श्री हीरासिंह चौहान : सेवाओं से पृथक किया गया और लगातार कार्यवाही करता रहा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। नेक्स्ट।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं साहब, मैं इसका उत्तर चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था। जिस प्रश्न का उसको दूसरी अदालतों में मौका मिल रहा है वहां हाउस में नहीं उठाना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नियम हैं, आप प्लीज बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : होंगे नियम लेकिन जब सवाल आ गया, गवर्नमेंट रिप्लाई दे रही है उस हालत में····

श्री अध्यक्ष : कोई रिप्लाई नहीं है। जो कार्यवाही करनी थी इन्होंने बता दिया है। अब यदि उसकी कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाए। नेक्स्ट श्री प्रभुराम ग्रासिया।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, इसका उत्तर तो आने दीजिए। मैं इस मामले में प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं नियम विरूद्ध प्रोटेक्शन नहीं दे सकता।

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल लग गया, आप पहले ही नहीं लगाते। अब सवाल लग गया है आपने मुझे पुकार लिया है, सरकार उत्तर दे रही है। ऐसी हालत में मुझे प्रोटेक्शन दीजिए साहब आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए, आपको जानकारी मिल गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी मैं कर लेऊं कि इसके डिसमिशल के बाद में इसने रिवीजन किया है क्या ?

श्री हीरासिंह चौहान : हां रिवीजन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब ?

श्री हीरासिंह चौहान : रिवीजन किया नहीं किया यह सवाल नहीं है मेरा (व्यवधान) यह नहीं होगा साहब। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके साथ ज्यादती हुई है, एक्स पार्टी हुई है, सब इनीशियो कार्यवाही हुई है इसलिए सरकार इस पर गम्भीरता से पुनः विचार करे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्स पार्टी, एब इनीशियो का सवाल नहीं उठता, 20.2.84 को जो इनको नोटिस दिया उसका इन्होंने 15.3.84 को जवाब दिया है उसके बाद निरन्तर यह 18.11.82 से अक्टूबर, 84 तक निरन्तर सर्विसेज से गायब हैं और टर्मिनेट करने के बाद भी ना इन्होंने अपील की ना कोर्ट में गए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री प्रभुराम ग्रासिया।

जोधपुर-सोजत मार्ग पर द्रुतगामी बस सेवा

49. **श्री प्रभुराम ग्रासिया** (पिंडवाडा एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जोधपुर डिपो एवं ब्यावर डिपो से बसें सोजत होकर किस किस समय संचालित होती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जोधपुर से सोजत के लिए द्रुतगामी बस चलाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त बस कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जोधपुर से वाया राजौला कल्ला, सोजत होकर फुलाद तक परिवहन निगम की बसों को चलाने हेतु सर्वे करवाया था ? यदि हां, तो उक्त रूट पर परिवहन निगम की बसें कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) निगम के जोधपुर एवं ब्यावर आगारों द्वारा सोजत होकर संचालित बस सेवाओं की समय सारणी दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, वर्तमान में जोधपुर से सोजत के लिए एक द्रुतगामी सेवा संचालित की जा रही है तथा सोजत से जोधपुर के लिए दो द्रुतगामी सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

(3) निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जोधपुर से वाया राजौला सोजत होकर फुलाद जो प्राइवेट बस के मालिक जो बसें चलाते हैं, मनमाने तरीके से वह भाड़ा वसूल करते हैं। यह सोजत की सबसे पुरानी सड़क है और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस रूट पर राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलानी चाहिए ताकि यात्रियों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, यात्रियों को जिस प्रकार की असुविधा हो रही है इसलिए राज्य सरकार के द्वारा यह पथ परिवहन निगम के द्वारा बस चलाने से यात्रियों को लाभ होगा और आर्थिक फायदा भी होगा।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि ब्यावर में डिपो है, जोधपुर में डिपो है, सिरोही में डिपो है, पाली क्षेत्र के, आटी विधान सभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण और ग्राम मतदाताओं की हमेशा मांग रही है कि पाली के अन्दर डिपो खोला जाए। पाली में डिपो नहीं होने के कारण छोटे-छोटे गांवों के अन्दर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम....

श्री अध्यक्ष : दवे साहब अब आप पाली जिले पर भाषण देने लग गए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसलिए काफी दिक्कत होती है और छोटे छोटे गांवों में डिपो की घोषणा करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री अचलाराम।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार यह मंशा रखती है कि राजस्थान की पंचायत समितियों को पथ परिवहन निगम की बसों से जोड़ा जाए। अगर ऐसी मंशा है तो एक किलोमीटर ही राज्य पथ परिवहन निगम की बस हमारे रानी पंचायत समिति में नहीं चलती है उसको भी क्या जोड़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से जयपुर कम से कम चार पांच बसें हैं द्रुतगामी सुपर डीलक्स बसें चलती हैं परन्तु जैतारण सब डिवीजन हैड क्वार्टर होते हुए भी एक भी बस का स्टोपेज नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका स्टोपेज करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाली मुख्यालय पर रोडवेज के डिपो बनाने के लिए जमीन बहुत पहले अलाट कर दी है। निरन्तर हमारी यह मांग रही है कि हमारे जिले में प्राइवेट बसों का साम्राज्य है, मनमाना किराया लेते हैं और मनचाहे चलाते हैं, मनचाहे बन्द कर देते हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में सोजत रोड़ से रायपुर बसें चली थी, पांच बसें बन्द कर दीं। बीस ग्राम पंचायतों के लोगों के आने जाने के लिए वहां कोई साधन नहीं है। इसीलिय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पाली में हमारा डिपो खुल जाता है तो हमारी ग्रामीण सेवाएं हम अपने आप ले लेंगे। आज हमें जोधपुर और ब्यावर पर निर्भर रहना पड़ता है और कोई भी बस नहीं चलाते हैं। इसलिए वहां के जिले के लोगों को यातायात के तौर पर भारी असुविधा होती है इसलिए मेरी मांग है कि आज ही पाली में डिपो खोलने की घोषणा की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यातायात मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन रूट्स के ऊपर रोड़वेज की रिपोर्ट के अनुसार आई. पी. के. एम. कम बैठता है, क्या उन रूट्स पर चलने वाली जो बसें हैं उनको निगम बन्द करने का इरादा रखता है ?

नम्बर दो, जिन रूट्स पर आई. पी. के. एम. 8–10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैठता है उन रूट्स पर क्या बस बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन क्षेत्रों आई. पी. के. एम. अधिक बैठती है क्या उन क्षेत्रों में रोड़वेज के डिपो खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

इस सन्दर्भ में यह पूछना चाहूंगा कि चौमूं क्षेत्र की जो रूट्स हैं, आपका आई. पी. के. एम. करीब पांच रुपये बैठता है।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

चौमू क्षेत्र के जितने भी रूट हैं उनका कहीं भी आई. पी. के. एम. नौ रुपये से लेकर तेरह रुपये के बीच में बैठता है, क्या चौमू में आप डिपो खोलने का मानस रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां राष्ट्रीयकरण की बात कही इसका सर्वे करवा कर लोड फैक्टर सही बैठा तो राज्य सरकार कहीं भी संकोच नहीं करेगी किसी भी रूट का राष्ट्रीयकरण करने की । उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा । जहां तक पाली में डिपो खोलने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, निगम इस बात को महसूस करता है कि डेढ़ किलोमीटर हमको बहुत चलना पड़ता है, विचार किया जा रहा है, पाली में डिपो खोलने का विचार सरकार रखती है, विचाराधीन है । न केवल पाली में.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन के अन्दर पाली में डिपो खोलने की घोषणा करें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी निवेदन किया है पाली में डिपो खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है । साथ ही न केवल पाली में बल्कि बहुत सी जगह ऐसी आवश्यकता है जहां डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा बनता है । निगम के फायदे के लिए जब वित्तीय संसाधन हमारे पास होंगे न केवल पाली में, जहां-जहां भी उचित समझा जायेगा कई और डिपो खोलने का भी सरकार विचार रखती है । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : विचाराधीन तो बहुत मामले हैं । विचाराधीन तो बहुत बरसों से पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । हो रहा है आप बैठिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा प्रश्न आ जाये । साहब आपने बड़े उदारतापूर्वक सबको अवसर दिया है तो आप मेरे को ही आपकी कृपा से वंचित न रखें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय यातायात मंत्री मुख्यमंत्रीजी के निर्देशों को, आंख से इशारा करके जो उन्होंने आदेश दिया है उसका पालन करके चुनाव को दृष्टि में रखते हुये पालन करते हुये उनकी घोषणा करेंगे, क्या यहां पर ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । माननीय सदस्य बैठिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से जो माननीय सदस्य आये हैं उनको इस बात का विरोध है कि पाली में बस डिपो नहीं खोला जाय । यही है न आपका ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जिस प्रकार से इशारा कर रहे हैं कि बैठो-बैठो; खोलो मुझे इस बात का (व्यवधान)

आप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चुनाव में आप इस प्रकार की घोषणा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई नियम नहीं है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी उत्साहित कर रहे थे। मुख्य मंत्रीजी मेरे काम में कहीं दखलअन्दाजी नहीं करते। मैं पूर्ण स्वतन्त्र हूं। जहां डिपो खोलना चाहूं घोषणा कर दूंगा, नहीं खोलना चाहूं नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पाली में डिपो खोलने का विचाराधीन है, सरकार डिपो खोल देगी। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : पाली की जनता याद करेगी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। चौमू क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आप सुनें, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पाली के अलावा नगर, तिजारा, बहरोड़, राजगढ़ विचाराधीन जो डिपो हैं उनमें भी अगले वित्तीय वर्ष में जैसे ही होगा उनको खोल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना, श्री महावीर प्रसाद जैन।

अल्प सूचना प्रश्न

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास व बाल गृह

1\. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 1990 में सभी सरकारी एवं अनुदानित छात्रावासों तथा निराश्रित बाल गृहों का निरीक्षण कराया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान सभी प्रकार के छात्रावास तथा निराश्रित बाल गृहों में भयंकर अनियमितता एवं घपला व कमियां पाई गई ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन अनियमितताओं एवं भयंकर घोटालों के लिए दोषी संस्थाओं व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त संस्थाओं में मिले घोटालों को रफा दफा करने के उच्च स्तरीय प्रयास के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? उसके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें एवं जांच के आधार पर कौन-कौनसी संस्थायें एवं कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) यह सही है कि माह दिसम्बर, 1990 में समस्त विभागीय प्रवृत्तियों की समीक्षा हेतु निरीक्षण करवाये गये।

(2) परन्तु यह सही नहीं है कि सभी प्रकार के छात्रावासों तथा निराश्रित बाल गृहों में भयंकर अनियमिततायें, घपले एवं कमियां पाई गई हों।

(3) यह भी सही नहीं है कि इन निरीक्षणों में दोषी पाये गये अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा संस्थाओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। समस्त प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों का अध्ययन कर 14 कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम संख्या 16 की कार्यवाही की गई है। ऐसे 13 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया और 54 व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम संख्या 17 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये है। (व्यवधान)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित 19 निराश्रित बालग्रहों, 2 संकटग्रस्त महिला प्रशिक्षण केन्द्रों, एक मद्य निषेध केन्द्र तथा 31 अनुदानित छात्रावासों को नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गई है। इन सभी को आवश्यक नोटिस दिये जा चुके हैं।

(4) यह सही नहीं है कि संस्थाओं में मिली कमियों एवं अनियमितताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस हेतु किसी अधिकारी द्वारा किसी दोषी अधिकारी, कर्मचारी अथवा संस्था को बचाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग की प्रवृतियों की समीक्षा हेतु निरीक्षण कराये गये हैं। विभिन्न 27 अधिकारियों द्वारा 27 जिलों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और उन निरीक्षण प्रतिवेदनों पर जहां कमी पाई गई है वहां पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जैसा आपने कहा कि दिसम्बर की विभागीय प्रवृत्तियां, या मुख्य मंत्रीजी के सामने इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई या आपके ध्यान में आया तो आपने निर्देश दिये, ऐसे सभी जिलों में सक्षम अधिकारियों द्वारा इन संस्थाओं का निरीक्षण करवाया जाय। निरीक्षण आपने करवाया उसके बाद आपने किन-किन संस्थाओं में, सारे जिलों की यह रिपोर्ट आपके सामने कब प्रस्तुत हुई ? और क्या आपने मुख्य मंत्री जी को उस प्रतिवेदन की जानकारी करवा दी कि कहां-कहां पर क्या-क्या अनियमितायें पाई गयी है। कहां पर गबन, और छात्र नहीं है या वहां अनुपस्थित, वहां के जो अधिकारी रहते हैं इन सारी कमियों के बारे में क्या आपने मुख्यमंत्री जी को किसी प्रकार की रिपोर्ट दी। यदि दी है तो आपके सामने यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ ? आपने नोटिस देने की बात कही, यह सस्पेन्शन की आपने 14 मामलों में नियम 16 के तहत कार्यवाही की है। 13 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया एक कर्मचारी को

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसमें शायद निलम्बित नहीं किया लेकिन यह निलम्बन नोटिस कब दिये गये, नियम 16 के अन्तर्गत। नियम 17 के अन्तर्गत कब नोटिस दिये गये उसकी आप तारीख बतायें। यह प्रतिवेदन आपके सामने कब प्रस्तुत हुआ ? क्या आपने यह प्रतिवेदन पढ़ा है या आपने केवल लिखा हुआ जवाब पढ़ रहे हैं या सारा प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और यह प्रतिवेदन कब पेश हुआ और कब आपने कौन-कौनसी तारीखों में नोटिस दिए थे और कौनसी तारीखों में इन कर्मचारियों को सस्पेण्ड किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीटेशन कर रहे हैं वही बात 3 बार पूछ चुके। माननीय मंत्री जी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के अनुसार····

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीया सदस्या ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस इनको सदस्या मानता है तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, कुछ तो इनकी शक्ल पर तरस खाओ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : महावीर जी, आपको सदस्या बना दिया गया है, अब आप मत बोलना।

एक माननीय सदस्य : आप मोहित भी हुए तो किन पर हुए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर ये सदस्या हो गई तो अविवाहित ही मरेंगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्यों के देखने की बात है कि क्या वह सदस्य है या सदस्या ? यह तो वे देख सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हरेक कर्मचारी जो दोषी पाया गया उस निरीक्षण में, उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। यह दुरुस्त है कि तारीख अब नहीं है। यदि वह माननीय सदस्य जानना चाहे तो हर आदमी जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है उसकी तारीख निश्चित रूप से उनको दी जा सकती है, उनकी जानकारी में दिया जा सकता है और हरेक दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसको बख्शा नहीं जायेगा। चाहे वह छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो····

एक माननीय सदस्य : चाहे मंत्री हो।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : मंत्री भी अगर दोषी होगा तो मंत्री को भी नहीं बख्शा जायेगा (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब यह है कि (व्यवधान) उन्होंने कह दिया कि उपलब्ध नहीं है और वह कार्यवाही की जा रही है और उपलब्ध करवा दी जायेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपने इन फाइलों को, इन प्रतिवेदनों को नहीं देखा है। आपके सामने ये फाइलें आज तक भी प्रस्तुत नहीं हुई हैं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर सारी जाँच कार्यवाही हुई है। क्या आपने मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराया है और यदि करवाया है तो कब करवाया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इसकी पूरी जानकारी समय-समय पर, मैं देखता भी रहता हूं कि जिन सदस्यों के बारे में मुझे जानकारी दी अगर कई लोगों ने, माननीय सदस्यों ने जानकारी दी या जनता से जानकारी आई, उसी आधार पर इस मामले का रिव्यू किया गया और रिव्यू के आधार पर इसकी जाँच करवाई है और यह एक वर्ष की नहीं है। ये पुराने मामले हैं, पुरानी संस्थाएं बनी हुई हैं। जाँच करने में थोड़ा समय लगता है। जिन-जिन की जांच हुई हैं उनमें एक्शन लिया जा रहा है, जिनमें जांच रिपोर्ट आ गई तथा नहीं आई है या उस पर कई प्रकार की कमियां रह गई हैं उनको तुरन्त कराया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी कह रहे हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जांच तो दिसम्बर में कम्पलीट हो चुकी है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : प्रश्न संख्या 50।

श्री अध्यक्ष : उप निवेशन मंत्री जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुई है, यह बात सही है। बाद में यह आपकी जिम्मेदारी है इसलिए आप यह हां भर लें उस पर कार्यवाही हो रही है लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि न वह मुख्य मंत्री जी के सामने प्रस्तुत हुई है न आपके सामने प्रस्तुत हुई है। जाँच प्रतिवेदन आ चुके हैं अब जांच का नहीं कोई सवाल नहीं है और एक्शन की बात है और एक्शन भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जाने के बाद और मेरा यह आरोप है कि तथा आप इसकी जांच करवा लें कि मेरे इस प्रश्न के जाने के बाद नोटिस दिए गए हैं और सस्पेंशन की कार्यवाही की गई है। क्या यह नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप, उपनिवेशन मंत्री जी। (व्यवधान)

आप बिराजिए। आप उपनिवेशन मंत्री जी। बैठिए आप।

तारांकित प्रश्नोत्तर

विभाग द्वारा भूमि विक्रय पर रोक

50. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि बेचान पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है ?

(2) वर्ष 1989–90 में जिलाधीश, श्रीगंगानगर की भूमि क्रय हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत हुए ? इसके निष्पादन में कितना समय लगा ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि विक्रय से पूर्व पुलिस द्वारा जांच कराई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह व्यवस्था प्रदेश के उन सभी जिलों में है जहां उपनिवेशन विभाग भूमि विक्रय करता है ? यदि, नहीं, तो फिर श्री गंगानगर जिले में ही क्यों है ?

(5) क्या सरकार इस पाबन्दी को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है ?

राजस्व, भूमि सुधार एवं उपनिवेशन मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में ही प्रावधान हैं कि बेचान के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

(2) अप्रेल, 89 से मार्च, 90 तक भूमि विक्रय हेतु 5331 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 3130 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा 130 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए। इनके निस्तारण में उन प्रकरणों को छोड़कर जिनमें भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद होता है मुस्तका खाते में सह-काश्तकार द्वारा आपत्ति की जाती है, क्रेता की पात्रता के बारे में कोई शिकायत होती है, विक्रेता की भूमि विक्रय किये जाने के अधिकार के बारे में शिकायत होती है या नियमानुसार विक्रेता द्वारा प्रमाण-पत्र देने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती है, लगभग 45 दिन में कर दिया जाता है।

(3) जी हां। केवल अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा के कारणों से असामाजिक तत्वों के हाथ भूमि बेचान न हो जाय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस जांच कराई जाती है।

(4) जी नहीं। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखरा नहर परियोजनाओं के क्षेत्र में बेचान की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस क्षेत्र में श्री गंगानगर के अलावा सीमावर्ती बीकानेर एवं जैसलमेर जिले भी शामिल हैं।

(5) अभी मामला विचाराधीन है।

(6) जी नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उनके खुद के जवाब में आया है कि 5331 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उसमें से 130 ही रिजेक्ट किए गए। बाकी तो 2300 विचाराधीन हैं। मैं आपसे अर्ज करूं इस मामले में, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि कितने विभाग हैं जिनमें किसान को क्रेडिट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ? सहकारिता, सिंचाई, खाले, किश्तें ये सारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उन विभागों से काश्तकार को जो अपनी जमीन बेचना चाहता है उसको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उनकी ड्यू रकम है उसके जिम्मे वह रकम जब पूरा कर दे तभी उसे देनी पड़ती है। इसलिए राजस्थान में रहते हुए एक जिले के काश्तकार को अगर 3 जिले समझ लीजिए उसमें से उन जिलों के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

काश्तकारों को यह सर्टिफिकेट लेना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिए। मैं समझता हूं कि यह सवाल ऐसा है जिसके ऊपर आप और मंत्री जी बैठ कर, तय कर लें यह बात सही है कि रजिस्ट्रेशन की इजाजत के बिना लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन जिसके कारण से सरकार ने यह नियम लगा रखा है वह भी आप लोग जानते हैं। तो यह बैठ करके तय कर लीजिए और यदि उसमें किसी तरह की लोगों को परेशानी होती है तो सरकार इस मामले में मान लेगी। इसलिए आप अलग से अपने पूरे विचार इनको बता दीजिए कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था यह हो सकती है जिसमें जनता को भी परेशानी नहीं हो और रजिस्ट्रेशन भी हो जाय। यह अच्छा रहेगा। क्यों मंत्री जी। आप बैठ करके, इनकी पूरी बात सुन करके और यह आपके विचाराधीन भी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक प्रश्न में पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका प्रश्न।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, एक सार्वजनिक घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है कि हमने कैबिनेट में फैसला ले लिया है कि इस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको हटा दिया जायेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी कोई घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : वह तो जब आपसे बात होगी, तब हो जायेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने कहा, विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आवासीय कालोनीज में एक से अधिक भू-खण्डों की खरीद

37. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा व अन्य सेवाओं के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के जयपुर की अनेक गृह निर्माण सहकारी समितियों में एक से अधिक भू-खण्ड इन अधिकारियों तथा इनके परिवारजनों के नाम से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी गृह निर्माण समितियों, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा राजस्थान आवासन मण्डल के नियमानुसार जिस किसी व्यक्ति के पास पहले से ही भू-खण्ड है उसको दूसरा भू-खण्ड उपरोक्त किसी भी ऐजेन्सी द्वारा आवंटन नहीं किया जा सकता ?

(30)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(3) क्या निम्न आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. व अन्य सेवाओं के अधिकारियों पर एक से अधिक भू-खण्ड लेने का आरोप है :—(1) सर्व श्री वी.बी.एल. माथुर (2) तेजकुमार (3) आर.वी.सोनटके (4) प्रियदर्शी ठाकुर (5) ए. मुखोपाध्याय (6) एस.एन. थानवी (7) धर्म सिंह मीणा (8) एम.एस. सिसोदिया (9) राजीव लोचन मिश्रा (10) वी.एन. चतुर्वेदी (11) सुधीर वर्मा (12) हरीश नैयर (13) वी.एन. बहादुर (14) के. के. सबीकी (15) वी.के. थानवी (16) एस. जी. विश्नोई (17) गजेन्द्र हल्दिया (18) एम.डी. कोरानी, आदि-आदि ?

(4) क्या सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

गृह निर्माण सहकारी समितियां इस तरह की कोई सूचना नहीं रखती हैं कि अमुक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवा का अधिकारी है या यह अमुक प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवा के परिवार का सदस्य है। कुछ अधिकारियों के पास जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में एक से अधिक भूखण्ड होने की सूचना उन्होंने अपने अचल सम्पत्ति विवरण में अंकित की है। ऐसे अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपनियमों में इस तरह का प्रावधान है कि समिति एक व्यक्ति/परिवार को एक भूखण्ड से अधिक का आवंटन नहीं करेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 101 उपधारा (1) में निर्देशित प्रावधान के प्रभाव से वर्तमान में भूखण्ड/भूमि आवंटन आदि का कार्य राजस्थान नगर विकास न्यास शहरी भूमि निष्पादन नियम 74 के अनुसार ही किया जाता है। अतः उक्त नियमों के नियम 17(1) के अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक भूखण्ड आवंटित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के पास पहले से ही भूखण्ड/आवास उसके स्वयं के, पत्नी/पति एवं अन्य आश्रितों के नाम से होता है तो उसे राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान आवंटित नहीं किया जाता है। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ आवेदक से इस आशय का एक शपथ पत्र लिया जाता है।

(3) निम्नलिखित अधिकारियों के पास एक से अधिक भूखण्ड होने की सूचना है :—

1. श्री वी.बी.एल. माथुर।
2. श्री सुधीर वर्मा।
3. श्री वी.एन. बहादुर।

(4) एक से अधिक भूखण्ड रखने पर सेवा नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतएव किसी के विरूद्ध जांच का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम कानसिंह की सिढ़ (फलौदी) हेतु जल प्रदाय

39. **श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में बाप क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा फलौदी तहसील के 29 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है जिनमें ग्राम कानसिंह की सिढ़ सम्मिलित है ?

(2) क्या यह सही है कि कानसिंह की सिढ़ को पानी नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अन्य गांवों को पानी उपलब्ध कराने के कारण कानसिंह की सिढ़ को पानी नहीं मिलता है जिसके कारण इन ग्रामीणों को 25–30 किलोमीटर दूर बाप से पानी लाना पड़ता है।

(4) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष इन गांवों में वर्षा न होने से यहां के सब तालाब सूखे पड़े हैं ?

(5) क्या सरकार कानसिंह की सिढ को पानी नहीं मिलने के कारणों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) संदर्भित ग्राम को वितरण नियमित रूप से नहीं हो रहा है।

(3) जी नहीं। विद्युत वितरण में व्यवधान व योजना में उत्पादन क्षमता की तुलना में मांग अधिक होने के कारण दूर छोर के ग्राम कानसिंह की सिढ में वितरण असामान्य है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ग्रामवासी अपनी आवश्यकता पूर्ति स्थानीय कुओं से तथा बड़ी सिढ में प्राप्त पेयजल से करते हैं। बाप से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी, हां।

(5) योजना के पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाये जाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

परिवहन निगम द्वारा बस किराये में वृद्धि

40. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बसों के किराये में की गई वृद्धि से पूर्व जोधपुर से बालोतरा नान-स्टाप बसों का किराया रु. 14/– प्रति सवारी था ?

(2) क्या किराया वृद्धि के बाद यह किराया रु. 23.50 प्रति सवारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इतना अधिक किराया वृद्धि का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर से बालोतरा के

(यातायात मंत्री)

मध्य 25–7–90 तक 14·00 रुपये प्रति सवारी किराया नान स्टाप बसों का लिया जाता था।

(2) जी हां। जोधपुर से बालोतरा के मध्य नान स्टाप चलने वाले वाहनों पर एक्सप्रेस किराये के बजाय साधारण बसों का किराया लिया जा रहा था जो दिनांक 1–1–91 को बढ़ाकर 18·00 रुपये प्रति सवारी कर दिया गया था जो एक्सप्रेस बसों के लिये निर्धारित था। दिनांक 10–1–91 से राज्य सरकार द्वारा किरायों में वृद्धि के आदेश प्रसारित होने के उपरान्त 18·00 रुपये प्रति सवारी को बढ़ाकर 23·50 पैसे प्रति सवारी कर दिया गया।

अतारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

निजी भवनों में चल रहे विभिन्न कार्यालय

67. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मण गढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कई विभाग, उपक्रम तथा निगम आदि के कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार को इस पर प्रति माह कितना किराया व्यय करना होता है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निजी भवनों में चल रहे कार्यालयों के मकान मालिकों के क्या नाम हैं तथा कितने ऐसे कार्यालय हैं जो अधिकारियों के आवासों में चल रहे हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी संलग्न की जा रही है।

(2) जानकारी संलग्न की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रिक्त पद

68. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर शहर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कितने पद प्रोफेसर, ऐसोसिएटेड प्रोफेसर और लेक्चरर के कब से रिक्त हैं ? इन्हें भरने के लिए अब तक साक्षात्कार न होने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति गत 2 वर्षों में कुल कितने दिन उदयपुर में रहे और कितने दिन उदयपुर से बाहर रहे ? मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में प्रोफेसर (रीडर) तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (लेक्चरार) के पद कुछ समय से रिक्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है। कुछ पद हाल ही में जनवरी, 1991 में नये सृजित किये हुए हैं तथा अधिकतर पद वर्ष 89–90 में रिक्त हुए हैं। यह सही नहीं है कि रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित चयन नहीं हुआ है। गत एक वर्ष में कई प्राध्या-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पकों के पद नियमित चयन समिति द्वारा भरे जा चुके हैं जिसका विवरण परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

(2) जुलाई, 1988 से जुलाई, 1990 तक दो वर्ष की अवधि में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति ने, विश्वविद्यालय कार्य से उदयपुर से बाहर रहने पर जो यात्रा भत्ता लिया उसके आधार पर बाहर रहने का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"स")

दो वर्षों में उन्होंने व्यक्तिगत कार्यों के लिए 30 दिन आकस्मिक अवकाश (15 दिवस प्रति वर्ष) 20 दिन बीमारी/अस्वस्थता के कारण तथा 30 दिन प्रिविलेज अवकाश लिया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समिति क्षेत्र सोजत में दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमें

69 **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत)
श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सन् 1981 से अब तक पंचायत समिति सोजत क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा किन-किन धाराओं में मुकदमे पंजीबद्ध किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें किन-किन मामलों में किन-किन व्यक्तियों का चालान किया गया ? किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश नहीं हुये हैं ? अभी तक किन-किन व्यक्तियों की किन कारणों से तफतीश नहीं हुई ?

उत्तर

(1) सन् 1981 से अब तक पंचायत समिति सोजत क्षेत्र से सम्बन्धित एक अपराध संख्या 192/89 धारा 13(1) सी.डी. (2) पी. सी. एक्ट 1988 एवं 409, भा. द. सं. में श्री सूजाराम सरपंच ग्राम पंचायत बिलावास पं. सं. सोजत जिला पाली के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपराध का अन्वेषण प्रगति पर है। अतः इस समय इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगिता

70. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो इसमें नियुक्ति के क्या प्रावधान रखे गये थे ?

(2) इस परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थियों को किस किस जिले में कितने-कितने प्रतिशत नियुक्तियां दी गई ? जिलेवार अंतिम नियुक्ति प्रतिशत प्राप्तांकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में साढ़े सैंतीस प्रतिशत प्राप्तांक

(३५)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

परीक्षार्थी को नियुक्ति दे दी गई और बाड़मेर में अभी 62 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले भी नियुक्ति नहीं पा सके ? यदि हां, तो क्यों ? बाड़मेर में अंतिम नियुक्ति पाने वाले के प्रतिशत प्राप्तांक कितने थे ?

(4) क्या इस परीक्षा के तहत सभी नियुक्तियां दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक शेष नियुक्तियां दे दी जायेंगी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियुक्ति के लिए अनिवार्य विषय हिन्दी एवं ऐच्छिक विषय टंकण में परीक्षा का प्रावधान था। नियुक्ति सचिवालय/आयोग कार्यालय/अधिनस्थ कार्यालयों में विकल्प के आधार पर दी जानी थी। आवेदक केवल एक जिले के लिए अपना विकल्प अंकित कर सकते थे।

(2) नियुक्ति के लिये विभिन्न जिलों के प्रतिशत अलग-अलग हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर है। "क" मूल सूची है एवं "ख" आरक्षित सूची है।

(3) आयोग की वरियता सूची के आधार पर ही विभिन्न जिलों में नियुक्तियां दी गई हैं। जिलेवार प्रतिशत की जानकारी परिशिष्ट "क" व "ख" में दी गई है।

(4) जी नहीं। नियुक्तियों पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। जैसे ही प्रतिबन्ध हटेगा, आयोग की वरियता सूचियों के आधार पर बाकी के चयनित व्यक्तियों का भी आवंटन किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य कर्मचारियों को पदोन्नतियां

71. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या पदोन्नति के न्यून अवसर होने की स्थिति में सरकार राज्य के कर्मचारियों को प्रति 10 वर्ष बाद पदोन्नति देने हेतु नीति निर्धारण कर निर्णय लेने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि महंगाई 50% से अधिक बढ़ गयी है ? यदि हां, तो राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें किस दर पर व कब दी जायेगी व कितनी दी जावेगी ?

उत्तर

(1) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के अनुसार महंगाई-भत्ता देती है। महंगाई में वृद्धि की गणना केन्द्र सरकार ही करती है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये फार्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि कर कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को जिस संशोधित दर से 1 जनवरी, 1991 से महंगाई भत्ता देगी, उसी दर से राज्य कर्मचारियों को भी दिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 72

(स्थगित)

नवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

73. **श्री सालिगराम** (बयाना)
श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में वर्ष 1990–95 के लिये राजस्थान के समग्र राजस्व खाते में कमी वाले राज्यों में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति घाटे का आंकलन किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार समग्र राजस्व खाते को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

(2) इस संबंध में अब तक (1-3-1990 से 31-1-1991 तक) क्या प्रयास किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि नौवें वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट के पैरा 7.28 सारणी 11 के अनुसार विशेष श्रेणी से भिन्न श्रेणियों के राज्यों (गोआ को छोड़कर) में अंतरणों के पश्चात राजस्थान राज्य के लिए प्रति व्यक्ति सकल राजस्व घाटे का आंकलन सबसे अधिक किया है। इस घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार आय में वृद्धि व अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय में कमी करने का प्रयास कर रही है।

(2) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने व अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में शीर्ष समिति एवं राजेन्द्र जैन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों ने अनेक विभागों के कार्यकलापों का परीक्षण किया है जिससे घाटे में कमी आयेगी।

स्टाम्प ड्यूटी की वसूली

74. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाडा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आई. जी. रजिस्ट्रेशन अजमेर व जिलाधीश जालौर को भीनमाल के निवासी गुलाबचन्द पुत्र केसरीमल की अपनी प्रोपर्टी बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाये अपनी पत्नि विमलादेवी के नाम किये जाने की शिकायत किसी ने की है ? यदि हां, तो कब व किस-किस ने की ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में साफ स्टाम्प चोरी का मामला बनता है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कब तक स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में निम्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल वगैरा निवासी सिगातरों का मोहल्ला भीनमाल दिनांक 10.5.1989।

2. श्री ओमप्रकाश निवासी II, विधायक पुरी, जयपुर से प्राप्त शिकायत दिनांक 10.9.1990।

(वित्त मंत्री)

3. श्री किशनगोपाल कोगटा, विधायक से दिनांक 15·12·1990 के द्वारा प्राप्त शिकायत के साथ श्री के.एल. मीणा, संसद सदस्य की शिकायत प्राप्त हुई।

(2) इस प्रकरण में स्टाम्प चोरी का कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि उप पंजीयक, भीनमाल के कार्यालय में ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी कोई आलेख पंजीयन हेतु कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 121, 122 व 123 के अन्तर्गत श्री गुलाब चन्द के मकान नं. 377 के मालिक का नाम नगरपालिका भीनमाल द्वारा बदल दिया गया है। अब श्री गुलाबचन्द को नोटिस दिये जाने हेतु लिखा जा रहा है कि इस हेतु रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना आवश्यक है।

किसानों के कर्जों की माफी

75. **श्री अमीनखां** (शिव) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया था, वह माफ नहीं हुआ है ?

(2) क्या सरकार अपनी नीति के अनुसार उन किसानों का कर्जा माफ करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सही है।

(2) कर्जा माफ करने की नीति भारत सरकार द्वारा तय की गई है, जिसके अनुसार उन किसानों का कर्जा माफ किया गया है जिन्होंने सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा प्राप्त किया है। अराष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लेने वालों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। राजस्थान बैंक अराष्ट्रीयकृत बैंक है।

(3) राज्य सरकार भारत सरकार की नीति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना

76. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्यमंत्री (आयोजना) यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) विगत 10 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्यों पर कुल कितनी राशि केन्द्रीय सरकार में प्राप्त हुई व कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1986–87 में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया था। वर्ष 86–87 के लिये

(मुख्य मंत्री)

14.14 करोड़ रु. स्वीकृत किये और इस राशि को उसी वर्ष विनियोजित कर दिया गया। इसके पश्चात् भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीधे ही निम्न विभागों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु. में)

विभाग	अब तक कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय की गई राशि
1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	86.44	86.44
2. शिक्षा	22.30	10.99 (दि. 90 तक)
3. सीमावर्ती सड़कें	5.50	5.47
4. तकनीकी शिक्षा	9.03	6.39

(2) सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी भी भारत सरकार से उपरोक्त विभागों को अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा जारी अवैधानिक पट्टे

77. **श्री पूनम चन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 18-9-1989, दिनांक 16-9-1989 एवं दिनांक 1-3-1990, जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र दिनांक 22-2-1990 के भाग 6 (ख) पृष्ठ 51 से 53 तक, दिनांक 8-1-90 के भाग 1 (ख) के पृष्ठ 628 एवं दिनांक 19-4-1990 के भाग 6 (ख) के पृष्ठ 30 से 31 तक प्रकाशित हुई, के द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर को पालरोड के पूर्वी दिशा की आवासीय योजना पत्थर व लकड़ी मार्केट योजना एवं पालरोड के पश्चिम दिशा की आवासीय योजना हेतु क्रमशः भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी ? यदि हां, तो इन प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (एलोटमेन्ट, कन्वर्सन एण्ड रेग्युलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेण्ड फॉर रेजिडेंशिल एण्ड कोमर्शियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1981, के नियम 5(3) के अनुसार उपरोक्त अधिसूचनाओं में उल्लेखित भूमि का उक्त प्रकाशन के

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

दिनांक से रूपान्तरण नहीं हो सकता था, परन्तु इस नियम की पूर्ण अवहेलना करते हुए भूमि रूपान्तरण अधिकारी जोधपुर ने इन नियमों के अन्तर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक सैकड़ों पट्टे जारी कर दिये ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त पट्टों की अलग-अलग पूर्ण सूची मय पट्टे धारकों का नाम, पिता का नाम पता, पट्टे की भूमि का गांव खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल और पट्टे के दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें। ये अवैधानिक पट्टे कब तक निरस्त किये जायेंगे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या दण्ड की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तीनों अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। निस्तारण की गई पत्रावलियां विभिन्न अपीलेट अदालत में भेजे जाने के कारण अपेक्षित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। मामलों का निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया अनुसार हुआ है ऐसी स्थिति में अवहेलना के बारे में बिना जांच सही जानकारी नहीं दी जा सकती है।

(3) निर्णित की गई पत्रावलियां विभिन्न मामलों में अपीलेट अदालत में भेजे जाने से अपेक्षित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा मामले में जांच की जा रही है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अवैध पट्टों के फसलों के विरुद्ध अपीलें

78. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1-1-1985 से आज तक राज्य सरकार द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी-गण, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर एवं अतिरिक्त कलेक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा दिये गये अवैध पट्टों के फैसलों के विरुद्ध जो अपीलें की गईं, उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं अलग-अलग कालम्स् में विभाजित कर सदन की मेज पर रखें :--

1. अपील की संख्या व दिनांक

2. अपील में उल्लेखित पट्टेधारकों के नाम मय पिता व जाति

3 उक्त पट्टों की भूमि का गांव, खसरा संख्या व क्षेत्रफल

4. पट्टे आवासीय या वाणिज्यिक भूमि के दिये गये

5. पट्टे देने वाले अधिकारी का नाम व पद

6. पट्टेधारक के वकील का नाम यदि हो तो

7. अपील का फैसला हुआ या नहीं और यदि हुआ तो किसके पक्ष में कब हुआ और फैसला देने वाले राजस्व अपील अधिकारी का नाम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

8. अपील का फैसला यदि राज्य सरकार के विरुद्ध हुआ तो उसके विरोध में राजस्थान राजस्व मण्डल में अपील की गई तो उसकी संख्या व दिनांक और यदि अपील नहीं की गई तो उसका कारण क्या था ?

उत्तर

(1) पूर्ण सूचना परिशिष्ट के क्रम सं. 1 से 356 में संलग्न कर दी गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर में जारी अवैधानिक पट्टे

79. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर–बाड़मेर राज्य मार्ग के समीप लूणी पंचायत समिति के कार्यालय के सामने जोधपुर ग्राम के निम्न खसरों की अनुमानित 500 बीघा लगभग 20 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की भूमि जमाबन्दी में नगर सुधार न्यास, जोधपुर के नाम वर्ष 1983 (उन्नीस सौ तैरासी) में आबादी के रूप में दर्शायी हुई थी और रेकार्ड के अनुसार इसका कब्जा भी न्यास के पास था :–

"821, 822, 836, 838, 841, 755, 756, 759, 769, 771, 819, 827, 829, 829/1, 751, 831, 834, 823, 807, 820, 760, 764, 772, 762, 838, 805 व 817, "?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के पट्टे राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन, एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत अवैधानिक जारी कर दिए गए ? यदि हां, तो सूचनायें निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :—

(क) पट्टों का क्रमांक व दिनांक,

(ख) पट्टे की भूमि का खसरा व क्षेत्रफल,

(ग) पट्टेधारी का नाम व पता,

(घ) पट्टेधारी के वकील का नाम।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवैधानिक काण्ड राजस्व विभाग व नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकारियों की भूमि तस्करों के साथ सांठ-गांठ होने से हुआ है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त अवैधानिक पट्टे कब तक निरस्त किए जायेंगे एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रश्न में वर्णित भूमि पूर्व में तत्कालीन जोधपुर राज्य में शिकारखाना के नाम से प्रसिद्ध थी जिनके खसरा नंबर 75, 771/2, 751/4, 759, 769, 771, 734, 740, 730, 736, 747 ए, 747 बी व 723 ए कुल रकबा 5368.08 बीघा जो पुरानी व नई तलीया क्षेत्र के थे। जिला कलक्टर, जोधपुर कार्यालय के आदेश सं: राजस्व/परि./70 दिनांक 28-5-70

(राजस्व मंत्री)

अनुसार इन समस्त भूमियों में जारी किये गये खातेदारी हकूक के पट्टे निरस्त करने के आदेश दिये गये थे। इस आदेशानुसार इस क्षेत्र में वर्णित समस्त खातेदारी के आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की गई। दिनांक 3–3–78 को 46 खसरान की भूमि का आवंटन आबादी परिवर्तन हेतु नगर सुधार न्यास, जोधपुर को दिया गया जिनमें उक्त खसरा नंबर 751 के 23 मिन खसरे जिनके नंबर क्रमश: 43, 819 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 829/751/1, 830, 831, 832/751/1, 833, 834, 836, 836/751/1, 837, 838, 839 व 841 की कुल 316 09 बीघा, इसी प्रकार खसर नंबर 769, 771, के मिन नंबर क्रमश: 809, 810, 811, 812, 813, 813/771/769 के मिन नबर 805, 806, व खसरा नंबर 760 के मिन खसरे 814, 815 व 816 एवं खसरा नंबर 755, 757, 759, 764, 772, 770, 762, व 817 की कुल भूमि 455.10 बीघा भूमि है। इसी भूमि का कब्जा नगर सुधार न्यास, जोधपुर को दिनांक 19–4–78 को सुपुर्द किया गया। प्रश्न में वर्णित खसरा नंबर 841, 709 व 817 की भूमि न्यास को नहीं दी गई।

(2) उक्त सभी भूमि में से राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के लिए भूमि का आवंटन, सपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के तहत खसरा नंबर 819/751, 827/751, 751/43, 759/771, 805/769, 769 एवं 828/751 में रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु कुल 397 मामले प्राप्त हुए उसमें से 53 मामले खारिज किए गए व 49 मामले उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर की अदालत में विचाराधीन हैं। उक्त रूपान्तरित किए जाने हेतु जो खसरान दिखाये हैं उसमें खसरा नंबर 829/751, 829/1/751, 759, 819/751 व 751/43 की भूमि को आबादी में परिवर्तित किए जाने का आदेश दिनांक 2–3–84 अनुसार राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा निरस्त किया, तथा सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 608 दिनांक 22–10–83 अनुसार खसरा नंबर 771, 770, 805/769 व 813/7 की भूमि में रूपान्तरण किए जाने हेतु कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया गया। माह नवम्बर, 89 में उक्त अनापत्ति पत्र संदिग्ध होना नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 9–11–89 अनुसार बताया जिसके कारण जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर के पत्र संख्या 1780–81 दिनांक 12-4–90 अनुसार न्यास को आंवटित समस्त भूमि जो रूपान्तरित हो चुके हैं उनमें अपील/रेफरेंस किए जाने हेतु आदेश जारी किए गये। कुल 295 अपील पेश की गई उनमें से 209 अपीले अपीलेट अदालत द्वारा निर्णीत की जा चुकी हैं। जिनमें भी रेफरेन्स की कार्यवाही की जा रही है तथा शेष अपीलें अपीलेट अदालत में विचाराधीन हैं।

इसी भूमि में से खसरा नंबर 769 से संबंधित एक वाद अपर मुन्सीफ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–5–87 को निर्णीत हुआ जिसमें न्यास का कब्जा नहीं माना गया है तथा संबंधित आवेदक को बेदखल नहीं

(राजस्व मंत्री)

करने के निदेश अदालत द्वारा न्यास को दिए गए हैं। इस विवादित खसरान से संबंधित कुछ प्रकरण दीवानी अदालतों में विचाराधीन है। रूपान्तरित की गई भूमि में से खसरा नंबर 828/751, 828/751/1, 827/751 एवं 819/751 व 769 में खातेदारी अधिकार भी विभिन्न व्यक्तियों ने अदालतों से प्राप्त किए है। खसरा नम्बर 751/43 में दिनांक 30-12-88 को रूपान्तरण आदेश निरस्त किए जाने हेतु 11 रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई है, उनमें से एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 626/90 न्यास बनाम सरकार अन्य दायर की है उसमें खसरा नंबर 751/43 की भूमि के बारे में स्थगन आदेश दिनांक 5-2-90 को पारित किया गया है। विचाराधीन रहे मामले खसरा नंबर 771 से संबंधित है। उक्त स्थिति अनुसार यह मामला विभिन्न अदालतों में विचाराधीन होने से 'सबज्यूडिसीयस' हैं तथा मूल पत्रावलियां अपीलेट अदालत में होने से पट्टा वाइज सूचना प्रस्तुत करना कठिन है।

(3) यह मामला अपीलेट अदालत व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से सबज्यूडिसीयस है ऐसी स्थिति में टिप्पणी दिया जाना उचित नहीं है।

(4) अपीलेट अदालत व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला बाड़मेर के एस.सी/एस.टी. कर्मचारियों के स्थानान्तरण

80. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में पिछले एक साल में कितने रेवेन्यू इन्सपेक्टर व पटवारियों के स्थानान्तरण किये गये तथा एक आदमी का एक साल में कितनी बार स्थानान्तरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एस. सी./एस.टी. के कर्मचारियों का 4 महीनों में तीन-तीन बार स्थानान्तरण किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जनता दल के कार्यकर्ताओं के पाकिस्तान जाकर वापिस आने पर जिन-जिन पटवारियों ने रिकार्ड किया उन पटवारियों को बदला गया है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में पिछले एक वर्ष में 25 आर.आई. एवं 209 पटवारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। इनमें से 21 आर.आई. का एक बार 3 का दो बार एवंम 1 आर.आई. का तीन बार स्थानान्तरण किया गया है।

उक्त पटवारियों में से 129 पटवारियों का एक बार, 61 का दो बार, 17 का तीन बार एवं 2 पटवारियों का, चार बार स्थानान्तरण किया गया सूचियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं कराई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(42)

राज्य में बिना नाम भूमि आवंटन

81. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राज्य के विभिन्न जिलों में किन-किन को पिछले तीन वर्षों में बिलानाम भूमि किन-किन उद्योगों के लिये सरकार की ओर से आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले तीन वर्षों में जिन-जिन उद्योगों को भूमि आवंटित की गई है का विवरण दर्शाने वाली सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कनेरा में सब तहसील कार्यालय की स्थापना

82 **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के कनेराघाटा क्षेत्र की जनता कनेरा में नायब तहसील मुख्यालय खोलने की समय-समय पर मांग करती रही है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कनेरा में सब तहसील कब तक खोल देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसा कोई प्रकरण राज्य-सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम खुरई (छबड़ा) के किसानों पर सीलिंग केस

83. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा के ग्राम खुरई में कितने किसानों पर सीलिंग के केस कब से चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन किसानों ने जमीनें मोल खरीदी हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन्हीं किसानों पर धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग के केस भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो फिर यह दोहरी मार उन पर क्यों ?

(4) क्या सरकार उन गरीब व छोटे काश्तकारों पर से दोनों तरह के केस हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छबड़ा के ग्राम खुरई में खातेदार श्री बुद्धसिंह, राजेन्द्रकुमार सिंह व पवित्र कुमारसिंह पुत्रगण केसरीसिंह पर सीलिंग केस चलाये जाकर 374 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की गई है, इस भूमि में से 50 बीघा भूमि 5 काश्तकारों को आवंटित की गई (सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है)। 253 बीघा 7 बिस्वा भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण की गई थी एवं 67 बीघा भूमि पर 16 व्यक्तियों का अतिक्रमण है (सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है)।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। राजस्व रेकार्ड में अंकित सिवायचक भूमि एवं वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के उक्त अतिक्रमियों द्वारा खरीदे जाने का कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा इनसे खरीद सम्बन्धी अभिलेखीय जानकारी चाही तो भी इनके द्वारा कोई जानकारी अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) वन विभाग द्वारा 4 अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है (सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है)।

(4) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध जो केस चल रहे हैं उन्हें हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

तहसील जैतारण में नये राजस्व ग्राम

84. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जैतारण (पाली) में कितनी ऐसी ढाणियां है, जिनको राज्य सरकार की नीति के अनुसार राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है?

(2) क्या ऐसी ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश पाली को पेश हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या सरकार जिलाधीश से रिपोर्ट मंगवाकर उन ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसील जैतारण (पाली) में ऐसा कोई मजरा नहीं है जो निर्धारित नीति के अनुसार राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता हो।

(2) जिला कलक्टर, पाली को दिनांक 20.6.90 को सरपंच सेवरिया तहसील जैतारण (पाली) के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हेमड़ाई व धोलादाता नामक मजरे को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवेदन किया। इस आवेदन पत्र पर तहसीलदार जैतारण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हेमड़ाई मजरे की आबादी 200 तथा धोलादांता मजरे की आबादी 175 बताई गई है। इस कारण निर्धारित नीति के अनुसार नये राजस्व घोषित करना उपयुक्त नहीं पाया गया।

(3) उपरोक्त के परिपेक्ष में उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का औचित्य नहीं है।

ग्राम चोपासनी (जोधपुर) में अवैध नामान्तरकरण

85. **श्री पूनम चन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में स्थित चौपासनी

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

जागीर ग्राम के 173 बीघा 15 बिस्वा क्षेत्रफल के खसरा संख्या 149 के 4/5 भाग अर्थात् 139 बीघे की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 तक के अनुसार श्री दासु पुत्र श्री सूरजमल की थी ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन सम्बन्धित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार ने उपरोक्त खसरे के अन्य खातेदारों से नाजायज सांठ गांठ कर एक बिना रजिस्ट्रेशन किये हुए फर्जी राजीनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 3–8–82 के द्वारा उक्त श्री दासु के उत्तराधिकारी इकलौते पुत्र श्री दुर्गाराम के नाम उपरोक्त 4/5 भाग अर्थात् 139 बीघे के स्थान पर मात्र 16 बीघा भूमि रखी जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 49 के विपरीत होने के फलस्वरूप अवैध है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुर्गाराम की संतानहीन बेवा पत्नी श्रीमती भीखादेवी ने उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में मूल टिनेन्सी अधिनियम वाद संख्या 139/1989 द्वारा प्रार्थना की कि उपरोक्त अवैधानिक नामान्तरकरण संख्या 77 निरस्त किया जाये जिसमें राजस्थान सरकार भी एक प्रतिवादी है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त मामले में राज्य सरकार उक्त दोषी पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के विरुद्ध क्या दण्ड की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि चौपासनी जागीर की जमाबंदी संवत् 2032–2035 के खाता संख्या 40 के अनुसार खसरा नंबर 149 रकबा 173.15 बीघा भूमि में 4/5 हिस्सा दासू पुत्र श्री सूरजमल कौम माली के नाम था।

(2) हां यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 3.8.82 तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या 2251–52 दिनांक 27.7.82 के आधार पर निष्पादित किया गया है। यह मामला पक्षकारों के बीच अदालत में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में मामले में हुई नामान्तरकरण की वैधता के बारे में कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा।

(3) यह सत्य है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में श्रीमती भीखीदेवी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 139/89 अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 183 रा. टिनेन्सी अधिनियम के तहत वादी भीखीदेवी बेवा दुर्गाराम माली बनाम प्रतिवादी भंवरलाल वगैरा के विरूद्ध विचाराधीन है। जिससे वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा। इस वाद से संबंधित रा. प्रा. सं. 89/89 भीखीदेवी बनाम भंवरलाल अंतर्गत धारा 212 रा. का. अधि. में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.89 के विरुद्ध प्रतिवादी भंवरलाल वगैरा ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर में अपील स. 27/90 भंवरलाल बनाम भीखीदेवी विचाराधीन है जिसमें राज्य सरकार भी प्रतिवादी है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी हां, अदालत के निर्णय अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम पंचायत निजामपुरा (लालसोट) के आवंटियों को पट्टे

86. **श्री परसादी लाल (लालसोट)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जून, 1988 में सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट की ग्राम पंचायत निजामपुरा में भूमि का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटन की शिकायत होने के कारण आवंटियों को अब तक पट्टे जारी नहीं किये गये है ? यदि हां, तो क्या इतने समय बाद भी जांच पूरी नहीं की गयी ?

(3) क्या सरकार शीघ्र आवंटियों को आवंटन सम्बन्धी पत्रादि उपलब्ध करवा कर समस्या का समाधान करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जान-बूझ कर आवंटन सम्बन्धी पत्रादि को जांच के बहाने रख कर आवंटियों के लिये परेशानी पैदा की गयी है ? यदि हां, तो इसमें देरी करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(5) क्या सरकार शीघ्र आवंटियों को राहत प्रदान करने का इरादा रखती है ?

उत्तर,

(1) जी नहीं। जून, 1988 में सरकार द्वारा तहसील लालसोट की ग्राम पंचायत निजामपुरा में भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी नहीं। जब आवंटन ही नहीं हुआ तो शिकायत प्राप्त होने व पट्टे जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जब आवंटन ही नहीं हुआ तो समस्या व समाधान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जब आवंटन ही नहीं हुआ तो जांच के बहाने व आवंटियों को परेशानी पैदा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही जिम्मेदारी का कोई सवाल पैदा होता है।

(5) जब आवंटन ही नहीं हुआ तो आवंटियों को राहत प्रदान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के पदाधिकारी

87. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर की धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति एक क्षेत्र की कच्ची बस्ती वालों की समिति थी परन्तु बाद बाद में यह अन्य पैसे वाले लोगों के अधीन आ गई ?

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस समिति के पदाधिकारी अथवा सदस्य कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं ? यह सभी धनवान व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनके बंगले, हवेलियां तथा लम्बी-चौड़ी आवासीय भूमियां हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति के मंत्री ने जयपुर में होटल निर्माण कार्य में साझेदारी करके होटल भवन निर्माण का अनुबन्ध किया था ? ऐसा करना क्या सहकारी कानून व उपरोक्त समिति के विधान के अनुकूल था ? यदि नहीं, तो सरकार उपरोक्त समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि वर्तमान में इस समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारी अथवा सदस्य कच्ची बस्ती के लोग नहीं है। विभाग में पदाधिकारियों की निजी सम्पदा का रेकार्ड नहीं रखा जाता।

(3) होटल निर्माण कार्य में साझेदारी के अनुबन्ध का मामला प्रकाश में नहीं आया है किन्तु यह जानकारी में आया है कि "ओंकार काम्पलेक्स" नाम से वाणिज्यिक/कार्यालय निर्माण करने से सम्बन्धित एक इकरारनामा समिति के मंत्री और श्री ओंकार सिह के मध्य दिनांक 17 मार्च, 1989 को किया गया था, जिसे बनाने की जे. डी. ए. द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। उक्त सहकारी समिति के मंत्री द्वारा किया गया अनुबन्ध प्रथम दृष्टया समिति के उपनियमों के अनुकूल नहीं था। इस सम्बन्ध में समिति के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, आमेर रोड के भागीदार

88. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर रोड सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कुल कितने भागीदार (सदस्य) हैं ? इस भण्डार का गठन कब हुआ था ?

(2) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव कितनी अवधि में होते हैं ? क्या चुनाव के लिए सभी भागीदारों को सूचना दी जाती है ? यदि हां, तो उसका क्या माध्यम होता है ?

(3) आमेर रोड सहकारी उपभोक्ता भण्डार के गठन के बाद क्या इसके चुनाव हुए थे ? यदि हां, तो किस-किस तिथि को ? वर्तमान में इसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं–नाम, पिता का नाम, पता व इनके भागीदार बनने की तिथि तथा इनकी हिस्सा राशि आदि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान पदाधिकारियों को चुनने के लिए जो आम सभा बुलाई गई थी उसकी सूचना किस माध्यम से दी गई थी ? सूचना की प्रमाणित प्रति सम्पूर्ण हिस्सेदारों की सूची के साथ सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आमेर रोड सहकारी उपभोक्ता भण्डार के वर्तमान में कुल 100 भागीदार (सदस्य) हैं। इस भण्डार का गठन 1 सितम्बर, 1973 को हुआ था, जिसका पंजीयन क्रमांक 2769/एल है।

(2) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव उनके पंजीकृत उपनियमों के अनुरूप अवधि में होते हैं। आमेर रोड सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव अवधि उसके उपनियमानुसार तीन वर्ष हैं। चुनाव के लिए सभी सदस्यों को चुनाव कार्यक्रम बाबत सूचित किया जाता है। राजस्थान सहकारी संस्था नियमों के अनुसार चुनाव की सूचना निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक तरीकों से सदस्यों को दी जा सकती है :—

(क) स्थानीय रूप से वितरण द्वारा,

(ख) डाक द्वारा भेजे जाने के प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा,

(ग) सदस्यों में परिचालन द्वारा, या

(घ) ढ़ोल पीटकर प्रचार द्वारा,

(ड) प्रेस से प्रकाशन द्वारा।

(3) आमेर रोड सहकारी उपभोक्ता भण्डार के गठन के पश्चात चुनाव हुए हैं, जिनकी तिथियां 25.7.76, 22.6.81, 19.6.85 एवं 20.11.89 हैं। वर्तमान में इस भण्डार के पदाधिकारियों का चाहा गया विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति	पद	पता	भागीदार बनने की तिथि	जमा हिस्सा राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र नाथूसिंह	अध्यक्ष	नारायण कालोनी शंकर नगर	15.9.87	10/-
2.	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा	उपाध्यक्ष	सीताराम पुरी आमेर रोड	11.9.80	10/-
3.	श्री दिनेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र जीवनराम अग्रवाल	कोषाध्यक्ष	गोविन्द नगर आमेर रोड	17.4.85	10/-
4.	श्री रामगोपाल पारीक	सदस्य	नारायण कालोनी आमेर रोड, शंकर नगर।	15.9.87	10/-
5.	श्री रामगोपाल गुप्ता पुत्र जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता	,,	गोविन्दनगर (पूर्व) आमेर रोड	25.10.80	10/-

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4	5	6
6.	श्री श्यामलाल अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल	सदस्य	नारायण कालोनी शंकर नगर	21.1.83	10/-
7.	श्री विष्णुकुमार गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता	,,	शंकर नगर आमेर रोड	30.5.88	10/–
8.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी प्रहलाद शर्मा	,,	सीतारामपुरी आमेर रोड	30.3.85	10/–

(4) वर्तमान पदाधिकारियों को चुनने के लिए जो आम सभा दिनांक 20.11.89 को बुलाई गई थी, उसकी सूचना जरिए डाक (यू.पी.सी.) के दी गई थी जिसकी प्रति (मय सदस्य सूची) के प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "अ")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 89

(स्थगित)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित आयल मिल

90. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित ऑयल मिल कब आरम्भ की गई थी और इस पर कुल कितनी लागत आई थी ? इसे वापस बन्द क्यों कर दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बन्द पड़ी इस मिल पर प्रति माह कितना व्यय हो रहा है ? क्या इस मिल को पुनः शुरु किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? पुनः चालू करने में कितना खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा संचालित ऑयल मिल मार्च, 1986 में चालू हुई थी। मिल पर 17.90 लाख रुपये की लागत आई थी। यह मिल मशीनरी के कुछ पार्ट खराब हो जाने तथा बाजार में प्राइवेट मिलों से प्रतिस्पर्धा में हानि होने से बन्द करनी पड़ी।

(2) बन्द पड़ी इस मिल पर प्रतिमाह 11,329/- खर्च हो रहा है जिसके अतिरिक्त बकाया ऋण पर 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लग रहा है। स्थापना पर हो चुके व्यय 17.90 लाख रुपये के अतिरिक्त मिल चलाने में मार्च, 90 तक 17.58 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है। क्रय विक्रय

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी समिति इस मिल को 1991 में पुनः चालू करने हेतु कार्यवाही कर रही है। जिस पर अनुमानित 90,000/– रुपये का खर्चा आयेगा।

अध्यक्षा, समाज कल्याण बोर्ड का निवास

91. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बंगला नं. डी, 604 गांधी नगर, जयपुर श्रीमती सुधा रैना अध्यक्षा, समाज कल्याण बोर्ड को रहने के लिये दिया हुआ है ? यदि हां, तो ये इसमें कब से रह रही हैं ? अगर नहीं रह रही हैं तो इस बंगले के पानी, बिजली के बिल बोर्ड के कार्यालय से भुगतान करने का क्या औचित्य है ? अब तक इसका कितना भुगतान किया गया है ?

(2) क्या बोर्ड की ओर से इन्हें इनके आवास पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा रखी है ? अगर हां, तो क्या यह सुविधा बंगला नं. डी–604 गांधी नगर पर है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आवास नं. डी–604 गांधी नगर में रोशनी नाम से कोई संस्था स्थापित है ? अगर हां, तो इसे अब तक राज्य सरकार/बोर्डों द्वारा कितना-कितना, किस-किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया व उसके क्या परिणाम प्राप्त हुये एवं इसकी अध्यक्षा कौन रही है ? क्या रैना ही इस संस्था की अध्यक्षा है ?, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने श्रीमती रैना को आवास हेतु उपलब्ध बंगला नं. डी–604, गांधीनगर, जयपुर रोशनी नामक संस्था को सबलेट करने की स्वीकृति दी है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस क्रम में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती सुधा रैना दिनांक 25–6–88 से उक्त आवासीय बंगले में रह रही है। बोर्ड द्वारा बंगले के पानी एवं बिजली के बिलों पर सितम्बर, 1990 तक 3687.50 रुपये का भुगतान किया गया।

(2) जी हां। जी नहीं।

(3) श्रीमती सुधा रैना के रोशनी नाम की संस्था की राजस्थान राज्य शाखा की अध्यक्षा होने के नाते इस बंगले का डाक पता दिया हुआ है। "रोशनी" नामक संस्था को केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड द्वारा महिला संक्षिप्त पाठ्यक्रम हेतु 6,500/– रुपये की राशि निर्गत की गई है। संस्था द्वारा पिछड़े क्षेत्र बंजारा बस्ती, सूरजपोल में जरूरत मंद असहाय एवं निर्धन महिलाओं के लिए एक विधवा की देख-रेख में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(4) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

शीर्ष सहकारी बैंकों के चुनाव

92. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

क्या राज्य सरकार क्रय-विक्रय, सहकारी समिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, शीर्ष सहकारी बैंकों के चुनाव कराने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया चालू है। इनके निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् क्रय विक्रय समितियां, प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं शीर्ष सहकारी बैंकों के चुनाव कराये जाने प्रस्तावित हैं।

बैंकों द्वारा ऋण मुक्ति के पश्चात् भी ब्याज वसूली

93. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा समय पर सहकारी बैंकों को कर्ज मुक्ति के लिए राशि अवाप्त कर दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य सरकार द्वारा समय पर धन उपलब्ध न कराने से जो ब्याज का नुकसान होगा उसके लिए किसान जिम्मेदार हैं या सहकारी समिति अथवा बैंक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मुक्ति करने के बाद भी बैंकों द्वारा एक वर्ष का ब्याज ऋणियों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत अब तक सहकारी बैंकों को 100.66 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है।

(2) जैसे-जैसे केन्द्र सरकार व नाबार्ड से देय राहत राशि का पुनर्भरण होगा वैसे ही सहकारी बैंकों को धन उपलब्ध करा दिया जायगा। ब्याज की हानि किसान व सहकारी समिति की नहीं होगी।

(3) जी नहीं। राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अनुसार 2.10.89 के बाद का ब्याज, पात्र ऋणी सदस्य द्वारा जमा कराने के बाद ही उसे ऋण राहत का लाभ दिये जाने का प्रावधान है तथा 10000/– रुपये से अधिक की ओवर ड्यू राशि है तो वह भी ऋण राहत के पूर्व देय है जिस दिन किसान द्वारा इस राशि का भुगतान किया जाता है, तब तक ब्याज देय होगा।

राज्य में विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य

94. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने विकलांग हैं ?

(2) राज्य सरकार विकलांगों के कल्याण हेतु क्या-क्या कार्य कर रही हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के

(समाज कल्याण मंत्री)

अनुसार राज्य में कुल विकलांगों की संख्या 80,043 है, जिनमें 46,465 नेत्रहीन, 12061 गूंगे बहरे तथा 21,517 विरूपशोधीय विकलांग हैं।

(2) राज्य सरकार विकलांगों के कल्याण हेतु निम्न योजनाएं संचालित कर रही है :—

1. विकलांग छात्रवृत्ति–विकलांग छात्र, छात्राओं को राज्य सरकार एवं भारत सरकार की योजनार्गत, जिनके माता-पिता। संरक्षक की मासिक आय क्रमशः 1500 एवं 2000 रुपये से कम है, छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना संचालित है। राज्य सरकार की योजनान्तर्गत कक्षा 5 तक 40 रुपये एवं कक्षा 6 से 8 तक 50 रु. प्रतिमाह तथा भारत सरकार की योजनांर्गत कक्षा 9 एवं आगे की कक्षाओं के लिये कक्षावार 85 रु. से 240 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है।

2. नियोजन–विकलांगों के नियोजन हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान एम्प्लायमेन्ट आफ फिजीकली हैण्डीकेप्ड रूल्स, 1976 बनाये हैं, जिनके अन्तर्गत विकलांगों को नियोजन हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था तथा नियोजन विभाग में केन्द्रीय पंजीयन कक्ष की व्यवस्था की है, जिसके द्वारा विकलांगों को आरक्षण के आधार पर नियोजन उपलब्ध कराया जाता है।

3. प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार-ट्राईसम एवं स्काइट योजना के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र के 750 रुपये तक मासिक आय वर्ग के विकलांगों को प्रशिक्षण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त विकलांग व्यक्ति जो स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा स्वीकृत ऋण का 33.33 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 3,000 रुपये की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार की सुविधा का लाभ एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले विकलांगों को ही मिलता है।

4. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास–स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विकलांगों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके लिये इन संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

5. कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं फुटकर धंधों हेतु सहायता–विकलांग व्यक्ति जिनके माता पिता संरक्षक या स्वयं की आय 1500 रुपये प्रतिमाह से कम है, उनको विभाग द्वारा कृत्रिम अंग। सहायक उपकरण हेतु 1500 रुपये तक एवं फुटकर धंधों के लिये 2000 रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

6. विकलांग बेरोजगारी भत्ता—प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों को 150 रुपये प्रति माह तथा स्नातकोत्तर बेरोजगार विकलांग व्यक्ति को 250 रुपये प्रति माह वृत्तिका अधिकतम 2 वर्ष अथवा नियोजन मिलने तक जो भी पहले हो, दिये जाने की

(समाज कल्याण मंत्री)

योजना वर्ष 1987–88 से संचालित की जा रही है।

7. विकलांग पेंशन — 8 साल या इससे अधिक आयु के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से शहरी क्षेत्र के विकलांगों को उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों को विकास अधिकारी के माध्यम से विकलांग पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

8. विकलांगों के पैट्रोल पुनर्भरण हेतु सहायता–केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह से कम आय पाने वाले विकलांगों को स्वयं के वाहन पर व्यय किये गये पैट्रोल डीजल व्यय के 50 प्रतिशत की सीमा तक व्यय के पुनर्भरण की योजना संचालित की जा रही है।

9. मानसिक विकलांगों हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापन योजना — विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर की स्थापना विभाग द्वारा वर्ष 1983–84 में की गई थी। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विमंदित महिलाओं एवं बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापित करना है। इस केन्द्र में 50 महिलाओं एवं 25 बालकों के लिये निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

10. भारत सरकार यूनीसेफ एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से कोटा में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना जनवरी, 1987 में की गई थी। यह पुनर्वास केन्द्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं स्वनियोजन की व्यवस्था करता है। वर्तमान में यह पुनर्वास केन्द्र छबड़ा एवं किशनगंज एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पुनर्वास कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इन व्यक्तियों की जांच कर पुनर्वास करने की योजना लागू करता है। इस योजना के लिये पूरी वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

समाज कल्याण के छात्रावासों में रह रहे छात्रों पर व्यय

95. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में कितने संचालित छात्रावासों में कितने छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई ?

(2) विभाग द्वारा उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों पर गत दो वर्षों में खाना, किराया, सफाई, पानी, रोशनी कपड़ों एवं अन्य सुविधाओं पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्रों के रहने की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई :—

वर्ष	छात्रावास	छात्रों की संख्या
88–89	484	18244
89–90	495	18529

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) छात्रावास में रह रहे छात्रों पर निम्न प्रकार व्यय किया गया :—

(व्यय लाख रुपये में)

वर्ष	किराया	भोजन, वस्त्र, रोशनी पानी, इत्यादि
1988–89	16.16	254.00
1989–90	19.54	303.59

टोंक जिले में विभाग द्वारा व्यय

96. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिए कहाँ–कहाँ पर कितनी–कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना–कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग–अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विवरण (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रावासों में वार्डन के रिक्त पद

97. **श्री नवनीत लाल मीणा** (घाटोल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में वार्डन के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रावास वार्डन के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में सहायक छात्रावास अधीक्षकों के 93 पद रिक्त हैं, वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सेई, ग्राम देलून्दा (बून्दी) से सिंचाई व्यवस्था

98. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास के अन्तर्गत आने वाले ग्राम देलून्दा (तहसील बून्दी) के पास बहने वाली सेई में व्यर्थ बह रहे पानी को उक्त स्थान पर रोककर वापस बाजड राजवहा में डालकर, उसकी टेल एरिया की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के पश्चात् अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

विस्तृत सर्वे नहीं हुआ। इस प्रकार के प्रस्ताव की व्यावहारिकता का अनुमान मोटे तौर पर वर्ष 1989–90 में लगाया था। ड्रेन का देलून्दा ग्राम के निकट का स्थल बाजड नहर के टेल क्षेत्र में स्थित नहीं है। अतः बाजड नहर के टेल क्षेत्र को इस प्रकार के जलोत्थान से कोई सीधा लाभ नहीं मिल सकता।

निम्बाहेड़ा–कनेरा मार्ग पर निगम की बस सेवा

99. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा-कनेरा मार्ग पर निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रतापगढ़ से जयपुर तक सीधी बस लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निम्बाहेड़ा से कनेरा मार्ग अराष्ट्रीयकृत है।

(2) जी नहीं। प्रतापगढ से छोटी सादड़ी तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है। जयपुर-प्रतापगढ़, बांसवाड़ा दो एकल परिचक्र प्रतिदिन चल रही हैं, इस पश्चात् प्रतापगढ़–जयपुर हेतु यात्री भार उपलब्ध नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रोडवेज बसों की व्यवस्था

100. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रोडवेज बसें कहां-कहां, किस-किस समय चल रही है ? कृपया समय सारणी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर से बडियाल कलां, जयपुर से बसवा रोडवेज की बसें चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बसें कब से प्रारम्भ कर दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जिन जिन स्थानों के लिये रोडवेज की बसें संचालित की जा रही हैं उनकी समय सारिणी दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। जयपुर से बडियाल कलां मार्ग का बांदीकुई से बडियाल कलां तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है और इस भाग में सावा नदी पड़ती है जिस पर पुल निर्मित नहीं है तथा मार्ग भी कच्चा होने के कारण वाहन संचालन योग्य नहीं है।

जयपुर से बसवा होकर अलवर के लिये दैनिक 4 एकल परिचक्र एवं रैणी के लिये दैनिक 2 एकल परिचक्र संचालित है जिनको उपलब्ध हो रहे यात्री भार को देखते हुए

ह (यातायात मंत्री) :

जयपुर से बसवा के लिये और बसें चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

उदयपुर आगार की व्यवस्था

101. **श्री कुबेर सिंह (करणपुर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर आगार में वर्तमान मे किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी बसें हैं एवं प्रत्येक बस किस-किस सड़क मार्ग पर चल रही है ?

(2) क्या उक्त आगार की बसों की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर से उदयपुर चलने वाली सुपर डीलक्स बसें अनुबन्धित हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उदयपुर आगार को आवंटित नई बसें एवं जयपुर से उदयपुर निगम की सुपर डीलक्स/डीलक्स बसें ही चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर आगार में वर्तमान में कुल 117 वाहनें आवंटित हैं जिनमें से 111 साधारण श्रेणी की एवं 6 वाहनें सेमी डीलक्स श्रेणी की हैं। ये बसें जिन सड़क मार्गों पर संचालित हैं उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। इस आगार को आवंटित वाहनों में से केवल 7 वाहनों की स्थिति थोड़ी खराब है, शेष वाहनों की साधारण स्थिति है। इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही दर्शाते हुए पत्र की प्रतियों सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–2)

(3) जी हां, 6 अनुबन्धित वाहनें सेमी डीलक्स सेवा के रूप में जयपुर से उदयपुर के बीच संचालित की जा रही हैं। उनके संबंध में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–3)

(4) जी हां, वर्तमान में निगम के पास नई बसें समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं फिर भी निगम प्रयासरत है। माह जनवरी, फरवरी में उदयपुर आगार को 7 नई वाहनें आवंटित की गई हैं और भविष्य में नई वाहने बाडी निर्माण पश्चात् उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटित किये जाने का विचार है।

जयपुर से उदयपुर के बीच निगम द्वारा वर्तमान में सुपर डीलक्स बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है और न ही भविष्य में चलाई जाने की योजना है। इस मार्ग पर वर्तमान में अनुबन्धित सेमी डीलक्स बसें चलाई जा रही हैं। निगम की अपनी सेमी डीलक्स बसें उपलब्ध होने पर आगामी

(यातायात मंत्री)

ग्रीष्मकाल से इस मार्ग पर संचालित करने का विचार रखती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयपुर से छबड़ा डीलक्स बस सेवा

102. **श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर से सीधी छबड़ा डीलक्स बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या बारां जयपुर की अटरू छबड़ा तक डीलक्स बस सेवा बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार राजधानी (जयपुर) को प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से सीधी बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जैतारण से चण्डावल मार्ग पर निजी वाहनों द्वारा किराया वसूली

103. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण से चण्डावल 30 किलोमीटर की दूरी पर है और पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है तथा उक्त रूट पर निजी वाहन संचालन के परमिट दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन को ?

(2) क्या यह भी सही है कि 30 किलोमीटर की दूरी के लिये निजी वाहन द्वारा 5.00 रु. प्रति सवारी किराया वसूल किया जाता है ?

(3) क्या उक्त किराया राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अनुमोदित किराया क्या है ?

(4) क्या निजी वाहनों द्वारा जनता से अधिक किराया वसूली करने पर सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जैतारण से चन्डावल मार्ग–सोजत–फुलाद–देसूरी–पीपाड़–रानी–हरीपुर–जैतारण–बिजलियावास एवं सोजत-पुष्कर–अजमेर वाया चण्डावल–जैतारण मार्गों पर पड़ता है। इन मार्गों पर जिन निजी वाहन मालिकों को परमिट दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) नियमानुसार किराया रुपये 4.80 है लेकिन वाहन मालिक रु. 5/– प्रति सवारी ले रहे हैं।

उक्त किराया अनुमोदित नहीं है।

(3) निर्धारित किराया लिए जाने हेतु बस मालिकों को पाबन्द कर दिया गया है।

(यातायात मंत्री)

उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कोटा एवं बारां बस डिपो में कार्यरत चालक-परिचालक

104. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा एवं बारां बस डिपो पर कुल कितने कण्डक्टरों एवं ड्राइवरों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कुल कितने कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि कण्डक्टरों एवं ड्राइवरों की कमी से प्रायः संचालित बसों की कटौती कर दी जाती है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कण्डक्टरों एवं ड्राइवरों की पर्याप्त संख्या बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा एवं बारां आगारों में चालक एवं परिचालकों की स्थिति निम्नानुसार है—

कोटा आगार

	चालक	परिचालक
आवश्यकता	175	175
कार्यरत	157	159

बारां आगार

	चालक	परिचालक
आवश्यकता	109	109
कार्यरत	100	116

(2) जी हां।

(3) जी हां। इन डिपो पर एक माह में पर्याप्त चालकों एवं परिचालकों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

सुमेरपुर में सहायक कलक्टर कार्यालय की स्थापना

105. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सुमेरपुर नगर में सहायक कलक्टर कार्यालय खोले जाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सुमेरपुर नगर में सहायक कलक्टर का न्यायालय स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

शाहबाद में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

106. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शाहबाद उप जिला केन्द्र पर मुंसिफ कोर्ट खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायेगा ?

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या कोई मुंसिफ कोर्ट खोलने के नार्म्स बनाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रत्येक उप जिला केन्द्रों पर नए कोर्ट खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु, धनाभाव आदि के कारण शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय खोलना संभव नहीं हुआ।

(2) जी नहीं। (फिर भी 1500 से 2000 फौजदारी नियमित मामले होने पर नया कोर्ट खोलने का औचित्य का मामला विचार योग्य बना सकता है)।

(3) जी नहीं, प्रत्येक उप जिला केन्द्र पर नए कोर्ट खोलने के कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में लोक अदालतें

107. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लोक-अदालतों की अवधारणा काफी हद तक सफल रही है ? अगर हां, तो इसका और विस्तार करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से लोक अदालतों की अवधारणा को कार्यपालिका के न्यायालयों में भी लागू करने का विचार रखती है ताकि राजस्व, फौजदारी व अन्य छोटे-छोटे मुकदमें कैम्प लगाकर निपटाये जा सकें ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(1) कार्यपालिका के न्यायालयों में भी जिलों में लगाये जाने वाली लोक अदालतों में छोटे-छोटे मुकदमों का निस्तारण किया जाता है।

राज्य में नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिशत

108. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का क्या प्रतिशत है एवं राजस्थान में इसका क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय औसत से राजस्थान में नशा करने वालों का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो नशे की आदत को कम करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है और न ही संकलित किया जाना संभव है। अन्य संबंधित विभागों से भी सम्पर्क किये जाने के उपरान्त भी सूचनायें संकलित नहीं हो सकी।

(2) राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर पर नशा करने वालों की संख्या ज्ञात नहीं होने से प्रतिशत बता पाना संभव नहीं है। नशे की आदत कम करने के लिये राज्य में नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 लागू किये हैं। इसके तहत अफीम और डोडा पोस्त के सेवन के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। बिना अनुज्ञापत्र के अफीम, डोडा पोस्त का सेवन वर्जित है। मदिरा सेवन करने वालों के लिये वर्तमान में कोई परमिट लेना आवश्यक नहीं है। इस कारण मदिरा–पान करने वालों की सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

विभाग की ठेकेदारों में बकाया राशि

109. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आबकारी विभाग की किस-किस ठेकेदार में कब से कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बकाया राशि की वसूली के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कौन-कौन ठेकेदार हैं जिनका पता नहीं मिल रहा है, उनमें कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आबकारी राजस्व की कुल बकाया दिनांक 30.9.90 तक रुपये 704.94 लाख की है। किस ठेकेदार में कब से कितनी राशि बकाया है इसकी सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के अंतिम कालम में वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण अंकित किया गया है।

(3) जिन ठेकेदारों के पते उपलब्ध नहीं हैं, उनसे वसूली योग्य राशि रुपये 99,79,421.74 आंकी जा रही है। यह बकाया निम्न जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालय की है :—

1. जयपुर नगर	59,61,360.36
2. जयपुर ग्रामीण	4,69,287.88
3. कोटा	8,00,918.13
4. सवाईमाधोपुर	2,88,135.60
5. बीकानेर	21,82,569.00
6. भीलवाड़ा	2,77,150.77
	99,79,421.74

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

उदयपुर नगर में शराब की दुकानें

110. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में सार्वजनिक स्थानों व बस्तियों में, धार्मिक स्थलों, शिक्षा संस्थाओं के आस-पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं ? यदि हां, तो शराब की दुकान खोलने के अनुज्ञा-पत्र देने के आधार क्या रहे हैं ? यदि नहीं, तो अनधिकृत दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उदयपुर नगर में शराब के कितने ठेके हैं और कुल कितनी शराब की दुकानें है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में शराब की दुकानें सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं शिक्षण संस्थाओं के आस पास निर्धारित परिसीमा के अन्तर्गत नहीं खुली हुई हैं। मदिरा दुकानें राजस्थान आबकारी नियम के नियम 75 के अन्तर्गत नियमानुसार खुली हुई हैं। शराब की दुकानें खोलने के लिये अनुज्ञापत्र की शर्तें एवं नियम 75 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये दुकान की परिसीमा स्वीकृत की जाती है। उदयपुर शहर में दुकान संबंधित कोई परिवाद और न ही कोई अनधिकृत दुकान लगी हुई है। इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) उदयपुर शहर में देशी मदिरा एवं बीयर के ठेके समूह में दिये हुए हैं जिनकी कुल दुकानें 176 व उप दुकानें 43 हैं। इसके अतिरिक्त होटलबार, मिलिट्री यूनिट्स एवं बीयर दुकानें 21 हैं। इन दुकानों के संबंध में कोई परिवाद अब तक नहीं हुए है।

पंचायत समिति क्षेत्र भैंसरोड़गढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

111. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक खोलने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृत होने पर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत होते हैं। अतः भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना केन्द्रीय स्वीकृति पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र

112. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं तथा कितने केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हुक्मा राम)

(2) क्या सरकार सिवाना तहसील में और नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो, क्यों नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है तथा नयी स्कीम में खाद्य सामग्री का स्तर क्या रहेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की सिवाना परियोजना में 112 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनमें से 111 केन्द्र चल रहे हैं व एक बन्द है। केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार को सिवाना परियोजना में 39 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये थे लेकिन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति नहीं मिली। आंगनबाड़ी केन्द्र केन्द्रीय सरकार ही स्वीकृत करती है।

(3) वर्तमान में माह जनवरी, 91 में इस परियोजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन अहमदाबाद द्वारा तैयार शुदा विनिंग फूड "सत्तू" जौ, गेहूं, चना मूंगफली, केक व गुड़ से बनाया हुआ है। वितरण हेतु दिया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में महिला एवं बाल विकास परियोजना केन्द्र की स्थापना

113. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये कोई परियोजना चालू कर रखी है ?

(2) क्या सरकार सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास परियोजना केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति सपोटरा एवं करौली आती हैं। करौली पंचायत समिति में बाल विकास परियोजना खोल दी गई है।

(2) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की करौली पंचायत समिति में समेकित बाल विकास परियोजना खोल दी गई हैं।

परियोजना का चयन भारत सरकार करती हैं। सपोटरा पचायत समिति में बाल विकास परियोजना स्वीकृत करने का निर्णय भारत सरकार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार यथा समय लेगी।

प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी की दुग्ध समितियां

114. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ की दुग्ध डेयरी प्रतापगढ़ की दुग्ध समितियों से दूध नहीं उठा रही हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि दुग्ध ठंडा संयंत्र प्रतापगढ़ से हटा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) प्रतापगढ़ में कहां-कहां, कितनी दुग्ध समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दुग्ध समिति के सदस्यों को अच्छी नस्ल के पशु क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रतापगढ़ में डेयरी का दुग्ध ठण्डा करने का कोई संयंत्र नहीं था। प्राइवेट आइस फैक्टरी जिला दुग्ध संघ द्वारा किराये पर ली गई थी। परन्तु क्षेत्र में दुग्ध उपलब्धि में कमी के कारण दुग्ध ठण्डा करने का कार्य अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है। समितियों से सीधा दूध चित्तौड़गढ़ भिजवाया जा रहा है।

जब भी इस क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में दुग्ध उपलब्ध होगा प्रतापगढ़ में पुनः दुग्ध ठण्डा करने का कार्य आरंभ किया जा सकता है।

(3) प्रतापगढ़ क्षेत्र में कुल गठित 29 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में से वर्तमान में 7 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यशील हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) समितियों के सदस्यों को बैंकों से अच्छी नस्ल के पशुओं के क्रय के लिये ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट "12" देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के छात्रावास

115. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य में सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां व कब तक?

(2) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास हैं?

(3) विगत 5 वर्षों में कुल कितने छात्र उनमें रहे एवं कितने छात्र छोडकर चले गये ? उन्हें क्या सुविधा दी गई, कितनी राशि उन पर खर्च की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस स्थान पर छात्रावास खोलने की आवश्यकता समझी जावेगी वहां छात्रावास खोले जावेंगे।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में केवल दो अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालित हैं।

(3) छात्रावास टोडाभीम एवं नादोती में वर्ष 1985-86 से 89-90 तक स्वीकृत छात्र संख्या 25 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 25-25 छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। नादोती छात्रावास में कोई भी छात्र छात्रावास छोडकर नहीं गया और पूरी अवधि 25 छात्र रहे। लेकिन छात्रावास टोडाभीम ने 1985-86 में माह दिसम्बर, 1985 में 12 छात्र सत्र के बीच में ही छात्रावास छोड कर चले गए थे। छात्रावास संचालन नियम 1982 के अनुसार भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूते आदि के लिए 170/- रु. प्रति छात्र प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रु. व 9 से 12 तक के छात्र को 60/- रु. पुस्तक स्टेशनरी व फीस हेतु एक मुश्त वर्ष में एक बार दिया जाता है।

विगत 5 वर्षों में इस छात्रावास में रह रहे छात्रों पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम छात्रावास	85-86	86-87
1.	टोडाभीम	20,442	37,260
2.	नादोती	36,369	36,478

	87-88	88-89	89-90
टोडाभीम	36,602	37,173	39,688
नादोती	36,375	36,875	42,938

उदयपुर से अहमदाबाद बस सेवा

116. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर वाया सोम, खोखरा, विजयनगर से अहमदाबाद तक की बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या प्रगति हुई?

(2) क्या उक्त बस संचालन हेतु जन प्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर बस सेवा जल्दी ही प्रारम्भ करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में गुजरात राज्य परिवहन निगम से सहमति प्राप्त कर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार से अस्थायी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात् उक्त बस सेवा का संचालन दिनांक 16–2–91 से प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

(2) जी हां। गुजरात राज्य परिवहन निगम से नियमानुसार सहमति प्राप्त कर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाकर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया हैं। सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, बस सेवा का संचालन दिनांक 16–2–91 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117)

(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) डा. चन्द्रभान व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर में गत छः सप्ताह से सचिव का पद रिक्त होने से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा व 8 अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी की विभिन्न समस्याओं के संबंध में।

(3) सर्वश्री गोविन्दसिंह गुर्जर व लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के गांव धनला में दिनांक 30–11-1990 को दहेज के कारण श्रीमती वर्षा जैन के हुए हत्याकाण्ड की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा सी. बी. आई. से जांच करवाने के संबंध में।

(4) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना के मौजा गुणवती में श्मशान व ग्राम रास्ते की भूमि को नगरपालिका मकराना द्वारा राजस्व नियमों की अवहेलना कर वहां दुकानें व प्लाट नीलाम करने के संबंध में।

(5) श्री परसादीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट कस्बे में दिनांक 13 फरवरी, 1991 को जैन मन्दिर में मूर्तियों की चोरी के संबंध में।

(6) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा एवं बूंदी जिलों में निजी बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने तथा बिना परमिट व फिटनेस की बसें संचालित करने के संबंध में।

(7) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से संगरिया नगरपालिका के चेयरमैन व पालिका सदस्यों द्वारा स्ट्रिप आफ लैण्ड के नाम से भूमि को नीलाम करने, दुकानें बनवाने व रिश्तेदारों को कब्जा करवा देने की अनियमित कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक सदस्य को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :—

(1) श्री रामस्वरूप मीणा व 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से 25 फरवरी, 1991 को बैंक आफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर श्री ओ.पी. मीणा की हत्या से संबंधित।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में खसरा नं. 179 में अनुसूचित जाति के लोगों की एक-एक बीघा आवंटित भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी जिला बाड़मेर व जैसलमेर में यूनानी एवं आयुर्वेदिक औषधालयों में हकीमों व वैद्यों के अभाव से जनता में व्याप्त आक्रोश विषयक।

(4) डा. चन्द्रभान एवं श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 3 मार्च, 1991 को उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के हड़मतियां ग्राम में 500–600 की संख्या में उच्च वर्ग के व प्रभावशाली लोग जो हथियार बंद थे द्वारा आदिवासी लोगों पर कातिलाना हमला किये जाने से क्षेत्र में व्याप्त तनाव के संबंध में।

(5) श्री बी.डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर नगर में 15 कुएं सूख जाने से वहां भयंकर पेयजल समस्या के संबंध में।

(6) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर कारखाने के श्रमिकों एवं कर्मचारियों द्वारा जहरीली गैसों के बीच कार्य करने से स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव के संबंध में उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने यूनियन अध्यक्ष श्री आर.डी. माथुर द्वारा आमरण अनशन किये जाने के संबंध में।

अग्रेतर माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है। अतः मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 28 फरवरी, 1 मार्च, 1991 की रात्रि को अजमेर में नया बाजार स्थित सोना चांदी की दुकान से 15–20 लाख रुपये की चोरी हो जाने व पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में उत्तर में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि— रिपोर्ट पर मुकदमा नं 36/91 धारा 457/380 आई.पी.सी. दिनांक 2–3–91 को थाना कोतवाली पर दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की गयी। अभियोग में अन्वेषण जारी है। चोरी का सुराग लगाने के लिए विशेष दस्ते गठित किये गये हैं और मुलजिमों व माल की बरामदगी के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री जनार्दनसिंह गहलोत व 8

(श्री अध्यक्ष)

अन्य सदस्य; विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नौकरी से निकाले गये 44 अस्थायी व्याख्याताओं की पुनर्नियुक्ति में किये जा रहे विलम्ब के संबंध में उत्तर में सरकार ने सूचित किया है कि–विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की नयी नियुक्तियां करने हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे जिन पर पूर्व वर्ष तदर्थ रूप से लगाये गये अस्थायी उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी जिस कारण स्थगन के फलस्वरूप रिक्त स्थानों पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी, इसलिए विज्ञापन को निरस्त किया गया। कुछ अन्य याचिकायें भी इस संदर्भ में थीं। ऐसी स्थिति में रिक्त स्थानों के कार्य को पूर्ण करने हेतु अध्ययन की व्यवस्था वर्तमान अध्यापकों से अतिरिक्त कार्य लेकर तथा निवृत्त अध्यापकों एवं तदर्थ रूप से गत वर्ष नियुक्त उम्मीदवारों को प्रति लैक्चर भुगतान के आधार पर व्यवस्था की गयी है। किसी भी अनुभवहीन अध्यापक से अध्ययन का कोई भी कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर व जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को समुचित विद्युत सप्लाई नहीं दिया जाना। उत्तर में सरकार ने सूचित किया है कि–क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गिराव खण्डिन व साउथ गिराव, सालरिया एवं विस्तार योजनाओं में गत तीन-चार माह से कृषि हेतु विद्युत मांग एवं अन्य कारणों से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं वोल्टेज की कमी के कारण पेयजल वितरण कम हो पाया है। अब शीघ्र ही उक्त समस्या दूर हो जावेगी।

(4) श्री प्रभुलाल पटेल, व एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा की जनता को पेयजल की भीषण समस्या से राहत दिलवाने के संबंध में उत्तर में सरकार ने सूचित किया है कि 151 खराब हैण्ड-पम्पों में से 86 की मरम्मत कर दी गयी है व 31 नये हैण्डपम्पों के निर्माण के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(5) चाकसू कस्बे में हुई डकेती से व्याप्त भय के वातावरण के संबंध में आज गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा। संबंधित माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री गोपीराम जाट सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर के ग्राम पुयाणा में चरागाह भूमि पर हुये अतिक्रमणों को सख्ती से बेदखल करने तथा चरागाह भूमि पर सदियों से मुकर्रर श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त किये जाने के संबंध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर से नौगांवा (जिला अलवर) कस्बा गोविन्दगढ़ होते हुए सड़क निर्माण किये जाने से पूर्वी राजस्थान के कई जिले भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र व राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से जुड़वाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद उदयपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षित अध्यापकों को साक्षात्कार में असफल घोषित कर दिये जाने के संबंध में।

(4) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कृषि प्रधान क्षेत्र कनेरा के विकास हेतु चहुं ओर सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री घासीलाल यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा टोडारायसिह में निरन्तर बिजली नहीं मिलने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न होने की स्थिति के संबंध में।

(6) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत नरवाली में हरिजनों व आदिवासियों की पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में।

(7) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारी समिति लि. सेवाडी, पाली के कार्यकलापों के संबंध में।

(8) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुदान नियम, 1963 के नियम 4(ब) में राज्य कर्मचारियों के समान वेतन एवं सुविधायें देने का प्रावधान होने के बावजूद भी वेतन एवं सुविधायें न दिये जाने के संबंध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू विधान सभा क्षेत्र में चारों ओर अपार जल स्रोत होने के बावजूद भी सिचाई विभाग द्वारा उनका समुचित उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में।

(10) श्री बिरधाराम, चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ढाणियों में पानी उपलब्ध कराने के संबंध में।

(11) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के परम्परागत जल श्रोतों के रख रखाव की व्यवस्था करवाये जाने के संसंध में।

(12) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली जिले के सोजत उप खण्ड मुख्यालय की विवेकानन्द विद्यापीठ शिक्षण संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाली द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया था....

श्री मांगीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय मैंने भी 295 का दिया है वह नहीं आया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के लिए निवेदन किया था मैंने।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सरकार जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष : आपने कल मुख्य मंत्री जी से बात कर ली ना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : तो मैं उस पर निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आपने हां भर ली वक्तव्य देने के लिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ इनफार्मेशन है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले आपकी सुन लें।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, पाली नगर के अन्दर रात को 12 बजे के बाद पुलिस थाने बिल्कुल निष्क्रय हो जाते हैं वहां पर और शराब पीकर पुलिस वाले बैठते हैं और किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं कल रात को ही वहां से आया हूं। एक छोटी सी शिकायत के ऊपर, एक छोटी सी दुर्घटना हो गयी थी। एक शराबी बिल्कुल हमारी बस के सामने आ गया था। हम उसको लेकर गये सदर थाना कोतवाली के अन्दर। उसने उस शराबी को ही नहीं जो हमारे में रोडवेज के बस का ड्राइवर था, उसके साथ स्टाफ था और एक अधिकारी था। उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी पिटाई की और जब हमने उसकी शिकायत एस.पी. साहब से करनी चाही तो एस.पी. साहब उपस्थित नहीं थे। मैंने जिलाधीश को जब रात को सर्किट हाउस में जगाकर उनसे शिकायत की तो उन्होंने एडीशनल एस.पी. को भेजा। एडीशनल एस.पी. ने जितनी पुलिस उपस्थित थी सबको इकट्ठा किया और उसमें आधे से ज्यादा शराब पीये हुये थे पुलिस वाले। न एडीशनल एस.पी. साहब से ढग से पेश आये वहां पर और इस तरह से यह हालत है इसलिए इसके ऊपर कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका तो हो गया। कल आयेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने कहा था कि मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि यदि आप बोलना चाहें तो जिस दिन एप्रोप्रियेशन पर बोलेंगे उस दिन दे दूंगा। तो आप उठा दें, वह जबाब दे देंगे। वह ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा।

बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर की हत्या

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बैंक आफ बड़ौदा में कार्यरत मैनेजर ओमप्रकाश मीणा की हत्या के बारे में दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर बैंकों की अनेक घटनाएं होती चली जा रही हैं। दिन दहाड़े डकेतियां पड़ती हैं। बैंक लूटी जाती हैं, पोस्ट आफिस में चोरियां होती हैं और कोई कार्यवाही नहीं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

होती है । इसी का परिणाम है कि बैंकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिला सवाई माधोपुर की मानटाउन शाखा, बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर ओमप्रकाश मीणा की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ।

(12.20 म.प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सारी कार्यवाही कम्पलीट हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर, जिसकी दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई, आज तक उसके मुल्जिम को पकड़ा तक नहीं गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बहुत ही गंभीर घटना, इस प्रकार का बहुत ही गंभीर मामला जिसमें सवाईमाधोपुर जिले के बैंक आफ बड़ौदा के एक मैनेजर को मार दिया गया उसके बारे में आज तक जानकारी तक नहीं हुई । इस बड़ौदा बैंक के कर्मचारियों ने मिल कर ज्ञापन भी कलक्टर महोदय को दिया, इस बारे में उन लोगों ने हड़ताल भी की । लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई है । बैंक आफ बड़ौदा की सूरवाल शाखा में आज तक बड़ी भयंकर स्थिति बनी हुई है । कर्मचारी एवं अन्य कोई अधिकारी उसमें काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं । सारा बैंक का काम ठप्प पड़ा हुआ है और कर्मचारियों की लगातार मांग होने के बावजूद भी आज तक इस बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला । एक भी व्यक्ति की न कोई गिरफ्तारी की गई, न मुल्जिमों के बारे में कोई किसी प्रकार की कार्यवाही हुई है । जबकि इस बारे में हमारे प्रदेश के सारे अखबारों में प्रदेश के बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा भारी रोष प्रकट किया गया जिसकी कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं । इस बारे में गिरफ्तारी करने के लिये बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने धरना भी दिया । लेकिन इसके बावजूद भी इतनी गंभीर घटना को आज तक सरकार ने ध्यानपूर्वक नहीं सुना । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर, मानटाउन के अन्दर जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई है उसकी, बैंक आफ बड़ौदा शाखा की, वहां के मैनेजर ओ. पी. मीणा की हत्या के बारे में कम से कम सदन को यह अवगत करायें कि उसकी जो हत्या की गई वह किसने की और आज तक हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा गया है । बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो सरकार को ज्ञापन दिया, माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बारे में आज तक कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाय ताकि भविष्य में बैंकों में होने वाली डकैतियों और हत्याओं को रोका जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुआ ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके साथ-साथ मेरा एक दूसरा प्रश्न यह था, हिण्डौन पोस्ट ग्राफिस के ग्रन्दर वहां के रात्रि में जो गार्ड था, जो रक्षा करता था पोस्ट ग्राफिस की उसकी वहां के कुछ बदमाशों ने....

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मारपीट की ग्रौर माल को लूट करके ले गये।

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं। श्री परसादीलाल मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस प्रकार बैंकों ग्रौर पोस्ट ग्राफिस के ग्रन्दर डकेतियां, चोरियां, हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त ही जिन लोगों ने इस प्रकार की चोरियां डकेतियां ग्रौर हत्याएं की हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया ग्रापने। श्री परसादीलाल मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैंक ग्राफ बड़ौदा की सूरवाल शाखा के मैनेजर ग्रो. पी. मीणा की हत्या की तुरन्त जांच की जाय ग्रौर जो उसमें दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाय ग्रौर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय, मेरा यही ग्रापके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा तो ग्रलग है ना, सर।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रलग है ग्रापका, कल्याणपुरा, खसरा नम्बर 179.

लालसोट में ग्रनु. जाति के लोगों को जमीन का कब्जा

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में ग्रनुसूचित जाति के लोगों को एक एक बीघा जमीन ग्रावंटित हुई थी खसरा नम्बर 179 में।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापस में बातें नहीं करें।

श्री परसादीलाल मीणा : उस जमीन का उनको ग्राज तक कब्जा नहीं दिया गया। मौके पर दूसरे ग्रतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है। वहां पर जाने के लिये पहले जो खसरा नम्बर 179 है वह बिल्कुल खाली पड़ा था। वह सारा ग्रलाट हो गया। ग्रनुसूचित जाति के लोगों की जो 50 60 घरों की बस्ती है वहां पर जाने के लिये रास्ता है वह बिल्कुल बंद कर दिया। ग्रब सवाल इस बात का है वह किधर से जायं ग्रौर किधर से ग्रायें। मैंने जन ग्रभाव ग्रभियोग समिति में ग्रौर उन लोगों ने कई बार इसकी कोशिश की। ग्रधिकारियों की लापरवाही से या उनकी निष्क्रियता के कारण न तो वहां रास्ता निकाला जा सका ग्राज तक ग्रौर उस एक एक बीघा पर दूसरे लोग ग्रतिक्रमण करके काश्त कर रहे हैं लगातार, ग्रावंटन उनको हो गया, ग्राज तक न उनको कब्जा दिया गया है, न उनकी फसल को कुर्क किया गया है। मेरा तो ग्रापके माध्यम से यही निवेदन है कि

(श्री परसादीलाल मीणा)

राजस्व मंत्रीजी से कि जन अभाव अभियोग समिति में साल भर से चल रहा है यह मामला कलक्टर जयपुर के यहां, फिर भी इसमें अधिकारियों ने मौके पर जाकर रास्ते की, जो एक आम बात है रास्ता निकालने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां। (अनुपस्थित)

डा. चन्द्र भान। (अनुपस्थित)

श्री बी.डी. कल्ला। (अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

उदयपुर के जिक स्मेल्टर में गैस रिसाव

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के जिक स्मेल्टर में काफी दिनों से जहरीली गैस निकल रही है। उस गैस के प्रभाव से वहां किसानों के कुओं का पानी खराब हो गया और कई मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया। वहां की यूनियन और वहां के पदाधिकारियों ने लगातार तीन महीने से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की है। प्रबन्धक को नोटिस भी दिये हैं। लेकिन प्रबन्धक ने बजाय व्यवस्था को दुरुस्त करने के वहां यूनियन के जो अध्यक्ष थे, श्री आर. डी. माथुर, उनको मुअत्तिल कर दिया। मुअत्तिल करने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल की और केन्द्रीय मिनिस्टर के आने के बाद भूख हड़ताल तो टूट गई लेकिन आज तक प्रदूषण के जो कारण हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत व्यापक क्षति हो चुकी है और क्षति होने की संभावना है उस पर प्रबन्धक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं कि इस प्रकार के सरकारी संस्थानों में अगर कानून की पालना नहीं हो और नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाय तो हम प्राइवेट उद्योगों को इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकते। इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिक स्मेल्टर उदयपुर में मैं यह चाहूंगा कि जो जहरीली गैस और गैस के बहाव से जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिये राज्य सरकार तत्काल कार्यवाही करे। जो केन्द्र का काम है, केन्द्र करे और राज्य सरकार करे। लेकिन इस सम्बन्ध में कार्यवाही तुरन्त हो जानी चाहिये। भूख हड़ताल तो, खैर, मैंने यहां से भी निवेदन किया था वहां के मजदूर यूनियन वालों से, उन्होंने हड़ताल तो तोड़ दी है लेकिन उस हड़ताल को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार वहां कोई कार्यवाही नहीं करे। पहले भी यह सारी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी इस सम्बन्ध में वहां के यूनियन के कई पदाधिकारी मुअत्तिल हो गये लेकिन वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मजबूर होकर दुबारा वहां यूनियन के पदाधिकारियों को यह कदम उठाना पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के प्रस्ताव। श्री गोपीराम चौधरी।

श्री रामकिशन : इस पर जवाब दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि जिक स्मेल्टर से पाल्यूशन हो रहा है, मैं इस सम्बन्ध में आज ही जिलाधीश को कह कर जानकारी प्राप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें जो भी सरकार एक्शन ले सकती है, तुरन्त एक्शन लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपीराम जाट।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसी प्रकार का है एक मामला····

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैंक मैनेजर की हत्या हुई है और उसके बारे में कोई जानकारी तक सरकार नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में केस रजिस्टर कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान चल रहा है। आपको यदि यह लगता हो, हत्यारों की यदि आपको कोई जानकारी हो या कोई सुराग आपको मिला हो, वह जानकारी हमको भी दे दें, उसका भी लाभ उठायेंगे, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था····(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : वहां लड़के की डैथ हो गई····(व्यवधान)

श्री लालचंद डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मेरे को इसकी जानकारी दे दें, इस पर क्या कार्यवाही करनी है, वह करेंगे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के हनुमतिया गांव में····

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा था, आप अनुपस्थित थे।

सलूम्बर तहसील में आदिवासियों को उजाडने सम्बन्धी

डा. चन्द्रभान : मैं बाथरूम में गया था। उपाध्यक्ष महोदय, 3 मार्च को उदयपुर जिले के सलूम्बर तहसील के हनुमतिया गांव में उच्च वर्ग के लोगों ने 73 आदिवासी परिवारों को उजाड़ दिया। लाठी बल्लम और तलवारों से लैस यह लोग जड़ाव गांव के रहने वाले हैं, हनुमतिया गांव में हमला बोला। हनुमतिया में करीब करीब सभी आदिवासी लोग रहते हैं। उनके मकान जला दिये, उसका सामान लूट लिया और वहां औरत, बच्चे, बुजुर्ग लोग थे, सबको घायल कर दिया।

यह घटना घटने के बाद आदिवासी लोग पुलिस थाने में गये तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद वह लोग हमारे जन जाति के राज्य मंत्री हैं माननीय चुन्नीलालजी गरासिया, वह भी दौरे पर गये, उनसे भी मिले लेकिन आज की तारीख तक इस हादसे, इस काण्ड, घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है····

श्री दिग्विजय सिंह : उसके बाद तो गिरफ्तारी भी हो गई है।

श्री चन्द्रभान : किस तारीख को गिरफ्तारी हुई ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : यह 8 या 9 तारीख की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : चलो गिरफ्तारी हो गई हैं, बात खत्म हुई ।

श्री चन्द्रभान : सुनिये उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है गिरफ्तारी हुई । एक बात मैं कहना चाहूंगा यह घटना आदिवासी क्षेत्र में घटती है और इसे आदिवासियों के झगड़े का स्वरूप दे दिया जाता है और वहां पर जो राजस्थान किसान संगठन कार्यरत है उसके कार्यकर्ताओं को नक्सलाइट कह कर उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है । इस तरह का सरकार का व्यवहार उचित नहीं है । वह लोग किसान संगठन के लोग हो सकते हैं, आदिवासियों में काम कर सकते हैं उनके राजनैतिक स्वार्थ भी हो सकते हैं लेकिन जो आदिवासियों पर हमला होता है, अत्याचार होते हैं उस मामले में सरकार को सेंसेटिव होना चाहिए । मैं इतना ही इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा । जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं गिरफ्तारी हो गई, तो एक तो पूछना चाहूंगा कि जो नामजद जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है उनमें से किन लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

दूसरे मुख्यमंत्री जी, बहुत ही गम्भीर मामला है । आपने भी जनजाति विकास और अनुसूचित जाति के संबंध में अपने बजट भाषण और उसके बाद में भी काफी कुछ कहा है इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह सवाल आदिवासियों से संबंधित है । इसके साथ मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गरीब आदिवासी लोग जिनको घरों से भगा दिया गया, जिनका सारा सामान लूट लिया सिर्फ तन पर ही कपड़े बचे हैं । उन लोगों के लिये सरकार की ओर से कोई मुआवजे का इन्तजाम या उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है क्या ?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना उच्च वर्ग के लोग, बाहुबल, शक्ति वाले लोगों के द्वारा दुबारा नहीं होनी चाहिए । एक सरकार के नोटिस में और लाना चाहूंगा कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें से किसी एक जाति के बारे में नहीं कहता लेकिन कुछ लोगों का धन्धा हो गया है सूदखोरी और ब्याज का, 100 रुपये पर दस रुपये ब्याज लिया जाता है । यह सूदखोरी का काम वहां से मिटना चाहिए । यह सूदखोर लोग, सेठ लोग, बड़े लोग यह झगड़े बार बार करवाते हैं । सरकार जांच करवाये, उन लोगों को मुआवजा दे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट ।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सरबतिया के सन्दर्भ में क्योंकि मैं उस जिले से संबंधित हूं, निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिए आपके माध्यम से कि वहां पर एक तो नक्सलाइट एक्टिविटीज प्रारम्भ हो गई हैं और वहां पर उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया है वहां प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी उस क्षेत्र में नहीं जा सकता इस तरह की गड़बड़ी करके उसे वर्ग संघर्ष का रूप दिया जा रहा है मैं राज्य

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो काण्ड हुआ, पिछले साल भी हुआ था उसके बाद वहां अधिकारी गये उसके बाद में वहां अधिकारी गये उसके बाद में वहां पर वह कौन सी समस्या है उसको जानने के लिए वहां पर एक ए.डी.एम. को नियुक्त किया गया लेकिन उसके बाद भी उस क्षेत्र में पुलिस, निष्क्रिय रही, वहां पर प्रशासन निष्क्रिय रहा इसलिए ऐसे लोगों की एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही हैं जो आन्ध्र प्रदेश में नक्सलाइट की स्थिति आज चल रही है वही राजस्थान में पैदा हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आ गया। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, नक्सलाइट का नाम लेकर आदिवासियों पर अत्याचार को नहीं चलने दिया जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा यह बहुत ही गम्भीर मामला है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कह कर इस बात की रिलेवेन्सी को खत्म किया है कि यह नक्सलाइट का क्षेत्र है इसलिए नक्सलाइट वहां पर न बढ़े। हमारी यह मन्शा नहीं कि नक्सलाइट वहां पर बढ़े या कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो लेकिन यदि नक्सलाइट का क्षेत्र बनता जा रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि आदिवासियों पर अत्याचार को हम सहन करेंगे इस संबंध में गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि वह नक्सलाइट का क्षेत्र है या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राज्य सरकार का दायित्व, कर्तव्य है कि यह जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसमें कानून-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए राज्य सरकार निश्चित रूप से काम करेगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

श्री गोपीराम जाट : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान सरकार के गठन के समय यह सार्वजनिक घोषणा की थी कि चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमणों को सख्ती से बेदखल किया जाएगा लेकिन इस घोषणा के बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमियों को प्रश्रय एवं अनुचित संरक्षण प्रदान करना बन्द नहीं किया है। इस तथ्य की पुष्टि निम्न उदाहरणों से कर सकते हैं:—

तहसील आमेर के ग्राम पुयाणा की चरागाह के खसरा नं. 1/1 में सदियों से शमशान एवं कब्रिस्तान मुकर्रर है। इस शमशान एवं कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ प्रभावी अतिक्रमियों ने नाजायज कब्जा कर लिया है तथा इस भूमि पर जब इन लोगों ने काश्त बोने के लिए कब्रों तथा वहां अवशोषित राख की ढेरियों को नष्ट कर हल चलाये तब इसी गांव के स्थानीय वार्ड पंच

(श्री गोपीराम जाट)

ने जिला कलक्टर, जयपुर तथा जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर को इसकी लिखित सूचना दि. 15.11.90 को दी तथा इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव ने जिला कलक्टर जयपुर को अतिक्रमियों को अविलम्ब बेदखल करने के लिए समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये। मैंने स्वयं ने जिला कलक्टर को कई पत्र लिखे। लेकिन इन सबके बावजूद अतिक्रमियों से इस भूमि को बेदखल नहीं किया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन प्रतिक्रिया प्रतिकूल एवं नगण्य रही है। चूंकि इस प्रकरण में स्वयं तहसीलदार, आमेर एवं सम्पूर्ण तहसील प्रशासन अतिक्रमियों से मिला हुआ है। ग्रामीणों द्वारा आरक्षी केन्द्र हरमाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पर पुलिस प्रशासन ने इस कुकृत्य में उन लोगों को सहयोग ही दिया है जो कब्जाधारी है और वर्तमान तक ये अतिक्रमी इस भूमि पर यथावत काबिज हैं। मैं इन्हें बेदखल करने के सन्दर्भ में एक पत्र जिलाधीश महोदय को भी प्रेषित कर चुका हूं। महोदय इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्थानीय तहसील प्रशासन ने उक्त भूमि को गैर मुमकिन सवाय चक दर्शाते हुए अतिक्रमियों के पक्ष में फर्जी गिरदावरियां कर रहे हैं और इसमें अतिक्रमियों के हौंसले बढ़े हैं और अब तो इस भूमि पर अतिक्रमणों की बाढ़ ही आ गई है।

इसी तरह इसी तहसील की ग्राम पंचायत बगवाड़ा, गांव भीपुरा तथा ग्राम सेवापुरा और ग्राम जगन्नाथपुरा में अतिक्रमियों ने चारागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा लगाये दो लाख पौधों को नष्ट कर तथा दो एनीकटों को खत्म कर अतिक्रमियों ने काश्त बोई हैं तथा पुख्ता निर्माण भी बना लिया है। इस विषय में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं पर इन अतिक्रमियों को बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे अतिक्रमियों के हौंसले चरम सीमा पर पहुंच गये हैं और उन्होंने ग्राम भण्डारणा में विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया के रोड नं. 17 के पास सत्तर बीघा चरागाह भूमि पर जिसकी कीमत लाखों रुपया है, अतिक्रमण कर गृह निर्माण सहकारी समितियां द्वारा विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है। ग्राम सिरोही ग्राम मुण्डोता ग्राम मानपुरा, माचेड़ी, ग्राम खपरिया, खातियों का बास अनोपुरा की चरागाह भूमि पर तो अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई है। ग्राम छापरबाड़ी में तो अतिक्रमियों ने चरागाह पर कब्जा कर पेड़ काटना प्रारम्भ कर दिया है। ग्राम नींदा तथा जयसिंहपुरा शेखावतान की चरागाह भूमि पर तो कुछ लोगों ने पुख्ता निर्माण ही करवा लिये हैं। ग्राम नींदड़ में तो अतिक्रमियों ने चरागाह पर कब्जा कर आरा मशीन लगा ली है। इन पुख्ता निर्माण को तोड़ने के लिए उपखण्ड अधिकारी आमेर ने तहसीलदार आमेर को आदेश दे रखे हैं लेकिन तहसीलदार आमेर इन आदेश को दबाये बैठा है।

महोदय, इन सबके अलावा अनेक ग्रामों की चरागाह भूमि पर भी अतिक्रमियों ने कब्जे कर रखे हैं जिसका सम्पूर्ण विवरण यहां लिखा जाना मुमकिन नहीं है। इन सब अतिक्रमियों से सम्पूर्ण तहसील प्रशासन मिला हुआ है तथा पटवारी से लेकर

(श्री गोपीराम जाट)

उच्च अधिकारियों तक चौथ बंधी हुई है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि अतिक्रमियों के हौंसले इतने बुलंद हो। महोदय, जब भी कोई अतिक्रमी चारागाह भूमि पर काबिज होता है। तहसीलदार द्वारा उसे जो नोटिस दिया जाता है उसमें उस भूमि को गैर भूमि किन सवाय चक दर्शाया जाता है। फर्जी गिरदावरियां बना दी जाती हैं इससे अतिक्रमियों के हौंसले बुलंद है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां (अनुपस्थित)

श्री दयाराम परमार।

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सूचना देना चाहता हूं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला-परिषद-उदयपुर द्वारा गत वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों का साक्षात्कार लिया गया था लेकिन नियुक्तियां देने के पूर्व ही हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा स्टे दे दिया गया। इसलिए गत वर्ष दिसम्बर और इस वर्ष जनवरी में नियुक्तियां देने की तीन चरणों में सूचियां जारी की गई लेकिन जिला परिषद उदयपुर द्वारा जो नियुक्तियों की सूची जारी की गई है, उन सूचियों में एस.सी. और एस.टी. के उम्मीदवारों को जो एस.टी.सी. और बी.एड. किये हुए हैं, उनको असफल घोषित कर दिया है और उन्होंने रिजर्वेशन का कोटा भी पूरा नहीं किया है। एक व्यक्ति जो दो साल तक विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण संस्थान के पास होने का प्रमाण पत्र लेकर आता है और उसे अयोग्य घोषित कर देना समझ के बाहर की बात है। यह बात हो सकती है कि वे लोग मेरिट लिस्ट में नीचे हो सकते हैं लेकिन फेल कर देना उस संस्थान द्वारा दिये गये प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र को चुनौती देना है जो 15 मिनट के साक्षात्कार में संभव नहीं है। इसलिए साक्षात्कार लेने वालों एवं चयन सूची जारी करने वालों की नीयत पर शंका होती है और जन चर्चा यह है कि चयनित सूचियां जारी करते समय हजारों रुपयों की रिश्वत ली गई है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जिला परिषद उदयपुर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद के लिए लिये गए साक्षात्कार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जिनको असफल किया गया है, उन्हें रिजर्व कोटे के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा में विकास कार्य न होने बाबत

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : महोदय, नियम 295 के तहत मैं कनेरा घाटा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कनेरा तहसील मुख्यालय से 42 कि.मी. दूर स्थित है तथा तीन तरफ से मध्यप्रदेश प्रान्त से घिरा हुआ है तथा कृषि प्रधान क्षेत्र है।

कनेरा पठार पर 4 ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा 32 ग्राम हैं। देश को स्वतंत्र हुए 43 वर्ष व्यतीत हो गये लेकिन विकास के नाम पर इस क्षेत्र को कोई भागीदारी नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि तीन तरफ से यह क्षेत्र मध्यप्रदेश से घिरा हुआ है तथा चौथी तरफ पहाड़ी क्षेत्र है।

स्वतंत्रता से पूर्व देवीधारा नामक पहाड़ को काटकर मार्ग बनाया गया जो आज भी उसी दशा में हैं। कोई उद्योग धन्धा उस क्षेत्र में नहीं है, कोई खनिज सम्पदा नहीं है, कोई वन उपज नहीं है, सारा क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। सिंचाई के लिय नदी, नाले, बांध नहीं है, पीने का पानी भी पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं है। विकास की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर राज्य सरकारा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

(1) इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्बाहेड़ा वाया केलीतुम्बा मार्ग कनेरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक हैं।

(2) कनेरा से बेगूं मार्ग पर सड़क बन जाने से आवागमन का साधन उपलब्ध हो जावेगा तथा जावद मध्य प्रदेश से जाट मार्ग पर चलने वाली बसों के लिए कम दूरी व सुविधाजनक मार्ग हो सकेगा।

(3) कनेरा से वाया बड़ावली विजयपुर तक का केवल 24 कि.मी. मार्ग पक्का बन जाने से जिला मुख्यालय तक जुड़ जाने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी।

सड़क के अभाव में कृषि उपज को मण्डी तक ले जाने एवं दैनिक उपयोग की सामग्री इस क्षेत्र तक लाने में मार्ग व्यय अधिक होने से कृषक, मजदूरों को दोहरी हानि होती है। एक तरफ कृषि उपज में कम लाभ मिलता है और दूसरी तरफ दैनिक उपयोग का सामान महंगा पड़ता है।

इस क्षेत्र का विकास करना है और जन साधारण को सुविधा उपलब्ध करानी है तो मध्यप्रदेश शासन के सहयोग बिना सम्भव नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश शासन से इस बारे में बातचीत करके कनेरा घाटा में विकास सम्बन्धी कार्यवाही करावे। इसके अलावा भी उपाध्यक्ष महोदय, कनेरा घाटा क्षेत्र की बहुत समस्याएं हैं। जिस तरह अफीम की खेती होती है और अफीम को सरकार खरीदती है....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके बाहर बोलेंगे तो इसका उत्तर नहीं आयेगा।

श्री घासीलाल यादव : (अनुपस्थित)

श्री नवनीत लाल नीनामा।

तहसील घाटोल में स्वच्छ पानी की व्यवस्था

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : नरवाली पंचायत समिति घाटोल तहसील जिला बांसवाड़ा में स्वच्छ जल पर ध्यान नहीं दिया गया है, वहां पर पाइप टंकी के

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

कार्य भी अधूरे पड़े हैं, इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मान्यवर, हरिजन मोहल्ला में श्री लालजी पुत्र श्री बालजी के मोहल्ले गांव चारना भीड़वाई पंचायत नरवाली तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्ड पम्प लगाकर हरिजनों व आदिवासियों को पेयजल समस्या का निवारण करने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल पंचायत नरवाली में माही नदी के दक्षिण किनारे पर गांव चारना भीड़वाई में 43 वर्ष आजादी के बीत जाने के बावजूद आज दिन तक स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हुआ है।

गांव चारना भीड़वाई में कुल 125 आबादी मकानात हैं। यह गांव बांसवाड़ा जिला हैड क्वार्टर से 60 किमी. दूर बांसवाड़ा से उत्तर दिशा में माही नदी के किनारे पर स्थित है जहां पर हरिजन मोहल्ले में आज दिन तक पीने का पानी हरिजनों को नहीं मिल पाया है व श्री लालजी पुत्र श्री बाल जी के बाएं पैर मे नारू की पीड़ा है। वहां हर वर्ष प्राय: व्यक्ति नारू से पीड़ित रहते हैं। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गांव चारना भीड़वाई की तत्काल जानकारी ली जाकर नारू से पीड़ित हरिजन मोहल्ले में हैण्ड पम्प लगाया जाकर स्वच्छ जल की व्यवस्था कराकर हरिजनों को पेयजल की सुविधा दी जावे व नारू से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी कराया जाकर पीड़ित हरिजनों को राहत दिलाई जाने व राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के तहत प्रस्ताव द्वारा मांग करता हूं। इसे स्वीकार कर तुरन्त प्रभाव से राहत दिलाई जावे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से ये आश्वासन चाहता हूं और राज्य सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि हरिजन मोहल्लों की तत्काल जांच करवाई जा करके हैण्ड पम्प लगाये जावे और नारू से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृत लाल परमार।

श्री प्रदीप कुमार वैष्णव को सहकारी समिति से हटाने बाबत

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सेवाड़ी में श्री प्रदीप कुमार वैष्णव द्वारा जो रिपोर्ट भेजी है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री प्रदीप कुमार वैष्णव, सेल्समैन, सहकारी समिति लिमिटेड, सेवाड़ी (जिला पाली) दिनांक 1-4-1986 से 1-6-1987 तक सेल्समैन के पद पर कार्यरत था तथा इनके संतोषजनक कार्य से क्रय विक्रय में एक लाख से चार लाख तक सालाना बढ़ोतरी हुई। सहकारी समिति ने 26-5-1987 से उन्हें अनाधिकृत रूप से सेल्समैन पद से हटा दिया था।

जबकि श्री प्रदीपकुमार का कार्य आडिट रिपोर्ट में संतोषजनक बताया गया है। वह भी बी. कॉम. था। इनके रहने से क्रय-विक्रय की चार गुणा बढ़ोतरी हुई है। जबकि इनको पूर्ण कोरम ने नियुक्त किया

(श्री अमृतलाल परमार)

था तथा प्रधान व्यवस्थापक, सुमेरपुर क्रय विक्रय दिनांक 31–7–1987 को इस पद पर चयनित किया। किसी भी समितियों में सेल्समैन नहीं हटाया गया है एवम् सेवाड़ी, कोआपरेटिव समिति की आर्थिक स्थिति भी ठीक है।

अध्यक्षजी, हनुमन्त सिंह सावत को सहायक रजिस्ट्रार समिति, पाली के आदेश दिनांक 26–5–1987 क्रमांक 6252–54 को इन्हें यथावत रखने के आदेश दिये तथा अध्यक्ष के विरुद्ध धारा–36 के तहत पत्र क्रमांक 6235 दिनांक 3–6–1987 द्वारा नोटिस दिया गया। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री प्रदीपकुमार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हटाना बताया गया। इनको 12–6–1987 को हटाया जबकि दिनांक 16–7–1987 को सहायक व्यवस्थापक रखते हुए नया प्रस्ताव किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रदीप कुमार को जानबूझ कर हटाया गया है। सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। क्या अब सरकार इस बारे में कुछ करने की मंशा रखती है या नहीं ? मैं कहना चाहूंगा कि प्रदीप कुमार को जानबूझ कर के हटाया है। इसकी जांच होनी चाहिये। इसके कुछ प्रमाण मेरे पास हैं, मौजूद हैं, आप चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत मैं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के सन्दर्भ में पढ़ रहा हूं।

शिक्षा का प्रसार करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। राज्य में 1200 से अधिक गैर-सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं जो इस दायित्व को पूरा करने में न सिर्फ सरकार का सहयोग कर रही है, अपितु राज्य के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने एवम् नवीन प्रयोगों के द्वारा राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संस्थाओं के कार्यों की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है जिनमें वर्तमान शिक्षा मंत्री एवम् मुख्य मंत्री सहित अनेकों वर्तमान एवम् भूतपूर्व मंत्री सम्मिलित हैं। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार का व्यवहार बहुत निराशाजनक है। सरकार इनके साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है जैसा एक सौतेली मां अपनी सौतेली सन्तान के साथ भी नहीं करती है।

अनुदान नियम 1963 के नियम 4(ब) में संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का प्रावधान किया गया है, परन्तु उन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार अनुदान नियमों मे राज्य कर्मचारियों के समान ही अवकाश का लाभ देने की बात कही गई है परन्तु उन्हें समर्पित अवकाश एवम् अवकाश के पुनर्भरण का लाभ देने से इन्कार कर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दिया गया है। नियमों में राज्य कर्मचारियों के समान वेतन एवम् भत्ते देने का प्रावधान किया गया है परन्तु जब भी नये वेतनमान लागू होते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ता है या बोनस की घोषणा होती है तो सरकार इनके आदेश राज्य कर्मचारियों के साथ नहीं निकाल कर अलग से व विलम्ब से निकालती है इससे भारी भरकम रकम एरियर्स ही बन जाता है। संस्थाओं को इस रकम की व्यवस्था कर पहले एरियर्स चुकाने पड़ते हैं फिर निदेशालय द्वारा इन पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इन एरियर्स पर अनुदान की स्वीकृति में संस्थाओं को तरह तरह से परेशान और जलील किया जाता है। सामान्यतया दो तीन वर्ष पूर्व इन पर अनुदान स्वीकृत नहीं होता। स्वीकृत कराने के लिए संस्थाओं को निदेशालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं व कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। इस परेशानी से बचने के लिए कई संस्थाएं तो कर्मचारियों को एरियर्स का भुगतान ही नहीं करती। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने चार-चार बार बोनस घोषित हो जाने पर कर्मचारियों को अब तक एक भी बोनस नहीं चुकाया है। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि संस्थाएं अपने कर्मचारियों से वसूल करती है।

वर्तमान में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का एक मात्र सहारा भविष्य-निधि है, परन्तु सरकार ने कर्मचारियों को इससे भी वंचित रखने की भरपूर कोशिश की है। मार्च, 1982 से संस्थाओं पर केन्द्रीय भविष्य निधि एक्ट लागू हो गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों को कुल वेतन, जिसमें डी. ए. भी सम्मिलित है, पर 8.33 प्रतिशत का लाभ देय है वर्तमान में सरकार कर्मचारियों को सिर्फ 6.25 की कटौती का लाभ दे रही है और वह भी सिर्फ मूल वेतन पर। सरकार को भविष्य निधि की राशि पर अधिक अनुदान न देना पड़े इसलिए उसने अपने अधिकारों की सीमा का उल्लघंन कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निर्देशों की अवहेलना करते हुए तथा केन्द्रीय भविष्य निधि एक्ट के प्रावधानों के विपरीत संस्थाओं को इस एक्ट की परिधि से मुक्त कर दिया। कर्मचारियों के साथ इससे अधिक क्रूरता और क्या हो सकती है ?

संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए शैक्षिक एवम् प्रशैक्षणिक योग्यता, काम के घंटे, अवकाश आदि के वे ही नियम लागू हैं जो समकक्ष राज्य कर्मचारियों के लिए लागू हैं परन्तु सरकार इन्हें पेन्शन, ग्रेचुएटी, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता आदि नहीं दे रही है। इस सौतेले व्यवहार की पराकाष्ठा तब हो गई जब सरकार ने इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी। संस्थाओं के कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं नहीं देने के लिए वर्षों से एक ही घिसा-पीटा उत्तर दिया जाता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार न कभी सम्पन्न थी न रहेगी, परन्तु वे सभी कार्य हुए हैं और होंगे जिसे सरकार करने की सोचती है। सरकार विधायकों एवम् मंत्रियों के वेतन भत्ते एवम् सुविधाएं बढ़ा सकती हैं, सरकारी कर्मचारियों की संगठित शक्ति के आगे झुक कर उन्हें अनेकानेक रियायतें दे सकती हैं तथा अपने राजनैतिक लाभ के लिए किसानों के अरबों रुपयों के कर्जे तक माफ

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कर सकती है, तो फिर संस्थाओं के कर्मचारियों को उनका वाजिब हक क्यों नहीं दे सकती ? अब जबकि सरकार राज्य कर्मचारियों के अलावा पंचायत समितियों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों एवम् विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेचुएटी, मकान किराया एवम् चिकित्सा भत्ता का लाभ दे रही है तो अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कुछ हजार कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित रखना उनके साथ अन्याय है ।

मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह उच्चतम न्यायालय में अपनी ओर से की गई अपील को वापस ले तथा न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए संस्थाओं के कर्मचारियों को वे सभी लाभ दें जो समकक्ष राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर ।

अटरू में उपलब्ध जल भण्डार के प्रयोग के बारे में

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चारों तरफ नदियां बहती हैं । जल का अपार भण्डार है । परन्तु उस क्षेत्र में जल भण्डार का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और इस कारण से किसानों की हालत बहुत खराब है । वे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं । यदि सिंचाई विभाग उस पानी का उपयोग करे, योजनाबद्ध तरीके से स्कीम बना कर काश्तकारों को पानी देने की योजना बनाता है तो मेरे क्षेत्र का एक भी गांव असिंचित नहीं रह सकता था और प्रत्येक काश्तकार गरीबी की रेखा से ऊंचा उठ जाता । पिछले वर्षों में सरकार ने कई लाभान्वित योजनाएं बनायी हैं परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं एक भी लाभान्वित योजना नहीं बनायी गयी है । जबकि निम्नलिखित स्थानों पर लाभान्वित योजना बनाई जा सकती थी । जैसे, हींगा, डाबेटी, गुरायता, पाटोन, बमोरी, मनोहरपुरा और तहसील अटरू तथा परबन नदी पर हीकडदड तहसील, बारां में योजनाएं बना कर काफी काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सकता था । मान्यवर यहां तक ही नहीं 5–6 वर्ष पहले बडोरा एनीकट के नाम से एक स्कीम थी और उसको एन.आर.ई.पी. के तहत 5–6 लाख रुपया खर्च किया था परन्तु उस योजना पर 5–6 लाख रुपये खर्च करने के बाद बन्द कर दिया गया और सरकार का वह 5–6 लाख रुपया बेकार गया और उस योजना को पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया । इस योजना को इस एनीकट की स्कीम को पुनः आरम्भ करें और ऊपर जो बताये थे उनको सरकार सर्वे कराकर वहां पर लिफ्ट योजना बनाने का कार्य करे तो मेरे क्षेत्र के किसान काफी खुशहाल हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम चौधरी.... (अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास ।

जोधपुर में परम्परागत जल स्रोतों के रख-रखाव के बारे में

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जलदाय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं जोधपुर के परम्परागत जल स्रोतों के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

रख-रखाव की व्यवस्था करने हेतु निवेदन है।

जोधपुर के 200–300 वर्ष पुराने परम्परागत जल स्रोत विश्व में अनूठे हैं। तकनीकी एवं शिल्पकला की दृष्टि से भी ये बेजोड़ हैं। गत वर्ष की अप्रत्याशित वर्षा (कोई 47 इंच) के पानी को भी इन जल स्रोतों ने अपने अन्दर समाया। आज शहर को दिये जाने वाले पानी का सम्पूर्ण भण्डारण ये स्रोत कर रहे हैं। शहर में व आसपास कोई 75 सतही पानी के स्रोत हैं जिनमें नाड़ी, तालाब, टैंक, झीलें एवं झरने हैं। इसी प्रकार कोई 154 भूजल स्रोत हैं जिनमें कुए बावडियें एवं झालरें हैं। इन सभी की उपयोगिता इसी से आंकी जा सकती है कि कोई 23 कुओं एवं 11 बावड़ियों से शहर को जल आपूर्ति की जाती रही है जो शहर की आवश्यकता का 7 प्रतिशत है। नहाने, धोने, पशुओं के लिये तथा शहर के आसपास खेती-बाड़ी, सब्जी एवं फल-फूलों के पेड़ों को ये परम्परागत स्रोत पानी प्रदान करते रहे हैं। दुर्भाग्य से आधे से अधिक इन स्रोतों की हालत खस्ता है तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्रों व नहरों का तीव्र गति से विनाश हो रहा है।

चूंकि आने वाले कुछ वर्षों में भी शहर को लिफ्ट कैनाल से पानी प्राप्त नहीं होगा इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इनके रख-रखाव पर ध्यान दें। इस कार्य हेतु तत्काल कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे :—

1. इन जल स्रोतों को राज्य सरकार का कोई विभाग जैसे सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग अथवा जन निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर इसको:इन स्रोतों की देखरेख का जिम्मा दिया जाय।

2. नहरों में खोले गए गटर लाइनों को तत्काल बन्द किया जाय तथा नहरों की मरम्मत की जाय।

3. शहर में सन् 1988–89 में फैले पीलिये को ध्यान में रखते हुए सभी जल स्रोतों में उपलब्ध पानी का समय समय पर परीक्षण कर इसकी जानकारी जनता को दी जाय।

4. उपरोक्त कार्यों हेतु कुछ राशि का प्रावधान किया जाय तो जन स्वास्थ्य विभाग (पी.एच.ई.डी.) के वार्षिक बजट का कम से कम 5 प्रतिशत हो।

5. इन कार्यों के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की भागीदारी हो। ये लोग भी आम जनता की भागीदारी से इन स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण दवे।

विवेकानन्द विद्यापीठ को मान्यता न देने सम्बन्धी

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सोजत उप खण्ड मुख्यालय की विवेकानन्द विद्या पीठ शिक्षण संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाली द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने के संबंध में।

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

पाली जिले के सोजत उप खण्ड मुख्यालय पर विवेकानन्द विद्यापीठ संस्थान द्वारा पिछले पांच वर्षों से विवेकानन्द विद्यावाड़ी नामक प्राथमिक विद्यालय, का निजी शिक्षण संस्थान के रूप में संचालन किया जा रहा है। सोजत सिटी के अतिरिक्त सोजतरोड़, बगड़ीनगर में भी विद्याबाड़ी की शाखा स्थापित की गई है एवं कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी शाखाएं स्थापित करने की योजना संस्थान के विचाराधीन है पीठ संस्थान राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत पंजीकृत शैक्षिक इकाई है।

विद्यापीठ संस्थान के सचिव ने 17/2/88 को जिला शिक्षा अधिकारी, पाली को स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र दिया था लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा बीस माह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अप्रेल माह से विद्याबाड़ी की परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं और विद्याबाड़ी परिवार इन मासूम निर्दोष बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर रूप से आंतकित, आंशकित भयभीत एवं मानसिक रूप से संत्रस्त है।

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिये थे लेकिन शिक्षा अधिकारी ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया।

विवेकानन्द विद्यापीठ संस्थान द्वारा स्कूलों की मान्यता के लिये आवेदन करने के बाद इन तीन वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी ने छः विद्यालयों को सहज रूप से मान्यता प्रदान की। मान्यता देने के लिये इन संस्थाओं से जिला अधिकारी, पाली ने एक मोटी रकम बतौर रिश्वत वसूल की। इसी प्रकार इस विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से अध्यापकों के यात्रा भत्ता एवं भविष्य निधि बिलों के भुगतान से लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिलाने तक के कार्य करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों से मोटी रकम बतौर रिश्वत वसूल की है। जिला शिक्षा अधिकारी, पाली का कार्यालय रिश्वतखोरी की शरणस्थली एवं भ्रष्टाचार के अड्डे की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अतः शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करावें एवं विवेकानन्द विद्यापीठ संस्थान को मान्यता प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

निजी बस मालिकों द्वारा लूट

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव नियम 295 के तहत प्रस्ताव के अन्तर्गत अधिकारियों से मिली भगत करके निजी बस मालिकों द्वारा प्रतिदिन हजारों लोगों को परेशान करने और हजारों रुपए की लूट करने का जो षडयंत्र है उसकी उचित कार्यवाही हो इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कोटा से लाखेरी, इन्द्रगढ़, कापरेन, खटकड़ एवं गण्डोली आदि मार्गों पर निजी बस मालिकों द्वारा जो बसें चलाई

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जा रही हैं उनके द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर पिछले कई महीनों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। बूंदी से केशोरायपाटन 40 कि.मी. का किराया सरकारी बसें 6 रु. लेती हैं परन्तु केशोरायपाटन से कोटा 35 कि.मी. निजी बस मालिक 8 रु. ले रहे हैं। सीटें टूट रही हैं। जहां मर्जी हो पटक देते हैं। कहीं भी खराब हो जाती हैं। कोटा से कापरेन 35 कि.मी. 3 घण्टे का समय यह बसें लेती हैं। इस प्रकार जनता से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। समय बरबाद किया जा रहा है एवं भयंकर जोखिम से सफर करना पड़ता है। कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं जिसके जिम्मेदार ये बस मालिक हैं। मैंने इस अव्यवस्था की ओर परिवहन अधिकारियों एवं स्थानीय जिला स्तर के अधिकारियों का ध्यान पत्र लिखकर दिलाया और निवेदन किया कि यह लूट एवं मनमानी बन्द की जावे एवं बसों की स्थिति सुधारी जावे तो बहुत दुख के साथ कहना है कि मेरे पत्र दिनांक 30.11.90 का उत्तर एक माह बाद दिनांक 29.12.90 को दिया जिसमें लिखा कि कोटा, लाखेरी, इन्द्रगढ़, खटकड़ मार्ग पर जो वाहन संचालित की जा रही है उसकी हालत खराब है तथा वाहन स्वामियों द्वारा अधिक किराया वसलने की जांच कार्यालय के परिवहन निरीक्षक से करवायी जा रही है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही से आपको अवगत करा दिया जायेगा। मात्र इतना सा कहकर अपनी इतिश्री कर ली है।

इसी प्रकार से अधिकारी जवाब देकर समस्या स्वयं पैदा कर रहे हैं। जिससे बस मालिक अत्यन्त ही बेकार वाहन चला रहे हैं एवं मनमानी कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि निम्न बसों को परमिट एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र कब एवं किसी अधिकारी द्वारा दिया गया। मेवाड़ा बस सर्विस आर.एन.ओ. 6521, मसूद सब सर्विस आई.वाई. जी, 9301' मेवाड़ा बस आर.पी.एम. 3361 मनोहर बस आर.जे.पी. 9464 रामेश्वर बस सर्विस आर.एस.ओ. 2880। अतः मैं इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार जनता के जीवन से खिलवाड़ करने एवं समय सुविधा की अव्यवस्था से परेशान करने वालों के साथ उचित कार्यवाही की जावे। खराब एवं बेकार वाहनों के परमिट खारिज किये जावें।

इसमें लिखा है वह आपकी आज्ञा से जो दस्तावेज हैं, जो लिखा पढ़ी की है मैं वह सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये वाले पत्र प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि।

श्री कालूलाल गुर्जर, खनिज राज्य मंत्री।

श्री कालूलाल गुर्जर (राज्य मंत्री, खनिज) :-उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक

(श्री कालूलाल गुर्जर)

प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89, एवं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मारबल्स लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89 को सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम गोविन्दपुरा थाना शाहपुरा में श्रीमती प्रेमदेवी की हत्या

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती तारा भण्डारी, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्री चम्पा लाल बांठिया।

श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम गोविन्दपुरा में श्रीमती प्रेम देवी को दिनांक 25-2-91 को उसके ससुराल वालों ने मार डाला। उन लोगों ने उसे मारकर कमरे में बन्द कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दें। इसका आ जाय उसके बाद उचित रहेगा कि तथ्य सामने आयें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 27-2-91 को श्री भीमाराम जाट निवासी गोविन्दपुरा ने थाना शाहपुरा जिला जयपुर पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि प्रेम देवी पत्नी रिछपाल जाट दिनांक 25-2-91 को अपने पीहर से आयी थी। उसने तभी से अपने कमरे में सांकल लगा रखी है तथा आवाज देने पर भी नहीं बोलती है। इस इत्तला पर थानाधिकारी शाहपुरा मौके पर पहुंचे और देखा तो कमरे के अन्दर से सांकल लगी हुई थी। थानाधिकारी द्वारा गांव के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में कमरे के किवाड़ देहरी हटवा कर उतरवाई गई। वह कमरा खोला तो अन्दर प्रेमदेवी मृतावस्था में पाई गई। थानाधिकारी द्वारा मृतका का पंचनामा मन्सूख किया गया। इसी दौरान मौके पर मृतका प्रेम देवी के पिता श्री रामदेव पुत्र जूसा जाट निवासी दादर वालों की ढाणी, रानीपुरा भी आ गये जिन्होंने वहां उपस्थित थानाधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट पेश की व अपनी लड़की की मौत में ससुराल वालों पर हत्या का सन्देह प्रकट किया जिस पर मुकदमा नम्बर 66/91 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 27-2-91 को अपराध दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष थी तथा उसकी शादी करीब 17-18 वर्ष पूर्व हुई थी तथा मृतका के कोई सन्तान नहीं हुई थी। मृतक प्रेमदेवी की लाश का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। मेडिकल बोर्ड ने मृत्यु बाबत स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है तथा मृतका का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पायेगा। प्रकरण की तफतीश जारी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सही नहीं हैं। मृतका प्रेम देवी को हमेशा ही मारा पीटा जाता था, यातनाएं दी जाती थीं और नित्य नये दहेज के हिसाब से मांगें की जाती थी। उसको मार मारकर पीहर भेज दिया जाता था। मृतका का पिता रामदेव एक गरीब व्यक्ति था लेकिन अपनी बेटी के सुख के लिये वह अपने बच्चों का पेट काटकर भी उनकी मांग पूरी करता रहा। परन्तु मांग करने वालों की कोई सीमा नहीं थी। वे निरन्तर उसे मारते पीटते रहे और एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया। मृतका प्रेम देवी परेशान होकर अपने पिता के घर गई और वह वहां पर ही थी; इसी बीच मृतका के पति रिछपाल ने अपनी शादी ठिकरिया गांव तहसील रींगस जिला सीकर के श्री गोविन्द राम गठवाल के यहां दूसरी शादी कर ली, बिना लड़की को किसी प्रकार का तलाक दिये या किसी प्रकार की समाज को इत्तला दिये। जब लड़की के पिता को इस दूसरी शादी का पता चला तो उसने अपनी बिरादरी की पंचायत जोड़ी। उस पंचायत में, उपाध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों ने भाग लिया और पंचायत के लोगों ने यह तय किया कि इस रिछपाल ने दूसरी शादी लड़की को बिना गुनाह बताये या लड़की में कोई दोष-कमी बताये हुए की है, इसलिये उसको दण्डित किया जाना चाहिये। इसके दण्डस्वरूप समाज से उसका बहिष्कार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक बहिष्कार से डरकर रिछपाल और उसके घर वालों ने उस मृतका प्रेम देवी को वापस अपने यहां लाने का प्लान बनाया। लड़की के माता-पिता से बातचीत की और मैं जानती हूं कि लड़की के माता पिता अपनी लड़की के सुख के लिये कितने सहृदय हो जाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के सुख के लिये पीछे की सारी बातों को भुलाकर लड़की को पुनः ससुराल भेजने की बात मानी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वहां भी उसको ससुराल वापस बुलाने से पहले उसने कहा कि 10 हजार रुपया मेरा खर्च हो गया है मेरी पहले वाली शादी में। जो मैंने छिपकर की उसमें मेरे 10 हजार रुपये खर्च हो गये हैं। अगर यह 10 हजार रुपया आप दें तो मैं आपकी बेटी को ले जाता हूं। लड़की के मां-बाप ने वह 10 हजार रुपया जुटाया और प्रेम देवी को वापस ससुराल भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि लड़की के अपनी ससुराल जाने के बाद एक वर्ष भी नहीं बीता और उसके साथ फिर वही मारपीट शुरू हो गई, वही यातनाएं शुरू हो गई और 25-2 को उसको मारकर और कमरे में बन्द कर दिया। हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। कमरे में जो चीजें पड़ी हुई थी, खाट या जो भी ताम्बे के तार, उससे स्पष्ट दीख रहा था कि लड़की को मारने के बाद कमरे में बन्द किया है और बाहर से अन्दर की आंगल को बन्द किया गया है। लड़की के पीहर वालों ने एस. एच. ओ. तथा सी.ओ. कोटपूतली को यह बात बताई कि कमरे में जो लड़की बन्द थी, वह मारने के बाद बन्द की गई है और यह आंगल इस प्रकार से बाहर से अन्दर की तरफ बन्द हो सकती है। उन्होंने उस आंगल को सबके सामने बाहर से खड़े हुए अन्दर बन्द करके बताई।

यह स्पष्ट हत्या का मामला है और तथ्यों को छिपाया जा रहा है। हत्या करने

(श्रीमती तारा भण्डारी)

वालों द्वारा तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में ढील बरतते हुए हत्यारों को साक्ष्य मिटाने के लिये प्रेरित कर रही है। श्रीमती प्रेम देवी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करना यह स्पष्ट ही झलकाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल भी है कि क्या इस सारे प्रकरण से आपको यह महसूस नहीं हुआ कि श्रीमती प्रेम देवी को मारकर हत्यारा रिछपाल अपनी दूसरी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ाना चाहता था ? मैं भी एक महिला हूं। लड़कियों की मां भी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लड़कियों के साथ निरन्तर ही दहेज हत्या के मामले बनते जा रहे है। इसी प्रकार पुलिस की मिलीभगत से लीपापोती होती है। मैं यह मांग करती हूं कि हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और इस सारे प्रकरण की जांच सी. बी. आई. को दी जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कुछ पूछना चाहती है ? पहले प्रस्तावकर्ता दे दें। पहले वह कह लें, प्रस्ताव है उनका। बाद में समय मिलेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस ने 302 में हत्या का मामला ही दर्ज किया, तो अभी तक उस हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा ? इस बात का मेरा पुलिस के ऊपर स्पष्ट आरोप है कि पुलिस द्वारा मिलीभगत से उस हत्यारे रिछपाल सिह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज तक यही देखने में आया है जब कभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, दहेज के लिए अत्याचार होते हैं, पुलिस आज तक उनको रोकने में नाकामयाब हुई हैं। आज भी मैं यह दावा करना चाहती हूं। मैं महिलाओं के मामले में विशेष रुचि लेती हूं, मैं स्वयं भी महिला हूं और मेरे भी लड़कियां हैं। मुझे मालूम है कि लड़कियों का दुःख कैसा होता है। अगर लड़की तकलीफ में होती है, मारवाड़ी में कहावत हैं :—जाई जीने जमारो हरो। अगर लड़की सोरी है, तो मां बाप सोरा है। मगर इस पूरे प्रकरण के अन्दर पुलिस ने ऐसा साबित नहीं किया है कि लड़कियों के साथ अत्याचार क्यों होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहती हूं आप रिकार्ड उठाकर देखिये कि यह केस होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये और 27.2.91 को यह केस दर्ज हुआ और इतने दिनों के अन्दर भी हत्यारे को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है। मुझे एक बात का गर्व भी है कि मैं एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं। मगर अब पहले जैसी पुलिस नहीं रही। पहले महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार पुलिस करती थी, अब वह पुलिस नहीं रही। मैं पुलिस आफिसर की लड़की होने के नाते कहती हूं कि पहले वह जमाना था, जब पहले महिला आती तो उनकी सुनवाई होती, आज वह पुलिस है जो महिलाओं के साथ अत्याचार में खुद भागीदार है, महिलाओं के साथ अत्याचार करने में भी पुलिस भागीदार बनती है। हम सत्ता-पक्ष के होते हुए भी यह कहना चाहेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को इसके लिए बाध्य करें कि महिलाओं के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वह उस पर अविलम्ब रोक लगाये। मैं तो यहां तक भी कहूंगी कि विधान सभा के अन्दर भी एक ऐसा प्रस्ताव आना चाहिये कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर तुरन्त रोक लगाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगी कि यह तो हत्या का मामला है, महिलाओं के खुले चित्र सिनेमा हाल के बाहर लगते हैं, उनको भी पुलिस रोक नहीं सकती है, तो वह महिलाओं के अत्याचारों को क्या रोकेगी इसलिए इसका तो विधान सभा के अन्दर एक प्रस्ताव आना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर से यह देखने में आया है कि पुलिस हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास करती है और इस मामले में भी वही प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है। यह मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है। माननीय मंत्री महोदय बिंसरे का इन्तजार कर रहे हैं कि वह कब आयेगा, लेकिन पिछले 17 सालों में उसको कितना परेशान किया गया यह उसके गली–मौहल्ले वाले, उसके आस–पड़ौस के लोग, उसके मां-बाप, सब बता चुके हैं पुलिस को, निश्चित रूप से उसको तो आजन्म कारावास नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिये, ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिये। आप इन सारे सबूतों, तथ्यों को सामने रखते हुए यह हत्या का मामला है, उसको सजा मिले, इसकी ताईद करें और यह नहीं कि उसको आत्महत्या के कारण से छूट मिल जाये और आज ही इस तरह के मामलों को बढ़ावा मिले कि पैसा भी ले लो, लड़की को मार भी दो, दूसरी शादी कर लो। कहीं कानून नहीं और कहीं के लिए कानून होगा, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा लगता है कोई कानून नहीं है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि इस मामले में आप खास तौर से फाइल मंगाकर देखिये, सारे मामले में रुचि लेकर देखिये और एक ऐसे व्यक्ति को तैनात कीजिए कि जो इस सारे मामले को निकाले। उन्होंने कहा कि अन्दर से सांकल कैसे बंद थी, आप सबको मालूम है पुराने जमाने के मकानों में इस तरह की आगल लगती है जो बाहर से भी खोली जा सकती है, अन्दर बंद करके बाहर से,, बंद भी की जा सकती है, उसी तरह की वह आंगल थी और उन्होंने उसको डिमोस्ट्रेशन करके बताया कि देखिये इस तरह खुली और ऐसे लाश पटकी, मारकर और इस तरह से यह बाहर निकल आये, तो पुलिस को और क्या चाहिये, कितने सबूत चाहिये ? मैं कहना चाहूंगी कि यह मामले जो महिलाओं के हैं, उनको स्पेशली आप देखें और इस मामले में तो उसको मौत की सजा दिलवायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने दल के विचार एक–दो मिनट व्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संजीदा मामला है और इसी प्रकार से पाली की वर्षा जैन का मामला है। एक मामले में, पाली के मामले को तो आपने सी. बी. आई. में मंगा लिया, एस. पी. अच्छी खासी जांच कर रहा था, आपने राजनीतिक दबाव में आकर यहां पर मंगा लिया। यह दोनों जुड़े हुए मामले हैं, वर्षा जैन का मामला है। आपने पोलिटिकल प्रेशर में आकर यहां मंगा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लिया। अच्छी खासी जांच चल रही थी वहां पर, आज मारे-मारे फिर रहे हैं, विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल हो रही है, लोग धरना दे रहे हैं, तो यह सब जो चीजें हैं, मैं तो गृहमंत्रीजी आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि दहेज हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप नीचे के स्तर पर, पहले भी यह मामले होते थे, अपने मेडिकल बोर्ड में कह दिया कि एक महिला डाक्टर का होना भी आवश्यक है, चलिये वह भी हुआ, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इस मामले के अन्दर कोई डेडीकेटेड, निष्ठावान अफसर यहां लगायें। अब नीचे के लेवल पर आप एस. एच. ओ. से तो उम्मीद कर नहीं सकते, मैं हर एस. एच. ओ. के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर एस.एच.ओ. जो इन प्लान्ड वे के अन्दर हैं, अभी मुझे एक माननीय सदस्य बता रहे थे, जो इस मामले से संबंधित हैं, जिसके ऊपर श्रीमती व्यास ने और श्रीमती तारा भण्डारी ने कहा कि सही मामला है, इसको दबाया जा रहा है। एस. पी. कहते हैं कि एस. एच. ओ. मेरी सुनता नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि एस. पी. यह कहे कि एस. एच. ओ मेरी सुनता नहीं है। इससे ज्यादा लज्जास्पद स्थिति क्या हो सकती है ? तो इस सारे मामले के अन्दर मैं निवेदन करूंगा, हालांकि मुझे तथ्य मालूम नहीं हैं लेकिन जो कुछ सुना है, उसके अन्दाज से कहता हूं, आप दो सीनियर आफिसर को लगा दीजिये, पूरी फाइल देख डालेंगे कि है क्या दोनों मामलों के अन्दर दोनों मामलों का फैसला हो जाये, आप लगा दीजिये, एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दे दीजिए, महीना, 15 दिन, 10 दिन में इसके ऊपर निर्णय हो जाये, क्योंकि हर मामले की जांच आप सी. बी. आई. को दे नहीं सकते। आखिर कारण क्या है कि लोगों का आपकी पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है और सी. बी. आई. की मांग कर रहे हैं, हर मामले के अन्दर वहां आप भेज नहीं सकते। लेकिन इतना निश्चित है कि आपकी पुलिस हैड क्वार्टर के अन्दर भी आज कई योग्य अफसर हैं, कानून को समझने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं उन अफसरों को लगा देते हैं, दो अफसर आपको तफ्तीश करके बता देंगे निर्णय लेकर। जो करना है, तुरन्त आप फैसला कर डालिये, दोनों मामलों के अन्दर। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अन्दर पुलिस की लापरवाही रही है, पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा सकता है। जब वहां 60, 70, 80 लोग मौजूद थे, उन सबके सामने लड़की के माता-पिता, चाचाओं ने यह स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया कि किस प्रकार से बाहर से अन्दर की आगल लगाई गई है और जो चीजें वहां पर उपलब्ध हैं, उनसे साफ जाहिर है कि लड़की को बाहर कहीं और मारा गया है और मारने के पश्चात वहां पर लाकर रखा गया है और जब उनके द्वारा यह निवेदन किया गया कि जिस डाक्टर से आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं, यह लड़की के ससुराल पक्ष से मिला हुआ है। उनके बहुत ज्यादा जोर देने के बाद बोर्ड बैठाकर पोस्टमार्टम कराया गया।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

क्या इन सारी चीजों से यह साफ जाहिर नहीं होता कि पुलिस की मंशा में वहां पर गड़बड़ी है ? यह ऐसे मामले हैं, जिसमें बहुत कठोरता से काम करने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां राजस्थान में जो बढ़ रही हैं, वह बहुत घातक हैं। इसके अन्दर आप बहुत सख्त कदम उठायें और जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पायें जायें, उनके विरुद्ध आप कठोर से कठोर कार्यवाही करें। यह जब 25 साल की लड़की थी और जब इसके कोई औलाद नहीं है, जब इस प्रकार का कानून है कि तुरन्त उनको गिरफ्तार किया जाये, उनकी जमानत नहीं होती इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये थी, लेकिन उल्टे पुलिस ने लड़के पक्ष की मदद की और लड़की पक्ष को इन्होंने दुत्कार दिया। और तो और लड़की के पिता को जबरन मजबूर करके कहीं दूर ले जाकर बयान लिये गये और उससे जबरदस्ती अंगूठा और साइन कराये गये, क्या यह बात सही है ? अगर यह बात सही है तो निश्चित रूप से पुलिस इसके अन्दर मिली हुई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मामला बहुत गम्भीर है और इसके अन्दर जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिये और पुलिस की मिली भगत को भी नहीं बख्शा जाना चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्षजी मैं भी....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप क्या बोलेंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, स्पेशल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको जानकारी है इस विषय की ?

श्री परसादीलाल मीणा : हां, बिल्कुल।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय गृह मंत्रीजी, आपस में इस प्रकार की बातें हुई, महिलाओं का मामला है और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि आप किसी महिला पुलिस अधिकारी को इसमें अपाइण्ट कर दीजिये, जिससे इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। जयपुर जिले के ग्रामीण के जो एस. पी. हैं उन पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, वह जांच नहीं कर सकते, न वह गिरफ्तार कर सकते, आप किसी महिला पुलिस अधिकारी को अपाइण्ट कर दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इनका प्रश्न आ जाने दीजिये। एक प्रश्न आप भी कर लीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके की वारदात वास्तव में बहुत गम्भीर मामला है; मेरा ऐसा मानना है। उक्त केस के तथ्य यहां माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब प्रारम्भ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

में इस तरीके की शुरुआत होती है, लड़की के पेरेण्ट्स इस तरीके की रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लड़की के साथ मारपीट की जा रही है, उसको यातनायें दी जा रही हैं या उससे लोभ-लालचवश कोई पैसा मांगा जा रहा है उस समय उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, उसे गम्भीरता से नहीं लेते । उसका परिणाम यह निकलता है कि उसकी परिणति आखिरकार आगे जाकर उसकी हत्या में होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न ही कर रहा हूं। गम्भीर मामला है इसी से जुड़ा हुआ है, शुरुआत इसी से है। उक्त केस में भी जैसा कि यहां बताया गया कि उसने दूसरी शादी कर ली। जब उसको लाकर मनाने का प्रयास किया गया उस वक्त अगर पुलिस कार्यवाही करती कि तू काहे के दस हजार रुपये लेता है, तेरा दूसरी शादी करना ही अपराध था, तूने दूसरी शादी कैसे की, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की गई उल्टे दस हजार रुपये दिलवाये गये उसके फादर से। उसी का परिणाम था कि हत्या तक जाकर मुकदमा बना। मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी क्या कोई ऐसा सेल राजस्थान में कायम करने जा रहे हैं, जो इस तरीके की प्रारम्भिक शिकायतें मिलें तो उनको गम्भीरता से लेकर उनकी छानबीन करें ताकि आगे इस तरीके की वारदात नहीं हो सके, उस पर नियन्त्रण हो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय सदस्य तारा जी ने और व्यास जी ने गृह मंत्रीजी को जिस प्रकार की जानकारी दी है कि इस प्रकार के दहेज के मुकदमे 498 (ए) के तहत होते हैं, महिलाओं की हत्याएं उनके ससुराल वालों द्वारा होती हैं। ससुराल पक्ष वहां का रहने वाला होने के कारण पीहर वालों को एवीडेंस उपलब्ध नहीं होती है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 498 के दहेज प्रथा के मामलों में उस गांव का रहने वाला नहीं होने के कारण सर्कमस्टांसेज एवीडेंस या दूसरी एवीडेंस उपलब्ध नहीं होने पर आप ऐसी एवीडेंस तलब कीजिये कि दोषी व्यक्ति पनिश हो। इसी प्रकार पाली जिले के धनला ग्राम में 1. 12. 1990 को वर्षा नाम की महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इस मामले को आत्महत्या का मामला बनाया गया। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दहेज प्रथा के कारण महिलाओं पर दबाव डालकर बराबर मांग की जाती है, उसके कारण महिलाएं मजबूर होती हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी जाती हैं। ऐसे हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय और सर्कमस्टांसेज एवीडेंस कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, यह मेरी मांग है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस प्रकरण के ऊपर जो चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित रूप

(श्री दिग्विजय सिंह)

से मैं कह सकता हूं कि यह वाकई चिन्ता का विषय है। आपने मेरे स्टेटमैण्ट को अगर पढ़ा हो तो मैंने अपने स्टेटमैण्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या आत्महत्या के रूप में दर्ज किया जा रहा है। मैंने स्पष्ट कहा है कि सारे प्रकरण की तफ्तीश चल रही है इसलिए यह अभी से कयास कर लेना या ऐसा अन्दाजा लगा लेना कि आत्महत्या में इसे कन्वर्ट किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त कर सकता हूं''''

श्री हेतराम बेनीवाल : स्पष्ट हत्या न कहना भी चिन्ता का विषय है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो तथ्य आपने बतलाये, जिन तथ्यों को माननीय सदस्यों ने रखा, तारा भण्डारी जी फर्मा रही थीं जैसा कि शादी होने के बाद उसे काफी यातनाएं दी जाती रही थीं, उसको परेशान किया जा रहा था। ऐसे तथ्य उसके पिता ने जो एफ. आई.आर. दर्ज करायी है उसके अन्दर कहीं भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना-सा कहा है कि, उन्होंने लिखा है, प्रेम देवी की मृत्यु हो गयी है तथा मौके पर पुलिस मौजूद थी। मेरे को अंदाशा है कि रिछपाल वल्द रामदीन वल्द बाल लुहार पत्नी रामदेवी, निवासी राणी... चपरासी निवासी.... ने मिलकर प्रेम देवी की हत्या की है। उन्होंने कुछ भी इस बात का अपनी एफ.आई. आर. में नहीं कहा है कि उसको उसके ससुराल वाले तंग करते रहे थे, परेशान करते रहे थे। पर मैं उस विवाद में फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हो सकता है कि आपके पास में विशेष जानकारी हो कि उसके ससुराल वाले उसको तंग करते थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई होता तो निश्चित रूप से उसके पिता भी अपनी एफ. आई. आर. के अन्दर उसका कुछ न कुछ उल्लेख करते। जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का सवाल है कि जब 302 का मुकदमा दर्ज हो गया तो 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद निश्चित रूप से थानाधिकारी को तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए थी। वह स्वयं जब इस बात को मानता है कि उस थानाधिकारी ने ढिलाई की है। उसको प्रोम्प्ट काम करना चाहिए था, उसको इस बात के लिए इन्तजार नहीं करना चाहिए था कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट या उसकी विसरा रिपोर्ट कब तक आयेगी। विसरा रिपोर्ट तो अब तक आयी नहीं है। जो मेडिकल टीम थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गृह मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि आपका डी.एस. पी. उन मुलजिमों को जीप में लेकर साथ घूमता है।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट की जो ओपीनियन आयी है उसके अन्दर भी इसको कहीं-कहीं कहा गया है कि इसको स्ट्रैंग्युलेशन से या किस प्रकार से मारा गया है। पर यह जरूर है कि ये सब के सब तथ्य विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे कि इसके अन्दर हत्या हुई है या सुसाइड हुई है। यह स्पष्ट नहीं है। तीन आदमियों की जो मेडिकल टीम बैठी थी उस रिपोर्ट के अन्दर भी इस बात का कोई नहीं है। उन्होंने यही कहा कि विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो बात कही है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

"In our opinion the probable cause of death of deceased is shock & asphyxia. There is strong possibility of convulsive attack just before death."

यह उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए बात कही है। पर फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस बात की चर्चा यहां माननीय सदस्यों ने की है, यह सही है कि वहां के अधिकारियों ने इस सारे मामले को जिस प्रकार हैण्डल किया है वह सही तरीके से नहीं किया है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि मैं इसकी स्वस्थ इन्क्वायरी सी. आई. डी. को सौंपता हूं कि उसके माध्यम से इसकी जांच करायें और उस थाना प्रभारी अधिकारी को तुरन्त वहां से हटा दिया जायेगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह कोई मापदण्ड नहीं है कि उस थानाधिकारी को हटा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका प्रस्ताव है पहले।

श्री हीरासिंह चौहान : उसने कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं की, ऐसे अधिकारी का आप केवल ट्रांसफर कर रहे हैं ? ही शुड बी पैनलाइज्ड।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस बारे में सही जानकारी क्या है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी को देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : हटाना कोई बात नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : 302 में दर्ज किया है उसको गिरफ्तार करने में कहां आपत्ति आ रही है ? उसको गिरफ्तार करने से इस सारे मामले की जानकारी मिल जायेगी। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के साथ पाली जिले के धनला ग्राम में वर्षा नाम की महिला की हत्या की गयी और उसको आत्महत्या का रूप देकर....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने साफ कहा है कि आत्महत्या का रूप नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

मैंने स्वयं कहा है कि कोई आत्महत्या का नहीं हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : वह दूसरे केस की बात कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....

श्री उपाध्यक्ष : जिनका प्रस्ताव है पहले उनको शंका दूर कर लेने दीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुझे इस बारे में सही जानकारी है, उनको भी मदद मिलेगी और माननीय गृह मंत्रीजी को भी मदद मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी तक गृह मंत्रीजी को वह जानकारी दी क्यों नहीं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : किस बारे में ?

श्री उपाध्यक्ष : जब आपको जानकारी थी। इतना गम्भीर मामला है, सदन के बाहर भी दे देते।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अब दे रहा हूं मैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगा कि कुन्दा बन्द बताया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उस किंवाड़ में एक ऐसा छेद था जिसमें तार से आराम से उसको खोला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आ गयी पहले।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दूसरा, इस लड़के ने पूर्व में शादी की है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात भी आ गयी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तीसरा, डी.एस.पी., शाहपुरा उन मुलजिमों को मुतवातिर रोजाना जीप में बैठाकर घुमाते हैं। 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है....

श्री दिग्विजय सिंह : सी.आई.डी. पूरी जांच कर लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जांच ही ले ली है उन से।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : और मुझे तो यह भी शंका है, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय के क्षेत्र का यह मामला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दबाव से इस मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : बिल्कुल नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैंने आपको भी कहा है, मैंने पुलिस अधिकारियों को भी कहा है और सारी बातें जानकारी में लाने के बाद जब डी.आई.एस.पी. ने ऐसा हस्तक्षेप किया, उसको पहले निलम्बित किया जाय और उसके बाद में सी.आई.डी. को दिया जाय और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी शंकाओं का निवारण नहीं हुआ ?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन दहेज के मामले को लेकर महिलाओं की हत्यायें की जाती हैं, उन्हें प्रताड़ना दी जाती है। अभी-अभी मामला उठा पाली जिले की धनला निवासी श्रीमती वर्षा जैन का, इसी प्रकार से सोड़ाला की अलका शर्मा हो, चाहे गंगापुर सिटी की प्रवेश हो, और चाहे कोई भी लड़की हो, आये दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं कि फलानी जगह फलानी महिला की हत्या कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह होता है कि साहब यह तो आत्महत्या करके मर गई। मेरा सवाल यह है कि गृह मंत्री महोदय ने बताया कि श्रीमती प्रेम देवी के पिताजी ने एफ. आई. आर. में कुछ नहीं लिखा। उपाध्यक्ष महो-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

दय, आप भी गांव से आते होंगे, मैं भी गांव से वास्ता रखती हूं, क्या गांव का आदमी इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि वह पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस को मौके पर लिखवा दे । वहं तो पुलिस को देखते ही डरते हैं यह तो उनकी बेटी की मौत हुई, पुलिस खुद संरक्षण दे रही है, डी.वाई.एस.पी. इस मामले को दबाना चाहता है....

श्री उपाध्यक्ष : उनसे ले लिया गया मामला, यह निर्णय ले लिया गया है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती प्रेमदेवी के हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाय, इस मुकदमे को सहज नहीं छोड़ा जाय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने बताया कि हम सी.आई.डी. को दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है, इसके लिये धन्यवाद भी देती हूं कि यह मामला सी.आई.डी. को सौंप रहे हैं लेकिन उससे पहले जो भी हत्या के आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री महावीर प्रसाद जैन । (व्यवधान)

डा. जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर पुलिस ने क्या निष्कर्ष निकाला, सुसाइड का निकाला या होमोसाइड का निकाला ?

श्री अमृतलाल : रिपोर्ट मिली है गलत मिलती है और केस को दबाया जा रहा है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट जो है उसको मैंने पढ़कर सुनाया है, उसके बाद में कहा है कि पुलिस अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही वह कह सकेगी कि क्या है । यह मैंने कहा है ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । क्या लड़की के पिता आपके पास आये और यह सारी बातें जो यहां पर कही गई हैं, उनको लिखकर आपको प्रार्थना-पत्र दिया है जिसके अन्दर लड़की को तंग करना, दहेज मांगना, पैसे देने का, मार-पीट करना, आपके पास उनका प्रार्थना-पत्र नहीं आया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोयय, रिपोर्ट में रिपोर्ट दर्ज होती है, सारी बातें बयानों में आती हैं और बयानों में सारी बातें उन्होंने कही हैं । मंत्री महोदय बयान देखें और बयानों से इस बात का निष्कर्ष निकालें....

श्री उपाध्यक्ष : सी.आई.डी. बयान लेगी ना ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मौके की रिपोर्ट का नक्शा क्यों नहीं बनाया गया ? पुलिस साथ ही मौके का नक्शा बनाती लेकिन मौके का नक्शा नहीं बनाया गया । पुलिस ने बातें छोड़ने की कोशिश की है, आत्महत्या में बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनको दण्डित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन ।

डा. जितेन्द्रसिंह : जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सफिसिया आ गया है, एक्सफिसिया का मतलब यह है कि सांस गति रुक जाने से मौत हुई है फिर विसरा रिपोर्ट की क्या आवश्यकता है ? या तो उसका गला घोंट कर मारा गया है या सुसाइड है। वह सांस रोक कर कैसे स्युसाइड कमिट करेगी यह लीडिंग पाइन्ट है कि उसको होमीसाइड है सुसाइड नहीं है। विसरा रिपोर्ट तो सैकण्डरी एग्जामिनेशन है। एक्सफिसिया का तो अर्थ ही यही है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो टैक्निकल एक्सपर्ट मैं नहीं हूं जितने डाक्टर साहब हैं लेकिन उसमें लिखा है कि---

There is strong possibility of convulsion.

कनवल्जिव अटेक उसका हुआ है, उससे भी उसकी सांस रुक सकती है।

श्री जितेन्द्र सिंह : एक्सफिसिया का अटैक हुआ है कन्वलशन तो स्वाभाविक है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि अब पुलिस ने इस मामले में 302 का मामला दर्ज करने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, मुलजिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अब सी. आई. डी. जांच करेगी तब तक के लिये उन मुलजिमों के लिये हमारे गृह मंत्री जो क्या व्यवस्था करना चाहते हैं और जिस पुलिस ने मामला रफा-दफा करना चाहा, जिन अधिकारियों ने इसमें लीपा-पोती करनी चाही उन अधिकारियों को गृह मंत्री जी महोदय दंडित करने का कोई प्रावधान रखेंगे अथवा नहीं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला सी. आई. डी. को दे दिया गया है। सी. आई. डी. दोनों आस्पैक्ट्स को देखेगी कि यह मर्डर हुआ है या मर्डर नहीं हुआ है। मर्डर हुआ है तो उसमें पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं की। यह दोनों चीजें सी. आई. डी. देख लेगी उसके बाद शिकायत क्या रहेगी। या आप यह चाहें तो आप नाम बता दीजिये कि किस पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं ? सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मर्डर का केस है, इसको रफा-दफा किया जाय। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि रफा-दफा किया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे और यदि मर्डर सिद्ध हो गया तो मर्डर को भी नहीं छोड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

निदेशक समाज कल्याण द्वारा पद का दुरुपयोग

श्री महावीर प्रसार जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय समाज कल्याण द्वारा संचालित बालिका सदन, गांधी नगर, जयपुर इसको जयपुर की प्राइवेट संस्था बालिका सदन जयपुर, सी स्कीम को स्थानान्तरित किया है और साथ ही विभाग द्वारा संचालित शिशु गृह, गांधी नगर जयपुर के बच्चों को बाल रश्मि सोसाइटी द्वारा सचालित स्वयंसेवी संस्था जो श्रीमती एलिस गर्ग द्वारा संचालित है, को स्थानान्तरित किया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये फिर मंत्रीजी की बात आ जायेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां उक्त दोनों संस्थायें समाज कल्याण विभाग द्वारा जो अविवाहित मातायें या परित्याज्य महिलायें या बालिकायें अपने बच्चे छोड़ जाती उन सबके लिये यह संस्था संचालित की जा रही है लेकिन पता नहीं किस भनक और सनक से हमारे यहां के निदेशक महोदय द्वारा इन दोनों संस्थाओं को प्राइवेट संस्थाओं में स्थानान्तरित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, ऐसे कौन से कारण उपस्थित हुए ? मैं समझता हूं कि जो संस्था 1970 से चल रही है, उस सरकारी संस्था से बहुत अच्छा इन्तजाम कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं कर सकती है। उस संस्था से लेकर कोई प्राइवेट संस्थान में बालक बालिकायें भेजी जायें, भगवान भरोसे, निराश्रित रहे, जो दबे हुए हैं सरकार की मंशा है कि ऐसे बालक बालिकाओं को पाल-पोस कर उनको समाज में अच्छा स्थान दिलाया जाय। पता नहीं ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण से उन्हें प्राईवेट संस्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया ? माननीय मंत्री महोदय और सरकार के सामने कौन से कारण उपस्थित हुये, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिये यह उनको सौंप दिये गये हैं ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से इस प्रकार के आदेश देने पड़े।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका-गृह गांधी नगर, जयपुर को जयपुर की प्राइवेट संस्था बालिका सदन, जयपुर सी-स्कीम को स्थानान्तरित कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 10-8-90 को विभाग द्वारा संचालित बालिका गृह जयपुर की 19 बालिकायें, उनको अग्रिम शिक्षा एवं विशेष प्रशिक्षण दिलवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित योग्य स्वयंसेवी संस्था बालिका सदन जयपुर, सी-स्कीम को स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश जारी करने की दिनांक 10-8-90 को बालिका गृह, जयपुर में 51 बालिकायें थीं जिनमें से 19 बालिकाओं को स्थानान्तरित किया गया। शेष बालिकायें यथावत बालिका गृह जयपुर में निवास कर रही हैं।

इसी प्रकार से राज्य संस्था को बन्द नहीं किया गया है बल्कि राजकीय संस्था में रहने वाली कुछ बालिकाओं को उनको अच्छा प्रशिक्षण एवं पढ़ाई कर समाज व्यवस्था तथा बाह्य समाज से सामंजस्य हेतु उक्त संस्था में स्थानान्तरित की गई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशु गृह जयपुर के बच्चे स्वयंसेवी संस्था बाल रश्मि सोसाइटी द्वारा संचालित किलकारी नामक संस्था को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये थे। उक्त संस्था भी राज्य सरकार द्वारा योग्य संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजकीय शिशु गृह जयपुर को बंद नहीं किया गया है। आज की तारीख में भी उस शिशुगृह में 18 बालक हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्षमता कितनी है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : शिशु गृह की क्षमता नहीं होती क्योंकि यह एक ऐसा शिशु गृह है जो बच्चों का यह पता नहीं होता कि वह किसके हैं। जब उनको पहुंचाया जाता है, बाहर एक ऐसी जगह बनी हुई है कोई भी सुबह या शाम उस बच्चे को वहां पहुंचा देता है। जब वहां बच्चा या कोई भी वेट रखते हैं तो बैल बजती है उस वक्त ग्राकर के उसको लेकर जाते हैं। कभी वह खाली भी रह सकता है कभी उसमें ज्यादा भी ग्रा सकते हैं। इसकी क्षमता का कोई प्र.रूप नहीं है।

यह सही नहीं है कि उक्त कार्यवाही निदेशक या किसी ग्रधिकारी द्वारा कुछ व्यक्तियों से साजिश करके लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की गई है। उक्त कार्यवाही बालिकाग्रों एवं शिशुग्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्रीजी को यह ध्यान है कि इस सदन में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करना ग्रौर तथ्यों को छिपाना ग्रपराध है। ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज की तारीफ में ग्राता है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सदस्य धमकाना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : धमकाना नहीं, यह प्रक्रिया तथा नियमों की किताब में लिखा हुग्रा है। यदि माननीय मंत्री जी ने पढ़ा हो तो मैं केवल उसका स्मरण कराना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रापने यह कहा है कि उनके ग्रच्छे प्रशिक्षण ग्रौर ग्रच्छी देख भाल के लिए उनको ट्रांसफर किया है। एक जगह तो ग्रापने यह कहा है कि 19 बालिकाग्रों को भेजा है, 51 बालिकाएं वहां पर थीं। तो ऐसे कौनसे मापदण्ड थे कि 19 बालिकाग्रों को तो किन किन को, किस कारण से भेजा गया क्योंकि मेरी जानकारी के ग्रनुसार यह जो ट्रांसफर ग्रार्डर थे वह ट्रांसफर ग्रार्डर दोनों संस्थाग्रों को ग्रौर पूरे के पूरे बच्चों को ट्रांसफर करने के थे ? क्या यह सही है कि इस प्राइवेट संस्था ने केवल 19 बालिकाग्रों को ही ग्रपनाया है, रखा है, छांट छांट कर ग्रपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए उन 19 बालिकाग्रों को छांट करके छात्रावास से ले गए हैं ?

ग्रापने एक जगह यह स्वीकार किया है कि जो वहां शिशु गृह है उसमें स्थानान्तरित कर दिया है। दूसरी जगह फिर ग्रापने कहा है कि 18 बच्चे ग्राज उसमें है। क्या यह सही है कि जो 18 बच्चे हैं वह स्थानान्तरित करने के बाद यहां पर ग्राए हैं ? इन दोनों संस्थाग्रों में राज्य सरकार का प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है ग्रौर इन प्राइवेट संस्थाग्रों को हम कितना ग्रनुदान देते हैं। पहले से इन प्राइवेट संस्थाग्रों में कितने छात्र ग्रौर कितने बालक हैं ग्रौर बालिकाएं हैं।

क्या सरकारी संस्थाग्रों से, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं उनमें बेहतर इन्तजाम है सरकारी के मुकाबले में ? वहां पर ग्रापने क्या निरीक्षण किया है ? ग्रापने यह कहा है कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि निदेशक महोदय ने किसी को लाभ पहुंचाने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की दृष्टि से किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन काम्पीटेंट थे, यदि निदेशक महोदय ने नहीं किया, आपने किया है, क्या इसको ट्रांसफर करने के लिए आपके कोई नियम कानून बने हुए हैं ? क्या इस निर्णय को मंत्री मण्डल में जाना चाहिए, केबिनेट की मीटिंग में जाना चाहिए ? वह केबीनेट की मीटिंग में नहीं गया। क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई ? एक महत्वपूर्ण समाज के दबे हुए लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को सरकार की जो उठाने की मंशा है, निराश्रित हैं, ऐसी जो अविवाहित माताएं, बालिकाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं, अपने आप रिंग बजती है और आपको उठाना पड़ता है ऐसे बच्चों के साथ इस प्रकार का क्रूर मजाक किया गया। उसके लिए कौन काम्पीटेंट था ? क्या मंत्री मण्डल काम्पीटेंट था ? क्या निदेशक महोदय थे क्या यहां के सचिव थे और क्या यह सब आपकी जानकारी में हुआ ? आपने क्या इसका निरीक्षण किय उस प्राइवेट संस्था का और सरकारी संस्था का ? यदि आपकी सरकारी संस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे तो इसको बन्द क्यों नहीं किया गया ? फिर यह जो आपने निरीक्षण करवाया है उसमें क्या यह सही है कि प्राईवेट संस्थाओं के निरीक्षण के दौरान इनमें अनियमितता और घोर अनियमितताए पाई गई हैं, क्या यह सही है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के चार संस्थान बाल रश्मि सोसायटी जयपुर, बालिका सदन जयपुर, कण्व नगर विकास समिति कोटा, राजस्थान विद्या पीठ उदयपुर, यह चार योग्य संस्थान जितने भी हमारी अनुदानित संस्थाएं हैं उनमें सबसे टॉप है। यह जो दो संस्थाएं हैं जिस तरह से बाल रश्मि सोसायटी जयपुर और बालिका सदन जयपुर इनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। हमारी यह संस्था बालिका सदन, जयपुर को तो राष्ट्रीय लेबल पर भी पुरस्कृत किया गया है। यह संस्थाएं अपने आप में एक महत्व रखती हैं।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि हमारा यह जो निरीक्षण चला, हमारे विभाग द्वारा सभी एडेड संस्थाओं का जो निरीक्षण किया गया उसमें इन चारों संस्थाओं का कार्यक्रम या कार्य शैली बहुत अच्छी पायी गई, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। उसके बाद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह किसके अधिकार क्षेत्र में है कि वह बच्चों को स्थानान्तरित कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक चीफ इन्स्पेक्टर की पोस्ट होती है, चीफ चिल्ड्रन इन्स्पेक्टर। मगर वह पोस्ट हमारे यहां नहीं है। उसका अधिकार चीफ चिल्ड्रन आफिसर को दे रखा है मगर उनकी मौजूदगी न होने से आदेश माननीय निदेशक महोदय द्वारा किए गए हैं। मैं जहां तक समझता हूं वह भी इसमें सक्षम हैं क्योंकि समाज कल्याण विभाग के लिए निदेशक हर-एक कार्य के लिए एम्पावर्ड होता है। वह इस कार्य को कर सकता है।

(श्री कुन्दन लाल मिगलानी)

उन्होंने अपने अधिकारों का वहन करते हुए इस आदेश को जारी किया।

उसके बाद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह जानना चाहा है कि सरकारी होस्टल में उन बच्चों का लालन पालन नहीं हो सका, वहां कैसे होगा (व्यवधान)

मैं सारी जानकारी दे देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संस्थाएं जो एडेड संस्थाएं हैं उनमें सरकार तो देती ही देती है, उतना ही पैसा देती है जितना हम इसमें लगाते हैं। अपने राज्य की जो संस्थाएं हैं उनमें उसी तरह का हम पब्लिक संस्थाएं जो हैं और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो एडेड हैं इनमें भी उतना ही देते हैं मगर वह प्राइवेट संस्थाएं जनता से डोनेशन लेकर के उन बच्चों के रहन सहन के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करती हैं जो हम नहीं कर पाते। इसलिए उन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए निदेशक महोदय ने उन बच्चों का स्थानान्तरण किया।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी से एक जानकारी चाहूंगा कि जिस संस्था को आपने बच्चों को दिया है, इस संस्था की जो संचालिका हैं उनके बारे में आपको जानकारी है ? मैं समझता हूं जयपुर शहर का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो सामाजिक कार्यों में साधारण जानकारी और रुचि रखता हो वह इस महिला के बारे में नहीं जानता हो। जिस घर का आदमी ईमानदार होगा उस घर के बच्चे भी ईमानदार होंगे यह अपेक्षा की जाती है। इनके बारे में क्या आपने इनका जीवन परिचय लिया है कि इनका कौनसा विवाह है। अब तक इन्होंने कितने विवाह किए जानकारी है क्या आपको ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के ऊपर तो जवाब आ जाना चाहिए।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, व्यक्ति का चरित्र जैसा होता है उसके साथ रहने वाले लोगों के जीवन पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। संचालिका जो है उनके बारे में सारे, मैं समझता हूं प्रमुख लोग, हम लोग जयपुर में रहते, वह जानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त कहां हुई। मैं तो निवेदन करूं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां निर्माण हुई, किसने डिमाण्ड की, किसने उसका निरीक्षण किया या जैसा आपने कहा कि वहां जो पोस्ट है वह वहां पर थी नहीं। आपने कहा निदेशक, समाज कल्याण महोदय ने यह स्थानान्तरित किया है तो उनके सामने ऐसे कौनसे तथ्य सामने आये ? आपने कह दिया कि अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी दीक्षा के लिए उनको मेडिकल सुविधायें, तो क्या यह वहां पर सरकार की संस्था चल रही है उसमें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और फिर पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है तो अधूरे को क्यों छोड़ा और जो भी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यहां पर खर्चा हो रहा है लगभग 8 10 लाख रुपये एक संस्था में सरकार द्वारा खर्चा हो रहा है तो इन सबके बावजूद इनको ट्रान्सफर करने के कौनसे कारण उपस्थित हुये ? कब यह कारण उपस्थित हुये, किसने यह डिमाण्ड की, कब यह मांग आई ? और वहां पर स्थानान्तरित करने के ऐसे कौनसे कारण कब उपस्थित हुये ? (व्यवधान)

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री जियालाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उस बाल रश्मि सोसाइटी की संस्थाओं का जो पिछले सालों जांच हुई है वह पेपर्स में भी है । लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा और बच्चियों का आदान-प्रदान वहां से होता है । वहां बच्चियों का 50 का नाम दर्ज होता है रजिस्टर्स में मौके पर 10 मिलती हैं और उन बच्चियों से वह अनैतिक कार्य करवाते हैं यह भी आपके सामने, पिछले वर्षों में डेपुटेशन विधान सभा में भी आया । इन संस्थाओं को आप राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा रहे हैं । यह बड़े दुःख की बात है । इसके साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कितने ऐसे समाज कल्याण विभाग की तरफ से बालिकाओं के छात्रावास जयपुर जिले में चल रहे हैं ? उनमें से पिछले तीन माह में कितने छात्रावास बन्द हो गये ? जो छात्रावास बन्द हो गये हैं क्या उनको चालू करने का विचार रखते हैं ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी ।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक के लिए, विभाग किसी की पर्सनल लाइफ में तो तवज्जोह दे यह तो कोई जरूर नहीं है । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : चरित्र के बारे में इल्जाम लगाया है उसके बारे में जवाब नहीं दिया (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ।

श्री मदनलाल सैनी : मैं समझता हूं, समाज कल्याण विभाग का काम केवल रोटी की व्यवस्था करना ही नहीं है उनके चरित्र का निर्माण करना यह भी उसमें होना चाहिए ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं । मैं बता रहा हूं । बात तो सुनिये । चूंकि विभाग का कार्य हर एडेड संस्था की देख-रेख और उसके संचालन को देखना कि आया वह जिन बच्चों को देख रही । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैक ग्राउण्ड में मत जाइये । मंत्री महोदय जो, उन्होंने सीधे प्रश्न किये हैं उनका जवाब दे कर समाप्त करिये ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : दो प्रश्न है । दोनों का जवाब दे देता हूं । पहली बात तो यह है कि बच्चों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बता देता हूं । बच्चों के स्थानान्तरण

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

के लिए और उनको रखने के लिए उनकी एक एज फिक्स है 12 वर्ष का कोई भी बच्चा जो बारह वर्ष से नीचा होता है उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है। दूसरी बात गांधी नगर में बालिका सदन जो हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसमें बच्चों के रखने की जगह कम थी इसको मद्देनजर रखते हुए उन बच्चियों को वहां से स्थानान्तरित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जानकारी कब आयी ? वहां पर कितनी छात्राओं के रहने की जगह है ? कब से रह रही हैं और यह जो आपने 51 छात्रायें बताई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई 10 वें महीने में 8 वें महीने में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये हैं केवल उसी समय समस्या उपस्थित नहीं हुई। यह 51 और इससे भी बढ़ कर इस प्रकार की बालिकायें हमेशा हर वर्ष रही हैं और वहां पर कितनी बालिकाएं हैं। किस वर्ष की है यह भी आपने नहीं बताया। फिर मैंने आपको कहा कि जो शिशु गृह है जिसको आपने स्थानान्तरित किया है। उस शिशु गृह में तो आप आज 18 बच्चों को बता रहे हैं। मैंने कहा है कि 18 बच्चे तो ट्रान्सफर करने के बाद और आये हैं। अब तक तो वहां पर 100 या 51 जो भी बच्चे वहां रह रहे थे उसके बाद 18 आये तो ऐसे कौनसे कारण उपस्थित हुये ? फिर मंत्रिमण्डल के सामने यह नीतिगत निर्णय है मंत्री महोदय, यह कोई आपका नहीं है कि आप चाहो जैसा कर दोगे। इस प्रकार गोलमाल जवाब दे कर सदन को गुमराह करेंगे। यह नीतिगत मामला है। सरकार के मंत्रिमण्डल के सामने यह विषय आया कि वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है और उनके ट्रान्सफर करना आवश्यक हो गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है +++ पहले यह जवाब दिया था कि स्थानान्तरण इसलिए किया है कि शिक्षा दिलानी है। अब जवाब दे रहे हैं कि वहां जगह नहीं थी इसलिए स्थानान्तरित किया है। इसका मतलब यह है कि उनका सारा +++ पहले उन्होंने बोला कि स्थानान्तरण इसलिए किया कि उनको शिक्षा दिलानी थी और अब कह रहे हैं कि वहां जगह नहीं थी। कौनसी बात सच्ची है ? कौनसी बात सच्ची है ? जिस तरह मंत्रीजी बोल रहे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए। यह जवाब गोल मोल दिया है इसके पीछे क्या राज है ? यह डिपार्टमेंट राजस्थान में बदनाम रहा है। राजस्थान 20–25 सालों से....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप सदन को गुमराह करें और तथ्यों को छुपायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गुमराह कर रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं। आप जानकारी प्राप्त करो कि संस्था क्या है ? संस्था की संचालिका क्या है ? आप गुमराह हो रहे हैं। आपको खुद ही जानकारी नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आप पूरी जांच करवाइये। आप जांच कराइये, उन बच्चों को वापस लीजिए। उनका क्या दुरुपयोग होगा आपको क्या मालूम है?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य कह रहे हैं, मंत्री जी गुमराह हो रहे हैं और मंत्री जी सत्तापक्ष के सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भले ही पिछली सरकार के मेन्युपुलेशन से काम हुआ हो। हम खुद स्पष्ट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बच्चे वापस लिये जाने चाहिए। उन बच्चियों का वहाँ चरित्र हनन हो तो कोई अच्छी बात रहेगी क्या? हम स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाहते आप समझिये इस चीज को (व्यवधान)

मैं बहुत देर से सुन रही हूं। न कोई संस्था अच्छी है। कहीं तो वह जर्मनी से पैसा लाती है, कहीं वह कुछ और करती है (व्यवधान)

बस्सी के पास में जो गांव बनाये, वहां पर उसकी कई बार पिटाई तक हो गयी है कुकर्मो के कारण आप देखिये किस तरह की संस्था है और आप यहां पर ताइद कर रहे हैं बड़ी अच्छी संस्था है। अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह कि शिशु गृह को स्थानान्तरित नहीं किया गया। शिशुओं को स्थानान्तरित किया गया न कि शिशु गृहों को स्थानान्तरित किया गया। यह माननीय सदस्य इस चीज को समझ लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आदेश पढ़ कर सुना दें।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा.... क्योंकि आज भी उस शिशु गृह में शिशु हैं.... (व्यवधान)

सुनिये तो सही। जो बच्चे, बालिकायें बालिका-सदन से भेजी गई हैं या जो शिशु शिशु गृह से भेजी गये हैं उनको तुरन्त प्रभाव से वापस मंगवाया जायेगा और अगर उसमें अनियमितताए पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी या जिस भी अधिकारी ने इस चीज को अंधेरे में रख करके कोई भी कार्यवाही की है या अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। मैं तो इतना ही विश्वास दिला सकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने जांच कराने की बात की, उन्हें वापस मंगाने की बात की। आप खुला आह्वान कीजिए कि जिनके बच्चे नहीं हैं समाज का दायित्व है एक-एक बच्चा पाले यह तो आप कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब यह है कि ये वापस ले रहे हैं इसलिए

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इन्हें अच्छी शिक्षा-दीक्षा और मेडिकल फैसिलिटी के लिए वहां नहीं भेजा। इसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसी वहाँ पर गड़बड़ हुई है। आदेश में गलती हुई है और उसका आप तुरन्त निस्तारण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

चाकसू कस्बे में डकैती

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कस्बा चाकसू में दिनांक 12/13 मार्च 1991 की रात को हुई घटना के संबंध में तथ्य इस प्रकार है।

श्री इशाक मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी चाकसू ने चाकसू थाने पर रिपोर्ट की कि दिनांक 12/13-3-1991 की रात दो बजे से ढाई-पोने तीन बजे के लगभग चार व्यक्ति हथियारों से लैस होकर अख्तर हुसैन के मकान में कुण्डी खोलकर घुस आये। उनमें से एक आदमी के हाथ में लोहे का सरिया, एक के हाथ में देशी पिस्तौल व एक के हाथ में बन्दूक थी। बदमाशान ने अख्तर हुसैन से मकान की चाबी मांगी व चाबी ना देने पर उन्होंने मकान में लगे ताले को तोड़ डाला। फरियादी के भानजे खलील ने उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसको बदमाशान ने गोली से मार डाला। अख्तर हुसैन, इशाक मोहम्मद, फजलुरहमान, कयूम, श्रीमती नूरजहां, श्रीमती सायराबानो व श्रीमती परवीन बानो को सरियों व गोली के छर्रों से घायल कर दिया। बदमाशान ने मकान के चार कमरों में पेटियों व सूटकेसों को खोलकर उनमें पड़े कपड़ों, रजाई, कम्बलों इत्यादि को जेवरात व नकदी की तलाश में उलट-पलट किया व कमरों में बिखेर दिया व अपने साथ एक टेप रिकार्डर, नकदी, हाथ के कड़े, पैरों के कड़े, चूड़ियां, हाथ के दो तोले सोने के कड़े, सोने की बंगड़ियां व सोने के कान की बाली इत्यादि जेवरात ले गये। पड़ोस के इशाक व अब्दुल कयूम हो-हल्ला सुन कर बाहर आये जिन पर भी बदमाशान ने फायर किये जिससे वे भी घायल हुए। कुल 4 बदमाशान में से तीन मकान के अन्दर मारपीट करते रहे व सामान को टटोलते रहे तथा एक बदमाश बन्दूक लेकर बाहर खड़ा रहा जो किसी को बाहर से घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। आधा घण्टे तक बदमाशान वारदात करते रहे, जिन्हें पहचाना जा सकता है।

घटना होने के बाद प्रातः 3.20 बजे पुलिस थाना, चाकसू पर सूचना हुई व थाना अधिकारी जाप्ता सहित थाने की गाड़ी से घटना स्थल पर 10 मिनट में पहुंचे। मौके की जानकारी ली व बदमाशान पीछा किया। पीछा करते हुए रास्ते में मालियों की ढाणी में गोली चलने की आवाज आई जिस पर थाना अधिकारी मालियों की ढाणी की ओर दौड़ा। मालियों की ढाणी करीब एक किलोमीटर दूरी पर है। बदमाशान ने मालियों की ढाणी में पहुंच कर आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो। कन्हैयालाल ने दरवाजा खोला व लाठी से बदमाशों से बचने का प्रयास किया। परन्तु बदमाशान ने गोली चलादी जिससे कन्हैयालाल व बिरधीचन्द घायल हो गये तथा बदमाशान बिना कोई माल लिये वहां से भाग गये। पुलिस पार्टी भी घटना स्थल

(श्री दिग्विजय सिंह)

पर पहुंच गई तथा फिर बदमाशान का पीछा किया। वाक्या की सूचना जिला मुख्यालय पर प्राप्त होने पर वृत्ताधिकारी दक्षिण जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण जाप्ते को लेकर प्रातः 5 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण एवं उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज भी वहां पहुंच गये। डॉग स्कवायड को भी वहां बुलवाया गया। कुत्तों ने पदचिन्हों का पीछा किया किन्तु कुछ दूर चलने के बाद वापस सड़क पर आ गये व इसके आगे नहीं बढ़ सके। इसके साथ ही बस्सी, चाकसू, निवाई, सांगानेर, शिवदासपुरा लालसोट, सड़कों एवं रेलवे स्टेशनों पर नाकाबन्दी करवाई गई। चाकसू के आस-पास के क्षेत्र को 5 सैक्टरों में बांटकर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में छानबीन सरगर्मी से जारी है। पुलिस का एक दस्ता मध्यप्रदेश में, एक दस्ता दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश में, एक दस्ता अहमदाबाद में सुरागरसी के लिये भेजा गया है लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

इसी मामले में, थाना चाकसू पर मुकदमा सं. 63/9। अंतर्गत धारा 302/394 458/460 भा. दं. सं. व 2/25 आ. एक्ट में दर्ज किया गया है। तफतीश से अभी तक 750 ग्राम चान्दी, दो तोला सोना, एक टेप रिकार्डर का जाना पाया गया है। अन्य किसी सामान का चोरी जाना नहीं पाया गया व मौके पर ही मिल गया है। 9 घायलों में से 6 व्यक्तियों सर्वश्री अख्तर हुसैन, फजलुर्रहमान, इशाक मोहम्मद, कन्हैयालाल, बिरधीचन्द व मुसम्मात नूर जहां को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से दिनांक 13-3-1991 व 14-3-1991 को 4 घायलों को बाद इलाज छुट्टी दे दी गई। अब श्री कन्हैयालाल अस्पताल में भर्ती है जो खतरे से बाहर है। अन्य तीन घायलों को चाकसू में प्राथमिक उपचार ही दिया जाकर छुट्टी दे दी गई थी।

कस्बा चाकसू में अब कोई भय का वातावरण नहीं है। कस्बे में गश्त हेतु 50 हथियारबन्द पुलिसकर्मी लगाये हुए हैं। बस्सी रोड, कैथून रोड, लालसोट रोड, गोनेर रोड पर नाकाबन्दी जारी है। चाकसू कस्बे में माकूल गश्त की व्यवस्था है। माल मुल्जिमान की पता रसी के भरसक प्रयास जारी हैं।

घटना की सूचना 3.20 ए.एम. जरिये दूरभाष मिलने पर थाना अधिकारी मय जाप्ता सरकारी वाहन से वास्ते गिरफ्तारी मुल्जिमान घटना स्थल पर पहुंच गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : किसी को प्रश्न पूछना है ?

श्री परसादीलाल मीणा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें यह बताया कि यह वारदात रात करीब ढाई बजे की है। मैं गृह मंत्री जी से पहला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि वारदात स्थल और थाने में कितनी दूरी है और पहुंचने में कितना समय लग सकता है? मैं आपको तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने आकर सूचना दी थी जब तक वहां पर लूट करते रहे, आपकी पुलिस वहां पर

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं गई, हिम्मत नहीं पड़ी और वहां पर जब यह बता दिया कि 5 मिनट पहले डकैत ज्योंही घर से निकले उसके 5 मिनट बाद वहां पुलिस पहुंच गई और उनको यह कहा कि ये जा रहे हैं मालियों की ढाणी की तरफ के रास्ते की ओर जो बिल्कुल सीधा था, वहां जा रहे हैं। वहां जाकर के उन्होंने वारदात की। पुलिस ने उनका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने यह सोचा....

श्री **उपाध्यक्ष** : भाषण नहीं करें। माननीय सदस्य, प्रश्न करें। प्रश्न पूछिये (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न ही है। जब इतनी वारदात हो गई और क्या यह बात सही है वहां पुलिस वालों ने जब यह सुन लिया कि मालियों की ढाणियों में फायरिंग हो रही है, जैसा कि गृह मंत्रीजी ने बताया, तो क्यों नहीं उनका पीछा किया गया ? पुलिस पीछा करके उनको पकड़ नहीं सकती थी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रात को ही यहां जिला प्रशासन को सूचना मिल गई थी उसके बाद क्या कार्यवाही की ? यहां के जिला एस. पी. वहां पर कितने बजे पहुंचे ? मेरी जानकारी के मुताबिक मैं वहां जा करके आया हूं, यह कहा गया कि एस. पी. और डी. आई. जी. वहां दिन के 11 बजे पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी भी आप दे रहे हैं और प्रश्न भी आप कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : वहां पर कितने बजे पहुंचे इसका समय नहीं बताया।

श्री दिग्विजय सिंह : बताया 5 बजे पहुंचे थे।

श्री परसादीलाल मीणा : वो तो उप पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। एस. पी. और डी. आई. जी. वहां नहीं पहुंचे थे। वे तो 11 बजे पहुंचे हैं दिन के। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा एक व्यक्ति मारा गया। वह लड़का है, 10 वीं क्लास में पढ़ता है। उसका इन्होंने उल्लेख नहीं किया। वह घटना स्थल पर ही गोली से मारा गया है। उसके सम्बन्ध में या घायलों के सम्बन्ध में, गृह मंत्री जी, जो मर गया है उसको कितना मुआवजा या सहायता राशि देंगे ? वह अपने बाप के अकेला लड़का था और कोई संतान नहीं थी। आपको और राशि देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से लगता है कि वे चारों जो बदमाश थे उनके बारे में लोकल जानकारी थी। क्योंकि इन्होंने यह कहा कि उनके हथियार, उनकी चीजें सब वहां बता दीं तो क्या पुलिस ने अपनी जांच के द्वारा उन लोगों से, किन्हीं अन्य लोगों पर शक भी जाहिर किया है या कोई नामजद किये हैं ? और अगर शक जाहिर किया है, तो हमारे राजस्थान की पुलिस उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पड़ोस के प्रान्तों में क्यों गई ? दूसरी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बात मुझे यह कहनी है, माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्रीजी बतायें, वह थाना जहां मोहल्ले में वारदात हुई उससे कितनी दूर है ? चालीस मिनट बाद पुलिस पहुंचती है। क्या चालीस मिनट बाद जो थानेदार पहुंचा है उसके खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? दूसरा मुझे यह पूछना है, इसमें डाग स्कवायड भी मंगाये गये। डाग स्कवायड ने सड़क पर चढ़ना उनको बता दिया कि सड़क पर चढ़ गये। क्या राज्य सरकार के उन उच्च अधिकारियों ने जिन पर शक जाहिर किया उनके घरों में भी डाग स्कवायड ले गये और उनकी जांच की ? मैं समझता हूं, जो लोकल पुलिस इस जिले की है, निश्चित तौर से उसका इस तरह का आचरण रहा है, बीलवाड़ी कांड के बाद, इस कांड के बाद और घटनाओं के बाद कि राज्य सरकार या गृह मंत्रालय उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। गैर जिम्मेदारी का तो यह वातावरण इस तरह का फैलता रहेगा और इसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या गृह मंत्रीजी बतायेंगे उसमें कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था और बताया था, माननीय गृह मंत्रीजी की नालेज में भी लाया था। आपकी पुलिस के यह दस्ते उत्तर प्रदेश भिजवा दिये आपने, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जो हमारे निकटवर्ती राज्य हैं, यह हरियाणा क्यों नहीं गये ? मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा था, एक डेली न्यूज पेपर में खबर छपी थी, यह डकेत लोग हरियाणा पहुंच गये हैं तो हरियाणा में पुलिस क्यों नहीं गई ? दूसरा, यह वारदात या वाकया काफी देर तक हुआ वहां पूरा मोहल्ला जग गया, एक डेढ़ घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची, वहां से एक किलोमीटर की दूरी पर ढाणी थी, वहां भी यह लोग आधे घंटे तक वारदात करते रहे तो यह इतना समय कैसे लग गया ? उसके बाद आपके डाग्स वगैरह थे उनको आप उस ढाणी में ले गये होंगे, आपने चारों तरफ से नाकेबंदी भी कर दी, जयपुर के एकदम करीब है, आपके सीनियर आफिसर्स भी सब एक्टिव हो गये तो ऐसी क्या स्थिति है ? वह साधारण लोग थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, वह गाड़ी वाड़ी कार से या जीप से नहीं आये थे, न मोटर साइकल से आये थे। वह लोग पैदल भगे हैं इसके बावजूद अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी पर शक सुबहा भी नहीं है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, यह अधिकारी लोग हैं या पुलिस के थाने के इंचार्ज हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस सम्बन्ध में। और कोई उम्मीद भी नहीं है यह डकेती निकलेगी। डकेती का मामला है, एक आदमी की जान चली गई। उस नौजवान अफजल की गलती यह थी कि वह डकेतों से भिड़ गया। यदि वह नहीं भिड़ता और यह मान लेता कि हमारे राज्य सरकार की पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पायेगी, फिर वह अपनी जान क्यों देता। वह तो डकेतों से भिड़ता है, इतनी देर से हल्ला मचता है, थाने से कोई पुलिस

(डा. चन्द्रभान)

के अधिकारी और दूसरे लोग नहीं पहुंचते हैं। फिर बताइये कि जनता किस तरह से ऐसी घटनाओं, दुर्घटनाओं में सहयोग करेगी, कैसे पुलिस पर, प्रशासन और शासन पर विश्वास जमा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

डा. चन्द्रभान : मैं कहना चाहूंगा अफजल को आपको एक लाख रुपया देना चाहिये और मृत अफजल का सम्मान इस सरकार को करना चाहिये। जमील खां जिसने अपने मकान पर रिस्क लेकर गोली चलाने का काम किया जिससे कि वह लोग भगे। यदि जमील खां वहां पर गोली नहीं चलाता तो डकेत वहां पर और लूटपाट मचाते, मां–बहिनों की इज्जत भी लूटते और लोगों का धन ले जाते, जमील खां की भी सरकार को प्रशंसा करनी चाहिये और अफजल के परिवारजन को एक लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि घटनास्थल से दस मिनट के अन्दर पुलिस को स्टेशन पर सूचना मिली। उसके बाद यह भी सही है कि पुलिस थाने में एस. एच. ओ. और एक सिपाही मात्र थे और लोग तो सब बाहर थे लेकिन वह लोग मौके पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां से एक किलोमीटर वह जब पैदल गये तो दस मिनट तो उनको लगे। उसके बाद मालियों की ढाणी में जाकर उन्होंने जो वारदात की वहां भी उनको समय लगा। ज्यों ही एस. एच. ओ. और वह एक सिपाही घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, गोली की आवाज आई जब कि वह लोग पैदल थे वह जीप लेकर गये उनका पीछा करते हैं। और स्टाफ वहां होता तो मैं आपको यह सही कहता हूं उनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं वहां जो स्टाफ था, कई थानेदार तो उस हल्के से भी बाहर थे अपनी करतूते करने में, जो रोजाना आम इस थाने की शिकायत है, आप पब्लिक से पूछेंगे, बिना पैसे लिये किसी का केस दर्ज नहीं होता, बिना रिश्वत लिये, 15–15 हजार, 7–7 हजार चाहे वह मर्डर का मामला हो, चाहे कैसा भी मामला हो....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इस थाने में वह लोग मौजूद ही नहीं थे। माननीय मंत्री जी, कोई जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि उसमें और स्टाफ होता, तो यह उस समय आसानी से पकड़े जा सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में डिटेल से सारी घटना की जानकारी दी है। माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। पहला संदेह यह किया कि सूचना मिलने के काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। जब कि वहां वाकया पहले हो रहा था तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री दिग्विजय सिंह)

चाहता हूं कि वाकया हुआ था, मैंने बताया आपको, दो बजे से ढाई पौने तीन बजे के बीच। उसके बाद पुलिस को जो सूचना हुई वह दूरभाष के ऊपर तीन बजकर बीस मिनट पर हुई। इसलिये पुलिस को सूचना जो हुई, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : कितनी देर में ? चालीस मिनट में ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप बैठें, बता रहा हूं ना आपको। नहीं साहब, चालीस मिनट के बीच पुलिस को सूचना ही नहीं हुई। दो से पौने तीन बजे तक तो घटना होती रही। घटना के बाद जब वह बंदूक से घायल हुआ, घायल होने के बाद एक तो वहां मर गया और एक घायल हुआ, उस घायल को जब हास्पिटल ले गये, हास्पिटल से उन्होंने फोन किया पुलिस को थाने में तीन बजकर बीस मिनट पर। उसके बाद पुलिस रवाना हुई है और वहां मौके पर तुरन्त पहुंच गई। इसलिये पुलिस के सम्बन्ध में यह बात कहें तो ठीक है, माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि जितनी फोर्स और जितनी पुलिस वहां जानी चाहिये थी वह नहीं थी। हां, सही बात है केवल एक एस. एच. ओ. और एक कांस्टेबल केवल दो ही पहुंचे थे। उसके पहुंचने के बाद जो माननीय सदस्य ने कहा बिल्कुल सही है कि वहां पर जब पहुंचे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी, वहां पर उस दिन कितना स्टाफ मौजूद था। एस. एच. ओ. और वह अकेला सिपाही ही क्यों पहुंचा ? इतनी बड़ी वारदात की रिपोर्ट मिली और दोनों पहुंचे थे ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी अगर पूरी बात सुन लें तो उसमें सब बात आ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह दो ही वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सारी जानकारी ली। उनको बताया गया कि इस ढाणी की तरफ गये हैं तो वह ढाणी की तरफ वाहन लेकर रवाना हुए। रास्ते के अन्दर माननीय सदस्य जानते हैं वहां पर जो जाव है जैसा कि ढोल लगे हुए थे, ढोल लगे होने के कारण गाड़ी कुछ दूर तक चली। आगे नहीं चला सकते थे। जब मालियों की ढाणी से ? आवाज आई गोली चलने की तो वह दोनों के दोनों व्यक्ति थानेदार और एक कांस्टेबल उस मालियों की ढाणी की तरफ आगे बढ़े और वहां पहुंचे। जब तक वह वहां पहुंचे वह वहां से आगे गुम हो चुके थे। डाग्स स्कवायड का जो मैंने आपसे कहा, वह इसलिये कह रहा था, डाग्स स्कवायड यहां से पहुंची। डाग्स स्कवायड का जो माननीय सदस्य ने कहा, जहां शक सुबहा था वहां क्यों नहीं ले गये। डाग्स स्कवायड को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। डाग्स स्कवायड तो इसलिये है कि वहां जब ले जाते हैं जहां जुर्म हुआ है उसके बाद वह खुद ही स्मेल करके ट्रेस करते हुए चले जाते हैं। वह ट्रेस करते हुए पहुंचते हैं जहां मुलजिम हो या जहां कहीं शक हुआ वहां तक पहुंचते हैं। तो इसका विवरण मैंने दिया है कि डाग्स स्कवायड इसीलिये ले गये थे कि ट्रेस कर सकें कि कहां तक चले हैं। उन डाग्स को भी जितनी दूरी तक चला सकते थे,

(श्री दिग्विजय सिंह)

जितनी दूर तक स्मेल हो सकती है उस स्मेल के आधार पर गये हैं और वहां से फिर करके वापस रोड पर आ गये। आगे उनको सुराग नहीं मिला इसलिये आगे वह पहुंच नहीं पाये। जहां तक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का है, मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि यह घटना राज्य सरकार के लिये चिंता का विषय है। इसलिये तत्परता से पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ व्यक्तियों को आज ही सूचना मिली है कि हम पकड़ कर लाये हैं। अभी उनसे पूछताछ हो रही है। हो सकता है शायद इसके अन्दर हमको सुराग मिले और यह चोरी खुल जाय।

जहां तक वहां के स्टाफ का प्रश्न है, परसादीलालजी, आप फरमा रहे थे, बिल्कुल सही है कि उस दिन वहां पर जितना स्टाफ होना चाहिये था वह वहां नहीं था। मैंने इस सम्बन्ध में एस. पी. और डी. आई जी. से कहा है कि तुरन्त इसकी सारी जांच करें और वह जो स्टाफ वहां मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। उनको उस थाने से मैं निश्चित रूप से बदल दूंगा, वहां मैं नहीं रखूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक मारा गया है मुकाबला करते हुए उसको आप क्या इनाम देना चाहते हैं। उसके घरवालों को कोई मुआवजा देना चाहते हैं कि नहीं ? एक पब्लिक का आदमी मुकाबला करे, डकैतों का. पुलिस नहीं जाय और आप किसी तरह से उनके घरवालों को मुआवजा नहीं दें, चुप लगा जायं, यह अच्छी बात नहीं है। गृह मंत्री जी, बताइये आप ? उनको क्या देंगे आप ?

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय वह छात्र दसवीं कक्षा का छात्र था और उसने डकैतों को पकड़कर दस मिनट तक रोके रखा। अगर उसके पिताजी उसको नहीं छुड़ाते तो वह उस डकैत को जाने नहीं देता। ऐसे मृतक और साहसी छात्र को मरणोपरान्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इस पर विचार कर लेंगे।

श्री नत्थी सिंह : मैं कई दफे कह चुका हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गृह मंत्री जी संवेदनहीन कब से हो गये। कई दिन हो चुके मामले को अब तक विचार नहीं कर पाये ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं तो संवेदनहीन जब से हो गया, जब से आप उधर बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री परसादीलाल मीणा : चर्चा कहां हुई, है उपाध्यक्ष महोदय, लीपापोती हुई है सारी। चर्चा कहां हुई ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार भाग जायगी, फिर क्या देंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : अभी तो पूरे प्रश्नों का जवाब ही नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन है कि सारे राजस्थान के

(श्री परसादीलाल मीणा)

लोगों को, जनता को इस प्रकार, जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है। खाली पड़े हैं थाने आज, न कांस्टेबल है। सारे थानों की यह हालत है। सब थानेदार दारू पीकर सोते हैं इसलिए कोई भी चोरी, डकेत नहीं पकड़ा गया। आप, गृह मंत्री जी, डी.आई.जी. और एस.पी. पर इस कार्यवाही को मत छोड़िये। आप खुद कार्यवाही करने की घोषणा कीजिए। स्टाफ को....(व्यवधान) निलम्बित करें, या वहां से हटायें। ऐसे इन्चार्ज रख कर आप क्या करना चाहते हैं....एस.पी., डी.आई.जी. पर मत छोड़िये आप खुद फंसे हुए हैं इस मामले में.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, परसादीलाल जी तो बहुत भावुक हो जाते हैं बोलने में....

श्री परसादीलाल मीणा : भावुक की बात नहीं है आप कुछ करना भी नहीं चाहते, आप लीपापोती कर रहे हैं। आखिर हम जवाब चाहते हैं, जनता में भय पैदा हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप अगर सुनना नहीं चाहते तो मैं बोलता भी नहीं....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं बोलें तो क्या करें फिर आप जवाब ही नहीं देते। हम शांति से सुन रहे हैं आपका जवाब। आप लीपापोती करना चाहते हैं स्टेटमेंट की।

डा. चन्द्रभान : यह परसादीलालजी की चिन्ता या पीड़ा है इसको गृह में मंत्री जी को समझना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा : यह कोई न आपके घर का काम है न मेरे घर का काम है। आप जवाब ही नहीं देते। हम बड़ी शांति से आपका जवाब सुन रहे हैं। लोगों में भय है। पुलिस ने देख लिया डकेत जा रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं सके इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप सारे बयान पर लीपापोती कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या कार्यवाही करेंगे? ऐसे नहीं, आप सख्ती से कार्यवाही करिये। सब थानों की आज यह हालत है जयपुर जिले में।

श्री दिग्विजय सिंह : डा. साहब, आपने हरियाणा पार्टी भेजने की बात कही वह भी भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप पुलिस के खिलाफ, उस थाने के खिलाफ क्या करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, थानों पर कितना स्टाफ था, यही चिन्ता है। वह क्यों नहीं गये? एक थानेदार और कांस्टेबल ही क्यों गये?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वीकार किया है कि थाने पर स्टाफ नहीं था। मैंने कहा है कि मैं इसको चिन्ता का विषय मानता हूं। यह भी कहा है कि जो नहीं थे उनकी जांच करायेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक इसमें निश्चित रूप से लेकूना रह गया है वह यह है कि हमने पुलिस के बारे में कह दिया लेकिन जिन लोगों ने, एक ने जान दी एक के ऊपर गोली चली, एक ने खुद ने गोली चलाई। क्या उन तीनों बहादुर लोगों को....

श्री दिग्विजय सिंह : विचार करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : विचार नहीं, गृह मंत्री जी, जिस प्रकार से आपने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किये वह राज्य सरकार की बुरी मनोदशा है। क्या वह गरीब परिवार के लोग, मुसलमान, उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वह डाकुओं के खिलाफ खड़े हो गये और आपने थोड़े से शब्दों में कह दिया कि हम विचार कर लेंगे। निश्चित रूप से राज्य सरकार को प्रशंसा करनी चाहिए ऐसे बहादुर लोगों की, जिन्होंने डाकुओं का मुकाबला किया। आपकी पुलिस तो दुम दबा कर बैठी रही, डरही रही कि डाकू निकल जायं तब जावें।

श्री उपाध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मेरा नीतिगत प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री जी, क्या आप महसूस नहीं करते....

एक माननीय सदस्य : आपके जमाने में कितनी डकैतियां पड़ी यह तो बता दो ?

श्री हेतराम बेनीवाल : और जितनी इन्होंने डाली, वह आप भी डालोगे।

एक माननीय सदस्य : झालावाड़ जिले में बसे लुटी हैं, खुरखुरा में डकैती हुई, क्या हुआ आपके जमाने में ?

डा. चन्द्रभान : इनके जमाने में डकैती हुई उसका मतलब उनके राज में भी डकैती होनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको इससे सन्तोष है और इससे कम्पेरीजन करना चाहते हैं कि आपके राज में पड़ी थीं इसलिए हमारे राज में डकैती पड़नी बहुत जरूरी है तो आप भी डालो जा करके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ एक जानकारी चाहूंगा, निवेदन भी करना चाहूंगा कि आपको एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए इस प्रकार के डकैती के मामले में या अन्य किसी प्रकार का जघन्य अपराध हो और जो लोग मुकाबला करते हैं अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको कुछ राहत नहीं देंगे तो ऐसे लोग आगे नहीं आयेंगे और क्राइम होता देखते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, सुझाव है ऐसे मामलों में आपको कोई पालिसी डिसीजन लेना चाहिए, आपको इन्तजार नहीं करना चाहिए।

मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं क्योंकि आप घोषणा कर भी दें तो न तो होम मिनिस्टर के पास इस प्रकार का फण्ड है, न कोई राशि है। आपको मुख्य मंत्री के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। यह नीतिगत इसलिए हो जाना आवश्यक है कि आपको बार बार मुख्य मंत्री के पास जाना नहीं पड़े। इसलिए आप नीतिगत निर्णय लेकर, जो इस प्रकार बहादुरी का परिचय दें उनको आर्थिक सहायता निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यही मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने मेरा बोझ हल्का कर दिया इसलिए मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने कह दिया कि यह नीतिगत निर्णय है और उनकी बात भी कुछ तो ठीक है क्योंकि बार बार आप कह रहे हो कि मुख्य मंत्री के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। ऐसी बात नहीं है, यहां घोषणा भी की जा सकती है पर यह प्रश्न नीतिगत है इसलिए नीतिगत निर्णय लेना है और यह बात आपने कही है। मैं खुद मानता हूं कि ऐसे बहादुर लोग जो खुद मुकाबला करते हैं डकैतों का और मारे जाते हैं उनकी निश्चित रूप से सरकार को प्रशंसा भी करनी चाहिए और उनको उपहार स्वरूप भी देना चाहिए। यह नीतिगत प्रश्न है; हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री केदार नाथ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को डिमाण्ड है तब तक आप तैयार होंगे इस बारे में।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिए प्राप्त नामांकनों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों के लिए जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी जांच के बाद जो नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

जन लेखा समिति 1991-92

(1) श्री मो. माहिर आजाद

(2) श्री नत्थी सिंह

(3) श्री परसराम मदेरणा

(4) श्री हीरालाल देवपुरा

(5) श्री जनार्दनसिंह गहलोत

(6) श्रीमती रमा पायलट

(7) श्री चम्पालाल बांठिया

(8) श्री गोपीराम जाट

(9) श्रीमती तारा भण्डारी

(10) श्री हरिशचन्द्र कुमावत

(11) श्री रमाकान्त

(12) श्री अमृतलाल परिहार

(13) श्री सांवरलाल

(14) श्री गणपतराम

(15) श्री गुलाबसिंह

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री गोविन्द सहाय

(2) श्री शिवजीराम मीणा

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह

(4) श्रीमती मदन कौर

(5) श्री सम्पतराम

(6) श्री रामनारायण बैरवा

(7) श्री कुंजीलाल

(8) श्री गुलाम मुस्तुफा खान

(9) श्री रामकरण चौधरी

(10) श्री प्रद्युम्न सिंह

(11) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर

(12) श्री सुरेन्द्र व्यास

(13) श्री रामसिंह विश्नोई

(14) श्री मदनलाल सैनी

(15) श्री राजेन्द्र गहलोत

(16) श्री हजारी लाल

(श्री उपाध्यक्ष)

(17) श्री नन्द किशोर शर्मा
(18) डा. जितेन्द्र सिंह
(19) श्री रघुवीर सिंह कौशल

प्राक्कलन समिति "क" 1991-92

(1) श्री प्रेमसिंह दहिया
(2) श्री रामेश्वर दयाल यादव
(3) श्रीमती सुचित्रा आर्य
(4) श्री मनोहर सिंह
(5) श्री रामकरण चौधरी
(6) डा. हरिसिंह
(7) श्री चन्दनमल बैद
(8) श्री परसादी लाल मीणा
(9) श्री पूनमचन्द विश्नोई
(10) श्री बंशीलाल पटवा
(11) श्री खंगार सिंह चौधरी
(12) श्री शिवकिशोर सनाढ्य
(13) श्री चुन्नीलाल (खण्डार)
(14) श्री अनंग कुमार जैन
(15) श्री कन्हैयालाल मीणा
(16) श्री लक्ष्मीनारायण दवे
(17) श्री रामस्वरूप मेघवाल
(18) श्री शम्भूदयाल बड़गुर्जर
(19) श्री जगत सिंह
(20) श्री गोपाल सिंह

प्राक्कलन समिति "ख" 1991-92

(1) श्री प्रेमसिंह दहिया
(2) डा. चन्द्रभान
(3) श्री मनोहर सिंह इन्दा
(4) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता
(5) श्री सम्पत राम
(6) श्री इन्द्रसिंह पुनिया
(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
(8) श्री फूलचन्द
(9) श्री किशनाराम नाई
(10) श्री जीतमल जैन
(11) श्री रामकरण सिंह
(12) श्री किशनगोपाल कोगटा
(13) श्री अब्दुल हादी
(14) श्री गोपाल सिंह

विधायी कार्य

पुर: स्थापित विधेयक
राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक 1991

श्री शांतिलाल चपलोत, प्रभारी मंत्री राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष),

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आय व्ययक (बजट) 1991–92 मांग संख्या 42, श्री के. के. गोयल

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 42- उद्योग एवं
मांग संख्या 43- खनिज की प्रस्तुती

श्री कृष्ण कुमार गोयल(उद्योग मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73 करोड़ 96 लाख 93 हजार तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 43। श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर(राज्य मंत्री खनिज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21 करोड़ 6 लाख 80 हजार तक की राशि प्रदान की जाये।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :-

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

1. राजस्थान के उद्योगपतियों को विभागीय शोषण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. शाहपुरा, कोटपूतली जिला जयपुर में 10–15 वर्ष से रुपये लेकर भी विभाग द्वारा लोगों को औद्योगिक प्लाट नहीं देने से उत्पन्न निराशा को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. कोटपूतली तहसील स्थित सीमेन्ट फैक्टरी को चलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

4. कोटपूतली तहसील में 78–79 में औद्योगिक प्लाट देने के लिए पावटा और कोटपूतली में सैकड़ों व्यक्तियों से पांच-2 सौ रुपये जमा कराये जाने के उपरान्त भी आज दिन तक औद्योगिक प्लॉट आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :

5. सांचौर स्थित रीको में बिजली व पानी की पूर्ति कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

6. रेगिस्तानी जिलों में तुम्बों की तारें सिणीया की डोरी–खींप व अंकाले से बनाने वाली डोरी एवं मूंज उद्योग धंधे खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

7. रेगिस्तानी क्षेत्र बाडमेर एवं जैसलमेर में तूम्बे मतीरों के बीजों से तेल निकालने सम्बन्धी उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

8. उद्योग नीति में औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाओं की कमी, साहसियों को समय पर लाइसेंस न मिलने भूमि आवंटन न होने तथा रीको एवं आर. एफ. सी. द्वारा समय पर ऋण न मिलने व उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. सार्वजनिक क्षेत्र में ऊन आधारित अथवा कृषि आधारित उद्योग न लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राजस्थान के ग्रोथ सेन्टर के विकास कार्य मंथर गति से चलने के संबंध में तथा बीकानेर ग्रोथ सेन्टर हेतु आवंटित बजट राशि के उपयोग में न आने तथा भूमि के अधिगृहित करने में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

11. राज्य में बड़े व छोटे उद्योग अवसर शहरों में लगाये जाने के कारण एक तरफ शहरों की ओर पलायन हो जाने की स्थिति और ग्राम में विकास की गति अवरुद्ध हो जाने पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

12. सीमेन्ट फैक्टरी कोटड़ा (उदयपुर) को प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के उद्योगों हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

15. सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी को चालू न करने से व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

16. सवाई माधोपुर, रूपटापुरम तथा कोटपूतली के सीमेन्ट उद्योग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु प्रवासी राजस्थानियों को उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान में उद्योग लगाने वालों के साथ सद्व्यवहार करने एवं एक ही विन्डो पर समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान में सरकार की औद्योगिक नीति की असफलता पर चर्चा के लिये।

20. उद्योग लगाने तथा औद्योगिक

(श्री रामकरण सिंह)।

प्लाट उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

21. नागौर के हस्त औजार उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये ।

22. नागौर के हस्त औजार उद्योग द्वारा तैयार किये गये माल को निर्यात करने की व्यवस्था नागौर में ही किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. नागौर के हस्त औजार उद्योग के लिये फोग कोयले की चूरी की व्यवस्था विशेष रूप से सरकार द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. नागौर के हस्त औजार उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कच्चे माल की समुचित व्यवस्था नागौर में ही की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. नागौर के हस्त औजार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये इसके विपणन की नागौर शहर में उचित व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. सरकार द्वारा नागौर के जिप्सम भंडार का सदुपयोग करने हेतु नागौर में जिप्सम से विभिन्न माल तैयार करने के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

27. नैनवा शहर के बुनकरों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. नैनवा तहसील में गलीचा उद्योग को बढ़ावा देने के प्रति सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

29. उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व प्रदूषण निवारण संबंधी उपाय करने की आवश्कता पर चर्चा के लिए ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

30. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग खुलवाये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

31. औद्योगिक इकाइयों से फैलते प्रदूषण पर विभाग द्वारा नियन्त्रण कराने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह :

32. झुंझनू जिले में उद्योगों को मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के के लिए।

33. राजस्थान के औद्योगीकरण की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) :

34. लूनकरणसर ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योग लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

(श्री मनीराम सियाग):

35. लूनकरणसर विधान सभा, क्षेत्र के ग्राम खारा को सरकार द्वारा ग्रोथ सेन्टर घोषित करने से वहां के निवासियों के जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिए।

36. ऊन को कृषि उत्पाद घोषित करने से ऊन व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन):

37. अनुसूचित जातियों को कम पूंजी एवं अनुदान देकर लघु उद्योगों में भागीदार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. बून्दी में पर्याप्त मात्रा में उत्तम पत्थर (मार्बल) उपलब्ध होने के कारण मार्बल पर आधारित नया उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. बून्दी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. सरकारी एवं निजी उद्योगों में सभी पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण लागू करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

41. बून्दी जिले में पर्याप्त लाइम स्टोन के होने से नया सीमेन्ट उद्योग लगाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग में राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित पदों को न भरा जाने एवं पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. बून्दी जिले में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. पश्चिमी राजस्थान में बड़े उद्योग लगाकर उपेक्षित जनता को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेशों में बन्द एवं रुग्ण उद्योगों को तुरन्त प्रभाव से विशेष सहायता प्रदान करवाई जाकर पुनः चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग लगाकर क्षेत्र एवं कृषक वर्ग को राहत प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):

47. कुशलगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

48. बांसवाड़ा में मिनी सीमेन्ट फैक्टरी लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

49. जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग नहीं खोलने से लोगों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

50. बांसवाड़ा के गांव बारी की सीमेन्ट फैक्टरी बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

51. राज्य में नये उद्योग स्थापित करवाने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. भीलवाड़ा नगर में भूमि आरक्षित की जाकर नये उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. भीलवाड़ा नगर में भूमि आरक्षित की जाकर नये उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी) :

53. पाली और बालोतरा स्थित कपड़ा धुलाई व रंगाई उद्योग को स्वीकृति देने से पूर्व विभाग द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

54. उदयपुरवाटी तहसील में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा होने से इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

55. पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश समय पड़ने वाले अकाल से राहत प्रदान करने हेतु उद्योग धन्धे खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. बून्दी जिले में दिल्ली–बम्बई बड़ी रेल लाइन सुविधा होने पर तथा चम्बल एवं मेज नदियों का अथाह पानी उपलब्ध होने से नये उद्योगों को प्राथमिकता से स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

57. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चयनित दस्तकारों व कुटीर उद्यमियों को ऋण पर दी जाने वाली अनुदान राशि बन्द करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. उद्यमियों को सुविधा हेतु राजस्थान वित्त निगम का कार्यालय परबतसर में भी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. शहर परबतसर में पीरजी के नाका के पास औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. राजस्थान में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. औद्योगिक क्षेत्र मकराना बोरावड़ व बिदीयाद में विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण की योजना नहीं बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

62. राजस्थान में कुटीर उद्यमियों को ऋण की यूनिट कास्ट में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

63. तहसील बस्सी को रीको के माध्यम से इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित न

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

करने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

64. पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. उद्योग नीति घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

66. कुशलगढ़ क्षेत्र के माचा मीलन व कडाई माल में विपुल खनिज सम्पदा होने से खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

67. प्रतापगढ़ चीनी मिल को पुन: चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. तहसील अरनोद के रायपुर की चीनी मिल को पुन: चालू किये जाने में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) :

69. थानागाजी में शीघ्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

70. बीकानेर के ऊन की धुलाई तथा रंगाई का बड़ा उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. वन विण्डो सिस्टम के माध्यम से नये उद्योगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाए मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

72. सवाई माधोपुर के विभिन्न कारखानों के सुसंचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. राजस्थान के रुग्ण उद्योगों को सहायता देकर पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. ईंट उद्योग में लाखों रुपये की टैक्स चोरी होने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

75. राजस्थान के गंगानगर जिले में खाद का कारखाना खोलने व कच्चे माल जिप्सम के उपयोग हेतु उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

76. बालोतरा स्थित लघु उद्योगों की बकाया सब्सिडी का भुगतान नहीं करने पर भी लघु उद्योग निगम को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा करने के लिये ।

77. बालोतरा वस्त्र उद्योग हेतु जलाने की लकड़ी एवं गैस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

78. नमक के आधार पर पचपदरा क्षेत्र में सोड़ा एस एवं अन्य उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पश्चिमी राजस्थान के गांवों में उपलब्ध वनस्पति के आधार पर नये उद्योग प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. बालोतरा स्थित वस्त्र उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल की निकासी हेतु पक्की चेनल बनाने के लिये विभाग द्वारा उद्यमियों को बाध्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

81. वित्त निगम द्वारा दण्डनीय ब्याज का प्रावधान निगम के गठन की तिथि से समाप्त कराने तथा समझौते के अनुरूप ही साधारण ब्याज दर उद्यमी से वसूल नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता पर चर्चा के लिये।

82. वित्त निगम द्वारा क्रेडिट गारण्टी स्कीम बन्द कर देने तथा उद्यमियों से पूर्व के वर्षों में ली गई धन राशि ब्याज सहित नहीं लौटाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली मशीनों की राशि पर भी अनुदान न दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर भी विभाग द्वारा दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

84. उद्यमियों को कार्यशील पूंजी एवं मियादी ऋण की स्वीकृति समय पर नहीं किये जाने पर भी वित्त निगम को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. लघु उद्योग को दिये जाने वाले सभी ऋणों की ब्याज दर समान नहीं रखने पर उद्यमियों को हो रही कठिनाई पर भी वित्त निगम को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

86. किसी भी प्रकार के उद्योगों के लिए प्राप्त करने पर रोक न लगाने और किसी उद्यमी या उसके रिश्तेदारों पर ऋण प्राप्त करने पर रोक नहीं लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. रुग्ण उद्योगों को सरकार की नीति के अनुरूप सहायता व पुनर्वित्त उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. औद्योगिक इकाई रुग्ण होने पर मजदूरों को योग्यता अनुरूप निर्वाह भत्ता विभाग द्वारा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. किसी भी उद्योग को दिए गए ऋण का पुनर्वित्त प्रथम दिवस से ही माने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वित्त निगम द्वारा गठित समितियों में लघु उद्यमियों के प्रतिनिधि शामिल नहीं करने पर भी निगम को दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

91. वित्त निगम द्वारा बैंक को दूसरा चार्ज देने में अनावश्यक रूप से देरी करने पर भी निगम को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. निगम द्वारा शर्तों के अनुरूप रीको को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं करने पर भी निगम को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. निगम ने पूर्व में जिन इकाइयों को दूसरे उद्यमियों को बेच दिया है व जो अधिक धन राशि प्राप्त कर ली है उसका पहले वाले उद्यमी को तुरन्त भुगतान नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. उद्यमी द्वारा निगम को किये जाने वाले भुगतान का उसे उसी उद्यमी द्वारा निर्देशित तरीकों से पहले मूलधन व साधारण ब्याज से ही समायोजित नहीं करने पर भी निगम को दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. वित्त निगम निदेशक मण्डल में कम से कम दो उद्यमी नहीं रखे जाने से उद्यमियों में व्याप्त असंतोष पर दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. चक्रवर्ती ब्याज व दण्डनीय ब्याज के रूप में वसूली गई सारी राशि वर्तमान या पूर्व उद्यमियों को ब्याज सहित वापिस लौटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. अधिग्रहित इकाइयों पर देय राशि से चक्रवर्ती व दण्डनीय ब्याज राशि कम कर पुराने उद्यमियों को चलाने के लिए वापस नहीं देने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. एन. ओ. सी. देने की प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार न करने पर उद्यमियों को हो रही असुविधा पर भी निगम को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. वित्त निगम द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से ब्याज वसूलना बन्द न करने से उद्यमियों को हो रही असुविधा पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. वित्त निगम द्वारा ऋण अदायगी की वर्तमान प्रक्रिया का सरलीकरण कर उद्यमियों को लाभ नहीं पहुंचाने पर भी निगम को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. वित्त निगम में लेखा विभाग का कार्य सुचारू ढंग से न होने एवं खाते सही तरह से न रखे जाने से उद्यमियों को हो रही असुविधा पर भी निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. ऋण स्वीकृति व उसका वितरण सुचारू नहीं होने पर भी निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

103. बड़े उद्योगों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें कहीं भी दण्डनीय ब्याज का प्रावधान नहीं है तो फिर लघु उद्योगों से अवांछनीय तरीकों का इस्ते-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माल कर निगम 27 प्रतिशत से 40 प्रतिशत व इससे भी अधिक ब्याज वसूल करने पर भी निगम को दी जा रही सहायता पर चर्चा के लिये ।

104. वित्त निगम में कार्य कुशलता के अभाव से 80 प्रतिशत उद्योग बन्द हो जाने पर भी निगम को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

105. बाड़मेर जिले में खनिज आधारित उद्योग लगाने, उद्योग विभाग द्वारा योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

106. भीनमाल में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सस्ती दर पर औद्योगिक भूखण्ड भीनमाल रीको के एरिया में उपलब्ध नहीं कराने पर भी विनियोजन किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

107. निवाई में अन्य औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

108. टौंक औद्योगिक क्षेत्र में समुचित विकास कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

109. औद्योगिक क्षेत्र सुदर्शनपुरा, करतारपुरा, विश्वकर्मा, बाइस गोदाम तथा झोटवाड़ा में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी विनियोजित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

110. लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री हेतु काउण्टर खोलने तथा इनकी सरकारी खरीद कराने की आवश्यकता पर पर चर्चा के लिये ।

111. उद्योगों के लिए विद्युत की समुचित सप्लाई करने की दिशा में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

112. पुरानी औद्योगिक बस्तियों व एरियाज को पुनः उद्योग विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना में सैल्स टैक्स की डैफरमेंट स्कीम के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा छूट न दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

114. उद्योगों को समय पर कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

115. लघु उद्योगों के लिये कुछ और उद्योग ईयर मार्क करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. कुटीर उद्योगों को अधिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रवासी राजस्थानियों को सभी सुविधायें एक साथ तथा शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किये जाने के लिये उदार नीति अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक "खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

1. प्रदेश के खनिज भण्डारों का दोहन सुचारू रूप से कराने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

2. विभागीय राज सेवकों की साजिश एवं कार्य के प्रति उदासीनता से राज्य कोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

3. उद्योग विभाग एवं खनिज विभाग में परस्पर समन्वय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. कोटपूतली तहसील में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन व मार्बल के भंडार होने पर भी इसके दोहन में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

5. विभाग द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

6. जसिरा खुर्द की गोचर भूमि एवं वन विभाग की जमीन में प्राइवेट लोगों द्वारा उन्नत खनिज सम्पदा को घटिया सम्पदा बताकर खनन आवंटन कराने से सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

7. जसिरा खुर्द में बढ़िया, अच्छी व कीमती उन्नत किस्म की खनिज को प्राइवेट लोगों को देने से सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

8. अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

9. प्राकृतिक खनिज सम्पदा का पर्याप्त मात्रा में दोहन न होने पर तथा खनिज आधारित सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की कमी के संदर्भ में चर्चा के लिये।

10. बाड़मेर–जैसलमेर जिलों में अवैध खनन कार्य को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

11. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में खनिज पट्टे अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को नहीं देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

12. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में खनिज पट्टों के आवंटन में विभाग द्वारा अनियमितता एवं भेदभाव किये जाने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(श्री कुबेर सिंह)

13. खनन कार्य हेतु सबसीडी कम दिये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

14. विभाग द्वारा बड़े खनन क्षेत्र एक ही व्यक्ति को अलाट न करके विभिन्न छोटे-छोटे टुकड़ों में अनेक व्यक्तियों को अलाट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा खनन की लघु और माइनर स्कीमों पर ध्यान नहीं देने से विकास के प्रति बढ़ती अवरुद्धता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

16. नागौर के माडपुरा लालवास के लाइम स्टोन के खनन हेतु लीज दी जाकर खनन की पाबन्दी हटाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. नागौर के पास भदवासी व आस-पास के गांवों में खेत मालिकों को जिप्सम के खनन की लीज दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

18. अवैध खनन कार्य को रोकने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

19. अवैधानिक रूप से होने वाले खनन कार्य को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

20. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

21. राजस्थान प्रान्त के खनिज उद्योग को प्रोत्साहित देने हेतु नई नीति की घोषणा पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूनकरणसर) :

22. लूनकरणसर तहसील के दुलमेरा स्टेशन की पत्थर की खान के खनन के लिये।

23. लूनकरणसर के स्थानीय कंकर को निर्माण सामग्री में प्रयोग हेतु उचित दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

24. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के माचा मोलन में विपुल खनिज सम्पदा होते हुए भी खनन कार्य प्रारम्भ न कराने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

25. बांसवाड़ा जिले के व्यक्तियों को मारबल की खानें देने में अनियमितताएं बरतने पर चर्चा के लिये।

26. जिला बांसवाड़ा के मारबल एरिया को वन क्षेत्र से बाहर निकालने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

27. जिला बांसवाड़ा के त्रिपुरा, सुन्दरी, भमरिया, खेमा तलाई आदि ग्रामों में सेम्पल

(श्री बहादुर सिंह)

हेतु रिजर्व एरिया मारबल को खुला करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

28. राज्य में खनिज विभाग में पनप रही अनियमितताओं तथा मिलीभगत से करों/रायल्टी की चोरी से राज कोष को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. भीलवाड़ा जिले के ऊपर माला क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

30. विभाग द्वारा उदयपुरवाटी में पीढ़ियों से बसे परिवार द्वारा भवन बनाने के लिए पत्थर निकालने के कारण उनके विरुद्ध विद्वेषता पूर्ण कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) :

31. बून्दी जिले में हो रहे अवैध खनन से राज्य कोष को हो रही भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. बून्दी जिले में विभाग में खान आवंटन हेतु लम्बित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही कर आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. केशवराय पाटन के इन्द्रगढ़ वन विभाग के क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को खनिज विभाग द्वारा तुरन्त प्रभाव से रोके जाने हेतु चर्चा के लिये।

34. केशवराय पाटन के सारसला ग्राम पंचायत क्षेत्र के नौताडा, बीरज तथा पीपल्दा आदि गांवों में अथाह पत्थर के होने के फलस्वरूप यहां खनन विभाग क्वारी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. खनन विभाग में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा तुरन्त प्रभाव से भरे जाने हेतु चर्चा के लिये।

36. प्रदेश में नई खाने अनुसूचित जाति, जन जाति एवं स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता से आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. बून्दी जिले में नई खानों के आवंटन पर लगी रोक को जन हित में तुरन्त प्रभाव से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

38. खैरवाड़ा में संगमरमर की खानों को स्थानीय लोगों को नहीं दिये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

39. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र की खानों को बाहरी व्यक्तियों को आवटित किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

40. काश्तकारों के कब्जे की भूमि में स्वयं काश्तकारों को खनन कराने की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) :

41. ग्रेनाइट खनिज को बढ़ावा देने सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) :

42. थानागाजी क्षेत्र में खनिज सम्पदा का आवश्यक सर्वेक्षण किया जाये एवं क्षेत्र के दोहन, का कार्य करने वालों को ही खनिज क्षेत्रों का आवंटन किया जाये। पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

43. खानों में होने वाली दुर्घटना से प्रभावितों को उचित मुआवजा दिये जाने की राशि और समय तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. मकराना पत्थरों को केवल मूर्ति निर्माण कार्य के लिये ही ईयरमार्क करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. रायल्टी के डिफाल्टर्स को पुनः पट्टा नहीं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. जयपुर जिले में खनिज, सम्पदा का सर्वेक्षण कराकर मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. राक फास्फेट के शोधन के लिये राज्य में विभाग द्वारा शोधन संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राजस्थान में खनिज सम्पदा का योजनाबद्ध तरीके से खनन न होने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा खानों में कार्य करने वालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई ठोस कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न असुरक्षा कि भावना पर चर्चा के लिये।

50. अभ्रक की खानों के व्यापक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. खनिजों के विकास एवं खनिज क्षेत्र में आवंटन की कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जयपुर नगर के पहाड़ों के कटाव को तत्काल बन्द किया जाने और घाटगेट के पीछे सुमेल डूंगरी आदि में खनन कार्य किये जाने की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

54. अजमेर क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा कुछ परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु खनन पट्टे जारी करने पर चर्चा के लिये।

55. कांकरोली क्षेत्र में पत्थर उद्योग खानों के श्रमिकों एवं आस-पास के किसानों के लिए विकास योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

56. थोब स्थित चारौसी की खानों में भरे हुए पानी की निकासी एवं पुनः खनन कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

(128)

(श्री चम्पालाल बांठिया)

57. बाड़मेर जिले की जिप्सम में एकाधिकार समाप्त कर लघु उद्यमियों को खनन हेतु देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

58. आर.एस.एस.एम., उदयपुर के प्रबन्धकों द्वारा पक्षपात, घोटालों, भाई-भतीजावाद करने एवं अव्यवस्था फैलाने से उत्पादन गिरने तथा श्रमिकों की अकाल मृत्यु होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. आर.एस.एम.एम. उदयपुर के प्रबन्धकों की अकुशलता के कारण उत्पादन में गिरावट एवं वित्तीय संकट पैदा हो जाने पर भी दी जा रही सहायता/अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. आर.एस.एम.एम., उदयपुर कार्यालय के बाहर दिनांक 15.2.91 को कतिपय विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई कथित गड़बड़ियों पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. दिनांक 7.9.90 को राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक आर.एस.एम.एम. को जारी किये गये निर्देशों को निरस्त नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स उदयपुर में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों पर की गई नियुक्तियों में की जा रही अनियमितताएं तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाले अनुदान/सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स उदयपुर द्वारा वर्ष 1990–91 में लक्ष्य के अनुसार खनन कार्य नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

64. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स उदयपुर की अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था के कारण उत्पादन में आई गिरावट और श्रमिकों में व्याप्त तीव्र आक्रोश के बावजूद दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

65. राज्य सरकार द्वारा रिजर्व एरिये में भूतपूर्व सैनिकों को खनिज लीज आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

66. बर क्षेत्र पाली जिले की खानों से निकलने वाले कच्चे पत्थर की रायल्टी मकराना, बिजौलिया तथा जोधपुर की खानों की पट्टियों के समान वसूल करने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

67. पाली जिले की रायपुर तहसील क्षेत्र में सर्वेशुदा ग्राम कानूजा, चिनाड़, बद बिरारिया कलां, सैंदड़ा तथा रामगढ़ में तत्काल खनन पट्टे आवंटित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. खनिज श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना सरकार द्वारा लागू की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

69. सोजत सहायक अभियन्ता खनन कार्यालय का सप्ताह में एक दिन बंद रखकर डाक बंगला में कैम्प रखकर खनन् श्रमिकों की देनदारियां लेने की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. काश्तकारों के मकान तथा सार्वजनिक भवनों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली बजरी पर रायल्टी वसूल नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. आवंटित पट्टेधारी खनिज श्रमिकों से राजस्व विभाग गैर मुमकिन खनन पट्टाधारी पर रायपुर क्षेत्र में लगान व जुर्माना वसूल किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

72. अवैध माद माइन्स को बन्द करवाये जाने की आवश्वकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

73. टौंक जिले की बनास नदी की बजरी के ठेके में हुई अनियमितताएं एवं विभागीय मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. खनिज क्षेत्र के आवंटन में पिछले समय हुई अनियमितता पूर्ण कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. राजस्थान में अवैध खनन से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उद्योगों के लिए जो एक वातावरण बनना चाहिये था, वह अभी तक नहीं बन पाया है। वास्तव में तो पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बन पाया है परन्तु राजस्थान के मुकाबले में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जिक्र किया जा सकता है परन्तु राजस्थान में जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी राजस्थान में आज तक आस्था बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। उनमें अभी तक विश्वास नहीं जम पाया है कि वह यहां पर उद्योग लगावें। हमने बहुत सारे बैकवर्ड एरिया करीबन 15 वर्ष पहले घोषित किये, अलवर भी बैकवर्ड एरिया घोषित किया गया परन्तु अलवर शहर के अन्दर कुछ उद्योग लग गये। जो घोषित किया गया था वह तो सारा अलवर जिला घोषित किया गया था। यदि वास्तव में वहां पर लोगों में उद्योग लगाने की भावना पैदा होती तो अलवर के गांव-गांव में उद्योग लग जाने चाहिये थे। भिवाड़ी में जरूर उद्योग लगा, उसका छोटा मोटा क्रेडिट मैं भी ले सकता हूं परन्तु भिवाड़ी के अलावा और भी दूसरी कई जगह हैं जहां पर पौटेन्शियल हैं, जहां पर आदमी काम करने को उद्यत हैं, जहां पर आदमी के पास धन लगाने के लिए कुछ धनराशि भी है परन्तु उनके मन में यह भावना पैदा नहीं हो पाई एक प्रकार का जो वातावरण बनना चाहिये था कि हम उद्योग लगाने में आगे बढ़ सकते हैं और हमें राज्य सरकार की ओर से या जितनी भी प्रमोशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उन

(श्री रमाकान्त शर्मा)

इंस्टीट्यूशन्स की तरफ से जो मदद मिलेगी, वह इस प्रकार का वातावरण वहां पर नहीं बन पाया और शहर के अन्दर जितनी इंडस्ट्रीज हैं, वे उसे बैकवर्ड घोषित नहीं करते तो वहां जितनी लग पाती, उतनी ही लग लगा गई। हमने राजस्थान भर में इण्डस्ट्रियल एरिया बनाये, दूसरे प्रदेशों में भी इण्डस्ट्रियल एरिया बने। ये इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने की जो योजना है, यह हिन्दुस्तान में या राजस्थान की अपने आप में कोई मौलिक योजना नहीं है। सत्य बात तो यह है कि इस प्रकार के इण्डस्ट्रियल एरिया इंगलैण्ड, बेल्जियम, जर्मनी, अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और मलेशिया मुख्यत: इन देशों में इसको लगाया और उसकी नकल करके हमने भी यहां पर ऐसे इण्डस्ट्रियल एरिया लगाये परन्तु उनकी जो वास्तविक भावना थी, उस भावना की हमने नकल नहीं की। वहां पर जो इण्डस्ट्रियल एरिया लगते हैं, उनको वहां एक तरीके से साइंटिफिक टेक्नीकल एण्ड इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के वह उद्यान हैं उन्होंने उनका वहां नाम भी पार्क ही रखा है। साइंटिफिक इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम से वहां पर पार्क है। हमने भी अभी पिछली बार एक घोषणा की थी डायमण्ड पार्क की, शायद यह शब्द वहां से लाये होंगे परन्तु वहां की बात की है हम इस प्रकार के पार्क बना रहे हैं, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, तो मुख्यत: उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्रों के अन्दर एक वातावरण बनाया जाता है। जहां पर सेमीनार होते हैं, जहां पर साइंटिस्ट लोग, टेक्नीकल लोग अकाउन्ट्स जानने वाले लोग, जहां पर मैनेजमेंट जानने वाले लोग वहां निरन्तर किसी न किसी प्रकार का ज्ञान जो एण्टरप्रिन्योर्स हैं, जो इस तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं, वहां पर उन लोगों को आकर्षित करते हैं, वहां पर बातचीत होती है, वहां पर उद्योग मेले लगते हैं, वहां पर जो नई चीज बनाई जाती है, उसका प्रचार प्रसार होता है, उनका प्रोत्साहन मिलता है, उनको सारा का सारा उस देश का या उस क्षेत्र का या उस जिले का वह एक ऐसा केन्द्र बिन्दु बन जाता है जहां पर जिस किसी के मन के अन्दर उद्योग लगाने की भावना होती है, वह उस इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर जाता है, उस इण्डस्ट्रियल पार्क में जाता है और वहां एक प्रकार की प्रेरणा लेता है और वहां पर इण्डस्ट्रीज लगाता है। उसके समानान्तर तरीके से हमारे यहां जो इण्डस्ट्रियल एरिया लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अन्दर भावना दूसरी चली गई कि हम यहां पर उद्योग लगाने के लिए सुविधा देते हैं हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको लोन देंगे, हम यहां पर आपके लिए बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे और इस प्रकार से कुछ छोटी मोटी सुविधाएं लेबर के लिए रहने वास्ते मकान बना देंगे या कोई छोटा या मोटा अस्पताल खुलवा देंगे। एक सुविधा बेस्ड हमने इण्डस्ट्रियल एरिया का यहां पर कंसेप्ट दिया है। यहां तक भी सीमित रहते तो कोई बात नहीं थी परन्तु वास्तविक बात तो यह हुई है क्योंकि हमारे यहां इण्डस्ट्रियल या औद्योगिक वातावरण बनाने की बात अधिकारियों पर छोड़ दी है। अधिकारी लोगों को तो कोई भी काम दिया जायेगा, वे तो यह देखेंगे कि हमारा इसके अन्दर अधिकार क्या है, हमारा कर्त्तव्य क्या है, हमें कौनसे नियम, अधिनियम, उपनियम, विशिष्ट नियम बनाने हैं, लोग एप्लीकेशन

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के लिए क्या-क्या सख्त से सख्त कंडीशन्स दी जा सकती हैं जिसके बारे में कोई चीज रह नहीं जाये, छूट नहीं जावे वरना हमारे ऊपर कोई बात आ जायेगी। हर चीज के अन्दर वह कानून-बाउन्ड होते हैं तो जो उद्योग लगाने के वातावरण का काम करना होता है, यह तो राजनैतिक प्रशासन का काम है। यह तो राजनैतिक प्रशासन ठोक-ठोक करके अधिकारियों को बुलाकर, उनके मन के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा करें कि यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए यह चीज करने की है, इस प्रकार से सारी की सारी मानीटरिंग करें तो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उन इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर कुछ इण्डस्ट्रीज आ सकती हैं अन्यथा तो शायद आपको पता है। अभी भी 20 हजार प्लाट हैं राजस्थान के अन्दर, उसमें मुश्किल से 4–6000 प्लाटों में इण्डस्ट्रीज लग पाई हैं बाकी 14–16 हजार जो प्लाट हैं, वे खाली पड़े हुए हैं क्योंकि सुविधाएं देने मात्र के आधार पर कहीं पर भी उद्योग लग नहीं सकते....

(2·45 म.प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

वातावरण बनाने की बात का भी जिक्र करना चाहूंगा। हम यहां पर उद्योग लगाने का वातावरण बनाने के लिए कहां जाते हैं, तो साहब हमको इण्डस्ट्रीज लगानी थी अलवर के अन्दर, कैम्प हम दिल्ली में करना चाहते हैं, कैम्प हम करना चाहते हैं मद्रास में, असम में जाकर। असम के लोगों को लायेंगे या हम मद्रास में हमारे जो लोग बसे हुए हैं, वहां से हम उन लोगों को लायेंगे या लन्दन जाकर के कैम्प लगायेंगे। यदि अलवर में कोई उद्योग लगाना है तो अलवर में या थानागाजी में कैम्प क्यों नहीं लगाते, नारायणपुर में कैम्प क्यों नहीं लगाते, बहरोड में कैम्प क्यों नहीं लगाते ? वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को हम यह बता सकें कि आपके यहां उद्योग लगाने से किस प्रकार से ज्यादा सुख साधन में समृद्धि हो सकती है। तो इस बात के बारे में ध्यान नहीं देते परन्तु हम उन लोगों को लाना चाहते हैं जो उद्योग लगाने में पहले ही दक्ष हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे कि उद्योग किन लोगों ने लगाया है या तो मारवाड़ियों ने लगाये हैं या पंजाब से आये हुए लोगों ने लगाये हैं या फिर कुछ मेरे ख्याल से सरदार लोगों ने लगाये होंगे, सर्व साधारण तो जनता है, दिल्ली से आने वाले लोगों ने उद्योग लगाये हैं। राजस्थान में एक बड़ा उद्योग आप नहीं बता सकते जिसके अन्दर आप यह कहें कि हमारे प्रमोशन के द्वारा राजस्थान के लोगों ने आगे बढ़ करके जो यहां के थे, मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं.... (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिये। आपका टाइम हो तो आप बता दीजिये। मारवाड़ी लोगों ने जो उद्योग लगाये हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है परन्तु उनके लिए हमारे प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बता रहा हूं कि हमारे जो प्रमोशन एफर्ट्स हैं वह कहां होना चाहिए। क्यों नहीं कोई गुर्जर इण्डस्ट्रीज लगाता ? क्यों नहीं कोई अहीर इण्डस्ट्रीज लगाता ? क्यों नहीं यहां पर राजपूत इण्डस्ट्रीज लगाता ? आखिरकार

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उनको भी तो प्रमोट किया जा सकता है। तो राजस्थान में जितने लोग यहां पर रह रहे हैं, उनकी मानसिकता है, उनमें एन्टर-प्रिन्योर्स है, उनमें प्रोटेन्शल है परन्तु उनको एक प्रकार के जो प्रमोशनल एफट्र्स की आवश्यकता है. प्रमोशनल एफट्र्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं। यह मेरा पाइन्ट है, माननीय सभापति महोदय।

प्रमोशनल एफट्र्स के बारे में भी जो रीको है या आर. एफ. सी. है, वह केवल मात्र इतने इण्डस्ट्रियल एरिया बना दिये या इतनी लोन फेसिलिटी दे दी या इक्विटी दे दी और यहां बात समाप्त कर जाते हैं प्रमोशनल एफट्र्स की इण्डस्ट्रीज जब लगेगी जब इन्जीनियर्स मिलें, हमको चाहिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, रीको को चहिए कि जगह जगह रीको स्पोन्सर से पोलीटेक्नीक कालेज खुलवाने चाहिए। रीको का फर्ज होता है कि जगह जगह पर जहां इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं लग रही हैं। वहां पर आई. टी. आई. भी खुलवानी चाहिए, वहां पर जिस–जिस प्रकार की इण्डस्ट्रीज हो सकती है, उसी तरह की इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा सकती है। जैसे थानागाजी के अन्दर मार्बल बेस इण्डस्ट्रीज हो सकती है तो रीको की सहायता से लोग वहां पर मार्बल बेस इण्डस्ट्रीज लगायें तो उससे पहले प्रमोशनल एफट्र्स होने चाहिए कि वहां पर इस प्रकार के ट्रेड आई. टी. आई. में खोल दे। दो वर्ष के अन्दर तैयार होते हैं। वहां पर 100–50 आदमियों को इस प्रकार की टेक्नीक मिल जाये, औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे उसके बाद उद्योग लगाने वाला एक करोड़ रुपये की मशीन वहां लगायेंगे और कहेगा कि उस मशीन को चलाने के लिए एक टेक्नी–शियन चाहिए। अब वह जयपुर में जाकर मकराना में जा करके टेक्नीशियन ढूंढेंगे। वह थानागाजी में नहीं जायेंगे। आई. टी. आई. और पोलीटेक्नीक इस प्रकार जो हमें टेक्नीशियन चाहिए, उन टेक्नीशियन को हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि इसे ही प्रमोशनल एफट्र्स कहते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज में जो लड़के होते हैं उनको यह बताने के लिए कि किस प्रकार का संक्रामक रोग है गांवों में किस प्रकार के रोग होते हैं, मेडि-कल कालेज के जो बच्चे हैं वह जा करके गांव में कैम्प करते हैं, उनसे कुछ इस प्रकार का काम भी कराया जाता है। क्यों नहीं हम यह सोच सकते हैं कि हमारे जो इंजीनियरिंग कालेज हैं, इंजीनियरिंग कालेज के लड़कों को इस प्रकार के कैम्प में भेजा जाय जहां इस प्रकार की इण्डस्ट्री लग सकती है। यह रीको का काम है, जितने भी आपके चार इंजीनियरिंग कालेज हैं, उन इंजीनियरिंग कालेज से बात-चीत करें, उनके प्रोफेसर को, उनके सारे के सारे जितने छात्र हैं, उन छात्रों को जिन क्षेत्रों में इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती है वहां से लाया जाये, अवगत कराया जाये उन्हें बताया जावे, उनकी मानसिकता बनाई जावे कि आगे आने वाले उद्योग में उन्हें नौकरी मिलने की है, इस गांव में मिलने की है। अभी उनका ध्यान सीधा यह रहता है कि हमें दिल्ली और जयपुर और अहमदाबाद, इन जगहों पर नौकरी प्राप्त करने की है।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यदि गांवों के अन्दर हम इस प्रकार से उन छात्रों को शुरू से ही ले जाने का वातावरण बनायें तो हमको जो एक बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाती है कि गांव के अन्दर हम को करेक्ट टाइप ग्राफ परसोनल नहीं मिलते हैं, वह परसोनल समय के अन्दर हमको मिल जायेंगे। यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल मात्र यही बात नहीं है कि हमको टेक्नीशियन चाहिये। इण्डस्ट्रीज लगाते हैं, कालेजों से जो लड़के पढ़ कर आते हैं, बी.कॉम.एम.कॉम. न जाने क्या क्या पी. एच डी. तक कर लेते हैं परन्तु उनको कैश बुक नहीं लिखनी आती। उनको इण्डस्ट्रीज के अन्दर किसी प्रकार का अकाउण्ट रखने का नहीं आता। यह भी रीको का फर्ज है। वह एण्टरप्रिन्योरशिप जो डवलपमेण्ट का कोई प्रोग्राम चला वह तो डवलपमेण्ट का प्रोग्राम ही नहीं है रीको के पास में, आर. एफ. सी. के पास में। यह कुछ करते हैं तो एस. आई. वाले करते हैं परन्तु जिन लोगों का रियली पैसा लग रहा है, एण्टरप्रिन्योर का जो पैसा लगता है मुश्किल से 10 पर्सेण्ट लगता है, 15 पर्सेण्ट लग जाता है, सारा का सारा पैसा इन वित्तीय संस्थानों का लगता है। इनको ध्यान रखने की बात है कि वित्तीय संस्थाएं जो पैसा देती हैं कि इन उद्योगों के अन्दर उनका पैसा सुरक्षित है, सही प्रकार से हिसाब किताब लिखा जा रहा है। तो इनको उस प्रकार का मैटीरियल भी पैदा करना पड़ेगा, इनको इस प्रकार के आदमी भी तैयार करने पड़ेंगे कि जो आदमी इस प्रकार के अकाउण्ट को मेनटेन कर सकें। तो एण्टरप्रिन्योरशिप डवलपमेण्ट के अन्दर एक प्रकार से यह भी चीज होनी चाहिए कि ऐसे अकाउण्ट लिखने वाले या कम्पनी ला को समझने वाले या कम्पनी ला जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार की बैलेंस शीट बनाने वाले, लोगों को भी प्रशिक्षण देवें। इस बात को मैं बार बार एमफेसिस कर रहा हूं कि प्रमोशनल एक्टिविटी के तहत जो वित्तीय प्रावधान करते हैं उसमे क्लियरली यह प्रावधान होना चाहिए। बहुत सारे उद्योग, लोग कहते हैं इसलिए लग जाने चाहिए कि यहां पर यह रा-मैटीरियल मौजूद है। परन्तु माननीय सभापति महोदय, रा मैटीरियल के आधार पर क्या हमारे पास में टेक्नीकल परसोनल अवेलेबल हैं या हमारे पास एण्टरप्रिन्योर्स अवेलेबल हैं। इनके आधार पर उद्योग नहीं लग सकते। उद्योग वास्तव में लगते हैं कि हम जो कुछ पैदा करते हैं उसका मार्केट कहां पर है और इस बात के अन्दर हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं बिल्कुल शून्य हैं। उन्होंने कभी भी, आज 15–20 वर्ष हो गये रीको को बने हुए, अनुसंधान नहीं कराया कि किस प्रकार का कहां कहां पर देश के अन्दर, विदेश के अन्दर कौन सा मार्केट उपलब्ध है। उनको मार्केट सर्वे करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट की ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को और इन मुद्दों को, इन चीजों को लोगों को बताना चाहिए अपने अखबारों के माध्यम से सूचित करना चाहिए, दूसरे जनरल्स जो हैं उनके माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि कोरिया के अन्दर अचानक इस बात का मार्केट पैदा हो गया है या आज कुवैत के अन्दर कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू होने वाली है, कुवैत के अन्दर शायद हमको सारे का सारे, हमारे एफर्ट्स की आवश्यकता होगी।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

इस तरह की वहां पर उद्योग के द्वारा आप यह चीज पैदा कीजियेगा, महीने भर बाद ही इसकी आवश्यकता होगी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जो पावर्स हैं दूसरे देशों के अन्दर, बड़े–बड़े विकसित देशों के अन्दर, वहां पर सबसे ज्यादा जोर मार्केटिंग पर दिया जाता है और यह भी बताते हैं कि उनके यहां पर तो मार्केट अपने आप सेचुरेटेड हैं। चाहे वह जर्मनी हो, चाहे इंगलैण्ड हो, चाहे अमेरिका हो वहां पर लोकल लेवल पर कुछ नहीं बिकता है। वहां तो इन्टरनेशनल मार्केट के बारे में ध्यान देते हैं और ध्यान देकर अपने लोगों को बताते हैं, अखबारों से जानकारी देते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम हमारे जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ध्यान मार्केटिंग पर दिया जाय। बल्कि यह भी हमको दूसरे मुल्कों से सीखना होगा कि हमारे लघु उद्योग क्या–क्या पैदा करते हैं उन सबके लिए प्रत्येक बड़े शहर के अन्दर हमको एक अलग से मार्केट बनाना चाहिये। अभी अभी यहां एक प्रदर्शनी लगी थी महिलाओं ने गांवों के अन्दर कोई चीज पैदा की थी और उसकी चार दिन तक प्रदर्शनी लगी थी। माननीय सभापति महोदय, मुझे जाकर देखने का मौका मिला है। किस प्रकार से वहां सारा का सारा माल बड़ी जल्दी से बिक गया है और कितना बड़ा एक एप्रीशियेशन मिला है। उसका नतीजा यह हुआ कि गांवों के अन्दर जो महिलाएं हैं, जो ट्रेनिंग लेती हैं वह और माल बनाने लगी हैं। इसी प्रकार से हमारे जो छोटे उद्योग यहां पर पैदा कर रहे हैं उनके बारे में जयपुर में मार्केट हो, जोधपुर में मार्केट हो, कहीं दिल्ली के अन्दर मार्केट हो। केवल मात्र लघु उद्योगों से जो माल पैदा होता है उसकी एक मण्डी बन जानी चाहिये। जैसे अनाज की मण्डी बनती है, जैसे तिलहन की मण्डी बनती है, सब्जी की मण्डी बनती है उसी प्रकार से लघु उद्योगों से पैदा होने वाली चीज की मण्डी बना दें। हमारे शहरों के अन्दर तो बाहर के खरीददार लोग आते आते हैं उनको गलीचा चाहिये और वह दुकानों–दुकानों पर जाते हैं। एक प्रकार से गलीचे का बहुत बड़ा उद्योग है, एक पूरी मण्डी बन जानी चाहिये गलीचे की। आप देखेंगे कि बाहर से किस तरह से टिड्डी दल की तरह लोग खरीदने के लिए यहां पर आ जायेंगे। हम लोग इस तरह जाते हैं, चलो सिंगापुर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद लायेंगे और कुछ इस तरह से आने जाने का किराया और पैसा बच जायेगा। मैं, सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं कि जो गलीचा यहां पर 2 हजार में बिकता है वह जर्मनी के अन्दर 6, 7, 8 हजार में बिकता है और बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो जायेंगे वहां पर कि चलो दो गलीचे खरीद लायेंगे आने जाने का किराया भी हमको मिल जायेगा। इस प्रकार की एक जगह पर ऐसी मण्डी हो जो यहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज से, हमारी विशेष इण्डस्ट्रीज से पैदा हो तो हम बहुत सारी मार्केटिंग की जो दिक्कत हैं उनको सहूलियत दे सकेंगे।

मैं अंत में एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग मंत्रीजी से खास तौर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इन बड़े उद्योगों की ओर ज्यादा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ध्यान नहीं दें और यह खास तौर से इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे रीको का जब भी कभी कुछ निकलता है कि हमने जे. के. से बात करली है हमने डी. सी. एम. से बात कर ली है, जे. के., डी. सी. एम., मोदी इन लोगों ने केवल मात्र हमारा शोषण किया है। न इनसे कोई, हमें सैल्स टैक्स मिला है, न इनसे हमारे किसी लोगों को नौकरी मिली है, न कोई केप्टिव इण्डस्ट्री लगती हैं, न एन्सीलियरी इण्डस्ट्रीज लगती हैं, न हमारे बड़े लोगों को उनके अन्दर प्रबन्ध की जगह पर कोई नौकरी मिली है। इन्होंने हमारा शोषण किया है। इन्होंने यहां पर चोरी भी की है, चाहे बिजली की चोरी हो, चाहे पानी की चोरी की हो, चाहे सैल्स टैक्स की चोरी की हो। इनकी जगह पर यदि हमको राजस्थान के अन्दर उद्योग का वातावरण बनाने का है तो हमको लघु उद्योगों पर ध्यान देना होगा। इन लघु उद्योगों के लिए गांव गांव के अन्दर ध्यान देना होगा और उनको केन्द्रित हमको बड़े शहरों के अन्दर नहीं करना होगा यदि हम उद्योग का एक वातावरण बनाना चाहते हैं तो।

मैं आपके माध्यम से सारे विभाग से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, 1972 एक नेशनल साइन्स एण्ड टेक्नालाजी एण्टरप्रिन्योर डवलपमेण्ट बोर्ड आफ इण्डिया बना हुआ है हमारे किसी अधिकारी को पता नहीं कि कोई इस तरह की चीज बनी हुई है। इसका लाभ उठा रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि चार प्रदेश, गुजरात है, कर्नाटक है, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। यह लोग उठाते हैं। हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज भी है। इस चीज का हम कोई फायदा उठा सकते हैं। हमने उनकी कोई ब्रान्च यहां पर खोलने की बात नहीं की, हमने यह नहीं देखा कि उनका मेनीफेस्टो क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए इसमें देखने की बात है।

अन्त में एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमारा ज्यादातर पैसा वित्तीय संस्थाओं का उद्योग के अन्दर लगा है, उनका तो 15-20 पर्सेण्ट ज्यादा से ज्यादा मैक्सीमम लगता है। परन्तु हम इतनी हैगिलग करते हैं जिस समय उसको पैसा देते हैं वह मांगता है 5 लाख तो नहीं, हम तो 4 लाख देंगे। तुम्हारी यह खराबी है, तुम्हारी यह गलती है, तुमने यह नहीं किया, वह नहीं किया, टेण्डर नहीं दिया, कोटेशन नहीं दिया और एक बार उसको चार लाख दिया और फिर कम्प्लीटली भूल जाते हैं। इतनी बड़ी धनराशि 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़ देते हैं उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा बड़ी इण्डस्ट्री के अन्दर एक अपना एक डायरेक्टर लगा दिया, उस डायरेक्टर ने किसी मीटिंग को अटेण्ड किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। परन्तु एक साझेदारी होती है, भागीदारी होती है जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है 4 लाख लगा हुआ है, 10 लाख लगा हुआ है, जिसमें हमारी चिन्ता होनी चाहिये कि उसको वर्किंग कैपिटल मिली या नहीं मिली, उसको सैल्स टैक्स से एग्जेम्पशन मिला कि नहीं मिला, उसके पास अच्छे आदमी लगे कि नहीं लगे, इंजीनियर लगा कि नहीं लगा।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उसके पास जाकर बैठकर इस प्रकार से देखने में क्या दिक्कत है। हम बल्कि उसके ऊपर एक प्रकार से अधिकारी बन कर बैठ जाते हैं और उसके साथ में जब तक हम अपनी भागीदारी नहीं करेंगे तो वह सब कुछ नहीं होगा।

एक, माननीय सभापति महोदय, यहां पर भी दिक्कत है कि हमारे अधिकारियों की, इन वित्तीय संस्थाओं का कमिटमेण्ट नहीं होने की वजह से हर काम को वह रुटीन में लेते हैं। और चाहे दूसरे प्रशासनिक काम रुटीन में आप ले लें परन्तु जिसमें विकास का काम है और खास तौर से औद्योगिक विकास का काम है उसके अन्दर यदि आप डे टू डे कोई चीज नहीं करेंगे तो उद्योग पनप नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकेंगे और इसी का कारण है कि जो हमारे उद्योग लगते हैं वे रुग्ण हो जाते हैं। थानागाजी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात साल भर से चल रही है। दो–तीन दफा आदमी भी वहां पर जा चुके हैं, कई दफा मैं माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन कर चुका हूं। दो दिन पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि हां लगाना चाहते हैं परन्तु वहां आज के छह महीने पहले, चार महीने पहले जो जमीन हमको 4 हजार रुपये में मिल जाती अभी आलरेडी 8 हजार तो हो चुके हैं और दो महीने लगायेंगे तो उसके 10 हजार रुपये हो जायेंगे और फिर बात करेंगे कि अब 25 लाख रुपये चाहिये, हम 25 लाख रुपये कहां से लायेंगे। यह तो प्रावधान नहीं बैठ सकता। यदि हम सोचते हैं कि मार्बल के बेस पर सारे राजस्थान के अन्दर मोस्ट सक्सेसफुल इण्डस्ट्री थानागाजी के अन्दर हो सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वान्टिटी मार्बल की, ग्रेनाइट की वहां पर उपलब्ध है तो तत्काल क्यों नहीं काम करते। हमारे इस देरी के कारण से हमारी जो कास्ट है वह बढ़ती जाती है।

मैं आपकी इजाजत से खनिज पर भी दो शब्द बोलना चाहता हूं। यह जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के अन्दर हमने निर्णय ले रखा है कि जब भी कभी भूमि का आवंटन हो तो स्थानीय लोगों को सबसे पहले भू-आवंटन करने का प्रयास करें। उसके बाद बच जाये तो हम तहसील में जायेंगे, जिले में जायेंगे, जिले के बाहर जायेंगे। क्या कारण हैं कि कभी स्थानीय आदमी को खान नहीं मिलती है। थानागाजी में तीन चार सौ खानें हैं, मुझे तो याद नहीं एक भी आदमी ऐसा हो जिसको खान मिली हो। पता नहीं कौन बाहर के आदमी आ जाते हैं। खान विभाग इस प्रकार के नियम क्यों नहीं बनाता जमीन की बात है, जमीन के ऊपर आप चाहे एग्रीकल्चर पैदावार लें या चाहे जमीन के नीचे से माल निकालें जो स्थानीय आदमी है उसको सबसे पहले अधिकार मिलना चाहिए।

इसी प्रकार से खान देते वक्त के अन्दर वह आदमी क्या कर रहा है ? गुड़ का धंधा कर रहा है और कोई चीज का धन्धा कर रहा है, शक्कर बेच रहा है या कपड़ा बेच रहा है इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। चलो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे मुल्क के अन्दर डवलपिंग इकानोमी है, फर्स्ट जनरेशन एण्टरप्रिन्योरशिप है। परन्तु फिर भी किसी को देवें तो ऐसे नियम तो होने चाहिए और यह काम विभाग को करना

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चाहिए माइनिंग किस प्रकार से की जा सकती है, इसके लिए ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलना चाहिए और इसको कम्पलसरी करना चाहिए कि 6 महीने पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। झूठे सर्टिफिकेट ले आयेगा, मैं जानता हूं कि प्राथमिकता इस बात से मिलती है कि आपको माइनिंग का अनुभव है। सारी प्राइवेट इण्डस्ट्री है किसी से लिखा देते हैं कि मेरे यहां पर दो वर्ष का अनुभव है। कोई जानकारी नहीं करता, कोई कन्फरमेशन नहीं। जिस प्रकार से शिक्षा के अन्दर स्वास्थ्य के अन्दर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट होता है और जो ट्रेनिंग ले लेता है वही कम्पाउंडर का काम कर सकता है। कम्पाउंडर के काम में गलती हो जायेगी तो एक आध फोड़ा फट जायेगा परन्तु यहां पर सारी हमारी बहबूदी से ताल्लुक रखने वाली चीज है। देश की प्रगति से ताल्लुक रखने वाली चीज है, सम्बन्ध रखने वाली चीज है। अगर गलत आदमी को आपने माइनिंग दे दी तो वह तो कुछ निकालेगा ही लेकिन देश का जो विकास होने वाला है वह रुक जायेगा। इसलिए कम्पलसरी होना चाहिए कि आई.टी.आई. या पोलीटेक्निक के अन्दर या विभाग की तरफ से इन्स्टीट्यूट हो, जिसके अन्दर इसकी ट्रेनिंग दी जाय और एक ट्रेण्ड आदमी से लाभ यह होगा कि राजस्थान के अन्दर जितने खनिज हैं उसके अन्दर 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत वेस्टेज होता है। क्योंकि जिस प्रकार से तकनीक से वह निकालना होता है वह नहीं निकाल पाता है। चाहे कीमती से कीमती टंगस्टन हो या पत्थर हो वह आधा खान में रह जाता है और आधा टूट जाता है और नुकसान होता है, इसलिए प्रोपर ट्रेनिंग हो तो यह नुकसान भी बच जायेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाम मुस्तुफा खान। (अनुपस्थित)

श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय सभापति महोदय, आज जो अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

जहां तक राजस्थान के उद्योगों के विकास का सवाल है। उद्योगों को दो श्रेणी में अपन चर्चा में लेते हैं। एक तो बड़े उद्योग और एक छोटा उद्योग। यह बहुत खेद की बात है कि जो लघु उद्योग हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान कम है। माननीय मंत्री जी का ध्यान तो उस तरफ कतई नहीं है। यह छोटे-छोटे उद्योग, छोटे-छोटे जिलों में लगे हैं। मैंने नहीं देखा कि हमारे जालौर जिले में देखने के लिए एक दफा भी मंत्रीजी आये हों। हमारे टंगस्टन एरिया को भी नहीं देखा है। अब जयपुर में बैठे हुए अगर चाहें कि जो तकलीफ है वह यहां बैठने से सब हट जायेगी, सब मिल जायेंगे तो वह सम्भव नहीं है।

हमारे जालौर जिले के अन्दर, पांच साल पहले कोई उद्योग नहीं था एक-आध कोई ग्रेनाइट का उद्योग सरकार ने स्वयं लगाया था। परन्तु ग्रेनाइट पत्थर निकाले जाने के बाद लघु उद्योग जालौर के

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

अन्दर विकसित हुआ है। रॉ मैटीरियल मात्र ग्रेनाइट था इसलिए ग्रेनाइट आधारित उद्योग लगे हैं। जालौर में दो फज दो बन गये हैं, तीसरी फैज की इतनी मांग होते हुए भी आज दिन तक उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इसलिए जो उद्योग पनपने चाहिए वह उस तरीके से नहीं पनप रहे हैं। जालौर जिला पिछड़ा हुआ है, उद्योग की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ जिला है। ग्रेनाइट का जिले के अन्दर जिस तरह से विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया है, इसके कई कारण है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को, अधिकारियों को इसके अन्दर ड्रा बेक्स हैं उसको ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कमी किस तरह से दूर हो उसके लिए सोचना पड़ेगा। ग्रेनाइट स्टोन वैसे तो सब कलर में मिलता है परन्तु जो बाजार में बिकने वाला है और मांग है वह पांच छः कलर हैं। इसके अन्दर वेरियएशन आते हैं। कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। जो लघु उद्योग चलाते हैं और जिन्होंने टाइल्स की फैक्ट्री लगा रखी हैं उनको सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि एक दफा हजार पांच सौ फीट टाइल घिसाई करके रखते हैं। प्रतिदिन सत्तर-अस्सी फीट ही एक उद्योग तैयार कर पाता है। उसका इतना मंहगा प्रोसिजर है कि पचास साठ फीट से ज्यादा घिसाई करके टाइल नहीं बना सकते हैं। एक महीने में हजार दो हजार फीट का माल इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचते हैं। दुबारा वह माल कोई आदमी लेने आता है तो वह माल मिलता नहीं है, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है। उसके लिए वैसे तो नेचुरली ही वेरि-एशन आयेगा। एक पत्थर के बाद दूसरा खोदा जायेगा तो वेरिएशन आयेगा ही परन्तु विपणन की व्यवस्था कर दी जाय, एक ही ग्रेन्स का स्टोन है, इसके अन्दर सरकार भी सहयोग करे कि विपणन में वेरिएशन है उसको खरीदकर जब बड़ा व्यापारी आये तो उसको बेचने की व्यवस्था कर सके तो शोषण नहीं होगा। स्थिति यह है कि जो छोटे उद्योग अपना माल तैयार करते हैं वह अपने माल को बाजार में बेचने जाता है तो दाम कम होते हैं, वेरिएशन की समस्या होती है। माल बिकता नहीं हैं, उसके साथ शोषण होता है। एक बड़ा व्यापारी तो उसको साठ रुपए फीट बेचता है और वह अपनी आवश्यकता और आर्थिक परेशानी के कारण से 30–32 रुपए फीट में बेच देता है। उससे स्थिति यह होगी कि छोटे उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उनमें ताले लग जायेंगे, जो पूंजी लगी है उस पर फर्क पड़ेगा और भी कई समस्या हो जायेंगी। अतः मेरा निवेदन है सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और मंत्रीजी से कि यह जो छोटी ग्रेनाइट यूनिट लगी हुई हैं उनकी विपणन की व्यवस्था के लिए सरकार अपने स्तर पर भी कोई प्रोग्राम बनाये।

इसी प्रकार हमारे भीनमाल में रीको के द्वारा प्लाट आवंटित किये जा रहे हैं। आज से चार-पांच साल पहले प्लाट दिये गये थे 30 रुपए मीटर। अब दर आ रही है चालीस-पचास रुपए मीटर। इस तरह से इतनी मंहगी दरों पर और विकास शुल्क भी इसके अन्दर शामिल नहीं है। हमने इसके ऊपर निकाला था कि 35 रुपए मीटर पर जमीन मिल सकती है तो यह पचास पचपन क्यों लगाया गया है। एक कमेटी

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

बनानी चाहिए जो वापस उसके ऊपर दुबारा आकलन करे कि कम से कम कितनी दर पर भूखण्ड दिया जाय। रीको का हमारे भीनमाल के अन्दर पहली दफा भूखण्ड आवंटन शुरू हो रहा है। कुछ लोगों ने आवेदन भी किया है। अब इसके साथ दूसरी समस्या यह है कि जो एक्वीजीशन की कार्यवाही है। रीको ने पैसे तो ले लिए, अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक वह क्या कार्यवाही करेगा। इस तरह की समस्या भीनमाल के अन्दर वर्तमान में आ रही है उसकी ओर भी मंत्री महोदय ध्यान दें और जो रीको की दर है, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भीनमाल के अन्दर उसको कम करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने भू-खण्ड आरक्षित करने की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल से 4 पर्सेण्ट ऐसा कुछ कोटा फिक्स किया है। परन्तु भूतपूर्व सैनिक जब भूखण्ड लेने आते हैं तो उनको यह रियायतें नहीं मिलती। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो छोटे स्तर का है, वह पढ़ा–लिखा भी कम होगा, वह अधिक समय तक अपनी इस सोसाइटी से बाहर रहा है, फौज से जब वापस आता है तो वह अपनी सोसायटी में मिल नहीं पाता और जब अधिकारियों के पास जाता है तो ऐसे चक्कर लगवाते हैं कि यह जो आरक्षित कर रखे हैं भूखण्ड भूतपूर्व सैनिकों को, यह भी उनको नहीं मिल पाते। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूखण्ड आवंटन के लिये जो यह कोटा बना हुआ है, इसके लिए अधिकारियों पर दबाब डाला जाय कि भूतपूर्व सैनिक जो भूखण्ड को लेना चाहते हैं, उद्योग लेना चाहते हैं उनसे वे खुद सम्पर्क करें और उनको भूखण्ड आवंटन के लिए व्यवस्था करें।

यह ग्रेनाइट का जो दोहन है, यह उद्योग है। अब ग्रेनाइट का जहां तक सवाल है, वर्ल्ड के अन्दर ग्रेनाइट की बहुत बड़ी मांग है और यह ब्लैक ग्रेनाइट है, यह तो वर्ल्ड में खत्म होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मण्डी जापान की है। वह ब्लैक ग्रेनाइट अपने समुद्र के अन्दर इकट्ठा कर रहा है। जापान में ब्लैक ग्रेनाइट का दोहन होते हुए खत्म हो गया। अपने अफ्रीकन कण्ट्रीज के अन्दर यह ब्लैक ग्रेनाइट था, आज की तारीख में वहां नहीं हैं। चीन में कुछ है और अपने भारत में निकला है। खुशी की बात है कि राजस्थान में भी कुछ जगह ब्लैक ग्रेनाइट निकला है परन्तु ब्लैक ग्रेनाइट को छोटी छोटी टाइल्स या छोटे-छोटे खण्डों में अगर तोड़ा जाता है तो इससे जो अपने को आय होनी चाहिए, सरकार को आय होनी चाहिये और जो उद्योग लगाते हैं, उनको भी होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। यह एक क्यूबिक मीटर जो ब्लैक ग्रेनाइट होता है, उसकी कीमत 8–10 हजार रुपये की है, परन्तु यह जब फौरेन चला जाता है तो 8–10 हजार डालर की कास्ट हो जाती है। 15 गुणा-16 गुणा ज्यादा कास्ट हो जाती है तो किसी माइन के अन्दर अगर बड़े ब्लाक निकल सकते हैं तो बड़े ब्लाक भी निकलें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह मेरा खनिज मंत्री को सुझाव है।

अब मैं खनिज की तरफ विचार प्रस्तुत

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कर रहा हूं। ग्रेनाइट की जो माइन्स दी गई हैं, इसमें अवैज्ञानिक पद्धति से माइन्स का इतना बुरी तरह से उसका इस्तेमाल होता है। बारूद की सुरंग डाल दी और बारूद से पत्थर को तोड़ दिया। उसमें जो पत्थर काम का निकल गया, उसके खण्डे बना दिए, बाकी इतना वेस्टेज होता है। वह अपना नेशनल वेस्टेज है। कुछ ग्रेनाइट तो ऐसा है, बहुत मात्रा में मिलता है। अगर ऐसा वेस्टेज होता है तो भी सहन करने की स्थिति में होंगे कुछ कलर और कुछ ऐसा ग्रेनाइट हैं जिसका अगर इस वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया तो अपने को भविष्य में पछताना पड़ेगा और इस उद्योग पर बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो जायेगा।

इसी तरह सरकार द्वारा मिनरल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि भूतपूर्व सैनिकों को इस आरक्षित क्षेत्र में भी कुछ हिस्सा उनके लिये आरक्षित किया जाय। उनको लाभान्वित किया जाना चाहिए। मैं खुद एक भूतपूर्व सैनिक हूं। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि उनके बारे में बात करूं। मैं समझता हूं कि भूतपूर्व सैनिक ही ज्यादा मेहनत के साथ खनिज उद्योग के दोहन के अन्दर आपकी, देश की और अपने स्टेट की मदद कर सकते हैं।

इसी तरह ग्रेनाइट के खनन का जहां तक पत्थर की खुदाई का काम है, यह मूल रूप से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का धन्धा था। हमारे जालौर में तो रहा है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि शिड्यूल्ड ट्राइब तो खनिज के लिए तरसता रहता है। वह माइन्स पर जाकर एक–दो ट्रक पत्थर तोड़ भी लेता है तो उसके ऊपर केस बन जाते हैं कई तरह के और जिनका यह कार्य नहीं है, वे अपने से लीज ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो यह शिड्युल्ड ट्राइब्स और शिड्युल्ड कास्ट्स का शोषण है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एस.टी., एस.सी. को अगर अपने को काम देना है, जो सबसे छोटी इकाई आवंटित करते हैं, इनको निशुल्क वह इकाई आवंटित होनी चाहिए और जहां–जहां पर पत्थर तोड़ने का काम एस.सी.,एस.टी. करते हैं तो अपने को उनको प्राथमिकता के तौर पर देनी चाहिए। कई जगह उनके लिये रिजर्व कर देनी चाहिये कि यह जो पत्थर है, यह जो इमारती पत्थर है, यह ये ही तोडेंगे, दूसरा कोई नहीं तोड़ेगा।

जहां तक नदी के अन्दर बजरी का सवाल है, बजरी का इस्तेमाल मकानों में भी होता है। नदी के अन्दर जो बजरी है, आपका मैटीरियल है। उसके अन्दर भी ऐसा है कि किसान अपने खेत के अन्दर जो बजरी ले जाता है, उससे किसी तरह की रायल्टी वगैरह नहीं वसूल की जानी चाहिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : नहीं लेते हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपने सक्युलर निकाल रखे होंगे कि नहीं लिया जाय, परन्तु हमारे यहां तो लेते हैं, उनको बहुत दंडित किया जाता है; मेरे पास ऐसी कई शिकायतें हैं, मैं आपको शिकायत दूंगा। मैंने जिलाधीश से भी इसके लिए कह रखा है।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

आप वापिस अपना सक्युलर निकालें, तो अगर जिनको जानकारी नहीं है, प्रशासन को जानकारी नहीं है, जो लीजहोल्डर्स हैं उनको जानकारी नहीं है, तो वह किसानों से बजरी के लिए बिना पैसे ले जाने दें और वह सुविधा दें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43, उद्योग और खनिज के बारे में आज विचार हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों को नये सिरे से लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने पहले भी और आज भी कभी ऐसा विचार नहीं किया कि छोटे उद्योग गांव में लगाये जायें और बड़े उद्योग बन्द किये जायें, तभी छोटे उद्योग पनप सकेंगे। उदाहरण के लिए, जहां बड़ा वृक्ष होगा उसके नीचे छोटे पौधे अगर पनपाना चाहें, तो नहीं पनप पाते। तो राज्य सरकार छोटे उद्योगों की बात करती है, गांवों में छोटे उद्योग खोलने की बात करती है और काम बड़े उद्योगों का हो, तो यह अन्याय जैसी बात हो जाती है। मेरा यह निवेदन है कि किसी भी जिले में छोटे उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार ने आज भी बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए यह सरकार किस रूप में लोगों को राहत देना चाहते है, मेरी समझ में नहीं आता।

जब एक बार भारत सरकार ने भी खेती को उद्योग का दर्जा देने की बात कही उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं, तो छोटे उद्योग कैसे लगेंगे ? हमारी जो नीतियां हैं, हम अगर नीति के अनुसार काम करें तो छोटे लोगों को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा, गांवों में उद्योग लगेंगे और गांव के लोगों को मजदूरी मिल सकेगी।

आज कपास उगता है बांसवाड़ा में और कपड़ा बनता है गुजरात में। तेन्दू पत्ता बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में पैदा होता है, परन्तु मध्य-प्रदेश में, बीड़ी का उद्योग लग रहा है, गुजरात में लगता है और महाराष्ट्र में लगता है, बड़े बड़े उद्योग लगते हैं। तो क्या फायदा ? यहां के लोगों को क्या बेनीफिट ? सरकार ने, उनके लिए क्या व्यवस्था की ? कोई किसी प्रकार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। सरकार को को-आपरेटिव बेसिस पर छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए। किसान और गांव के लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज चना यहां पैदा होता है, मूंग यहां पैदा होता है, उड़द यहां पैदा होता है और दाल मिल कहां हैं ? गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो फायदा क्या ? जब कृषि को उद्योग का दर्जा देने की सरकार बात करती है, तो खेती में मिट्टी में तो कोई उद्योग नहीं पनपता। मिट्टी में पकने वाला जो अनाज होता है, जो खेती होती है, उसका उपयोग करने के लिये छोटे उद्योग लगाये जाते है। जब चुनाव आते हैं, तो हर पार्टी यह नीति बोलती है कि गांवों में उद्योग लगायेंगे, जिस गांव में बिजली पहुंचेगी वहां छोटे उद्योग लगायेंगे, यहां बिजली का खम्बा पहुंचेगा वहां बाल्टी बनाने का कारखाना

(श्री बहादुर सिंह)

लगायेंगे, दाल मिल लगायेंगे, आटा पीसने का कारखाना लगायेंगे, यह सारी बातें कही जाती है : परन्तु उसके मुताबिक कोई काम नहीं होता है ।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य इलाका है । डूंगरपुर और उदयपुर यह सारे गुजरात से लगते हैं, उधर मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को यह प्रावधान बजट में रखना चाहिये कि वहां के आदिवासी लोगों से वह जिस रूप में उद्योग लगाना चाहते हैं ताकि उनको बेनीफिट हो । किसी न किसी रूप में उनको कर्जा और अनुदान देकर उद्योग लगायें । वहां सीमेन्ट के पत्थर का भंडार है, इतना रॉ-मटीरियल है बांसवाड़ा में कि हजारों साल तक खत्म नहीं हो सकता । तो भी वहां सीमेण्ट फैक्टरी लगी थी, वह जयपुर का रहने वाला सेठ है, उसका नाम मुझे याद नहीं है । बाहरी गांवों में सीमेण्ट फैक्टरी लगी हुई थी । तीन साल से पड़ा हुआ है, वहां हमने कई बार लिखा है, कई बार हमने यह भी कहा कि को-ऑपरेटिव बेसिस पर अगर वह फैक्टरी चलायी जाये, तो उसका कुछ, वहां जो 4 सौ 5 सौ लोग पहले काम करते थे उनको रोजगार मिल सके । आज वह सारे के सारे लोग बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके लिए सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और इतना रॉ–मैटीरियल है कि कई दूसरी फैक्टरी लग सकती हैं, मिनी सीमेण्ट फैक्टरी लग सकती है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई किसी प्रकार का विचार ही नहीं किया । सिर्फ वोट लेने की खातिर छोटे उद्योग, छोटी फैक्टरी लगाने की बात करते हैं । लोग जानते हैं कि हम वोट दे देंगे तो सरकार हमारी बन जायेगी, तो कोई रास्ता हमारी सरकार निकाल लेगी, लेकिन सरकार ने बांसवाड़ा के लिए, छोटे उद्योगों के लिए कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया । इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन इलाकों में और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं और दूसरे और तीसरे वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, बांसवाड़ा में छोटे उद्योग लगाने के लिए प्रावधान रखें और स्पेशल प्रावधान रखकर के को-ऑपरेटिव बेसिस पर या छोटे उद्योग लगाने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दें । मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, पहले मैं आपको मिला और आपने मुझे कहा था कि जितने भी मार्बल के भण्डार हैं, बांसवाड़ा में तो उनको मैं वन विभाग से बाहर निकालने की कार्यवाही करूंगा और जो भी माइन्स में, खदान एरिये में आये हुए एरिया हैं, उसको भी खोलकर वहां के आदिवासी लोगों को खदान दूंगा, लेकिन आज तक भी कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ । मैंने एक प्रश्न रखा था, उसमें यह लिखा कि डेढ़ सौ के ऊपर खदानें, बाहर के लोग कोई कलकत्ता का है, कोई बम्बई का है, कोई और जगह का है, कोई राजस्थान का बड़ा सेठ है, ऐसे लोगों को दें और सिर्फ तीन खदानें आदिवासियों के नाम से हैं और एक हरिजन के नाम है और कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने फार्म भरे हैं, सैकड़ों लोगों ने दरखास्तें दी है, परन्तु आज दिन तक किसी दरखास्त पर ध्यान नहीं

(श्री बहादुर सिंह)

दिया गया है और वहां के अधिकारी लोग पैसा लेकर पैसे वाले लोगों को, बड़े–बड़े सेठ–साहूकारों को यह खान दे देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा हक बनता है, वहां के आदिवासियों का हक बनता है, वहां के मूल निवासियों का हक बनता है, जो सैकड़ों–हजारों सालों से वहां रहते आये हैं, उन मारबलों पर उनके मकान बने हुए हैं, उन मारबल के एरिये में उनकी खेती है और मेहनत करते हैं और जहां भी उनकी खेती और मकान बने हुए हैं, ऐसी जगह पर दूसरे बाहर के सेठों से पैसा लेकर के उनके नामों से खदानों का अलाटमैण्ट कर देते हैं। यह तो न्याय नहीं है अन्याय है। यह तो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, अगर आप पूरी तरह से ध्यान देकर गौर से विचार करें कि वहां के लोगों का हक न मारा जाये, ऐसी कार्यवाही करके जितने भी रिजर्व एरिया हैं, आपके विभाग की तरफ से वन विभाग वालों ने नाजायज कब्जा किया है, उसका तो भगवान ही मालिक है। इधर से पीछे पीछे लोग काम करते हैं, मारबल की खदान दे देते हैं और काम शुरू हो जाता है। आपके वन विभाग वाले देखते हैं कि एन. ए. सी. हमको देनी पड़ेगी। एन. ए. सी. कब मिलेगी, पैसे कैसे लूंगा, तो एन. ए. सी. देने के पहले ही वह पत्थर के पहाड़ लगा देते हैं कि यह तो हमने रिजर्व एरिया कर दिया, यह तो हमने हाई पेन्शन कर दी, यह तो हमारे वन विभाग का एरिया है, मगर उनके रिकार्ड में और नक्शों में कितनी हैक्टेयर जमीन है और कितनी माइन्स की है, यह सारा आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो वन विभाग पूरे पर अपना कब्जा कर लेगा। और जब बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायतें हैं, आपके पास भी शिकायतें आई होंगी, मेरे पास भी आई हैं। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो पत्थर की लाइन लगी हुई है, उन लाइनों को हटाकर के, बड़े सेठों से पैसा ले लेते हैं, पैसा लेकर के एन. ओ. सी. दे देते हैं। एन. ओ. सी. देने के बाद पत्थर वहां से दूर हट जाता है और एरिया उनका अलग से निकल जाता है दो खदान, तीन खदान, चार खदान का। तो आपके वन विभाग और माइन्स के सारे अधिकारी मिलकर यह सारा काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही करते चले जायेंगे तो वहां के गरीब आदमी को जो हजारों सालों से रहता हुआ चला आ रहा है, उसका हक बनता है, उसके लिए क्या दोगे। यह तो धीरे–धीरे वन विभाग और माइन्स वाले ऐसा करते चले जायेंगे, माइन्स अलाटमैण्ट करते चले जायेंगे, पैसा उनकी जेब में चला जायेगा और वहां के गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। बाहर के लोग, वहां के निवासियों को सिर्फ मजदूरी तौर पर 14 रुपये, 15 रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी देकर मिट्टी निकालना, पत्थर उठाना, फैंकना, यही काम करायेंगे और वह सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मारबल, सारा का सारा उनका जो मुनाफा है, वह बड़े सेठ लोग खा जायेंगे और सरकार को क्या मिलेगा। सरकार को तो अगर एक गरीब आदमी मारबल निकालता है, तो जो पैसा सरकार में रायल्टी का जमा करना पड़ेगा, वह सरकार को मिलने वाला है। बड़ा सेठ कोई पैसा वाला होगा, तो

(श्री बहादुर सिंह)

वह भी इतना ही रायल्टी भरेगा । तो क्यों नहीं ऐसा किया जाये कि वहां के गरीब आदमियों को दिया जाये, बड़े आदमियों, पैसे वालों को नहीं दिया जाये । बड़े लोग अफसरों की जेब भरते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है, न सरकार को और न ही विभाग को फायदा है, न गरीब को फायदा है । आपको तो गरीब की रोटी-रोजी का सवाल मानना पड़ेगा, गरीबों के धंधे का सवाल मानना पड़ेगा, गरीबों के उत्थान के लिए मानना पड़ेगा और सरकार की आमदनी वाली बात सोचनी पड़ेगी, तो आपको बहुत गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, सोच-विचार के बाद यह रास्ता निकालना पड़ेगा । नहीं तो बांसवाड़ा में सारे के सारे बाहर के लोग भर जायेंगे, जितने भी मारबल के भण्डार हैं, यह सारे के सारे बेच खा जायेंगे । करोड़पति-लखपति वह बनेंगे, सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, गरीब लोगों के लिए मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है और कई लोगों के तो खेत भी नाजायज कर दिये । तो माननीय मंत्री महोदय, एक यह भी शिकायत है कि आदिवासियों के खेत, कोई भी बाहर का सेठ वहां पहुंचता है, दरख्वास्त लगा देता है और ताबड़तोड़ दरखास्त की मंजूरी की बात करता है, अगर पैसा देकर मंजूरी लेने की बात करे, अगर मंजूरी नहीं भी मिलती है, तो तुरन्त दरख्वास्त खारिज कराकर हाई कोर्ट में चला जाता है, स्टे आर्डर ले आता है, तो सारा एरिया कायम हो जाता है । उसमें कृषि की जमीन भी आ जाती है और जहां खेती की जमीन पर मारबल है, मारबल का भण्डार है, तो उस लालच में जाकर वह यह सब करता है, इस प्रकार से वहां लोगों का बहुत शोषण हो रहा है । बांसवाड़ा के जितने भी आदिवासी एरिया हैं, वहां से तमाम लोगों को हटाते जा रहे हैं और लोग बिल्कुल भूमिहीन हो गये, क्योंकि सारा एरिया जो जमीन के छोटे-मोटे टुकड़े थे, वह उनके कब्जे में आ गये, कोई स्टे आर्डर ले आता है, कई बड़े सेठ खदान खोदते हैं, वहीं उनके खेतों में मैटीरियल डाल देते हैं, उनके सारे खेत मैटीरियल से भर जाते हैं । उनकी खेती करने लायक जमीन नहीं रहती क्योंकि सारा मैटीरियल डाल देते हैं, अनेक प्रकार की उन लोगों के सामने उन्होंने अड़चनें पैदा कर दीं । इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, इस पर गहराई में जाकर विचार करना पड़ेगा सोच-विचार करने के बाद यह रास्ता निकालना पड़ेगा । अगर यह रास्ता नहीं निकलेगा तो गरीब मारा जायेगा, मेरा यही निवेदन है । धन्यवाद ।

समिति का प्रतिवेदन

नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री हीरासिंहजी चौहान, संयोजक, नियम समिति की उप समिति नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री हीरासिंह चौहान : महोदय, मैं संयोजक, नियम समिति वर्ष 1990-91 की उप समिति नियम समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री सभापति : श्री चम्पालाल बांठिया ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सभापति महोदय, राजस्थान के समग्र विकास के लिए अब हम कृषि पर ज्यादा आधारित नहीं रह सकते। कृषि की अपनी सीमा है और जिस प्रकार की हमारी जमीन है और जिस प्रकार से हम वर्षा पर आधारित रहते हैं, हम कृषि के अन्दर ज्यादा विकास करके अपने लोगों को नहीं खपा सकते, न अपने राजस्थान का अच्छा विकास कर सकते हैं। निश्चित रूप से उद्योग और खनिज यह इस प्रकार के क्षेत्र हैं, जिसके अन्दर हम मेहनत करके, उसका विकास करके, राजस्थान को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई। जब भी सत्ता का परिवर्तन होता है, राजस्थान के मुखिया प्रवासी राजस्थानियों के पास जाकर उनका आह्वान करते रहे कि चलो राजस्थान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर हम तुमको सुविधाएं देंगे, राजस्थान में उद्योग लगायें, राजस्थान में खनिज का विकास करें। लेकिन ये सारी बातें थोथी रहीं। जब भी कोई नया, बड़ा उद्योग लगाने की बात हुई तो यहां जिस प्रकार का ढांचा है उनसे अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा कीं। हम जानते हैं कि कई एक उद्योग जो हमारे यहां लगने वाले थे वह गुजरात ले गया। गुजरात में जिस प्रकार का औद्योगीकरण हुआ है, जिस प्रकार का उद्योगों का विकास हुआ है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। वहां पर हर तरह की सुविधा नया उद्योग लगाने वाले को तुरन्त मिलती है। पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, सड़क चाहिए, अनुदान चाहिए, लोन चाहिए, तुरत फुरत जितनी वैध है सारी कार्यवाही होती हैं। यहां पर उल्टा होता है। छोटी से छोटी सुविधा के लिए उद्यमियों को चक्कर करने पड़ते हैं और उसका शोषण होता है। स्थान स्थान पर उसकी लूट होती है, इसलिये हमारे यहां उद्योगों के विकास में रोड़े अटकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनसे उद्योगों के विकास को गति नहीं मिल रही है। हमारे एक प्रकार की स्वीकृत सब्सिडी थी उद्योगों के लिए, उदाहरण के लिए, बालोतरा में वस्त्र रंगाई—छपाई के लघु उद्योग में जो लोग लगे थे उनको सब्सिडी मिल रही थी। आधे लोगों को सब्सिडी मिल गयी। अभी भी अनेक लोगों की स्वीकृत सब्सिडी पड़ी है। आपका प्रतिबन्ध लगा प्रदूषण की रोकथाम की वजह से कि नये उद्योग वहां स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की स्वीकृत सब्सिडी को आपने क्यों रोक रखा है? कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो बाहर का उद्यमी है वह अपने यहां आने से घबराता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुओं का हमारे यहां अभाव है। हम कृत्रिम अभाव किये बैठे हैं। जैसे रंगाई-छपाई का काम है, उसमें जलाने की लकड़ी की आवश्यकता होती है। हम यह जानते हैं कि राजस्थान में अगर यह लकड़ी समाप्त हो गयी तो यहां का वायु-मण्डल खराब हो जायेगा, वर्षा की कमी हो जायेगी। वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, लेकिन बार बार निवेदन करने के पश्चात् भी गैस की सुविधा नहीं दी जाती है। कैरोसीन में आप कोटा जरूर निश्चित करते हैं लेकिन उद्योगों को मिलने वाले कैरोसीन और घरेलू उपयोग के लिए जो

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कैरोसीन मिलता है उसकी रेट में बड़ा अन्तर है इसका स्वाभाविक असर यह पड़ता है कि घरेलू उपयोग में आने वाला घासलेट उद्योग के अन्दर चला जाता है, उसका ब्लैक होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार नीति निर्धारित करें कि अगर आप सुविधा देना चाहते है तो उस सुविधा का सही उपयोग हो सके। हमारे यहां गैस है, गैस का उपयोग हम कर सकते हैं, उससे उद्योगों को हम पनपा सकते हैं लेकिन ये सुविधाएं बहुत कम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार ध्यान दें। लोहे का सवाल है, दूसरी जो सुविधाएं हैं वे समय पर उनको नहीं मिलती हैं इसलिए हमारे यहां उद्यमी नये अच्छे उद्योग लगाने में कतराते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां खासकर पश्चिमी राजस्थान में 40 साल की आजादी के बाद भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाये कि गांव में जो चीजें उपलब्ध हैं, वनौषधि है, वनस्पति है झाड़ियां हैं चाहे वे बबूल हों, खेजड़ी हो, आक हो, नीम हो, कोई भी चीज हो, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। औषधियों में इनका उपयोग होता है। हम इस प्रकार का कोई ग्रामीण उद्योग ईजाद नहीं कर पाये कि कहीं पर वह चीज कुट जाय, कहीं पिस जाय, कहीं उसकी लुगदी बन जाय, कहीं वह पैक हो जाय और कहीं उस पर छाप लग जाय। जिस प्रकार जापान के अन्दर एक चीज के पुर्जे अलग-अलग बनते हैं। कहीं जाकर वे पैक होते हैं और कहीं से तैयार होकर एक्सपोर्ट या बिक्री के लिए रवाना होते हैं। इसी प्रकार हमारा भी अपना सोच होना चाहिए जो भी हमारे पास उपलब्ध है।

हमारे यहां ऊन, गोट हेयर की कोई कमी नहीं। हमारा राजस्थान पहले नम्बर पर था, मेरा क्षेत्र पहले नम्बर पर था। हमको विदेशी मुद्रा भी मिलती थी गोट हेयर से। जो एक्सपोर्ट होता था आज वह धन्धा प्रायः बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसके ऊपर 10 हजार परिवार आधारित थे। आज उनके पास कोई धन्धा नहीं है। उन लोगों में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं है, कोई सरकारी नौकरी उनके पास है नहीं, दूसरा काम वे कर नहीं सकते। एक विदेशी यहां पर आया। उसने अपना कारखाना लगाया। उसको हमने परमिशन दे दी। वही अरब देशों के अन्दर उस माल को लेने वाला, वही माल को बनाने वाला। यहां के रहवासियों से गोट हेयर इकट्ठे करने वाला भी वही, उनकी सफाई कराने वाला भी वही, वह उसको तैयार करने वाला और पट्टी बनाकर वही भेज रहा है। इस प्रकार की एक मोनोपोली हमने यहां होने दी। पहले भी इस प्रकार का प्रयत्न हुआ था, निगम ने यह कोशिश की थी लेकिन उस वक्त चन्द लोगों ने मिलकर उस सारी स्कीम को समाप्त कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उद्योग मंत्रीजी से कि इस ओर आप ध्यान दें। अपने घरों में बैठे हुए वही लोग अच्छा गमदा बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा गोट हेयर बना सकते हैं। आपकी शिल्प बाड़ी की योजना थी, आप पचास हजार रुपए वहीं उनको दे दें। खुद का मकान है, वहीं पर बनाकर दें, वहीं इकट्ठा हो जाय। फिर उनकी मार्केटिंग का हमको प्रबन्ध करना चाहिए। सरकार इस काम को हाथ में लेगी तो हमको विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, हमारी

(श्री चम्पालाल बांठिया)

बेरोजगारी भी मिटेगी और औद्योगीकरण में भी हमें लाभ होगा। हमारे ऊन का गलीचा बनता था। आज बाड़मेर में वह सारा उद्योग समाप्त हो गया। हमको इस बात की चिन्ता नहीं है। आज हमारी ऊन कौड़ियों के भाव बिक रही है। बाहर जाकर लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और हम विदेश से मंगा रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। हमें गांवों में इस प्रकार जो चीज मिलती है उसका उपयोग करना चाहिए ताकि उसके आधार पर उद्योग लगें। सरकारी सहायता से उद्योग लगने चाहिए, जो उस चीज को जानते हैं उन लोगों को पूरी सहायता देकर उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नमक का यहां राजस्थान में काफी अच्छा स्कोप था। कोई जमाना था कि पचपदरा, सांभर, डीडवाना और फलौदी का जो नमक था उसका बहुत बड़ा व्यापार सारे हिन्दुस्तान का हमारे साथ था। लेकिन आज नमक के मामले में भी टाटा का पैक किया हुआ नमक सारी जगह बिक रहा है। हमारे नमक उत्पादन करने वाले आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बाजार में वह नमक महंगा बिकता है, लेकिन नमक उत्पादन करने वालों को कुछ नहीं मिलता। आखिर यह घाटे का धन्धा हम कब तक चलायेंगे ? हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि आप उन्हीं लोगों को कम्पनी बनाकर नमक उत्पादन का काम दे दें। खास तौर पर पचपदरा साल्ट के विषय में कहना चाहता हूं कि वहां की जो खारवाल कम्यूनिटी है, जिनके पास एकाधिकार है, जो खानों के मालिक हैं उनको वह काम दे देना चाहिए। तब हम सोडा एश, कास्टिक सोडा तक का निर्माण कर सकते हैं और राजस्थान को लाभान्वित कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेकों छोटे मोटे काम हो सकते हैं जिनको हम गांवों में विकास पर ला सकते हैं। उसी से सच्चे राजस्थान का विकास सम्भव है।

मैंने बारबार निवेदन किया है कि राजस्थान के अन्दर सिर्फ एक उद्योग सफल हुआ है, वह है पश्चिमी राजस्थान का वस्त्र रंगाई-छपाई उद्योग, जिसका पाली, जोधपुर और बालोतरा में विकास मिला है। आज अकेले बालोतरा और जसौल में 10 अरब रुपए का सेल है। सारे हिन्दुस्तान में पर कैपिटा के हिसाब से बालोतरा हाइएस्ट इनकम टैक्स पे करता है। बालोतरा की नगरपालिका उस हिसाब से आज समृद्ध है, उससे वहां बाड़मेर जिले के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, और अकाल की समस्या भी हम हल कर पाते हैं। लेकिन उससे जो दूसरी बीमारी फैल रही है प्रदूषित जल की, उसके निकास का कोई प्रबन्ध हम नहीं कर पाये, कोई ऐसी योजना हम साकार नहीं कर पाये। कोई ऐसा ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट नहीं दे पाये कि इसका स्थायी हल कर पाते। आज उन उद्यमियों के ऊपर भी हमेशा एक तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ यह जो गन्दा पानी निकलता है उससे हमारे खेत खराब हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं।

उस हिसाब से जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारी कंपकंपी छूट जाती है। हम गुजरात में गये थे। गुजरात में बड़ौदा में सब लोगों ने मिलकर एक 55 किलोमीटर की पक्की चैनल बनायी है और माही के किनारे-किनारे कच्छ की खाड़ी में

(श्री चम्पालाल बांठिया)

ले जाकर उस प्रदूषित जल को छोड़ा है। उससे सारे विकास को गति मिली है, अनेक प्रकार के वहां कारखाने लग गये और प्रदूषण का लेशमात्र भी नहीं। क्या हम पाली, बालोतरा, जोधपुर का प्रदूषित जल लूणी के किनारे किनारे कच्छ की खाड़ी में नहीं डाल सकते। 100-150 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, उसके लिए 100-150 करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि पश्चिमी राजस्थान के विकास का यह एकमात्र हल है। हमारे लिए यह रकम ज्यादा नहीं है। उद्योगियों ने 15 रुपए प्रति गांठ देना शुरू किया है, यह खुशी की बात है। एक करोड़ के लगभग बालोतरा और जसोल में इससे इकट्ठा हो गया, पाली के अन्दर भी इसी प्रकार से राशि इकट्ठी हुई है, वे भी अपना योगदान देंगे, वहां की नगर पालिका भी योगदान करने को तैयार है। राजस्थान सरकार को इच्छा शक्ति की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर हम यह पक्की चैनल लूणी के किनारे किनारे ले जा सकते हैं। ढलान है, स्वाभाविक ढलान है। जो चीजें काम में आने वाली हैं, पानी बजरी, सारी चीजें हमें उपलब्ध होंगी। कहीं पर भी लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं। आपके विभाग ने जो जानकारी दी है, इतनी लम्बाई नहीं है, निश्चित रूप से लम्बाई कम है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से बड़ौदा के अन्दर किसी अधिकारी को भेजिये। इस प्रकार की जो कुछ भी मैंने योजनायें लिख कर दी हैं उनको भी आप देखें और इसकी ओर आप अग्रसर हों तो पश्चिमी राजस्थान को अकाल से हमेशा के लिये छुट्टी मिल जायेगी, आपसे कभी भी इस प्रकार की मांग नहीं होगी कि अकाल के अन्दर हमें कोई रोजगार दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो योजनायें हैं अगर उनको हम हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम उद्योग के बारे में कितनी चिन्ता करते हैं। जोधपुर के अन्दर री रोलिंग स्टील प्लान्ट्स लगे हुये हैं, बोम्बे से स्टील की शीट्स आती हैं और वहां री-रोल होकर हम वापस भेजते हैं, वहां से बरतन बनकर वापस आते हैं। यहां पर टैक्स ज्यादा है, यह अन्तर है इससे डबल मार होती है। महाराष्ट्र उसके अन्दर पैसा कमा रहा है। तो क्यों नहीं यहां पर हम बरतन बनाने वालों को सैलस टैक्स के अन्दर इस प्रकार की रियायत करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश करते हुये बहुत अच्छी बातें कहीं सीमेन्ट कारखानों के बारे में, सीमेन्ट उद्योग के बारे में राजस्थान सैल्स टैक्स में और सैन्ट्रल सैल्स टैक्स में बहुत सारी छूट दी हैं लेकिन माइनिंग के अन्दर और खास तौर से जो उन्नत पत्थर निकालने की बात है जिसके अन्दर मशीनरी लगती है जो प्लान्ट की सफाई और धुलाई के काम आती है उनके ऊपर आपने टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने इस उद्योग को और खासतौर से खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिये, जैसा कि

(श्री चम्पालाल बांठिया)

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अभी भी दुनिया के अन्दर इसकी भरपूर मांग है हमारे ग्रेनाइट और मार्बल बहुत ज्यादा जा सकते है। इस प्रकार के जो उद्योग लगे हुए हैं उनको सैल्स टैक्स में और सेन्ट्रल सैल्स टैक्स में उसी प्रकार की छूट दें जिस प्रकार की आपने सीमेन्ट उद्योग में छूट दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा, कि माननीय खनिज मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिप्सम के बाड़मेर जिले के अन्दर बड़े भण्डार हैं और जब सिन्दरी फर्टीलाइजर कारखाना लगा था उस वक्त में यह जरूर था कि उसकी मोनोपोली उसके हाथ में रहती। वह देश के बहुत कीमती खाद बनाता था इसलिये सारी जिप्सम सिंदरी के लिये जाती थी लेकिन वह काम भी कभी का बन्द हो गया। सरकार ने इस बात की मोनोपोली दे रखी है और वह लोग दूसरे व्यापारियों को, दूसरे उद्यमियों को कुछ पैसा लेकर दे देते हैं। क्यों नहीं आप छोटे-छोटे उद्यमियों को जो वहां पर हैं उनको छोटी छोटी लीज दें ताकि उद्योग के आधार पर उनसे शर्त करके उनको यह खान दें।

इसी प्रकार से लाईम स्टोन के अन्दर आपको यह करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खनिज मंत्री बालोतरा के पास थोब में आये थे। वहां पर हमारा बैंटोनाइट निकलता है उससे हमको विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। राजस्थान का यह बहुत अच्छा खनिज का भण्डार है। वहां पर जो मजदूर उस उद्योग में लगे हुये हैं वह आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं बेकार, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। क्योंकि पानी की निकासी हम अभी नहीं कर पाये हैं। आज इतने दिन गुजर गये हैं, फिर से मानसून आ जायेगा और फिर यह हालत होगी, क्या खनन के कार्य को बन्द करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी यह हमारे क्षेत्र की योजना है, अच्छा फल दे रही है, बहुत ज्यादा मजदूरी वहां के लोगों को मिलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उस पानी के निकासी की अविलम्ब व्यवस्था करे, प्रबन्ध करे। आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापतिजी, औद्योगीकरण की कल्पना असल में हमने विकसित समाजों से ली है और उसकी वजह से जिस प्रकार की प्रगति हमारी जरूरतों के अनुसार होनी चाहिये थी वैसी हमारे औद्योगिक ढांचे की नहीं हुई। आज केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने भी अपनी औद्योगिक नीतियां घोषित की हैं लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वक्त की जरूरत और हमारे देश की जरूरतों की पूर्ति हो सके। मैं आज इन सारे सवालों को छेड़ना नहीं चाहता उसका कारण यह है कि जब कभी मौका आयेगा तब छेड़ूंगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में, जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा औद्योगीकरण और राज्यों के मुकाबले बहुत कम हुआ है और जमीन हमारे यहां ज्यादा

(श्री रामकिशन)

है, देश में सबसे ज्यादा जमीन, प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा राजस्थान में है लेकिन जमीन क्या है वह रेत के टीले हैं। इसलिये सीमा तो है ज्यादा लेकिन उसके बदले जो उत्पादन मिलना चाहिये, उसका लाभ समाज को मिलना चाहिये वह बहुत कम मिलता है। इसलिये हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम तेजी से औद्योगीकरण की तरफ बढ़ें अगर हम जमीन से उत्पादकता लेना चाहे, लेने की कोशिश भी करें तो फिर दूसरी समस्या हमारे यहां पानी की है।

आज हमारे देश की 5 पर्सेन्ट आबादी राजस्थान में रहती है और जमीन हमारी है 10 पर्सेन्ट लेकिन दूसरी दिक्कत यह है कि हमारा राष्ट्रीय जल रिसोर्सेज केवल 1 पर्सेन्ट है, 1 पर्सेन्ट हिस्सा हमारे हिस्से में आता है। इसलिये हमारे विकास की गति होगी वह अन्य राज्यों से भिन्न होनी चाहिये, अन्य राज्यों से अलग होनी चाहिये। हमारी मुश्किल यह है कि सरकारें जब कोशिश करती हैं, मैं उनके इरादों पर शक नहीं करता हूं, इरादे सबके अच्छे हैं लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उस तरह के नतीजे नहीं आते हैं, जो नतीजे आने चाहिये।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे देश में बेरोजगारी है। एक तरफ तो हम अच्छे जीवन स्तर के लिये चीजें उत्पादित करते हैं, कर रहे हैं, हम अच्छी, ऊंची टैक्नोलोजी लेकर, अच्छी टेक्नोलोजी इस्तेमाल करके उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या इतनी व्यापक होती चली जा रही है कि अगर बेरोजगारी की समस्या पर जल्दी विचार नहीं किया गया, जल्दी नहीं सुलझाया गया और उसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि भारतीय समाज बिखराव की तरफ चला जायेगा, वह बिखराव रुक नहीं सकेगा। इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो परम्परागत जो उद्योग हैं, जो हमारे यहां ऐसे उद्योग थे जिनसे लोगों को रोजगार मिल जाता था उनकी मदद की जानी चाहिये, उनको पुनर्जीवित करना चाहिये। यह सही है कि सरकार ने छोटा-मोटा प्रयत्न भी किया है, नये लोगों के लिये स्व-रोजगार के लिये भी कुछ साधन जुटाये हैं लेकिन समस्या जितनी विकराल है उतनी देखभाल और आपके विभाग का डिवोशन नहीं है। इसलिये हमारे रिजल्ट्स बड़े निराशाजनक आते हैं और अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी तरफ हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिये, अच्छी गम्भीरता से सोचना चाहिये।

एक निवेदन मुझे और करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था बजट पर बोलते समय कि हमारे राजस्थान की सैन्ट्रल में लाबी कमजोर है, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो और चाहे श्री भैरोंसिंहजी जो अपना राज कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का राज यहां रहा हो लेकिन इनका कोई लाभ नहीं है। मंत्रीजी मिल आये, श्री चन्द्रशेखर जी के साथ चाय पी आये और दो गप-शप लगा आये उससे तो समस्या सुलझेगी नहीं, क्योंकि श्री चन्द्रशेखरजी के साथ मैं भी चाय पी रहा था उसका क्या अर्थ निकलता है। हमारी लाबी इतनी कमजोर है, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा

(श्री रामकिशन)

कि आप जरा देखिये सैन्ट्रल बजट में हमारे यहां कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं क्या ? आज जितने बड़े उद्योग हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्योग है वह सब दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, हमारे राज्य में आ नहीं पाते हैं और इसलिये बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और उस मामले में आपकी लाबी बहुत कमजोर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके, चुनाव होंगे जब होंगे मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं पर इतना तो मानकर चलिये कि अब के चुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : कैसे नहीं बनेगी ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : बनेगी और बहुत जल्दी आप हमारे साथ आ रहे हैं।

श्री रामकिशन : अगर इस खुश-फहमी में आप रहना चाहें तो आपको बधाई। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर आपकी बन रही है तो मैं चलिये आपको अग्रिम बधाई दे देता हूं और ललित किशोर जी विदेश मंत्री बनेंगे उसकी भी बधाई मुझ से ले लें। अगर इस तरह से +++ रहने से जमाना बदल गया होता तो पता नहीं कभी का बदल गया होता। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमें सैन्ट्रल में राजस्थान की लाबी क्रियेट करनी चाहिये इस बात के लिये कांग्रेस के लोग तो इतने नाकारा रहे, इतने कमजोर रहे इनका भी राज था, इनके पास नेता भी थे लेकिन इनकी तो हैसियत वहां कुछ नहीं थी। इसलिये न तो यह राज्य के लिए कुछ ला सके और न हम लोग राज्य के लिये कुछ ला सके। इसलिये पहला मेरा निवेदन यह है कि हमारा प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जो राष्ट्रीय स्तर से कम है सबसे पहले हमें सैन्ट्रल से प्रोजेक्ट लाने के लिये तैयारी करनी चाहिये और उसके लिये हमें चाहे आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़े, चाहे सर्वदलीय कमेटी बनानी पड़े लेकिन जो काम हमारे राज्य में होना चाहिये, सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये उसकी हमें कोशिश करनी चाहिये। एक सुझाव तो मेरा यह है जिसकी वजह से हमारे राज्य की बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सकेगी और राज्य का आर्थिक विकास भी हो सकेगा।

(3.50 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, **सभापति**, पदासीन)

माननीय उद्योग मंत्री जी, अभी कई तरह के कारखाने, जो खास तौर पर पैट्रो केमिकल्स पर आधारित कारखाने हैं आपने देखा होगा किसी में हिस्सा मिलने वाला नहीं है। कोई हिस्सा नहीं है आपका। जितने कारखाने गए या तो महाराष्ट्र में जा रहे हैं या पंजाब में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। राजस्थान में कोई भी पैट्रो केमिकल्स के आधार पर हमारे लिए कारखाना मिलने वाला नहीं है। हालांकि प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री आबिद अली

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकिशन)

की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें एक सुझाव दिया है लेकिन आपकी लॉबी के अभाव में, मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूं, वह कारखाना भी आठवीं पंच-वर्षीय योजना में आपको नहीं मिलने वाला है। मेरी सबसे ज्यादा चिन्ता यह है कि हम सैण्ट्रल बजट में किस प्रकार से अपने शेयर प्राप्त करें, शेयर प्राप्त करने के लिए हमें क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिए।

माननीय उद्योग मन्त्री जी, आज हमारे उद्योगों की हालत यह है कि पिछले साल बजट भाषण में, भैरोंसिंह जी ने कुछ सुविधाएं दीं, अबके भी आपने सुविधाएं दीं लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा जो रेश्यो है, तीन तरह के क्षेत्र होते हैं। एक कृषि जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि और पशुपालन। दूसरा उद्योग वगैरह, उसमें मैं आज देख रहा था कि हमारा हिस्सा तो कम हो गया अब की साल। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि सन् 1988-89 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो उसको उसी तरह से लेता हूं, सरकारों की दृष्टि से नहीं लेता। आर्थिक हालत, आर्थिक विकास और आर्थिक गतिविधियां किसी शासन से सम्बन्ध नहीं रखती। लेकिन उस समय हमारे राज्य की कुल आमदनी में जो शेयर था वह खास तौर पर उस क्षेत्र का, उद्योग, खनन और इसी प्रकार से केटेगिरी बनी हुई हैं उसका 18.98 प्रतिशत था लेकिन आप देखते होंगे उससे पहले 1987-88 में यह 21.73 प्रतिशत तक चला गया था। तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य का जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, जिन सुविधाओं के मार्फत उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं वह हमारे उद्योगों का उत्पादन नहीं बढ़ा और अबके आपने आर्थिक समीक्षा में भी देखा होगा। आपके यहां चीनी का उत्पादन घटा है, वनस्पति का उत्पादन घटा है। तो एक तरफ तो बढ़ रही है सुविधा और दूसरी तरफ घट रहा है उत्पादन और तीसरी तरफ बढ़ रही है बेरोजगारी। आखिर इसमें कहीं न कहीं कोई तारतम्य तो है; कोई न कोई सम्बन्ध तो है। अब इन सारे मामलों पर आपका विभाग और आपके अधिकारी सोचने की स्थिति में है नहीं। क्योंकि हम लोग राजनीति में इतने उलझे रहते हैं। हमारे पास केवल दो ही काम हैं। एक तो है ट्रांसफर और दूसरा है किस तरह से ललित किशोर जी को कृष्ण कुमार जी और कृष्ण कुमार जी को ललित किशोर जी को (व्यवधान)

मेरा मतलब मुझे ही ले लो। कहने का मतलब यह है कि हमारी राजनीति का जो स्तर है उसकी वजह से हमें राज्य की समस्याओं की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं है, हम कभी बैठ नहीं सकते। अबकी विधान सभा में मैं समझता हूं बड़े टेलेन्टेड सदस्य आए हैं। आपने और हमने जब प्रवेश किया था उस समय ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब सब पढ़े लिखे हैं। एम. ए. है, एम. कॉम है, एल.एल.बी. है लेकिन इनके लिए कोई ट्रेनिंग है क्या ? आप जरा बताइए कोई ट्रेनिंग है क्या ? आपके दल से कोई ट्रेन्ड है। आखिर राज्य की समस्याएं क्या हैं, उद्योग की समस्याएं क्या है, खेती की समस्याएं क्या है और पचास साल बाद हमारे देश की क्या तस्वीर होगी, उसमें कौनसे प्रोडक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। इन सारी कल्पनाओं के आस पास अगर हम राजनेता कभी कभी चिन्तन किया करें

(श्री रामकिशन)

तो मैं समझता हूं अपने राज्य का भी हित करेंगे। लेकिन सारी बातों के लिए न हमारे पास समय है और ऐसी विवेक की बात जब कही जाती है तो सुनने वालों का मन उसमें लगता नहीं है।

मेरा आपसे सबसे पहला निवेदन है कि राज्य के कौनसे उद्योग में क्या गड़बड़ी है, किसने बिजली की चोरी की, किसने टैक्स चुराए, इस सब पर मैं पिछली बार बोल चुका हूं आज मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मेरा सबसे बड़ा जोर यह है कि हमारे पास सैण्ट्रल प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। अगर हम अपने राज्य का भला करना चाहते हैं, अपने राज्य के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि उसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करिए और प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करिए। आपके पास कुछ संभावनाएं हैं।

मैं आपसे एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि राजस्थान की भूगोल कुछ इस प्रकार की है कि यहां विकास की ऐसी चीजें नहीं चल सकती। हमारे यहां क्षेत्रीय असन्तुलन भी बढ़ रहा है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य यह भी है कि क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं बढ़े, असन्तुलन नहीं होना चाहिए लेकिन हमारी भूगोल किस प्रकार की है, हमारे पास तो स्थिति यह है कि हमारा असन्तुलन निरन्तर रूप से बढ़ता चला जा रहा है। आज राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान है भरतपुर जैसा मैं समझता हूं वहां तो सारी सम्भावनाएं ही समाप्त हो गई। बारह महीने नदी कोई नहीं है, पानी वहां आ नहीं सकता। आज पश्चिमी राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वह राजस्थान कैनाल से हो गया, भाखरा से हो गया, गंग कैनाल से हो गया, कोटा में चम्बल का प्रोजेक्ट है, बांसवाड़ा में माही का प्रोजेक्ट है। यानि राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में कहीं आदिवासी रहते हैं, कहीं वन के नाम से विशेष अनुदान मिल जाता है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में स्थिति यह है कि वहां कारखाने इसलिये नहीं खुल सकते कि हमारे यहां तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया भरतपुर में एक चिड़ियाओं का आश्रम बना दिया है बर्ड सैन्चुरी। मैं ना तो उसके खिलाफ हूं ना मेरा उससे कोई विरोध है लेकिन वहां चिड़ियां रहेंगी, मनुष्य रहे ना रहे। मैंने अभी एक दिन सैण्टर में कुछ बात की। हालांकि अब यह सरकार जा रही है तो मैने एक आध बात की, कुछ कारखाने भरतपुर में भी खोलो तो 10-15-20 मिनिट बाद एक नोट आ गया मेनका गांधी का कि यह काम तो वहां 27 किलोमीटर तक नहीं हो सकते। अब हमारी मुश्किल यह है कि आबादी है वहां घनी। राजस्थान में, भरतपुर में सबसे ज्यादा वर्ग मील पर आबादी है, जमीन है कम, पानी है नहीं और उद्योग खुलेंगे नहीं तो हमारा क्या बनेगा।

मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी साल केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्योग शुरू करने वाली है। खास तौर पर कुछ उद्योग शुरू होंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन सबके लिए जब आप स्थान का चयन करो तो उसमें मेहरबानी करके आप भरतपुर का ख्याल रखें। जो मैंने मजबूरी बताई है कि वहां दूसरे काम

(श्री रामकिशन)

नहीं हो सकते इसलिए इसी प्रकार के काम होंगे जिसमें प्रदूषण नहीं हो।

अब जैसे इलेक्ट्रोनिक और व्यापार तकनीक निगम, विकास निगम ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें बी. सी. आर. और बी. सी. पी. कुछ यूनिट्स स्टार्ट होने वाली हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो पतृक है उसमें यह कहा गया कि यह यूनिट लगने वाली है। तो मेरा निवेदन यह है कि जहां प्रदूषण ज्यादा है, प्रदूषण की वजह से वहां दूसरे उद्योग नहीं लग सकते। यह बी. सी. आर., बी. सी. पी. का अगर आप मेहरबानी करें, वैसे तो मैं जानता हूं मैं आपसे बहुत दिनों से जिक्र कर रहा हूं पर आपकी मेहरबानी होती नहीं है आज कल। पहले जब हमारे साथ विधायक थे तो जरा आपकी मेहरबानी तो नहीं रही लेकिन मिलना जुलना तो होता था लेकिन अब तो आप मन्त्री हैं, आपके कर कमल हैं, आपके मुखारबिन्द हैं। इसलिए स्थिति हमारी यह हो जाती है कि (व्यवधान)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप गम्भीरता से सोचें। ग्रोथ सैण्टर के लिए हमारे यहां सर्वेक्षण हो गया था। हमारे यहां जोड़-याणां में वह बनने वाला था। उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता। अब दूसरे क्षेत्रों के जो सैण्टर तय होने जा रहे हैं लेकिन भरतपुर का मामला खटाई में पड़ गया। आप बहरोड़ में कोशिश कर रहे हैं, आप धौलपुर में कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो आपको राजनीतिक रिश्वत भी देने की कोशिश की थी। एक आप बूंदी में लगा लो, एक मैं भरतपुर में लगा दूंगा। मेरी राजनीतिक हैसियत ऐसी है मैं दिल्ली में तय करा लूंगा लेकिन उसमें भी आप चुप लगा गए। आज नतीजा यह है कि विकास के मामले में हम निरन्तर पीछे जा रहे हैं तो मेरा एक सुझाव यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह इलैक्ट्रोनिक निगम जो बी. सी. पी. और बी. सी. आर. की एक यूनिट लगने वाली है, मेहरबानी करके स्थान के चयन की कोई बात हो तो और चीजें अगर पूर्ति हो रही हों तो इस मामले में आप भरतपुर को देखें। प्रदूषण की वजह से वहां कोई कारखाना अब कभी नहीं लगेगा। एक तरफ तो आ गया ताजमहल। एक दिक्कत तो कर गया हमें शाहजहां, दूसरी दिक्कत खड़ी कर दी चिड़ियों ने। हम ऐसे फंसे हुए हैं वहां कि कोई भी बड़ा उद्योग जिससे प्रदूषण पैदा हो (व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि इस मामले में आप कोशिश करें। एक दूसरी इसी प्रकार की योजना शुरू करने वाले हैं स्विचिंग सिस्टम की। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देख रहा था उसमें स्विचिंग सिस्टम भी शुरू करने वाले हैं। एक इकाई का फैसला तो हो रहा है कर्नाटक में और दूसरी का हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो मेरा आपसे निवेदन है कि तीन इकाई लगनी हैं। तो एक इकाई आनी चाहिए राजस्थान में और राजस्थान में अगर एक इकाई आती है तो चूंकि यह प्रदूषण रहित उद्योग है तो इसके लिए भी भरतपुर उपयुक्त स्थान है इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

(4.00 म. प.)

(श्री रामकिशन)

इसी प्रकार से मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आपका यह वित्त निगम और दूसरी संस्थाएं निश्चित तौर पर उद्योगपतियों की मदद करती हैं....(व्यवधान)

निश्चित मदद करती हैं और इरादा भी अच्छा है। और सरकार यह कोशिश करती है कि उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में उद्योगों का विकास हो और उपभोक्ताओं को अच्छी चीजें मिले। तीसरा जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार मिले। लेकिन आपने सारे सिस्टम को देखा। कितना उलझा हुआ सिस्टम है। आपकी इकाइयां सिक हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी जिस तरह की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का जिस प्रकार मैंने थोड़ा इरादा भी कर दिया था कि शायद आपका इरादा बेचने का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी आइडियोलोजी के चक्कर में मत फंस जाना इस समय। इस समय सवाल क्या खड़ा हुआ है। आज जिस प्रकार से पूंजीवाद की अपनी विफलता है कम्यूनिज्म की अपनी तरह की विफलता है इसलिए जो उद्योग बढ़ाना है, मत बढ़ाओ। लेकिन जो मौजूदा इकाइयां हैं उनको सम्भालो और उनको दुबारा चलाओ। इनके वगैर क्योंकि हम जब प्राइवेट उद्योगों को देखते हैं तो दोनों की सिकनेस आप देखेंगे तो प्राइवेट उद्योगों की सिकनेस भी सार्वजनिक उद्योगों से कम नहीं है। इसलिए यह प्रचार किया जाता है कि केवल प्राइवेट उद्योग ही चलते हैं और सरकारी उद्योग फेल हो जाते हैं। आप इन दोनों की स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइवेट उद्योग में बहुत बड़ी बीमारी है। आपकी यूनिट बिल्कुल बीमार पड़ी हुई है। और बीमार यूनिटों के साथ जो डाक्टर, मतलब आपके फाइनेन्सियल मैनेजर जो व्यवहार करते हैं जरा उनको देखिये कि वह क्या व्यवहार करते हैं। आप तो उद्योगपति नहीं हो और उद्योगपति परिवार से भी नहीं हैं लेकिन आपके नाते रिश्तेदार की छोटी छोटी उद्योग हैं आप देखिये जब कोई छोटा उद्योग लगाता है तो वह अपनी सारी पूंजी लगा देता है। सरकारी कर्ज लेगा, बैंकों से कर्ज लेगा वह तो अलग उसके पास जो पूंजी होती है वह निश्चित तौर पर लगा देगा और पूंजी लगाने के बाद चूंकि उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक बनती नहीं है, बाजार का ज्ञान उसको होता नहीं, ट्रेड का पता उसको होता नहीं, नतीजा यह होता है कि वह यूनिट किसी भी तरह या तो आर्थिक प्रबन्ध की वजह से या बाजार में बिक्री की वजह से वह यूनिट सिक हो जाती है। सिक यूनिट के बाद में आपका जो वित्त निगम है उसकी जिम्मेदारी है इन यूनिटों को चलायें। लेकिन क्या व्यवहार करते हैं वित्त निगम के अधिकारी और कर्मचारी की बजाय इन यूनिटों को चलाये उनको दुबारा से खुद ध्यान दें, वित्तीय दुरुस्त करें। उनके आम तौर पर टेक ओवर और टेक ओवर का भी कोई प्रोसीजर नहीं है। जब आप किसी की सम्पत्ति लेते हैं तो आपको किसी कोर्ट में जाना चाहिये, कोर्ट के मार्फत फैसला कराना चाहिये, इनका अधिकार है, एक यूनिट से लेते हैं, और लेने के बाद दूसरे आदमी से हाथों हाथ बात कर लेंगे, ऑक्शन दिखा देंगे, कई तरह के डील हो जाते हैं और दूसरे दिन सारी पूंजी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं।

(श्री रामकिशन)

हालांकि गैर कानूनी है, इस तरह कर भी नहीं सकते लेकिन यह सारे मामले हो रहे हैं। और नतीजा यह होता है कि राजस्थान में छोटे-छोटे पूंजीपति, छोटे-छोटे उद्योग लगा रहे हैं उन वित्त निगमों को और आपकी संस्थाओं को धन्यवाद देने के बजाय उनकी व्यवस्था पर आंसू बहा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन इकाइयों को जब आप लें सिक इकाइयों को अपने हाथ में लें तो कानून की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। रेगुलेशन बने नहीं, रेगुलेशन कभी विधान सभा के सामने आये नहीं और यह किस प्रकार से अधिग्रहण करते हैं और किस प्रकार से बेचते हैं उसका नतीजा यह हो रहा है कि वित्त निगम के अधिकारी और बिचौलिये इनकी तो बन रही है सम्पत्ति और इन्वेस्टर और जो नये खरीददार हैं वह हो रहे हैं बरबाद। तो मेहरबानी करके थोड़ा बहुत समय आप उसमें भी लगाओ, अगर आप समय नहीं लगाओगे तो अपके राज्य का औद्योगीकरण तेजी से नहीं होगा। मैं आपसे दूसरा सवाल कहना चाहता हूं। कभी आपने देखा होगा कि इन पर ब्याज की क्या रेट पड़ती है। आपके वित्त निगम की रिपोर्ट देख रहा था। सात करोड़ का फायदा लेकिन ब्याज 60 प्रतिशत। कभी सुना है आपने दुनिया में 60 प्रतिशत ब्याज। ब्याज पर ब्याज लगाते चले जाते हैं। आप तो वकील रहे हैं, आप जानते हैं हमारे सी.पी.सी. 34 के तहत 2,3,4,11 धाराओं के तहत हमें क्या करना चाहिए। यह सारी कार्यवाही नहीं करते। कोई संस्था कानून से ऊपर नहीं है। जो कानून है वह व्यक्ति के लिए, संस्थाओं के लिए भी है लेकिन एक यूनिट सिक हुई, एक किश्त नहीं चुकी, उसको मूल पूंजी में जोड़ा, उस पर फिर ब्याज लगा दिया। इसका नतीजा यह होता है कि 60 प्रतिशत के करीब ब्याज दे कर कोई उद्योग खड़ा हो सकता है, कोई उद्योग जिन्दा रह सकता है, कोई उद्योग चल सकता है। इसकी आप कल्पना कर सकते हो। मैं तो समाजवादी हूं। प्राइवेट समर्थक भी नहीं हूं लेकिन जब तक देश में प्राइवेट पूंजी है, जब तक देश को प्राइवेट पूंजी में आप रखते हैं तो मेहरबानी करके इतनी सस्ती तो रखिये जिससे आदमी को रोटी भी मिल सके और रोजगार की सम्भावनाओं के लिए जिस उद्योग को लगाया गया है वह उस काम को कर सके। लेकिन न तो वित्त निगम इस तरह अपने कानून का पालन करने की कोशिश करता है न मंत्रीजी आपके पास समय है, न आपके विभाग के पास समय है और हालत क्या है, आपने प्रशासनिक खर्च इतना बढ़ा रखा है, हरियाणा में आपसे पांच गुना हुआ है लेकिन वहां कर्मचारियों की संख्या थी केवल तीन सौ, वहां के वित्त निगम के कर्मचारियों की संख्या तीन सौ, फाइनेन्स आपसे पांच गुना और आपने तो लगभग पन्द्रह सौ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है। पन्द्रह सौ की फौज और यह फौज क्या करती है यह अनाप-शनाप काम करती है। इससे अपने घर चलाती है। मैं तो यह सुझाव नहीं दे सकता कि आप इनको निकाल दो क्योंकि दूसरा बबाल बेरोजगारी का है लेकिन कम से कम इनके खर्चे नियन्त्रण करने की तो कोशिश कीजिए। एक तरफ उद्योगपति लूट रहे हैं, एक तरफ आपके अधिकारी हैं यह निगम, कार्पोरेशन में सोचे, यह तो एक तरह के

(श्री रामकिशन)

नये राजा हैं, कलक्टर होना कोई पसन्द नहीं करेगा, कार्पोरेशन का कोई चेयरमैन बना दो तो वह तो समझ लो कोई शहनशाह बैठा हो। इस तरह से अखबार मंगा लेता हैं, तरह तरह के खर्चे करते हैं। मैं तो इनके कभी कभी दफ्तर में चला जाता हूं। राजस्थान में तो नहीं पर केन्द्र में एक आध बार गया हूं। एक तरफ मंत्री का दफ्तर और दूसरी तरफ कार्पोरेशन के अध्यक्ष का दफ्तर। आप दोनों को देखेंगे तो माननीय मंत्री आप तुलना करके देख लीजिए की किस तरह के खर्चे कर कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप इन दो तीन बातों को दुरुस्त करिये। छोटी सिक यूनिट होती है उन पर ब्याज का फैसला करिये कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगायें। अगर आप यह नहीं कर सकते तो यह उद्योग दुबारा खड़े नहीं होंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब आप किसी सिक यूनिट को लेना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अगर 100 रुपये के माल को भी आप लेते हो तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। एक्ट बने हुये हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह लेकिन इन सारे प्रावधानों के खिलाफ यह कार्यवाही होती रहती है। मैं नहीं कहता कार्पोरेशन को अधिकार मत दो लेकिन या तो कानून में संशोधन करें और कानून में संशोधन नहीं करते हो तो गैर कानूनी कार्यवाही मत करने दो। इससे एक तरफ से झंझट खड़े हो जायेंगे।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उद्योग में क्या गड़बड़ है उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। आज सिक क्यों होती है उद्योग, बिजली है नहीं। एक आदमी ने लगायी यूनिट शुरू हुई, आपके पास बिजली है नहीं। अब बिजली नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा। किश्त नहीं चुकेगी तो फिर तो वह यूनिट अपने आप सिक हो जायेगी लेकिन आप उस समय भी ब्याज लगा देते हैं तो उस समय जरा देखा तो करो। किस वजह से यूनिट सिक हुई। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। बहुत पुरानी बात है। श्री प्रताप सिंह केरो पंजाब के मुख्य मंत्री थे और एक दिन मैं किसी कारण से सोनी पथ में ठहरा हुआ था। उस समय बाढ़ आई हुई थी। एक तहसीलदार ने एक ट्रैक्टर कुर्क कर लिया। केरो साहब की स्थिति यह थी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं समाजवादी पार्टी में था वह कांग्रेस पार्टी में थे। जिनके यहां मैं ठहरा हुआ था दोनों ही समाजवादी, और कांग्रेसी एक ही मकान में ठहरे थे। जब भोजन करने लगे तो केरो साहब ने एक एप्लीकेशन उठायी। किसान की एप्लीकेशन पढ़ी उसमें लिखा था कि साहब बाढ़ आ गयी थी मूल पूंजी मैंने जमा करवा दी और उस समय सात सौ रुपये मेरे बाकी थे तो मेरे ट्रैक्टर को जप्त कर लिया। उस पर केरो साहब ने जो एक्शन लिया मैं विवरण नहीं देना चाहता। आप जांच कर लें लेकिन आपके यहां आप एक भी जांच नहीं करते कि यूनिट सिक क्यों हुई अगर बिजली नहीं मिलेगी तो यूनिट सिक होगी। आज जो, मैटीरियल देने का आपका वायदा है आप पूरा नहीं करेंगे तो यूनिट सिक होगी। आप समय पर जो वित्तीय प्रबन्ध करना चाहते हो वह नहीं होंगे तो यूनिट सिक होगी। इन सब कारणों को छोड़कर सारी जिम्मेदारियां जब उद्य-

(श्री रामकिशन)

मियों पर डाल देते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि इससे हमारे औद्योगीकरण, माननीय रमाकान्तजी कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय कह रहे थे वह सही बात है। इसलिए वातावरण नहीं बन पा रहा रहा है। देखने में तो सही है लेकिन अमल के तरीके, जिस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए वैसा वातावरण नहीं बन पा रहा है। माननीय मंत्रीजी मैं इन सारे सवालों पर भी ज्यादा कोई लम्बी बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। आज जितनी यूनिट आपने ली, दो सौ करोड़ के करीब सिक यूनिट का अधिग्रहण किया। अब उनके ट्रान्जेक्शन में क्या-क्या गड़बड़ियां हुई हैं आप जरा देखें डिटेल में। डेढ़-दो सौ करोड़ की यूनिटों का अधिग्रहण हुआ है, ले ली है, दूसरों को दी हैं। यहां तक है कि कच्चा माल उठा ले जाते हैं, उनके सामान को उठा लें उन पर कोई एकाउण्टेंट होता नहीं। इन सारे सवालों को आप लोगों को देखना चाहिए। विभाग को देखना चाहिए। हमारी मन्शा साफ तौर पर यह है कि राजस्थान में तेजी से औद्योगीकरण हो। और औद्योगीकरण जब होगा तो हर आदमी आपने आपको सुरक्षित समझेगा। ठीक है हम हर साल नये प्रयोग भी करते हैं हमने जो व्यवस्था की है, हमने दूसरी तरह मदद करने की कोशिश की है लेकिन उसमें तो मैं आपको दोष इसलिए नहीं देता कि जब सम्पूर्ण भारतीय समाज सड़ रहा है और तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं तो मैं यह आशा तो नहीं करता, जब राजनेता गिर गए, समाजशास्त्री गिर गए, श्रम नेता गिर गए, तो मैं यह उम्मीद तो नहीं करता कि प्रशासनिक अधिकारी दूध के धुले होंगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा नियंत्रण हो, अगर थोड़ी सी देखभाल का दृष्टिकोण हो तो इसमें थोड़ी बहुत कमी तो की जा सकती है। तो माननीय उद्योग मंत्री जी मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि औद्योगीकरण केवल भाषणों से नहीं होगा इसके लिए हमारी जो खराबियाँ हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हम क्यों सिक यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और सिकनेस के जो कारण हैं उनका निराकरण करना चाहिए।

एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारी और खड़ी हो रही है वह यह कि हर विकसित राज्य उद्योगपतियों को नई सुविधायें देता है, कन्सेशन देता है और उनका आह्वान कर रहा है। मैंने सुना है आप कभी बम्बई जाते हैं, कभी कलकत्ता जाते हैं लेकिन आपके आह्वान पर आयेगा कौन ? पंजाब आपसे ज्यागा सुविधा दे देगा, महाराष्ट्र आपसे ज्यादा सुविधा दे देगा, गुजरात आपसे ज्यादा सुविधा दे देगा। क्योंकि वे संपन्न राज्य हैं, वे हमारी अपेक्षा ज्यादा विकसित राज्य हैं। इसलिए केन्द्र सरकार के पास आप जाओ और जिस लॉबी का मैं जिक्र करूं उसकी मार्फत भी दबाव डलवाओ कि उद्योगपतियों को सुविधायें देने का कोई तरीका होना चाहिए। माननीय मंत्री जी वो कहेंगे कि हम तो आपको देंगे 6 महीने की छूट। महाराष्ट्र कह देगा कि आपको पूरी साल भर की छूट दे देंगे। आप 6 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो अविकसित राज्य हैं उनक पास वित्तीय साधन इतने नहीं हैं। खुशामद करके लोगों को सुविधायें दे करके अपने राज्य में उद्योग

(श्री रामकिशन)

लगा सकें इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे औद्योगीकरण की कमजोरी का कारण यह भी है कि विकसित राज्य में उद्योग जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि हमारा राज्य और भी पिछड़ जायेगा। आज प्लास्टिक उद्योग के लिए सम्भावना है और यह जगदीशपुर वाली जो लाइन फजीरा जगदीशपुर वाली लाइन है उसमें एक प्रकार का मैटीरियल है जो हमारे यहाँ प्लास्टिक उद्योग का सहारा बन सकता है। आप इसका सर्वेक्षण करायें, आप इसकी जांच करायें। खर्च भी कम होगा लाइन जा ही रही है इस पर हमारे प्लास्टिक उद्योग खड़े हो सकते हैं। तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो हमारे पास परम्परागत उद्योग, दूसरे उद्योग बड़े उद्योगपतियों द्वारा संचालित हैं और तीसरे हैं राजकीय उद्योग। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि राजस्थान में राजकीय उद्योगों का जो हमारा हिस्सा है उसे हमें किसी न किसी प्रकार से पूरा करना चाहिए।

आज आपने देखा है सैनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, फौजी उद्योग हमारे राज्य में कोई हैं क्या? लेकिन आप देखिये दूसरे राज्यों में ये भी जा रहे हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जो आर्मी की जरूरत को पूरा करते हैं। हमारे राज्य में कोई यूनिट नहीं हैं। हमारी स्थिति यह है कि हमारा पोलिटिकल नेतृत्व इतना कमजोर रहा है कि हम केन्द्र के सामने अपनी बात कभी रखवा नहीं पाए। चाहे पानी का सवाल है, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का सवाल है, चाहे कर ढांचे का सवाल है, चाहे कर में समानता का सवाल है। हम दिल्ली में खुशामद कर आते हैं बाकी कोई मुख्य चीज हम ले नहीं पाते। तो मेरा इस इस संबंध में यह भी निवेदन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में और अभी जो इराक का झगड़ा हुआ है इसके बाद जो फौजी असंतुलन दुनिया में बनने वाला है उसके बाद जो समस्यायें खड़ी होने वाली हैं उसमें जिस प्रकार की सैन्य उद्योगों की स्थापना होगी, मेरा केवल इशारा यह है कि कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए क्योंकि अरब देशों में सत्ता का जिस तरह संतुलन बदला है उस दृष्टि से हमारी भूमिका दूसरी होने वाली है। तो हमारे यहाँ पर जो उद्योग लगेंगे आप इसमें अपने शेयर के लिए कोशिश करें। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि इस सारे मामले में हमें कांग्रेस के लोगों का भी सहयोग लेना चाहिए, उचित समझे तो हम लोगों का सहयोग लीजिए, आप लोग भी कोशिश करिए लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हमारे राज्य में आये बगैर हम अपने राज्य के बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दे सकेंगे। आज हमारे यहां बेरोजगारी इतनी भयंकर होती चली जा रही है कि हमारी खेती की सीमा समाप्त हो गई है। आज की तारीख में 10 में से 6 को खेती रोजगार दे सकती है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे राज की आमदनी में आपका केवल 19 पर्सेन्ट हिस्सा ही है तो इसका मतलब है कि हमारी संभावनायें केवल उद्योग पर ही बची हुई हैं और उद्योग के मार्फत ही हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे। ठीक है राजस्थान में जमीन है लेकिन पानी नहीं है इसलिए आगे हमारी ज्यादा संभावनायें नहीं है। औद्योगीकरण के लिए जिस प्रकार की समझ, जिस प्रकार का साहस जिस प्रकार के प्रशासन की जरूरत है।

(श्री रामकिशन)

मैं समझता हूं वह काम पूरा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से इसमें मेरा निवेदन यह है कि आप इन सारे मामलों पर कोशिश करें और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हम बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी बिजली है नहीं और बिजली नहीं होगी तो उद्योग नहीं लगेंगे। अब भैरोंसिंह जी ने जो घोषणा की है कि चाहे कुछ हो जाय मैं धौलपुर का बिजली का प्रोजेक्ट तुरन्त करा दूंगा। कुछ क्या हो जायेगा, चुनाव हो रहे हैं अब घोषणा से कोई मतलब है क्या? मेरी राय में इसका कोई मतलब नहीं है। उनका इरादा ईमानदारी का होगा, कोशिश भी करेंगे लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह की मंजूरी अगर मिल भी गई तो इसका क्या इम्पलीमेंटेशन होने वाला है? इनका नहीं हो और दूसरी चीजों का नहीं हो किन्तु जिस प्रकार की हमारी स्थितियाँ हैं तो मैं आप सबसे निवेदन यह करूंगा कि औद्योगीकरण के लिए जो मूलभूत समस्यायें हैं उनको हम देखें हमारे राज की जो दिक्कतें हैं उनको हम समझें, हमारी प्रशासनिक दक्षता है उसको हम दुरुस्त करें, उनको वित्तीय सुविधायें दें, उनको दुरुस्त करें, उनको कानून के दायरे में बांधें और जो उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं उनकी समस्याओं को सुनने का कष्ट करें।

आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा वातावरण था कि जो कोई उद्योगपति का पक्ष लेता था उसको लोग कन्जर्वेटिव कहते थे, उसको लोग पूंजीवादियों का समर्थक कहते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। तो आप लोगों की ज्यादा सुविधाजनक स्थिति है। उनकी कठिनाइयां सुनिए, उनके सुझाव लीजिए। कई सुझाव उनके बहुत बढ़िया आते हैं लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अफसरों के सामने मंत्री की हालत यह हो जाती है कि एक तरफ तो बैठ जाय अफसर और एक तरफ आ जाय एप्लीकेंट तो अफसर के सामने मंत्री बोल ही नहीं पाता। तो ऐसे मंत्रिमण्डल में बैठने से क्या फायदा है? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं लेकिन यहां कई मंत्री हैं क्या कोई मंत्री की हैसियत वाला है। यहां तो बस एक ही है और बाकी के तो जो हैं वही हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप गोयल साहब के लिए नहीं कहेंगे।

श्री रामकिशन : आप सजातीय हैं, इसलिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार का ढांचा खड़ा कर रखा है मैं समझता हूं गोयल साहब को कुछ करना चाहिए तो श्रीमान् जी ऐसा सैक्रेटरी लगाते जो फाइल ही आगे नहीं बढ़ाने दे। तो थोड़ा सा भीतर चिन्तन करो कि हमारा राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ता। यह क्या दिक्कत है इन सारी समस्याओं का अगर हम समाधान कर पायेंगे, मैं तो कई मंत्रियों से छोटी–मोटी बात पूछता हूं तो वे कहते हैं ठाकुर साहब से पूछ लो। अब एक ठाकुर साहब का अवतार हुआ था त्रेता युग में और दूसरे अब कलियुग में। अब किस–किस से पूछते रहें। मेहरबानी करके आप लोग थोड़ा संघर्ष करें और जो राज्य के हित की चीज हैं उनके लिए जरा मजबूती

(श्री रामकिशन)

से रखें। मैं आज जान–बूझकर उन सारी बातों को छोड़ देता हूं जिनका मैंने बार–बार जिक्र किया था। मैं समझता हूं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कोटा का टैक्स का रिजम्शन हुआ था, कोटा के जो बड़े उद्योग गड़बड़ी कर रहे थे उसका जिक्र किया रिजल्ट कुछ है नहीं। अबकी साल बड़ी फेहरिस्त लाया था पर मैं आज छोड़ देता हूं। मेरा मुख्य मुद्दा केन्द्र से पूंजी का विनियोजन अपने राज्य में बढ़ाना है। और उसके लिए हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार हैं। मैंने प्लास्टिक उद्योग की बात आपसे की है, पेट्रोल कैमिकल की बात आपसे की है, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग की बात की है और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान किया जा चुका है उनकी भी मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूं आप और आपका विभाग और यह सदन और सदन के सभी पक्ष अपने राज्य के हित के लिए एकमत होकर हम केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर अपने हिस्से को लेंगे, इसी बात के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)

श्री अर्जुन दास मदान। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आसन के द्वारा जो सदन की मान्य परम्पराएं हैं उनका पालन करना बहुत आवश्यक है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कल भी यही समस्या खड़ी हुई थी और आज भी वहीं समस्या है कि सत्ता पक्ष के सदस्य बोलें और रोटेशन से हमेशा नम्बर आया है। सदन की हमेशा की परम्परा रही है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कांग्रेस दल के साथ जो बोलने वाले माननीय सदस्य हैं उनके साथ उनको जो बोलने का स्थान है वह प्राप्त नहीं हो रहा है। इस पर आप व्यवस्था दें। कितना समय निर्धारित है, कांग्रेस के लिए कितना दिया है, सत्ता पक्ष के कितने लोग बोल चुके हैं। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, मेरा आज भी यह एतराज है इस पर कृपया आप गौर करें और अपनी व्यवस्था दें।

श्री सभापति : समय का यहां पर जो निर्धारण किया जाता है दोनों पक्षों के या तीनों पक्षों के जितने नाम दिए जाते हैं उनकी फिर एक बाद में एक की सूची बना ली जाती है। पहले–पहल भाजपा के बोलें, फिर उसके बाद जनता दल के बोलें, फिर कांग्रेस पार्टी के बोलें, फिर जनता दल का नम्बर आ गया, फिर भाजपा है। अभी जनता दल के बोल चुके हैं अब फिर भाजपा का नम्बर आ गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भाजपा के तो आप 3 आदमियों को बुलवा रहे हैं।

श्री सभापति : नाम ही आपने इतने दिये हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसने नाम दिए हैं ? हमारे नाम कम हैं तो पहले नम्बर आना चाहिये। मैं इसमें थोड़ा सा एतराज करता हूं। भाजपा के मुख्य सचेतक सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतक हैं। वह अपनी लिस्ट बना कर देते हैं। वह अपने नामों को ऊपर फिट करते हैं और हमारे नामों को नीचे रखते हैं। साहब, मुझे सख्त एतराज है।

श्री सभापति : आपने कुल मिला कर पांच नाम दिये हैं और वह आल्टरनेटिव तरीके से पांचों नाम रखे हुए हैं। आप ज्यादा नाम दे देंगे तो ज्यादा बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सका।

श्री सभापति : आपने कुल पांच नाम दिये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, दिये हैं पांच नाम।

श्री सभापति : अब पांचों को एक साथ तो नहीं हो सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मुझे मालूम है नहीं हो सकता एक साथ। दो भाजपा के बोल लिये, तीसरा फिर भाजपा का बुलवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है इनके बाद कांग्रेस पार्टी का नम्बर है, मैं बोल दूंगा। और अगर आप और भी नाम दें तो बुलवा दिया जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं चाहते तो हम इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

श्री सभापति : नहीं, क्यों नहीं चाहते हैं। परन्तु जो नाम दिये हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, हमारा सख्त एतराज है। हम इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

श्री सभापति : एतराज क्या है आपका ? जो आपने पांच नाम दिये हैं यहां पर वह पांचों के पांचों बीच में रखे हुए हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पांच नाम देने का मतलब है आप पांच नाम बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पांच नामों में से केवल एक नाम लिया है आपने। +++

श्री सभापति : पांचों एक साथ बुलवा दूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तीन उधर से बुलवा रहे हैं, एक तो इधर से शुरू करवायें।

श्री सभापति : नहीं, फिर पांचों खतम हो जायेंगे।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हो जाने दीजिये खतम ।

श्री सभापति : अच्छा अब मैं सोच लूंगा । अब माननीय मदान बोलें । (व्यवधान)

माननीय श्री मदान । आप विराजिये ।

श्री मदनलाल सैनी : इनको घर जाना है ।

श्री सभापति : आप कृपया तशरीफ रखिये । आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++पांच नाम हैं इसलिये नहीं बोलने देते ।

श्री सभापति : आप कृपया विराजिये । आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे । (व्यवधान)

आप सब तो बैठ जाइये । यह बोल रहे हैं ना । व्यवस्था बनाये रखिये । आप जैसा चाहते हैं वैसा अब कर लूंगा मैं । इनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कहने की नौबत ही क्यों आती है ।

श्री सभापति : नौबत तो यह है कि आपने सिर्फ पांच नाम दिये हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो क्या हुआ ? हम एक नाम देंगे ।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री ईश्वरलाल सैनी : पांच नाम से क्या लेना देना हमारा । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तशरीफ रखें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमें मजबूर न करें अन्यथा हमें सदन छोड़ना पड़ेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये । मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे पांच नाम हैं इसलिये नहीं बोलते । पांच तो परमेश्वर होते हैं ।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये । मैं व्यवस्था कर दूंगा । माननीय मदान विराजें, आप विराजें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप पांच नाम की बात कर रहे हैं....

श्री सभापति : अभी बुलवा देते हैं आपको (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : पांच नाम की कैसे बात कर रहे हो । हमारा समय बचेगा । कांग्रेस के दो घंटे है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर मैं अपने दल के 25 नाम दे देता तब क्या स्थिति बनती ?

श्री सभापति : मैं एक बात कहता हूं.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मैं 25 नाम दे देता तो आप 25 को एडजस्ट कर लेते क्या ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : मैं अभी एडजस्ट करवा दूंगा। इसके बाद एडजस्ट करवा दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत परम्परा पड़ती जा रही है यहां पर। एक आदमी बोला है।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न जी, आप जैसा चाहते हैं मैं करवा दूंगा। मदान को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : ओन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : क्या पाइण्ट आफ आर्डर है आपका ?

श्री रामकरण सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

कल आपने फरमाया था, मैंने कोई व्यवस्था मांगी थी आपसे। आपने कहा इसे मैं रिजर्व रखता हूं, बाद में सुना दूंगा। वह पाइन्ट आफ आर्डर यह था, मैं आपको दुबारा उसके बारे में जिक्र कर दूं, मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, पहले नम्बर पर वह आते हैं। आपने कल यह कहा, नाम नहीं दिया। आज मैंने नाम क्वेश्चन आवर में दे दिया था। लेकिन आप व्यवस्था तो दें, सभापति जी, मुझे बोलने का मौका किस लिये नहीं दिया जाता। केवल आपने एक तरफ भाजपा की बात कह दी, एक तरफ कांग्रेस की बात कह दी, जनता दल की बात कह दी तो बाकी माननीय सदस्य आपके हाउस में सदस्य नहीं हैं क्या ? इसकी व्यवस्था देनी थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। जो कटौती प्रस्ताव में नाम आते हैं वह पहले और पीछे आते हैं उसके आधार पर यहां सूची नहीं बनती है। यहां जो–जो माननीय सचेतक लोग हैं वह जिस प्रकार सूची देते हैं उसके अन्दर जो इण्डिपेंडेंट हैं उनकी सबकी एक सामूहिक सूची बन जाती है और उसी आधार पर ही क्रम चलता है। उस आधार पर आपका नाम कल भी लिखा हुआ था, आज भी लिखा हुआ है। आपका जिस समय समय आयेगा आपसे निवेदन कर दिया जायगा। माननीय मदान।

श्री रामकरणसिंह : मुझे तो यह....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामकरण सिंह : व्यवधान नहीं डाल रहा हूं मैं।

श्री सभापति : तो मैं निवेदन कर रहा हूं ना।

श्री रामकरण सिंह : मेरे अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपने मुझसे व्यवस्था मांगी, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री रामकरण सिंह : +++ माननीय सभापतिजी, मैं इस आसन का बड़ा अदब करता हुआ यह कहना चाहता हूं कि यह कटौती प्रस्ताव किसलिये मांगे जाते हैं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

वह और व्यवस्था दे दीजिये। फिर यह कटौती प्रस्ताव जो हमें देने होते हैं, देते हैं और आपकी कार्य सूची में आ जाते हैं उनका मकसद क्या है वह और बता दीजिये। यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव जो आप देते हैं वह राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, यह आपकी एक प्रकार की समस्या है और उसका आपको उत्तर मिलता है जब मंत्री महोदय उत्तर देते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जितने कटौती प्रस्ताव आयें उन सब पर यहां पर बोला जाय क्योंकि तीन दिन भी कम पड़ते हैं। जबकि व्यवस्था के अन्दर अपने पास आज एक ही दिन है। सब नहीं बोल सकते कटौती प्रस्ताव पर।

श्री रामकरण सिंह : तो यह माना जाय कि जितने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका जवाब माननीय सदस्यों को मिलेगा।

श्री सभापति : अवश्य मिलेगा।

श्री रामकरण सिंह : पहले नहीं मिले हैं।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय से कि वह आपको जवाब देंगे।

श्री रामकरण सिंह : पहले नहीं मिले हैं।

श्री सभापति : कह तो दिया कि आपको मिलेगा जवाब।

श्री रामकरण सिंह : पहले भी ऐसी व्यवस्था आसन की तरफ से दी गई थी लेकिन उसका पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है। यह मैं आपको अर्ज कर दूं।

श्री सभापति : अब कर देगी राज्य सरकार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं मेरे क्रमांक पर हूं। मुझे आप समय दें।

श्री सभापति : मैंने नाम पुकारा था आप नहीं थीं यहां पर। अब आप तशरीफ रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ऊपर किसी काम से बुला ली गई थी।

श्री सभापति : इसका मैं क्या कर सकता हूं। इतनी देर सदन इंतजार करेगा आपका (व्यवधान)

अब आपका नम्बर आ जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरे क्रमांक पर आ चुकी हूं।

श्री सभापति : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप नहीं थीं। कोई बात नहीं अब आगे नम्बर आ जायगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने कई बार यह कहा है कि आपने पांच नाम दिये हैं। हम तो एक नाम देंगे। हमारी पार्टी का या जो भी पार्टी यहां होती है उनका समय का बंटवारा होता है। मान लो हमें दो घंटे दिये....

श्री सभापति : माननीय सैनीजी, यह बात हो गई अब क्यों....

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मेरा निवेदन सुन लें। मानलो हमें उसमें से आधा

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

घंटा मिलता है तो मैं आधा घंटा एक अकेला लूंगा। मेरा एक पार्टी का नाम दूंगा। तो हमने जो पांच नाम दिये हैं, जो हमें समय मिलेगा दो घंटे का हमारे पांचों में उसका बंटवारा होगा।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अभी तक इसी तरह से यह परिपाटी चली आ रही है। समय का बंटवारा होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, क्यों विवाद हो रहा है। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समय लेना चाहें, दे दीजिये। हम बाद में बोल लेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमने तो यह निवेदन ही नहीं किया, साहब। यह सभापतिजी ने व्यवस्था दी थी, आपने पांच नाम दिये हैं। उन्होंने 15 नाम दिये हैं। हम कहते हैं आप सारा समय लीजिये, हम बाहर बैठ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांचों की जगह आप बोल लीजिये, मैं आपका भाषण पूरा सुनूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, सदन के माननीय नेता ने कोई आब्जर्वेशन किया है, अब यह बहुत लाजिमी हो जाता है कि मैं भी कुछ निवेदन कर दूं। स्वस्थ परम्परा डिबेट की बढ़िया यहीं है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। मेरा जो मुद्दा है, इस सदन की परम्परा रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर एक सत्ता पक्ष से, एक विपक्ष से बोले, ठीक है आज तीन विपक्ष है तो एक एक करके नम्बर आ जाय। एक उधर से बोलते चले। मंत्री महोदय तो पूरा समय लेंगे ही लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि यह सदन की स्वस्थ परम्परा बढ़िया डिबेट होने के लिये यह आवश्यक है। नहीं, आप बुलवाइये, आप सभापति हैं, आप जो निर्णय करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, चले जायेंगे यहां से उठ कर। हम और तो कुछ कर नहीं सकते।

श्री सभापति : अवसर दिया जायगा, आपको। माननीय श्री मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय सभापतिजी, आज मांग नम्बर 42 और 43 के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है सदन। उद्योग और खनिज के बारे में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं यह चाहूंगा, आज हम जिस स्थान पर राजस्थान के एक नागरिक होने के नाते खड़े हैं उसके ऊपर विवेक से मंथन कर लें, चिन्तन कर लें। यदि आज राजस्थान की ओर मैं निहारता हूं तो यह पाता हूं कि आज सड़कों के क्षेत्र में हम 13 वें स्थान पर हैं, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हमारा स्थान 12 वां है, व्यक्तिगत पूंजी आय के स्थान पर हम दसवें स्थान पर हैं और औद्योगिक क्षेत्र में हमारा स्थान ग्यारहवां है। एक क्षेत्र जरूर बचता है, मान्यवर, जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं आज सारे देश में, और वह है प्रजनन में या जिसको आप कह सकते हैं आज देश की आबादी बढ़ाने में। सारे संसार में आज अगर कहीं आबादी सबसे ज्यादा बढ़ती है तो वह है बंगला देश और दूसरा स्थान है हमारे भारत का और उस भारत के समस्त प्रान्तों में भी यदि किसी प्रान्त की सबसे

(श्री अर्जुनदास मदान)

ज्यादा आबादी बढ़ती है तो वह है मेरा राजस्थान।

कल्पना कीजिए मान्यवर, यदि इस प्रान्त की आबादी इसी तरह से बढ़ती चली जाय। देश और प्रान्त का औद्योगीकरण शिथिल पड़ता जाय, आगे कोई विकसित नहीं हो। जो संस्थाएं, फैक्टरीज चल रही हैं वह धीरे धीरे बन्द होती चली जायं तो आज इस प्रान्त की क्या स्थिति होगी इस ओर मैं सारे माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी तरफ विकास की गति इस देश में क्या रही, देश की आजादी के बाद हमने स्वप्न संजोया था कि देश का प्रत्येक नागरिक विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा। हम इस देश का निर्माण करेंगे प्रान्त का गठन करेंगे। जहां प्रत्येक व्यक्ति नई शांति और सुख की सांस लेगा। प्रगति के प्रथम 25 वर्ष तो हमारे विकास की गति केवल 3.5 या 3.6 प्रतिशत चली उसके बाद के 80 के दशक में 5.3 प्रतिशत चली गई और पिछले पांच वर्षों में 8.5 प्रतिशत बढ़ी है। प्रश्न यह है कि यदि विकास की गति इस तरह से बढ़ती चली जा रही है तो यह बेरोजगारों की कतार दिन प्रतिदिन लम्बी क्यों होती जा रही है? इसका कारण केवल मात्र यह है कि यदि पूंजी के स्थान पर हमने श्रम निवेश को प्राथमिकता दी होती तो, मान्यवर, आज स्थिति दूसरी होती लेकिन आज हमारा औद्योगीकरण केवल पूंजी निवेश की ओर ही चिन्तित है। श्रम के निवेश की ओर कोई चिन्तन, मन्थन है नहीं। आज बड़े बड़े कल कारखानों में उनकी स्थिति को देख लीजिए। आज हर जगह छंटनी है। यह सोचा जा रहा है कि कहां कम्प्यूटर लगाया जाय ताकि और मजदूरों की संख्या कम हो, बाबुओं को निकाला जा रहा है। मान्यवर, यह बेरोजगारी और महंगाई यदि इसी तरह चलती रही तो बेरोजगारी का समुद्र आज निराशा की हिलोरें ले रहा है जिसमें कभी-कभी आज आपके सामने छोटे छोटे पूंजीपतियों के टापू दिखाई देते हैं। यदि ऐसे ज्वार भाटे को आप और हमने नियंत्रित नहीं किया तो मैं कह सकता हूं कि इस महासमुद्र में ये छोटे छोटे टापू भी जो आप और हमको दृष्टिगोचर होते हैं वह भी सदैव के लिए विलीन हो जायेंगे। आज सदन इस पर विचार करे, मन्थन और चिन्तन करे। मैं तो सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कोई भी फैक्टरी यदि बनती है तो अंग्रेजी में एक स्लोगन है—"एवरी थर्टी डेज फाइव बिग एम" फाइव बिग एम से मेरा तात्पर्य केवल मात्र मनी, मैन, मशीन, मैटीरियल और मार्केक से है। इन पांचों में से लास्ट के तीन को छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, आज हमें देखना होगा कि पूंजी और श्रम के बीच में सामंजस्य है क्या। आज इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं। बहुत प्रत्यन किया हमने, 1947 में यह भी कोशिश की कि हम कमेटियों का गठन करें, 1958 में हमने जोइंट कौसिल बनाने का विचार रखा। 1977 में संविधान की धारा 43(8) में नई धारा जोड़ कर हमने कोशिश की कि मजदूर और मालिक के बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे। पिछले वर्ष 1990 में केन्द्र सरकार ने वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर पूरा एक्ट ही पास कर दिया। किन्तु आज मैं कह सकता हूं कि मजदूर और मालिक के बीच की दूरी बढ़ी

(श्री अर्जुनदास मदान)

है, वह दूरी कम नहीं हुई तो निश्चित रूप से देश की प्रगति में उनका स्थान नहीं होगा।

आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है विशेष कर पढ़े लिखे लोगों की। आज मान्यवर, नासिक में सिक्का ढलता है उसी प्रकार बालक भी ढलता है। नासिक में ढलने वाला सिक्का बाजार में आता है तो हर आदमी उसको स्वीकार करता है किन्तु इन विद्यालयों, महाविद्यालयों से बालक रूपी सिक्का बाजार में आकर खड़ा होता है तो उसे केवल मात्र मिलता है अपमान और उपेक्षा। इस अपमान और उपेक्षा में आज का तरुण कब तक खड़ा रहेगा। आज किसी नौजवान को देख लीजिए, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मन टूटा है, पांवों में शिथिलता है और आज जीवन के इस चौराहे पर वह अपना मार्ग तय नहीं कर सकता कि उसको दायीं तरफ जाना है या बायीं तरफ। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आज देश की तरुणाई का क्या होगा और हम कौनसी प्रगति की ओर चल पाएंगे। मान्यवर, अपने प्रान्त की ओर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारी 300 इकाइयां बिल्कुल सिसकती अवस्था में हैं बिल्कुल रुग्ण अवस्था में हैं या बन्द हो गई है। प्रश्न यह उठता है कि इन बन्द होने वाले उद्योगों पर किस प्रकार से अधिकारी या मंत्रिमण्डल या जो भी लोग इस क्षेत्र में हैं उनको बैठा कर विचार विमर्श किया जाय, वह नहीं हो पाता। यही कारण है कि आज देश के साथ साथ जो राजस्थान की प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। आज सोचा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कल कारखानों को बन्द करके निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया जाय। मान्यवर, मैं पूछता हूं तो जवाब मिलता है कि यह लोग पैसा लगाते हैं। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कोई पूंजीपति टाटा, बिडला, मफतलाल, सिंघानिया कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो एक रुपये से ज्यादा का निवेश करता हो। मफतलाल सबसे ज्यादा निवेश करता है 100 रुपये में 92 पैसे लगाता है। थापर 18 पैसे, डी.सी.एम. 22 पैसे, सिंघानिया 23 पैसे पर धन्धा करते हैं। कल्पना कीजिए इसमें भी वह राशि शामिल नहीं है जो हमसे ब्याज पर लेते हैं। इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को यदि आप देख लें यह केवल मात्र आप और मेरे द्वारा ली गई राशि को भी जोड़ दें तो मैं इस सदन के सामने घोषणा कर सकता हूं कि पूंजीपति, टाटा, बिडला, थापर या मोदी कोई भी घराना ले लें कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो सौ रुपये में एक रुपया भी पूंजी निवेश करता हो। इसके बावजूद भी क्या आज धरती बांझ हो गई, क्या आज भी सदन या दूसरे लोग सोचते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा काम कर सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अधूरे हैं, पंगु हैं। अगर ऐसा मन्थन और चिन्तन हुआ तो मैं समझता हूं यह हमारी भूल है। हमें एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं।

मैं इसके साथ साथ बिजली के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। बिजली उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने में उनकी जान है, प्राण है। इसके बिना उद्योगों की गति नहीं बढ़ पाएगी। आज प्रान्त को जितनी बिजली चाहिए उसका कितना उत्पादन करते हैं?

(श्री अर्जुनदास मदान)

सारे प्रान्तों में हमारी जो भागीदारी है यदि उस हिस्से को ले लें तो 54 प्रतिशत टोटल बिजली की सप्लाई आज राजस्थान में हम लेते हैं। यदि 54 प्रतिशत बिजली हमारे पास आ भी जाती है तो 46 प्रतिशत दूसरे प्रान्तों से खरीदते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज 180 करोड़ रुपया टोटल आर.एस.ई.बी. पर है। पिछले वर्ष तक 380 करोड़ रुपये का कर्जदार था और आज 102 करोड़ रुपये इस मार्च तक मिल जायं। तो यह 482 करोड़ रुपये कौन देगा ? कल्पना कीजिए, आज एम.पी. का, हरियाणा का, आर.एस.ई.बी. का, एन.टी.पी.सी. का, कौन सी जगह है जहां हमें पैसा नहीं देना है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो हमें बिजली कौन देगा ? आज 1.10 पैसा प्रति यूनिट बिजली मेरे घर पर आती है, मेरे मकान पर एक रुपया दस पैसा प्रति यूनिट पड़ती है और हमें मिलते हैं 87 पैसे. मैं एवरेज कह रहा हूं, किसानों का सारा लम्प सम आपको निवेदन कर रहा हूं। तो आज राजस्थान को 25 पैसे का घाटा पड़ता है उसकी पूर्ति हम दो तरीकों से कर सकते हैं या तो टैरिफ को बदल दें या राज्य सरकार उसका अनुदान दे। आज आर.एस.ई.बी. पर कर्ज की पोजीशन को देखते हुए इसकी सर्वांगीण स्थिति का अवलोकन किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि आर.एस.ई.बी. की स्थिति दयनीय है और बहुत ही चिन्ता का विषय है।

अन्त में अभी जो घोषणा की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं किन्तु फिर भी कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज शिक्षित बेरोजगारों पर योजना बनी है कि उनको रोजगार दिया जाय। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। यदि शिक्षित बेरोजगार कल कारखानों को चला सकें या हर काम कर सकें तो वह नहीं कर सकते। व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, अपना धैर्य और अपने कार्यकलाप की गति होती है। हर आदमी यदि संसार में हर काम कर ले, तो हमें कोई भी भूखा नहीं दिखाई देता। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और यही निवेदन करता हूं कि हमें रुग्ण इकाइयों पर ध्यान देना होगा वह बन्द क्यों हो रही हैं, क्या हमारे में कमी है, चलाने वालों में या श्रमिकों में कमी है। जब तक उनका सामंजस्य न हो तब तक इसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे तब तक जिस गति की कल्पना करके आगे बढ़े हैं उस गति को, उस ध्येय को, उस मंजिल को हम नहीं पा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 और 43 पर विचार, मंत्रियों के उत्तर और मांगों पर पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जब तक मांग संख्या पर विचार हो, माननीय मंत्रियों के उत्तर हों और दोनों मांगें पारित हो

(श्री सभापति)

जायं, तब तक सदन का समय सदन की अनुमति से बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में और मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा चल रही है, मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सरकार की प्रदेश के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति अच्छी नहीं रही है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि सरकार ने अपने प्रदेशों में उद्योग के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया हो। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि सरकार ने ट्राइबल एरिया में उद्योग के बारे में न तो कोई अपनी नीति बनाई है और न ही कुछ किया है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया के लोग रहने वाले, 80 प्रतिशत से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और वे गरीब इसलिए हैं कि उनके पास धंधे के नाम पर छोटी-मोटी खेती है और उसके पास में कोई अन्य धंधा नहीं है। ऐसी सरकार वहां पर चाहती है कि आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जावे तो निश्चित रूप से ट्राइबल एरिया में उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए अपनी कोई नीति निर्धारित करती लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो वर्तमान सरकार ने और चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार ने ट्राइबल एरिया के लोगों को रोजगार देने के लिए इस प्रकार के उद्योग धन्धे स्थापित किये जाय ऐसा कभी नहीं सोचा। माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया के आदमी स्वाभिमानी हैं, वे अपने काम धंधे करके अपने जीवन का गुजारा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम धंधा नहीं हो तो वे क्या करें ? छोटी-मोटी खेती करने के बाद भी वे गुजरात चले जाते हैं, 5–6 महीने तक वहां अपना कुछ धंधा करके बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वह पब्लिक सैक्टर के हों, चाहे प्राइवेट सैक्टर के हों लेकिन ट्राइबल एरिया की जितनी पंचायत समितियां हैं, जितने भी जिले हैं, वहां पर कोई उद्योग लगाने की सरकार को अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। इसलिए आपने कोई नीति निर्धारित नहीं की, लोग वहां भूखे मरते रहे और इस तरह से परेशानियां उठाते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आयेगा कि जैसे यहां बिहार में झारखण्ड की मांग करने वाले लोग बैठे हैं, असम में बोडो आन्दोलन करते हैं, वो ही दिन राजस्थान में आने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह इसलिए नहीं लगेगा कि समाज के अन्य लोग उद्योगपति बन करके और सब तरह से साधन सम्पन्न हो करके, सरकारी नौकरियों में लग करके और एशो आराम

(श्री दयाराम परमार)

का जीवन बिताये और वे देखते रहे; ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार को चाहिये कि वह नीति निर्धारित करे और ट्राइबल एरिया में उद्योग धन्धा लगाने की पूरी कोशिश करें। आप उनकी गरीबी को हटाने के लिए आधी सब्सिडी पर बैल देते हैं, बकरियां देते हैं, ऊंट देते हैं और भैंस देते हैं उससे वह गरीबी रेखा से ऊपर आ जायेगा? वह कभी भी नहीं आ सकता है और उसके ऊपर भी न तो कोई बैंक उनको लोन देती है और न ही वह कुछ खरीद पाता है। उनको तो अधिकारी और सब तरह के लोग मिल करके जो सब्सिडी का पैसा मिलता है, उनके आधे पैसे को बीच के लोग खा जाते हैं और आधा पैसा उन्हें दे दिया जाता है। तो सभापति महोदय, अगर उनकी गरीबी दूर करने के लिए हमारा यह तरीका रहा तो गरीबी नहीं हटेगी और इसलिए माननीय उद्योग मंत्री जी इस सम्बन्ध में विचार करें। लास्ट ईयर उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि हमने ट्राइबल एरिया में बहुत सारे कुटीर उद्योग स्थापित किये हैं। और वे क्या किये कि अनाज पीसने की चक्की, और ऐसे थ्रेसर और कुट्टी चलाने की मशीन, ऐसे एक दो इस तरह के चलने वाले मसाले पीसने वाले उद्योग धन्धे चलाने से अगर उनकी गरीबी दूर हो जाये तब तो फिर हो गया लेकिन ऐसे उद्योगों से कुछ नहीं होना है इसलिए कुछ काम करें।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग के बारे में बहुत सी विभागीय स्तर की नीति की बात करूं या प्रदेश स्तर की नीति की बात करूं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उदयपुर एरिया की बात करूं, मेरे क्षेत्र की, जिस एरिया से मैं आया हूं, उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना था वह कर दिया।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, खनिज के सम्बन्ध में है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि खनिज जहां कहीं भी है वह पहाड़ों में है, चाहे वह घाटियां हों, चाहे वह मगरिया हो, वह इस प्रकार का आया नहीं है और उन पहाड़ियों और मुगरियों में बसा हुआ कौन है? वह आदिवासी बसा हुआ है, चाहे वह जमीन अपने खाते की हो, चाहे अपने कब्जे की हो, चाहे वहां उसका मकान बना हुआ हो, चाहे उसका कुआं बना हुआ हो लेकिन आपके माइन्स डिपार्टमेन्ट कहीं नहीं देखते हैं। इसलिए माइन्स जो भी आप अलाट करते हैं, चाहे वह कलकत्ता का आदमी हो, चाहे वह बम्बई का हो, अपनी एप्लीकेशन लगायेंगे और उसको अलाट कर देंगे और अलाट कर देने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि उसको पकड़ करके कब्जा दिलवा दो ताकि वह माइन्स उसकी खुद की हो जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के लोग, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, उनके मन में कई तरह की तमन्नाएं होती हैं, माइन्स हमारे एरिया में हैं और माइन्स लेंगे और धन्धा करेंगे लेकिन, सभापति महोदय, वहां के जितने भी स्थानीय लोग और विशेषकर ट्राइबल एरिया के लोग जो एप्लीकेशन लगाते हैं वह सारी की सारी केन्सिल हो जाती है। मैंने लास्ट ईयर एक प्रश्न के माध्यम से जवाब चाहा था और माननीय मंत्री जी ने दिया था कि 90 में से

(श्री दयाराम परमार)

10 स्थानीय आदमियों को माइन्स मिलती थी और 80 आदमी बाहर के और 10 में से ट्राइबल के केवल दो थे और वह भी मेरी तहसील के। मेरी तहसील खैरवाड़ा में सभी तरह की खानें हैं। मार्बल की हैं, सोप स्टोन की हैं और अन्य कई तरह की माइन्स हैं लेकिन वहां के लोगों को कोई माइन्स नहीं देते हैं। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इस डिपार्टमेंट के लोगों से हमने थोड़े समय पहले डूंगरपुर के ए. ईएन. से, जो कमेटी वहां गई थी, उसने बातचीत की थी, वे यह जवाब दे रहे थे कि एक माइन्स लेने के लिए कम से कम एक लाख रुपया चाहिये। ट्राइबल एरिया के लोगों के पास यह पैसा नहीं होने से उनको वह माइन्स नहीं मिल सकी है। यह उनका जवाब था। मैं यह नहीं कह सकता कि एक ट्राइबल एक लाख रुपया देकर के माइन्स ले लेकिन जनजाति विकास ट्राइबल कमिश्नर के वहां पर एक स्कीम बनी हुई है कि माइन्स लेने के लिए उनको 2500 रुपया दिया जाय। एक तरफ तो सरकार की तरफ से यह प्रावधान है कि 2500 रुपया देकर के आप माइन्स ले लें और माइन्स डिपार्टमेंट के लोग यह कहते हैं कि उसके लिए एक लाख चाहिये तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं और न मालूम वे किस तरह से हमें माइन्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उनकी क्या नीति है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक बात निश्चित रूप से है कि अगर माइन्स देने का यह रवैया रहा तथा बाहर के लोगों को वे पैसों के बल पर देते रहे और हम लोग, वहां के लोग जो सदियों से उस धरती पर पैदा होते रहे और मरते रहे, उस धरती में दबते रहे लेकिन लम्बे समय तक उनको देखेंगे नहीं, यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर वे माइन्स 80 प्रतिशत रिजर्व करके हमको ट्राइबल और स्थानीय लोगों को नहीं दी तो एक बिल और निश्चित लायेंगे कि हम सब तरह से बर्दाश्त भी करते हैं चाहे वह अन्याय हो, उसको बर्दाश्त करते हैं, गरीबी भी बर्दाश्त करते हैं और वे लोग हमें जिस तरह से दबाते हैं, उसको सारे को बर्दाश्त भी करते हैं लेकिन जिस तारीख से हम हमारा सिर ऊंचा करेंगे उस तारीख से उस धरती पर उस माइन्स को लेने वाला एक भी नजर नहीं आयेगा। यह मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस माइन्स को लेने की नीति को बदलें और स्थानीय लोगों को, जिनकी अपने खाते की जमीन हैं, उनके खाते की माइन्स को वे लेना चाहते हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाये और जिनके खाते की जमीन नहीं है, उन लोगों को भी दी जाय।

सभापति महोदय, मैं मालूम कर रहा हूं तथा हमारे वहां के सब लोगों को, स्थानीय लोगों को माइन्स दी जाय और उनके पास में पैसा नहीं है तो सरकार जन-जाति निगम से और अन्य तरीके से पैसों की व्यवस्था करे और उस माइन्स को चालू करवायें तो निश्चित रूप से प्रदेश में शान्ति बनी रहेगी और प्रदेश के विकास में सरकार का सहयोग करेंगे वरना फिर हमें हमारे तरीके से सोचना पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गुलाम मुस्तुफा खान ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर एक ऐसा इलाका है जहां से पिछले 40 साल से सक्षम अधिकारी और राजनीतिज्ञ रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक नागौर जिला जितना पिछड़ा है उतना राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है। वैसे नागौर के अन्दर सब से अच्छे प्रकार के, सब प्रकार के संगमरमर, लाइम स्टोन वगैरह के, जिप्सम वगैरह के भण्डार भरे हुए हैं लेकिन उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो मैं नागौर की समस्याएं आपसे निवेदन करूंगा। सब से पहली समस्या तो यह है कि नागौर जिले के अन्दर एक हस्त औजार के बहुत छोटे छोटे घरों के अन्दर कारखाने हैं। पिछले 40 साल पहले जो उनकी हालत थी उसी हालत के अन्दर आज भी हैं। उनके सुधार के लिए राज्य सरकार ने आज तक कोई भी योजना नहीं बनायी। हालांकि वह औजार–कटर, प्लास वगैरह विश्व विख्यात हैं जिनसे करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हमारे देश के अन्दर आती है और वे औजार नागौर में बनाये जाते हैं लेकिन उन पर लेबल वगैरह किसी पर मद्रास, कहीं हैदराबाद और कहीं पर बम्बई का लगा होता है और उनका एक्सपोर्ट होता है जबकि जो औजार बनाने वाले मजदूर हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। उनकी सब से बड़ी कमजोरी यह है कि उन लोगों की तरफ सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। वहां पर न तो कोई मार्केटिंग की व्यवस्था है, न उनको कच्चा माल देने की कोई व्यवस्था है और वहां पर जो बिचौलिये है वह उनका शोषण करते हैं। चार रुपये का जो प्लास नागौर में बिकता है वह बम्बई के अन्दर 50 रुपये में मिलता है और विदेश के अन्दर 100 रुपये में मिलता है। तो मेरा राज्य सरकार से और उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि जो बहुमूल्य औजार का धन्धा नागौर के अन्दर करीब एक डेढ़ हजार परिवार चला रहे हैं वे बहुत ही गरीब हालत के अन्दर हैं उनके सुधार के लिए आपको चाहिये कि उनके औजार के धन्धे को सुधारने के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाय ताकि उन गरीब परिवारों का शोषण न हो और उनको अपने माल की कीमत सही मिले और जो औजार बना रहे हैं उसका विश्व विख्यात बिजनेस हो रहा है, उसमें हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिल रही है वह अच्छी से अच्छी मिले।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि नागौर के अन्दर जिप्सम के बहुत भण्डार हैं। करीब 40–50 किलोमीटर के अन्दर जिप्सम भरा पड़ा है लेकिन जिप्सम आधारित कोई भी उद्योग धन्धा आज तक लागू नहीं किया गया। यहां तक कि नागौर के अन्दर सीमेण्ट फैक्टरी भी आज वहां पर पर्याप्त मात्रा में काम में लेने के लिये नहीं बनी हैं। इसके अलावा माडपुर और कातलास नामक ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लाइम स्टोन हैं, पर्याप्त मात्रा में है खनिज भी उसमें काफी निकलता है लेकिन उन पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार उस लाइम स्टोम के भण्डार को काम में नहीं लेती, वहां किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगाती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

है कि जो प्रचुर मात्रा के अन्दर भण्डार भरा हुआ है नागौर जिले के अन्दर उनको काम में लिया जाय।

मेरा एक निवेदन और है, कि नागौर जिले के इन औजारों के लिए शिल्प बाड़ी नाम की एक योजना पिछले तीन साल पहले बनायी गयी थी। अफसोस की बात है कि वह योजना उद्योग विभाग और जिलाधीश कार्यालय के बीच में पिछले तीन साल से लटक रही है। यह योजना केन्द्र सरकार की 50-50 हजार रुपये की है और उसे बने हुए करीब तीन साल हो गये। उनकी खानापूर्ति के अन्दर तीन साल से फाइल लटक रही है। आज तक उसकी क्रियान्विति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर 200 आदमी उस योजना से जो सरकार ने बनायी है उसे अगर जल्दी से जल्दी मन्जूर कर दी जाय तो हो सकता है 200 परिवार तो कम से कम सुखी हो सकेंगे।

इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों के बारे में मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि राज्य सरकार ने योजना तो बहुत अच्छी बना दी और बेरोजगार युवकों के लिए तो बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी चीज है कि हमारे को रोजगार तो मिलेगा और हमारे को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा। पिछले साल पूरे नागौर जिले के अन्दर करीब 100 और कुछ 54 या 55 आदमियों को शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत रोजगार देने के लिए चुना गया है। उनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की है जो पहले से ही रोजगार शुदा हैं जबकि नीचे के श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने योजना बनायी थी कि उनका उत्थान करेंगे। जो सरकार की नीति थी कि इस नीति के जरिये हम निम्न श्रेणी के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए योजना बनायें उसके लिए उस पर जो प्रेक्टिकली अमल होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने पिछले दो महीने पहले मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि वहां डिप्टी डायरेक्टर–उद्योग और जिला उद्योग अधिकारी और लीड बैंक के जो अधिकारी हैं वे सब मिलकर इतना घोटाला कर रहे हैं कि जो भी आदमी दो हजार से पांच हजार रुपये तक रिश्वत दे देता है तो उसको रोजगार योजना के अन्दर शामिल कर लेते हैं। तो उसके बारे में मैंने जब कम्पलेंट की तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां से जांच के लिए एक अधिकारी को भेजा। तो आश्चर्य की बात यह है कि जब वह जांच करने के लिए गया और जिन लोगों ने कम्पलेंट की थी उन लोगों ने उनके बयान तक नहीं लिये और जिन्होंने बयान दिये उनके बयान तक इन्होंने सही नहीं लिखे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो योजना सरकार की तरफ से बनती है उसकी क्रियान्विति अगर सही नहीं हो और उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त होगा जिससे हमारी सरकार बदनाम होगी। इसलिए ऐसे अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये। उस जांच के अन्दर कई लोगों ने बयान भी दिये हैं कि हमसे 2 हजार रुपये मांगे, पांच हजार रुपये मांगे। इस प्रकार जब हम योजना को बनायेंगे और उसकी क्रियान्विति इस तरह से होगी और इस

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

प्रकार से भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो फिर इन योजनाओं का क्या लाभ होगा। इस-लिए हमारे को चाहिये कि योजनाओं को सही ढंग से लागू करें और जिस गरीब आदमी के लिए योजना बनायी जाती है उसका लाभ उसे मिले और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त वहां से निलम्बित करें या उनकी जांच 16-सी सी के अन्दर कार्यवाही करके सेवा मुक्त किया जाय। इस प्रकार जब हम कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक पता नहीं भ्रष्ट लोग इस देश को कहां ले जायेंगे।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि जो भी आदमी उद्योग के लिए उद्योग विभाग के अन्दर या आर.एफ.सी. के अन्दर जाता है तो उसको फारमैलिटीज इतनी ज्यादा करनी पड़ती हैं, उसको परेशान होना पड़ता है, छह-सात महीने, साल भर, दो साल तक उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिजली के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, सैल्स टैक्स की एन.ओ.सी. के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोन्स वगैरह के लिए कलैक्टोरेट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार को चाहिये कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वन विण्डो के ऊपर सारा कुछ काम हो जाय और सरकारी अमला खुद एन. ओ. सी. वगैरह अपने आप मंगवायें और जो उद्योग लगाना चाहता है उसको खुद को चक्कर नहीं लगाने पड़े। उसे एक प्रॉपर टाइम दे दिया जाय कि आपकी एप्लीकेशन आयी है उसके अन्दर महीना, दो महीना लगेगा ताकि उसके अन्दर एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ वह आपके पास आया है वह उसका विश्वास पूरा होगा, उसकी परेशानी कम होगी।

अब मैं माननीय खनिज मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि माडपुर और कातलास नामक क्षेत्र है उसके अन्दर बहुत अच्छे किस्म का लाइम स्टोन है। वहां पर लाइम स्टोन पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। खनन के हिसाब से वहां पर खनन नहीं होने दिया जा रहा है। जबकि अवैध रूप से वहां पर खनन होता है। इस प्रकार से राज्य सरकार को रायल्टी का हजारों रुपयों का नुकसान होता है। खनन आज भी वहां पर वैसे का वैसे हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि प्रतिबन्ध को हटाया जाय जबकि बीकानेर, जोधपुर जिले के अन्दर लाइम स्टोन मिल रहा है उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह भेदभाव की नीति है और यह नागौर जिले के साथ क्यों की जा रही है ? इसलिए मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि भेदभाव मिटायें, नागौर क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करें और खनन के ऊपर जो पाबन्दी लगी हुई है उसे दूर करें।

एक निवेदन मेरा और है। मकराने के अन्दर मकराने से परबतसर रेलवे लाइन जा रही है उसके आस-पास करीब 57 खानें ऐसी हैं जो संगमरमर की हैं जिसमें करोड़ों रुपयों का संगमरमर दबा हुआ है और पिछले दो तीन वर्षों से वहां पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हालांकि केन्द्रीय सर-कार ने राज्य सरकार से यह पूछा था कि जो रेलवे लाइन है उसका उपयोग नहीं हो रहा है और केन्द्र सरकार को नुकसान हो रहा है लेकिन राज्य सरकार की ओर से उसके विपरीत जवाब दिया जाता है कि

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

नहीं इस रेलवे लाइन को चालू रखा जाय। हांलाकि उस रेलवे लाइन की वजह से हजारों लाखों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। करोड़ों रुपयों का जो संगमरमर आसपास में दबा हुआ है उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है तो मेरा निवेदन यह है कि या तो उस रेल्वे लाइन को बन्द कर दिया या उस रेलवे लाइन को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर डाल दें ताकि जो खनन भण्डार वहां पर दबा हुआ है उसमें खनन की वापस व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : जो जिप्सम है उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं उद्योग मंत्रीजी से, वही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि नागौर के आसपास के अन्दर जो जिप्सम का भण्डार है और उस जिप्सम पर आधारित जो कारखाने हैं वह नागौर जिले के अन्दर लिये जायं, नागौर जिले के अन्दर विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार का कोई कारखाना नहीं है। इस प्रकार का भेदभाव मेरे क्षेत्र की जनता के साथ नहीं किया जाय। यही मेरा निवेदन है धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह (अनुपस्थित)

श्री सांवरलाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 42 और 43 के सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं उनमें मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक, लाइम स्टोन, थोरियम, जिप्सम, ताम्बा और इसके अलावा छुटपुट अन्य खनिज भी आते हैं। इमारती पत्थर भी प्रमुख रूप से इसके अन्दर सम्मिलित किया जाता है। मेरा निवेदन है, वह यह है कि खनन कार्य के सम्बन्ध में जो भी पट्टे दिये जाते हैं वह मेरे ख्याल से कुछ गिने चुने ही पट्टेधारी हैं जो घूम फिरकर इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि स्थानीय व्यक्ति या स्थानीय निवासियों को वहां पर खानें होते हुए भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसका प्रयास हो कि जो लम्बे समय से लीज होल्डर्स हैं उन्हें ही पुनः रिन्यू नहीं किया जाय और नये सिरे से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए।

जो खनिज के सम्बन्ध में प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें एक यह है कि अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने भी पहले इसी सदन में स्वीकार किया कि अवैध खनन होता है। अवैध कब्जे नहीं होते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से यह या क्यों अवैध खनन करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार के केसेज में या तो विभाग उनसे मिला हुआ है या कानून में कमी है जिसकी वजह से अवैध खनन में सफल होते हैं। निश्चित रूप ये कानून में कमी है। इसको किसी न किसी प्रकार से प्रभावी बनाया जाय जिससे उन्हें हतोत्साहित किया जा सके।

(श्री सांवर लाल)

इसी प्रकार एक समस्या और आती है कि वनों के क्षेत्र में जो खनन हो रहा है, खनिजों का दोहन हो रहा है, वह सही प्रकार से नहीं हो रहा है चूंकि कानून की समस्या आती है और फारेस्ट के कानून आड़े कहीं आ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाये, स्पष्ट प्रावधान किया जाय जिससे जो हमारे फारेस्ट एरिया हैं, जिसमें खनिज दबा हुआ है उसका दोहन किया जा सके। एक समस्या और आती है अवैध खनन के अन्दर। हमारे गांव के अन्दर चरागाह हैं उसको जगह जगह से खोद दिया गया है। अगर कोई लीज होल्डर खान खोदता है तो गांव वाले पूछते हैं कि आपको कितने गज जमीन का पट्टा मिला हुआ है तो वह भी नहीं बताता है। यह हालत है कि गांव के अन्दर चरागाहों को जगह जगह खोद दिया गया है, जानवर गड्ढों में गिर जाते हैं और नुकसान होता है। तो मेरा निवेदन है कि जिलाधीश से भी जो औपचारिकताएं हैं, वह पूरी नहीं करते उनसे एन. ओ. सी. नहीं लेते हैं, केवल एक लैटर डाल देते हैं और यदि एक महीने के अन्दर जवाब नहीं आया तो एन. ओ. सी. मान ली जाती है। मेरा मंत्री महोदय से स्पष्ट अनुरोध है कि संबंधित जिलाधीश और ग्राम पंचायत को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं कि उनकी अनुमति लिया जाना जरूरी है। अन्यथा पता नहीं होता है कि किस व्यक्ति को कहां तक उस गांव के चरागाह में खोदने का पट्टा दिया गया है। एक तो यह मेरा प्रमुख रूप से निवेदन है।

इसके साथ ही जो रायल्टी वसूल की जाती है उसको भी प्रभावी बनाया जाय क्योंकि हमारी भी नजर में आता है कि रायल्टी की काफी चोरी होती है। इसको रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

दूसरी मांग है उद्योग। उद्योग के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग के लिए पावर, कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता होती है। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जैसा माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आये हैं, ने कहा था कि भारत सरकार की बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों से राजस्थान उपेक्षित रहता है। उसका कारण क्या है? या तो हमारा केन्द्र में दखल नहीं है या केन्द्र का हमारे साथ व्यवहार उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि भारत सरकार पर इस प्रकार का दबाब या निवेदन करना चाहिए कि यहां पर बड़े-बड़े उद्योग लग सकते हैं, जिनका रा-मैटीरियल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इस प्रकार की इकाइयां राजस्थान में स्थापित करें। उसके लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर लाइम स्टोन का सर्वाधिक भण्डार है। यहां पर सीमेण्ट के बड़े उद्योग लगायें तो सफल हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए। अजमेर के अन्दर सिरेमिक का उद्योग लगाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सिरेमिक के महत्व को देखते हुए अजमेर में लेबोरेटरी सेण्टर खोलने का बजट के अन्दर प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है। बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन

(श्री सांवर लाल)

बढ़ रही है। औद्योगीकरण कैसे चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि कोई भी उद्योग लगायें, श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हैं। उनको किस प्रकार रोजगार दिया जा सकता है? इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि लघु और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो हमारा इतिहास रहा है, ढाका की मलमल हमारे यहां पर प्रसिद्ध रही है। इस प्रकार के उद्योग लघु स्तर पर हैं, उनके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

रुग्ण उद्योग हैं उनके सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। मेरा स्पष्ट निवेदन है कि सिक इण्डस्ट्री है, वह सिक क्यों होती है? उसके कारणों को गहनता से जांचने की आवश्यकता है। चूंकि कई बार देखा गया है कि आर.एफ.सी. या रीको से लोन ले लेते हैं और लोगों की फैक्टरी चालू भी नहीं होती है कि सिक कर देते हैं। प्रोडक्शन में नहीं आती, उसके पहले फाइनेंस हो जाता है सब कुछ हो जाता है। वह उद्योगपति जो उद्योग लगाता है वह तो बीमार नहीं होता है पर जिस उद्योग को स्थापित किया है वह बीमार हो जाता है और बीमार होकर नीलाम हो जाता है। मेरा यह निवेदन हैं कि यह जो उद्योग, सब्सिडी खाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए लगाये जाते हैं, यह वास्तव में इस प्रदेश की जनता के धन को लूटने के लिए किया जाता है। इस बारे में भी मंत्री महोदय से गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। कुछ गिने चुने लोग ही रीको और आर.एफ.सी. को घेरे रहते हैं और उन्हीं लोगों के उद्योग धन्धे राजस्थान प्रदेश के अन्दर लगते हैं, या उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार लगाते हैं। सिक इण्डस्ट्री का जो प्रमुख कारण है वह मैं मानता हूं यह है। इसके बारे में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे। कई उद्योग हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनके बारे में भी जो ऋण योजना है वह स्वीकार करते समय सोचना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कई लोग ऐसे हैं जो छोटी-छोटी आइस केण्डी लगाना चाहते हैं। उन छोटे लोगों को कहते हैं कि इस पर हम लोन नहीं देते हैं और बड़े पूंजीपति जाते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का उद्योग चाहे राजस्थान में उसकी कोई सम्भावना हो या नहीं हो, उसके ऊपर ऋण स्वीकृत हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और निःसंदेह जो ऋण की नीति है उसके अन्दर भी संशोधन करने की आवश्यकता है। सिक इण्डस्ट्री में राजस्थान की जनता का जो पैसा है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा और यह चाहूंगा खनन मंत्री से कि कम से कम जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए इस प्रकार योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि अधिकाधिक पट्टे खनन के संबंध में उन्हीं को मिलें। चाहे वह नौजवान शिक्षित हो या अशिक्षित हो। क्योंकि गांव के अन्दर आज की तारीख में

(श्री सांवर लाल)

कोई धंधा नहीं है। बरसात होती है तो फसल होती है। पशुओं की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। जो लोग पढ़ नहीं पाये, उनके लिए भी कुछ न कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है। मेरा यह निवेदन है कि खनिज क्षेत्र के अन्दर, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, कोई योजना बनाकर प्रभावी ढंग से लागू करें, यह मेरा प्रमुख निवेदन है।

राजस्थान में खनिज की दृष्टि से बहुत प्रचुर भण्डार है, सभी तरह के खनिज यहां पाये जाते हैं। जो उद्योग हैं, उनके लिये पावर की विशेष आवश्यकता होती है। राजस्थान के जो उद्योगपति हैं, वे भी राजस्थान के बाहर के हैं। उद्योग लगाने के लिये मजबूर हो जाते हैं। इसके भी कारण हैं। पावर यहां पर नहीं है। पानी की दूसरी सबसे मेन कमी है। इसके अलावा जो हमारे

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यहां पर टैक्सेज वगैरह की रेट है, कम्पेरेटिवली दूसरे स्टेट्स से ज्यादा है। तो मेरा निवेदन यह है कि विद्युत, जल-विद्युत की सम्भावना राजस्थान में कम है। इसलिये थोरियम और अन्य आणविक ऊर्जा को प्राथमिकता देनी चाहिये। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अगर कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा के अन्दर विचार करना चाहिये। इसके आधार पर जब तक हम ऊर्जा की प्रचुर सम्भावनाएं नहीं बनायेंगे तब तक कोई भी उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं होगा। इसके साथ ही जो प्रवासी राजस्थानी हैं, उन्हें भी उदार शर्तों के ऊपर हमें यहां आमंत्रित करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आने के बाद में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये मन बनाया। लेकिन दुख की बात है कि जो वित्त निगम, आर. एफ.सी. के हिसाब से जो वर्तमान व्यवस्था है, वह बड़ी खराब हो चुकी है। हमारे यहां अभी 33 हजार इकाइयां, जो वित्त निगम पोषित हैं, रुग्ण पड़ी हैं। अब यह रुग्णता किस प्रकार आयी और इस रुग्णता को हटाने के लिये हम क्या करें, इसके बारे में चिन्तन करना है। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, पिछले दिनों एक अवसर पर करतारपुरा जाने का मौका मिला, मैं साथ ही थी, तब चर्चा आयी थी उद्यमियों द्वारा कि कोई स्पष्ट निर्णय लें। मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग सभी डिफाल्टर हैं। यह डिफाल्टर कैसे होते हैं ? जिस दिन से आपने योजना स्वीकृत की और किसी को ऋण दिया उसी दिन से ब्याज चालू हो जाता है। जब वह उद्यमी उठा ही नहीं तब उसमें ब्याज की स्थिति कैसे आ पायी। पहले आप उसको पनपने दीजिये, उसका कोई उद्यम शुरू होने दीजिये। आप ब्याज लीजिये। अपना ऋण वापस लीजिये, इसमें कोई मनाही नहीं है लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण जब तक नहीं अपनाया जायेगा तब तक आपके द्वारा जो पोषित इकाइयां हैं, उनमें कोई स्थिति अच्छी नहीं हो पायेगी। माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके निदेशक

(180)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मण्डल में उद्यमी नहीं है। वे अपनी तकलीफ किससे कहें ? जिस तरह मैनुपुलेशन अधिकारीगण करते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप जिनकी तकलीफ हैं, उनको शामिल कीजिये। वे समय–समय पर अपनी बात कह सकेंगे तो निश्चित रूप से स्थिति कुछ अच्छी हो सकेगी।

आपने पिछले दिनों कुछ तय किया कि जो सिक इण्डस्ट्रीज हैं, उनको विक्रय कर दिया जाय। यहां पनपाने की बात थी, विक्रय करने की बात कहां थी ? क्या विधान सभा से आपने स्वीकृति ली ? मेरे ख्याल में नहीं ली। 48 ए के माध्यम से आपने कोई विधान सभा की स्वीकृति नहीं ली कि उनको बेच दिया जाय। हमारा यह निवेदन है कि जहां किसानों को आपने यह कहा कि उनके पिछले ऋण माफ कर दिये जायेंगे, तो आप बहुत छूट तो मत दो लेकिन बेचो तो नहीं, उनको खड़ा होने दो। नये उद्यमी आते नहीं हैं। उनको कोई सुविधा दे नहीं पाते।

इस दरवाजे से उस दरवाजे तक चक्कर काटकर चले जाते हैं। जब हम लोग दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता और अन्य जगहों पर जाते हैं जहां प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, तब हम यह कहते हैं कि आइये, हम आपको प्रोत्साहन देंगे और जब यहां आते हैं तो यहां जमीन की दिक्कत, बिजली की दिक्कत और स्वीकृति की दिक्कत, ऋण की दिक्कत, वापसी साथ-साथ वसूली, मैं समझती हूं, इससे घबराकर लोग यहां आते नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि अच्छा तो यह रहे कि मंत्री महोदय केन्द्र से कोई बड़ा उद्योग लाओ और उस उद्योग को लाकर खड़ा करो जिससे की रोजगार की समस्या खत्म हो। लेकिन जो आपने इंजीनियर्स और अन्य लोगों को, टेक्नीकल आदमियों को बुला भी लिया और उन्होंने इण्डस्ट्री खड़ी कर ली, उसका बेचान शुरू हो रहा है। इस बेचान को रोकिये। बेचान का नमूना आपको बताना चाहूंगी। एक यह विज्ञापन निकला है 16-3 को। विज्ञापन में यह लिखा है आर. एफ. सी. की ओर से, मैंने गिनती नहीं की इतनी फैक्ट्रीज हैं, इनको 10 दिन के अन्दर आप बता दीजिये, कितने में खरीदेंगे। आपने प्रदेश में विज्ञापन दिया। पूरे देश में दे देते। महीना भर दे देते उक्त खरीददारी के लिये। मैं चाहती नहीं हूं कि कोई और खरीद करें लेकिन आपकी अव्यावहारिकता को मैं बताना चाहूंगी कि जो इस समय बनाई हुई है और इनकी ओर ध्यान ही नहीं गया है। तो दरअसल में वह एफर्ट्स भी दे देंगे, आपको प्रस्ताव भी दे देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे और वह खरीद कर काम शुरू कर देंगे। फिर उन पर भी ब्याज शुरू हो जायेगा। ब्याज तो शुरू हो गया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगी, बिक्री नहीं नहीं होगी, कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा, और स्थिति यह आयेगी कि वह फिर बिक जायेगी। आप योजना बनायें, मंत्री महोदय, आप सोचिये, आपको किसी योजना को खड़ा करना है, आपने अगर ऐसी स्थिति में अपने अधिकारियों से बैठकर बातचीत नहीं की, तो यह हमारे उद्योग पनपेंगे नहीं। मैं चाहती हूं कि यह उद्योग पनपें, लोगों को रोजगार मिले।

मान्यवर, जिन तकनीकी उद्यमियों को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आपने पैसा उपलब्ध कराया, मेरा सुझाव है कि आप उनका ऋण माफ करें और उनको खड़ा करें जिससे कि वह आगे बढ़ सकें। उद्योगों का कब्जा लेना आप एकदम बन्द करें। आपने जो ऋण दिये हैं, उनकी वापसी का एक नमूना मैं आपको बताती हूं। वह उनकी डायरी पर चढ़ता नहीं, उनकी डायरी का पन्ना प्रतिवर्ष उनको मिलता नहीं, खातों में अनाप शनाप एन्ट्रीज चढ़ा ली जातीं। एक इण्डस्ट्री का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। 1.10.86. को उसका मूल धन था 89,400 रुपये, 1.1.87 को है 76,187 और 1.4.87 को हुआ 71,187 रुपये और 1.10.87 को हुआ 71,187 रुपये, और 1.1.89 को हो गया उसका 95,888 रुपये। मूल धन के अलावा उनके खाते में कैसे चढ़ गयी यह रकम ? जब उन्होंने वापिस कर दिया और उनकी डायरी में नहीं चढ़ा, और आपने उसकी फैक्टरी बिकवा दी। मैं समझती हूं इन खातों का रख रखाव, इन खातों की देखभाल, वापसी की रकम चढ़े। यह एक फैक्टरी मैंने नमूने के तौर पर ली है और किसी कारण से नहीं ली। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से खातों में रकम न चढ़ावें, और उसके बाद में ही फैक्टरी को सेल करें। यह अव्यवस्था ही उद्योगों के पनपने में आड़े आ रही है।

आपको लघु उद्यमियों ने अपना मांग पत्र दिया है। मैं समझती हूं कि आपको उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिये थी और उनके मामलों को निपटाना चाहिये था। यह कहा है कि आपके 80 प्रतिशत उद्योग बन्द होते। मैं समझती हूं सरकार को पैसा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है पर कितनी अव्यावहारिकता है आपके औद्योगिक क्षेत्रों में। सुदर्शनपुरा का क्षेत्र है, उसके पास ही करतारपुरा क्षेत्र है, एक मकान के एक तरफ सुदर्शनपुरा है और दूसरी सड़क के पार में करतारपुरा है जहां कोई सुविधा नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

क्योंकि उद्यमियों ने खुद उद्यम खड़े कर दिये, इसलिये आर. एफ. सी. उसको क्षेत्र डिक्लेयर नहीं करेगी। यह औद्योगिक क्षेत्र है, पर यहां पर सड़क, पानी, बिजली किसी के रख रखाव देखने की जरूरत नहीं, उद्यमियों से केवल पैसा लेना ही लक्ष्य है। मैं समझती हूं संचय करने की प्रवृत्ति होनी चाहिये, इस संचय पर सरकार चलती है, लेकिन संचय किया हुआ धन अगर तोड़ मरोड़ कर डाला जाय, तो ठीक नहीं। जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर पानी, बिजली और कच्चा माल और अन्य चीजों को मुहैया करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उसको निभाये और इस प्रकार की जो खातों में गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपके बैरोमीटर्स क्या हैं ? मुझे तो समझ में नहीं आता। संचय करने के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह तो पूरा ही निचोड़ करने वाली बात हो गई, संचय की प्रवृत्ति की तो कोई बात ही नहीं रही। मेरा निवेदन है कि आप यह ठीक करें।

आपको दस प्रतिशत ब्याज देने का है, लेकिन आप इसको एस्टीमेट करके देखें तो दस प्रतिशत के बजाय जो हमने इतना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ऋण वसूल कर लिया और इतना हम वसूल करने जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि महाजनी ब्याज से भी ज्यादा, पठान के ब्याज से भी ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है। इस प्रकार की अव्यावहारिकताएँ हमारी इन छोटे उद्योगों से हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आप इन उद्योगों को पनपने दें, वापिस न लें, ऋण माफ करें, कुछ सहूलियतें दें तो उद्यमी खड़े हों।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों के लिये आप सर्वे करायें तो निश्चित रूप से शहर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।

ग्रामीण क्षेत्र में लोग वहीं उद्यम करके कुछ पैसा कमा सकें, उन्हें रोजगार मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी आपसे कि जिस प्रकार की स्थिति बनी है, वह अच्छी नहीं है। अभी तक हमारी सवाईमाधोपुर की सीमेण्ट फैक्टरी खड़ी नहीं हुई है। हमारा एक प्रश्न है, इसके लिए हमने पूरी कोशिश की कि यह फैक्टरी खड़ी हो जानी चाहिये। यही नहीं कोटपूतली और अन्य जगहों की भी सीमेण्ट फैक्टरी बंद पड़ी हैं। आप इन अधिकारियों से बैठकर पूछिये कि इनको कैसे चालू किया जा सकता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि सवाईमाधोपुर की सीमेण्ट फैक्टरी चालू क्यों नहीं हुई। मेरा अपना दायित्व है। मैंने पूर्व के प्रधान मंत्रीजी को भी इस सम्बन्ध में काले झण्डे दिखाये थे और आज एक दो साल की अवधि बीत जाने पर भी यह फैक्टरी चालू नहीं हुई। मैं समझती हूं कि हमें एक बार सोचना पड़ेगा, हमें इस ओर कदम उठाने चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इनका और भी विस्तार किया जा सकता है। छोटे-छोटे फ्रेगमैन्टेशन के टुकड़ों में उद्योग पनपाने के लिए स्वीकृति दीजिए। जमीन पड़ी है, विस्तृत हैं, उन उद्योगों को अन्य क्षेत्रों में भी पनपाइये। आप बड़े शहरों में उद्योग खोलते हैं, यह कहां की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलिये जिससे रोजगार मिले। यहां पर अधिकारीगण को सड़क मिल जाती है, बिजली मिल जाती है, पंखा मिल जाता है, अच्छे प्लाट रहने को मिल जाते हैं, इसीलिए गांव की ओर कोई विस्तार नहीं। उन्होंने सरकार का क्या बिगाड़ा है? ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम खड़े किये जाने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो बात हम कहते हैं, वह हमें करके दिखानी चाहिये। इस प्रकार से ही काम हो पायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कुछ उद्योग ईयर-मार्क करने चाहिये कि इतनी कैपिसिटी के इधर ही दिये जायेंगे। मैं खनिज की ओर बात करते हुए कहना चाहूंगी कि मूर्ति के लिए संगमरमर जरूरी है। वह आपके इलाके में भी आता है अन्य इलाके मकराना में भी आता है, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जो पैसे वाले लोग हैं, उनके मकानों में सजावट शुरू कर दी। हमारी आस्था की चीज है मूर्तियां। मैं कहना चाहूंगी, यह मांग करनी चाहिए कि संगमरमर का

(श्रीमती उजला अरोडा)

जितना भी खनन होगा, वह केवल मूर्ति के लिए रिजर्व रखा जायेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बजरी, छोटे–छोटे लोग नदी के किनारे से खोद कर उखाड़ते हैं, खुद फावड़े, पराती से खोदकर लाते हैं, उस पर भी हम टैक्स वसूलते हैं। अन्य इलाकों में ऐसा नहीं है। जो अपने हाथ से उखाड़कर ले गया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता बजरी ऊंट लद्दे पर ले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि बजरी पर रायल्टी वसूल नहीं की जाये। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जिनके ऊपर खानों की रायल्टी बकाया है, उनको खानें नहीं दी जायें। जयपुर के....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं। जयपुर के जो घाट के पहाड़ हैं वह जयपुर के लिए तो आवश्यक हैं ही, सुन्दरता के लिए भी आवश्यक हैं। यहां देशी-विदेशी लोग घूमने आते हैं। जहां एक ओर पिंकसिटी को देखते हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों को देखते हैं। इसके ऊपर जो नरसिंहजी का मंदिर है, वह बिल्कुल गिरने वाला है। मैं समझती हूं कि इसको तात्कालिक रूप से बंद करना चाहिये और जिनको चेजा पत्थर चाहिये, उन खानों के लिए वह गलता की पहाडियों के पीछे जो पहाड़ियां है, वहां चेजा पत्थर की खाने हैं, वहां चलाने के लिए आप बोलें, उनको आप स्वीकृति दें और इनको बंद करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां 11 तरह के ऐसे खनिज हैं जो केवल राजस्थान में ही नहीं हैं, उनके शोधन के बारे में, रॉक फास्फेट के बारे में आप संयंत्र लगायें। बाहर से खरीदते हैं, हम पूरे देश मे सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा खनिज पर ध्यान दें। ग्रेनाइट की किस्म हमारी सबसे अच्छी है, उसके विकास के लिए हम ध्यान दें और जहां पर है, जालौर में है, वहीं पर अगर हम मशीन लगायेंगे फिनिशिंग की तो वह भी महंगी नहीं पड़ेगी। इस तरह व्यावहारिकताओं पर ध्यान देते हुए आप उद्योगों को पनपायेंगे, मंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी। खानों की जो रायल्टी है, वह हमें समय पर मिलती रहे। इसी बात के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, आज उद्योगों के बारे में चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार ने जो नयी उद्योग नीति की घोषणा की है, उस उद्योग नीति के अनुसार सरकार ने लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी है। सरकार घोषणा तो बहुत करती है लेकिन वास्तव में क्या करती हैं यह इस बात से पता लगता है कि हमारे जितने भी लघु उद्योग हैं, जितनी भी लघु इकाइयां है, आज 80 प्रतिशत बंद पड़ी हुई हैं। कभी सरकार ने उसके बारे में विचार तक नहीं किया।

श्री किशनाराम : आपकी सरकार थी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं । चाहे मेरी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है । हमको इस समय उद्योगों के बारे में चर्चा करनी चाहिये और अगर उस सरकार ने नहीं किया तो क्या यह जरूरी है कि आप भी नहीं करोगे ।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अब सरकार ने जो लघु उद्योगों के बारे में नीति की घोषणा की है, उसमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण सारी लघु इकाइयां बंद हो गयी हैं । इसमें मूल वजह यह होती है कि इन उद्योगों को वित्त निगम के द्वारा जो सहायता दी जाती है, वित्त निगम से जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे में सबसे बड़ी समस्या जो उद्योगपतियों के सामने आती है वह यह है कि वित्त निगम जिस दिन से पैसा देता है, चाहे भवन बने या न बने, चाहे उस दिन उद्योग की मशीन लगे या नहीं लगे, चाहे उस दिन से उद्योग चालू हो या न हो, उद्योग अपने उत्पादन लक्ष्य पर पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन वित्त निगम का ब्याज तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से उसने दे दिया, यही अब सबसे अधिक विचारणीय है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वित्त निगम की जो यह सूदखोरी की नीति है, एक तरफ तो सरकार सूदखोरी पर रोक लगा रही है, साहूकारों पर रोक लगा रही है, दुनियां भर के कानून सरकार बना रही है, दूसरी तरफ यही सरकार जो यह वित्त निगम सबसे बड़ा मुंह फाड़े हुए खड़ा है, जिसमें कि चक्रवर्ती ब्याज लगता है, इससे बड़ा सूदखोर कौन होगा ? वित्त निगम ने लघु उद्योगों में 80 प्रतिशत को बंद करा दिया है । यह बहुत ही खेद और दुख की बात है कि छोटे उद्योग जो हमको रोजगार देते है, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, अब वह बंद हो गये हैं । इसका मूल कारण यही है कि जिस दिन से ऋण दिया जाता है, उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है । इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि जिन लोगों को ऋण दिया जाता है उसका ब्याज उसी दिन से लगे जब वह अपना उत्पादन शुरू कर दें और ब्याज की जो दर बढ़ाते हो, वह तब ही बढ़ाई जाये जबकि उसका उत्पादन बढ़े । चाहे वह मशीन काम करे या न करे, चाहे उनको विद्युत कनेक्शन मिले या न मिले, चाहे उनको बिजली एक ही घंटा मिले, लेकिन आपका ब्याज तो रात दिन बढ़ता हुआ चला जाता है । सुरसा की तरह बढ़ने वाले ब्याज ने इन लघु उद्योग इकाइयों का नाश कर दिया है । इसलिए माननीय उद्योग मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप यह लिख लें कि जो भी ब्याज है वह उत्पादन शुरू होने से चालू किया जाये, न कि जिस दिन से ऋण दिया जाये उस दिन से चालू किया जाये ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बड़े बड़े उद्योगों पर तो दण्डनीय ब्याज नहीं होता है लेकिन छोटे उद्योगों से दण्डनीय ब्याज लिया जाता है । क्या यह छोटे-छोटे उद्योग इस प्रकार से दण्डनीय ब्याज देते रहेंगे ? बड़े उद्योगों से इसकी तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि यह दण्डनीय ब्याज ही इन उद्योगों के विनाश का कारण बना है । मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उनके ऊपर दण्डनीय ब्याज खत्म किया जाय। दूसरा मेरा निवेदन है कि इनको बिजली की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर दिलायी जाय, चौबीस घण्टे नहीं तो कम से कम 20 घण्टे बिजली दिलायी जाय ताकि ये उद्योग लाभ की ओर जा सकें। उद्योग में जब उत्पादन नहीं होगा तब चाहे आप कितना ही ब्याज बढ़ा दें, वे कहां से अपना पैसा चुकायेंगे ? इसका परिणाम यह होता है कि उद्योग बीमार हालत में हो जाता है। बीमार हालत में जो लघु उद्योग हैं उनको ठीक करने के लिए एक समिति का निर्माण आपने किया है। मेरा निवेदन है, उद्योग मंत्रीजी, कि समिति में उन व्यक्तियों को लिया जाय जो इन उद्योगों में कार्यरत हों, जिनके वे उद्योग हों, जिनको पता है कि हमारा उद्योग क्यों बीमार हुआ, किस कारण से हमारा उद्योग बन्द होने जा रहा है, क्यों उद्योग को घाटा हुआ, ऐसे लोगों को ही इस समिति का सदस्य बनाया जाय मेरा यह दूसरा सुझाव है।

तीसरा निवेदन करना चाहूंगा कि कि निगम एग्रीमेण्ट के आधार पर तय ब्याज दर को स्वेच्छा से बदल देता है। माननीय सभापति महोदय, जब एक बार एग्रीमेण्ट हो जाता हैं उद्योग लगाने वाला अपना उद्योग लगा लेता है उसके आधार पर, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस एग्रीमेण्ट में ब्याज की जो दर निश्चित की जाती है, वित्त निगम अपनी इच्छा से जो मर्जी आये बदल देता है। यह बहुत बड़ा कारण है लघु उद्योगों के विनाश का, 80 प्रतिशत लघु उद्योग जो आपके बन्द हो गये, यह इसका बहुत बड़ा कारण है। बगैर सूचना, बगैर एग्रीमेण्ट के उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। मेरा आपसे तीसरा सुझाव है कि आप वित्त निगम को इस बात के लिए पाबन्द करें कि वह इस प्रकार एग्रीमैण्ट में जो बदलाव करता है वह कृपया नहीं करे।

चौथी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो निदेशक मण्डल बना हुआ है उस निदेशक मण्डल में कम से कम दो मैम्बर उद्यमियों के होने चाहिये। आपने यह निदेशक मण्डल बनाया, बहुत अच्छी बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मण्डल उद्योगों को चलाने के लिए बनाया, लेकिन उस निदेशक मण्डल में उद्यमियों को मैम्बर नहीं रखा है। माननीय सभापति महोदय, चाहे आप बारबार जल्दी जल्दी घण्टी बजाओ लेकिन यह जो सरकार बैठी हुई है कम से कम इसके कान में भी घण्टी बजाओ ताकि जो लघु उद्योग मरने जा रहे हैं, जो 80 प्रतिशत उद्योग बन्द हो गये हैं उनको यह सरकार बचा सके, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अगला निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी उद्योग खुलते हैं ज्यादातर शहरों में खोले जाते हैं। मेरा यह निवेदन है सरकार से कि नये उद्योग गांवों में खोलें ताकि गावों में जो बेरोजगारी फैली हुई है, गांव के लोग जो शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, शहरों में आकर तकलीफ उठाते हैं, वह रुक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सके। मेरा इसके लिए सुझाव है कि जितने भी उद्योग लगाये जायं उनको ग्रामीण आधार पर विशेष सब्सिडी दी जाय ताकि लघु उद्योग गांवों के अन्दर फैलें। मेरा यह निवेदन है कि उद्योगों में जो सूदखोरी बढ़ी हुई है उस पर आप पाबन्दी लगायें।

इसके साथ-साथ मेरे जिले की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मामला, जिसको उजला जी ने अभी हाल में उठाया, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जिला सवाईमाधोपुर की सीमेण्ट फैक्टरी जिसको बन्द कर दिया गया है। आप लोग सरकार में आये उससे पहले जब आप लोग सवाई-माधोपुर में मत मांगने गये थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तुम इस सरकार का धुआं निकाल दो मैं इस फैक्टरी का धुआं निकाल दूंगा। जनता ने तो धुआं निकाल दिया लेकिन आपने आज तक धुआं नहीं निकाला, यह सबसे शर्मनाक बात है आप लोगों के लिए। आज आप कहते हो कि सीमेण्ट फैक्टरी को चालू करेंगे (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस सीमेन्ट फैक्टरी को चलाने के लिए...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब आपकी सरकार है, अब आप लोग करो तब पता लगे। उस समय आप विपक्ष में हल्ला मचाते थे, अब आपकी सरकार है, क्यों नहीं चालू करते हो ? वहां हजारों श्रमिकों की रोजी-रोटी का सवाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज ही सदन में घोषणा करें कि किस दिन इस सीमेण्ट फैक्टरी को चालू किया जा रहा है। या आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर बढ़ाते ही रहोगे, यह मेरा आप से आखिरी निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पुकारते ही रहो समय आ गया है आपको जाना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो उनकी औद्योगिक नीति श्रम से जुड़ी होनी चाहिए, श्रम को प्राथमिकता अधिक मिलनी चाहिए। राज्य में पिछले 40 वर्षों में इस तरह की औद्योगिक नीति रही है जिसके कारण श्रम को प्राथमिकता नहीं मिल सकी, आज राज्य में बेकारी है। बड़े उद्योगों की बात की जाती है, लेकिन आज दिन तक के पिछले 40 वर्षों की समीक्षा की जाय तो जितने बड़े उद्योग लगे या और कोई उद्योग लगे, उनमें सब्सिडी किस तरह से चाटी जा सकती है, अनुदान किस तरह से लिया जा सकता है, मौके पर उद्योग है कि नहीं, यह कोई समीक्षा नहीं की जाती है। मेरे पूर्व भाई ने एक बात कही थी कि कई उद्योग चालू नहीं होते कि उनको बीमार घोषित कर दिया जाता है। औद्योगिक नीति अच्छी हो

(श्री बंशीलाल पटवा)

सकती है, लेकिन उसको कारगर बनाने के लिए नीचे के स्तर पर जो हमारे दफ्तर हैं, हमारी मशीनरी है उसको हम कारगर ढंग से जब तक काम पर नहीं लगायेंगे, समीक्षा भौतिक दृष्टि से नहीं करेंगे, मौके पर उद्योग लगा कि नही लगा, सारे हालात नहीं देखेंगे, समय-समय पर इसकी समीक्षा नहीं करते रहेंगे तब तक औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मैं राजस्थान की बात नहीं करता, अपने भीलवाड़ा जिले की बात करता हूं। जहां पर आयातित माल आता है। वह आयातित माल राजस्थान में जहां, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचकर जहां से शुरू होता है वहीं बेच दिया जाता है। हमारी सरकार ने इस बारे में पिछले दिनों कार्यवाही की थी, उस कार्यवाही को हमें ठण्डा नहीं रखना चाहिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जो बड़े उद्योग हैं, जिनको सिक यूनिट घोषित कर दिया जाता है आज उन बड़े उद्योगों की तकलीफ कम है, छोटे उद्योगों की तकलीफ ज्यादा है। जितने बीमार उद्योग बन्द हैं, जिनको लिक्विड कैपिटल चाहिए उनको नहीं मिलती, उनके बारे में विचार नहीं किया जाता। बड़े उद्योग यदि थोड़े बीमार हैं उनको पूरा बीमार घोषित किया जायेगा, उनका पैनल इण्ट्रेस्ट माफ होगा, किश्तें फिर से आगे बढ़ा दी जायेंगी, लेकिन छोटे उद्योगों के बारे में हम गम्भीरता से विचार नहीं करते। विचार करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में जमीन जो हम दे रहे हैं वह जमीन सुरक्षित है कि नहीं, मौके पर जमीन है कि नहीं। कई बार इस तरह का होता है, रीको में भी होता है। मौके पर जमीन है कि नहीं, दे दी जाती है रीको अपनी योजना बनाता हैं, लेकिन कहां पर पार्क होगा, कहां पर कोई दुकान होगी, कहां श्रमिक चाय पीयेंगे, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जमीनों को कम्पेनसेशन देकर हम जमीन लेते हैं। जो जमीन हम लेते हैं उसका निपटारा पूर्ण रूप से नहीं होकर वह विवादास्पद बना रहता है। हम लोगों को जमीन अलाट कर देते हैं, उसके बाद विवाद खड़े रहते हैं। राज्य में कहीं न्यायालय से स्टे है के बाद तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर नये विवाद खड़े होते हैं। मेरा यह निवेदन है कि औद्योगिक दृष्टि से जिस गांव में, जिस जिले में भी हम व्यवस्था करें काम्पीटेण्ट करें, जमीन सुरक्षित रखें। बड़े उद्योग चाहे पनपें, या नहीं पनपें, हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं लेकिन गांव में हम जब तक छोटे उद्योग नहीं लगायेंगे, छोटे कल-कारखाने नहीं खोलेंगे तब तक लोगों को मजदूरी नहीं मिल सकेगी, रोजगार नहीं मिल सकेगा। हमारा प्रान्त एक ऐसा प्रान्त है जो पिछड़ा हुआ है, इसमें श्रम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिस गांव में मटर पैदा होती है तो मटर से जुड़ा हुआ कोई उद्योग होना चाहिए। जिस गांव में टमाटर पैदा होता है उस गांव में वैसा खुलना चाहिए। लेकिन यदि टमाटर पैदा होगा दूसरी जगह और उसका उद्योग खोलेंगे दूसरी जगह, सीमेण्ट का कारखाना जिस जगह खोलेंगे वहां रा-मैटीरियल नहीं मिलेगा, दूर से लाना पड़ेगा, इस तरह की जो अव्यावहारिक नीति 40 वर्षों से चली आ रही है, उसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

(श्री बंशीलाल पटवा)

राजस्थान की धरती के अनुरूप हम उद्योगों की स्थापना करें। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के बारे में अधिक ध्यान दें, गांव में अधिकाधिक सहूलियतें, रियायतें और काम्पीटेंट व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे तो गांवों में छोटे उद्योग खुलेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम अधिक सफलता हमें मिल सकेगी।

इनके साथ-साथ श्रम से उद्योगों को जोड़ा जाना चाहिये ताकि बेकारी और बेरोजगारी मिट सके, उद्योग भी पनप सकें इस दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर श्रम प्रधान औद्योगिक नीति होना चाहिये।

इसके साथ-साथ मेरे जिले में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर उद्योग लगा नहीं और उसको फाइनेन्स कर दिया गया। मौके पर जाकर देखें तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, टोकलियां मिलेंगी। उद्योग मंत्रीजी काम्पीटेंट हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जितने भी उद्योगों को फाइनेन्स दिया है, वित्त निगम से सब्सिडी उठाई गई है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सब्सिडी उठाने के कई उद्योग केन्द्र बन चुके हैं, इस दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिये। काम्पीटेंट व्यवस्था के लिये नीचे के स्तर पर हमको इस मशीनरी को कारगर ढंग से काम करने की दृष्टि से आगे लाना चाहिये क्योंकि मशीनरी बदलने से काम नहीं चलेगा, मशीनरी तो यही है, इसी मिट्टी से बने हुए हैं पर जो उनके मुंह खून लग चुका है उस पर हम किस तरह से काबू कर सकते हैं, इस प्रकार की कारगर व्यवस्था हम करेंगे, उद्योगों की तरफ, छोटे से उद्योगों की तरफ हमने ध्यान दिया तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान में यह बहुत बड़ा उपकार का काम होगा।

इसके अतिरिक्त खनिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खनिज के मामलों में कई तरह के मामले हैं राज्य में जहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी खनिज आवंटित करने के लिये मना कर देते है लेकिन केन्द्र से मैनुपुलेट करके वह ले आते हैं मेरा ज़िले में एक ऐसा ऊपरमाल क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान से भिन्न नियम हैं। आज भी वहां पर खनिज की दृष्टि से बिना नाम की जमीन करीब दो-ढ़ाई हजार बीघा पड़ी हुई है। उस जमीन पर चप्पे-चप्पे पर वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन कार्य हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। बिना नाम की भूमि पर इस तरह अवैध कार्य अधिकारियों की मिलीभगत से होना, यह राजस्थान के राजकोष पर बहुत बड़ी हानि है, एक तरह से डाका है। इसके अतिरिक्त ऊपरमाल क्षेत्र जो मध्य भारत से जुड़ा हुआ सीमा में आरोली गांव है, वहा पर रकबा नम्बर 985 और 986 जो मध्य-प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य-प्रदेश के कलेक्टर ने खनन के लिये राधेश्याम रामचन्द्र सिंगौली, जो ब्यावर क्षेत्र के हैं, को आबंटन की है। वह आदमी राजस्थान की सीमा में, राजस्थान की धरती में पत्थर निकाल रहा है, लाखों की हेराफेरी कर रहा है, ले जा रहा है। इस तरह से ऊपरमाल क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहां पर अवैध खनन कार्य हो रहा है। रिकार्ड पर चाहे वह चीज नहीं है, हम विधान सभा में कह देंगे, जवाब दे देंगे कि इतने मामले पकड़े गये, इतना यह हुआ लेकिन जब तक

(श्री बंशीलाल पटवा)

मौके पर जाकर जिस रकबा नम्बर, जो बिला नाम की धरती है क्या वह खाली है, वहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सारी चीजें देखनी चाहिये और यदि साबित हो जाय कि अवैध खनन कार्य हो रहा है तो जो वहां पर सक्षम अधिकारी है, चाहे एस. डी. ओ. है, चाहे तहसीलदार है, चाहे पटवारी है, चाहे खनिज अधिकारी है, उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिये। इस तरह की यदि हम कारगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह अवैध खनन कार्य रुकेंगे नहीं और राजकोष को अधिकाधिक हानि होती रहेगी। इस तरह के और भी कई मामले हैं जो सामने आये हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं तुरन्त ही निपटा रहा हूं। अवैध खनन कार्य के साथ–साथ आगूचा के सम्बन्ध में जो पिछली सरकार ने किया है, आज वहां पर ठेका पद्धति से काम हो रहा है। यदि यह आगूचा माइन्स हम फिर से ले सकें और को–आपरेटिव बेसिस पर या राज्य सरकार के स्तर पर लीज शुरू की जा सके, यदि ठेके पर उनको चलानी थी तो यह माइनिंग लीज के क्यों एग्रीमेंट किया गया ? आज वहां पर हमारे लोकल आदमियों के लिये रोजगार बहुत कम है। भीलवाड़ा जिले के आदमियों को रोजगार यदि आगूचा माइन्स पर नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी आगूचा माइन्स क्या है ? राज्य के बाहर के आदमियों को वहां पर रोजगार मिलता है और इस राजस्थान के, इस जिले के आदमियों को रोजगार नहीं मिले इस तरह की व्यवस्था के बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिये, विचार करना चाहिये।

इसके साथ–साथ मेरा एक निवेदन और है कि जिस भीलवाड़ा जिले से मैं हूं वहां पर हजारों बीघा जमीन ऐसी होगी जो कृषि के लिये आवंटित है, जहां पर खेती भी होती होगी लेकिन अभी भी ऐसी भूमि है जहां पर खनिज पत्थर निकल सकते हैं, पट्टियां निकल सकती हैं, फर्सी निकल सकती है। इस भूमि को हमें इण्डिविजुअल केस के निपटाने के बारे में नहीं सोचें। उस बारे में राज्यव्यापी नीति निर्धारित होनी चाहिये और वह जमीन हम ले सकें, बाद में 10 वां हिस्सा दें या छठां हिस्सा दें, कोई भी पालिसी फ्रेम करें लेकिन वह जमीन हमें मिले। बाकी जो जमीन हैं उसमें हम खनन कार्य करने की इजाजत दें लेकिन बाकी जमीन माइनिंग डिपार्टमेंट लेकर माइनिंग के तरीकों से, रूल्स हैं उनके तहत जो आवश्यकताएं रखते हैं, जिनको खनन कार्य करने का अनुभव है, खनन चलाने के लिये सोचते हैं, उनका मानस है और मानसिकता है, ऐसे आदमियों को आवंटित करें लेकिन इण्डिविजुअली हम यदि किसी को इजाजत देंगे तो बहुत बड़ा पाप करेंगे। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है हम इस तरह का काम करें जिसके अन्तर्गत जमीन आ जाय और बाकी का हिस्सा देना है उनको दें, लीज एग्रीमेंट करें, सब करें। कामन दृष्टि से हम सोचें, माइनिंग दृष्टि से कोई भी नियम बनायें, चाहे आगरिया हो, चाहे राजसमन्द हो, मकराना हो चाहे और कोई हो, इस तरह की नीति बनायें जो आम आदमी के हित की है और खनिज विभाग की दृष्टि से हित की है। इस तरह की न हो कि बुद्धपुरा,

(श्री बंशीलाल पटवा)

कोटा क्षेत्र में एक व्यक्ति को नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी कोर्ट से निरस्त कर दिया गया था और वह सैन्ट्रल में जाकर इजाजत ले आये। इस तरह के मामले में भी हमको कारगर ढंग से सोचना चाहिये।

इसके साथ साथ अन्त में कुछ और अर्ज करना चाहता हूं कि ऊपरलाल क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है। इसके साथ साथ वहां पर बिजौलिया में एक आढ़त नाम से सहकारी सोसायटी बनी हुई है। प्रत्येक ट्रक में करीब 12-14 हजार रुपये का माल आता है, तीन सौ ट्रक पत्थर माल के रोज, वहां से चलकर दूसरे जिलों में और प्रान्त से बाहर माल बेचने के लिये जाते हैं। वह आढ़त की सोसायटी इतने बड़े टैक्स की चोरी करती है, पर-मन्थ वहां पर 60 लाख रुपए टैक्स की चोरी हो रही है और सैल्स टैक्स की चोरी होती है। हालांकि खनिज विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है लेकिन राजस्थान को इस तरह की आढ़त सोसायटी से 7-8 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष टैक्स की चोरी हो रही है, राजकोष पर बहुत बड़ा डाका पड़ रहा है। या तो डायरेक्ट टैक्स लें। इस बारे में माईनिंग डिपार्टमेंट को पहल करनी चाहिये....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

और रायल्टी से भी चोरी हो रही है, उसको भी रोका जाना चाहिये। कारगर व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे राजकोष में आमदनी बढ़ सके। या तो डायरेक्ट लें या कोई इस तरह की ठेका पद्धति से लें, क्योंकि यह एक दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, यदि जरूरत पड़े तो इसके लिये हमें सैल्स टैक्स विभाग को भी लिखना चाहिये। इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे तो मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि 8 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की राजकोष में आमदनी हो सकती है। वित्तीय दृष्टि से भी राजकोष में बहुत बडी हानि हो रही है। अतः मेरा निवेदन है कि खनिज की दृष्टि से इस तरह की कारगर व्यवस्था करें। इसके साथ साथ और भी कुछ इस तरह के अवैध खनन के कार्य जो राजस्थान की सीमा के मामले हैं, हमको मध्य-प्रदेश गवर्नमेंट को भी लिखना चाहिये, क्योंकि यह हमारे राज्य हित से जुड़े हुए हैं, इससे वित्तीय स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि माइनिंग की दृष्टि से भी कारगर व्यवस्था करें, इसकी नीति बनायें जिससे अवैध खनन कार्य रुकें, जो ऐसी भूमि पड़ी है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है वह रुक सके। इस तरह की नीति बनायें जिससे लोगों को लाभ मिल सके, खनिज पदार्थ की दृष्टि से, मिनरल्स की दृष्टि से माइन अलाट हो सके। अगर हम सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे, लोग इस तरह से डाके डालते रहेंगे और राज्य को हानि पहुंचाते रहेंगे।

मेरा यह निवेदन है कि माईनिंग की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से इस तरह की काम्पीटेंट व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए जो व्यावहारिक हों, राज्य हित में हो और आम लोग उसे पसन्द करें, राज्य को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। उस दृष्टि से खनिज और उद्योग की नीति बनानी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : सभापतिजी, आज उद्योग और खनिज दो मांगें एक साथ हैं। दोनों मांगों के माननीय मंत्री जी भी एक जगह बैठे हैं और दोनों ही विभाग एक साथ हैं। भला बुरा सुनने के लिए दोनों मन्त्री एक जगह बैठे हैं और विभाग के अधिकारी भी एक जगह बैठे हैं। लेकिन उसका कितना प्रदेश के लिए फायदा होगा यह उनके अपने विचार और भावनाओं से जाहिर है।

सभापतिजी, मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी प्रदेश का यदि भला हो, तरक्की हो, उद्योग पनपें, बहबूदी हो उसके लिए उद्योग जरूरी है। लेकिन जब हम राजस्थान के प्रवासियों से चाहे कलकत्ता जाकर बात करें, चाहे बम्बई बात करें, चाहे अहमदाबाद बात करें तो आप ताज्जुब करोगे और मैं जानता हूं, आपने भी यह बातें सुनी होगी, वह लोग यह कहते हैं कि जो जन प्रतिनिधि आते हैं, जो मंत्री महोदय आते हैं और मुख्य मन्त्री आते हैं, वह हमें सरसब्ज बगीचा दिखाते हैं और इतनी ढंग की बात यहां आकर करते हैं लेकिन ज्योंहि हम उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग से बात करते हैं तो उद्योग विभाग के अधिकारी, जो मुख्य मन्त्री और मन्त्रियों के साथ जाते हैं, उनका रुख दूसरा मिलता है। वहां जाकर वह जिस तरह की बात करते हैं, मजे से रसगुल्ले खाते हैं यहां आकर उनको धक्के पड़ते हैं। यह आपके उद्योग विभाग का रवैया है। यही कारण है कि आज हमारे राजस्थान के उद्योगपति कलकत्ते पर छाए हुए हैं बम्बई पर छाए हुए हैं, मद्रास पर और दूसरी जगह छाए हुए हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां की लालफीताशाही की वजह से हमारे यहां उद्योग नहीं पनप रहे हैं। हम आज राजस्थान की बहबूदी की बात करते हैं। बहबूदी कैसे हो सकती है जब हमारा वित्त विभाग, उद्योग विभाग इस बारे में सजग ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। हर आदमी, हर व्यक्ति हमारी इस लालफीताशाही की वजह से आज उद्योग नहीं पनपा पा रहा है। यह मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं! इसलिए, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी की जुबान बन्द है। गोयल साहब बड़े एक्टिव रहते थे, बड़े सजग और बड़ी फुर्तीली बात करते थे। आजकल जैसे तो कोई इनकी जुबान को लकवा मार गया हो या इनका अपना शरीर शिथिल हो गया हो, ऐसा लगता है। यह क्यूं है ? यह इसलिए है कि जिन उद्योगपतियों ने इनसे बातचीत की थी, जब यह पार्लियामेंट में थे और वहां भी मन्त्री थे तो कुछ को तो यह कुछ कर सके क्योंकि केन्द्र में लालफीताशाही राजस्थान की....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कोई उद्योगपति ऐसा नहीं आया मेरे पास जो राजस्थानी हो या राजस्थान का रहने वाला हो, उद्योग लगाने की उसने इच्छा जाहिर की हो और मेरे पास से निराश होकर गया हो। मैं कह सकता हूं, एक भी नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, मन्त्रीजी ने अपनी बात कह दी, सदस्यों ने ताली बजा दी, मैं तो यह कहना चाहता हूं, आप क्या बात करते हो, राजस्थान की बहबूदी के बारे में सोचते हो ? अपने तहेदिल से कहो कि यह बात है कि नहीं है, यह

(श्री रामकरण सिंह)

लेकूना है कि नहीं है। यह लेकूना ऐसा है जो हमारे प्रदेश को बरबाद करना चाहता है। लालफीताशाही जब तक अपने हिसाब से इन पूंजीपतियों को एडजस्ट नहीं कर ले तब तक उसकी फाइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। कोई माननीय सदस्य यह कह दें कि यह बात सही नहीं है तो मैं आप कहो जैसी शर्त मानने के लिए तैयार हूं.... (व्यवधान)गलत इसलिए हैं कि आप डरे हुए हो। आप जानते हो कि हमारे जो अधिकारी हैं वह आप लोगों को कह देते हैं कि वर्क टू रूल। कानून से काम करेंगे। कानून से काम करने वाला कोई अधिकारी, कोई उद्योग नहीं लगा सकता, नहीं पनपा सकता, न ही उनको रियायत दे सकता।

सभापति महोदय, अभी हमारी एस्टीमेट कमेटी (ख) के साथ हम लोग बम्बई गये थे। वहां कुछ लोगों से मिले, जब वहां की इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन से हमने बातचीत की, और उन्हें हमने इन्वाइट किया, आप आश्चर्य करोगे कि उस समय वह वहां हमें जो कहने लगे हम बोल नहीं सके। मन्त्री जी कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी उनका पक्ष लेकर कहते हैं, मैं दावे और चैलेन्ज से कहता हूं कि जो उद्योगपति यहां आए हैं, निराश होकर गये हैं और इसका जीता-जागता उदाहरण है। क्या कारण है राजस्थान के अन्दर हमारे राजस्थान के प्रवासी बाहर हैं और यहां वह पनप नहीं सकते, वह उद्योग लगा नहीं सकते। केवल सरकार की बात, मैं अपनी बात कह करके, सरकार की बात बहुत उत्तम है, आप मन्त्री हैं, आप सरकार का पक्ष लीजिए लेकिन जहां राजस्थान की बहबूदी का सवाल है जहां उद्योग लगाने की बात है इस तरह से दबी जुबान से, +++ उचित नहीं है। अगर आप वास्तव में राजस्थान का भला चाहते हो तो मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि यह लाल फीताशाही का जो मनमाना ढंग है, उसको बिल्कुल काबू में करना पड़ेगा। आप कहते हो उद्योग मन्त्री जी, 13 साल हो गए, कोटपूतली में पांच-पांच सौ रुपये आपका विभाग जमा कर रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र हम कायम कर रहे हैं, पावटा में पांच-पांच सौ रुपये सैकड़ों लोगों ने जमा कराए कि आप वहां औद्योगिक एरिया घोषित कर रहे हैं और आज उस पैसे को हड़प कर बैठे हैं। आप का डिपार्टमेंट है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में ? आज 13 साल से यह हालत है। क्या जवाब है आपके पास ? कह दिया, नहीं, साहब, ऐसा कोई नहीं आया। इसका कोई जवाब है क्या ? नैतिकता की दृष्टि से कोई जवाब नहीं है और वैसे तो कोई भी किसी प्रकार से कोई बात कह दे, वह ठीक है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग किसी व्यक्ति ने लगाना चाहा, उसके पास टाइम नहीं होता। इस तरह से टाइम बरबाद करने का उसके पास टाइम नहीं है। वह आपके उद्योग विभाग में आते हैं, वित्त विभाग में आते हैं और आने के बाद में उनको कहा जाता है कल आइए, परसों आइए, अभी यह कागज मंगवायेंगे, अभी यह फाइल देखेंगे, ऐसा जवाब मिलता है। वे आपको कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। आपको टैक्स देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपकी बहबूदी फैलेगी, पैसे का रिटर्न होगा, मिट्टी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

से पैसा निकालकर, कच्चे माल से पैसा निकालकर, वह आपको देते हैं। किसी भी रूप में बहबूदी फैलाना चाहते हैं और उनको आप तारीख देते हैं। उनके पास कितना टाइम है ? केवल एक टाइम फैक्टर है कि आप उनका ज्यादा टाइम लगाते हो इसलिए वह नहीं आना चाहते।

इसके अलावा, सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां कोटपूतली में सीमेण्ट फैक्टरी है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरकार और इस +++ वजह से उसे बन्द किया गया है।

एक रूंगटा साहब चलाते हैं मैंने कोशिश की, दूसरा सेट लाया, उसने उससे खरीदी, आपसे पैसा नहीं लिया। खरीद कर उसने बिजली के लाखों रुपये दिये। दूसरी कुछ रायल्टी बाकी थी वो दी और उसके बावजूद रीको और उद्योग दोनों मिल कर खनन विभाग उस रीको को पट्टा दे देता है। क्या करेगा बेचारा। एक रोटी बनाने वाले को आप आटा और अग्नि नहीं दो तो क्या वो सर फोड़ेगा ? क्या करेगा ? तो रीको ने यह साजिश की और खनिज विभाग ने साजिश की और दोनों ने उससे माइनिंग छीन ली। और छीन कर कह दिया कि हमसे मोल लो। ये है आपकी नीति। उद्योग मंत्रीजी और खान मंत्रीजी, मैं खुले शब्दों में कुछ नहीं कह सकता। मैं जानता हूं आप मेरे सहयोगी और साथी रहे हो।

श्री कालूलाल गूजर : कृपया यह बता दें कि वह कब ली थी ? कौनसे साल में वह खान ली थी, यह तो बता दें ?

(6.00 सायं)

श्री रामकरण सिंह : क्या बताऊंगा इसके बारे में। (व्यवधान) आप पूछते हो तो बता दूं। वह खान आपके हाथ से रिजेक्ट की है। आपने केन्सिल की है। एग्रीमेंट देखा है आपने और आपने हां भरी है कि वास्तव में कानूनी गलत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हां भरी है। आप ये कहते हो हंसी आती है आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस तरह की बात कहते हो आप लोग। राजस्थान की बहबूदी के लिए एक सीमेंट कारखाना कोई सेठ बाहर से आ कर लगाना चाहता है रुपये करोड़ों खर्च करता है, उसको कच्चा माल नहीं दे सकते। क्या करोगे ? मेरे यहां तो इतना ढेर है, वह ढेर कभी, सभापति महोदय, खत्म ही नहीं हो सकता। कोई नीचे से खोदे, मेरे यहां तो पहाड़ के पहाड़ हैं और आप भी मेरे पड़ोसी हो, जानते हो, देखते हो कि वहां कितना ढेर है कि कई वर्षों तक चाहे सीमेंट के कारखाने 10 चलें तो भी कमी नहीं आ सकती। लेकिन केवल यह साजिश यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिले, यहां पैसा नहीं हो, यहां पैदा नहीं हो और कोई उद्योगपति यहां पनपे नहीं, दूसरी इण्डस्ट्री यहां आये नहीं, इस तरह की भावना है और माननीय खान मंत्रीजी यह कहते हैं। खान मंत्रीजी, अभी पटवा साहब ने जो बात कही, आपके बहुत प्यारे हैं, आपके गुरू भी हैं राजनीति के, उन्होंने जो बात कही सदन में नहीं कहनी चाहिए थी, आपसे मिल कर वे साल्व कर लेते लेकिन न जाने आप किस वजह से दबे हुए हो, किस वजह से आप बिल्कुल +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

ये हालत है आपकी अब इसके लिए मैं क्या कहूं+++जैसा हिसाब आप में है। वरना क्या जरूरत थी पटवा जी को ये बात यहां कहने की ? आपसे साल्व हो जाती। यही मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं किसी पक्ष में नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल अपने स्वंतन्त्र....

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त करें।

श्री रामकरण सिंह : विचार से कहना चाहता हूं। माननीय सभापतिजी, इस देश का भट्टा, हमारे राजस्थान का भट्टा, इस लालफीताशाही ने इतने जोर से बैठा रखा है जिसकी वजह से ये मंत्री महोदय चूही बनी हुई है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैं सीधी बात कहता हूं।

इसके अलावा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सवाईमाधोपुर में, दुर्भाग्य से हम भी साथ चले गये थे, एक जन समूह में ऐलान किया था कि यदि इस फैक्टरी में धुआं नहीं निकली तो मैं सरकार की धुआं निकाल दूंगा। तो अब वह सरकारी वाली धुआं तो निकल गयी लेकिन जो मुख्य मंत्रीजी ने ऐलान किया था, अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले एक किसान सम्मेलन में। आपको आश्चर्य होगा लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया कि आप आये थे मुख्य मंत्रीजी के साथ में। मुख्य मंत्रीजी क्या मुंह दिखाने आयेंगे हमारे पास ? मैंने कहा कि भाई, करेंगे बात। क्या करें, मजबूरी होती है। तो इसलिए, सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस साजिश से हमारी सीमेंट फैक्टरी मजबूरी है हमारे मंत्री महोदय की उद्योग मंत्रीजी की भी मजबूरी है, खान मंत्री जी की भी मजबूरी है और मुख्य मंत्रीजी की भी मजबूरी है, वर्क टू रूल यह कह कर इन सबका मुंह बन्द कर दिया जाता है और आपस में आज क्या चर्चा है कि भाई, मुख्य मंत्रीजी नहीं करने देते। मुख्य मंत्रीजी चाहते भी तो मंत्रीजी कर सकते हैं लेकिन उनका भी काबू नहीं लग रहा। यह जो राजनैतिक ऊपर की चहल-पहल है, ये और भी ज्यादा अजीब हालत पर पहुंच गयी। प्रद्युम्न सिंहजी जाणे है कि म्हारो राज आज आयो तो....

श्री सभापति : कृपया समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री रामकरण सिंह : अधिकारी लोगों में बिल्कुल अपने हिसाब से मस्त हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको भी मालूम है, आप भी गये हो, सभापति जी, माननीय अध्यक्षजी के साथ भी मैं गया हूं, सवाईमाधोपुर की जनता को किस तरह से आपने तीन महीने तक बरबाद किया। बच्चों को साथ लेकर सड़क पर आज भी इन्सान पड़े हुए हैं।....(व्यवधान) सभापतिजी भी थे और अध्यक्ष जी भी थे इसीलिए इनको याद दिलाता हूं कि मैं तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इण्डिपेण्डेंट के रूप में बैठा हूं लेकिन आप लोग किस मुंह से जाओगे वहां ? कौन मानेगा आप लोगों की बात वहां ? इसलिए थोड़ा बात का सवाल, जो जन समूह में घोषणा की है उसकी कदर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

होनी चाहिए वरना आप लोगों को सब लोग कहेंगे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। समय का अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी फैक्टरी को चलाना।

श्री रामकरण सिंह : बिल्कुल मान गया, सभापति जी, लेकिन जब फैक्टरी को चलाने में + + + तो मुझे बोलने से क्यों रोकते हो ? मुझे बोलने दीजिए। + + + वहीं मर्यादा टूट गयी तो मुझे तो बोलने दीजिए मुझे तो कम से कम इतनी छूट दे दीजिए।

श्री सभापति : आप बीस मिनट ले चुके हैं, सभी सदस्य दस मिनट ले रहे हैं। कृपया समाप्त करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामकरण सिंह : मेरे निर्दलियों का जो गुट है उसकी तरफ से ले रहा हूं।

इसके अलावा कृषि को आप उद्योग घोषित नहीं करना चाहते लेकिन खनिज को उद्योग घोषित करवाइये। मैं, सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कुछ करना है, राजस्थान के लिए कुछ करना है तो खनिज को उद्योग घोषित करवाइये। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी टैक्सेज जो हमारे यहां खनन पर लगता है उसकी बिक्री पर टैक्स को कम कीजिए ताकि ज्यादा माल जाय बाहिर, ये करवाइये। जितने छोटे कारखाने हैं, उन कारखानों को पनपाने के लिए आपके पास है ही क्या ? उद्योग के नाम से छोटे आदमी जानते हैं कि उद्योगपतियों की चीज है हमारा क्या लेना देना लेकिन खनन में छोटा आदमी उसमें काम कर रहा हैं, मजदूर काम कर रहा है और उसका शोषण, उसकी कमाई, उसके खून पसीने की कमाई उद्योगपति और हमार सरमायेदार खाते हैं। मैं बहुत दिन से चर्चा सुन रहा हूं, सन् 1957 से अब तक मैंने यह सुना इस हाउस में कि हम छोटे टुकड़े करके खानों के दे रहे हैं जबकि आपको, सभापति महोदय, ताज्जुब होगा कि 170 कि. मी. लम्बे टुकड़े एक–एक आदमी को दिये गये हैं। अब आप अन्दाजा लगाइये 170–170 किलोमीटर की दूरी का खानों के पट्टे लीज....

श्री कालूलाल गूजर : कब दिये ?

श्री रामकरण सिंह : कब दिये, क्यों दिये, मैं इस बारे में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो कहता हूं उन्होंने तो दिये हैं। अगर किसी ने नाक कटा ली तो दूसरा क्यों कटाने के लिए तैयार है वह तो अपनी बचाये। अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो अपनी बचा लो। अगर किसी ने पहले नहीं बचाई तो अब तो बचा लो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मैं आपकी विद्वता को जानता हूं, आप पांच घंटे बोल सकते हैं परन्तु समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री रामकरण सिंह : थोड़ी देर में मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह चाहूं कि सरकार इन पट्टों को छोटा करके जैसे अब तक की घोषणा करते आये हैं, उन मजदूरों को दे

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

दें । जो वहां खान पर काम करते हैं, जो वहां पर काम करते हैं । अंदाज लगाइये अगर खान में कहीं विस्फोट हो गया, कहीं पत्थर गिर गया तो मरते वो हैं और कमाई दूसरे करते हैं । उनके लाल मर जाते हैं और कमाई दूसरे खाते हैं । इसके लिए सरकार क्या सोच रही है ? सरकार कोई तो सोचे । अगर पिछली वाली सरकार ने नहीं सोचा तो मौजूदा सरकार तो सोचे । अभी आप ताज्जुब करना चाहेंगे, एक बात और कहना चाहूंगा । सभापति जी, आज कोई भी उच्च–अधिकारी उन गरीबों का दुःख–दर्द नहीं जानता । आप जैसों के लिए नहीं कह रहा हूं । जब आप अधिकारी थे आप गांव से पैदा हुए थे । आप जानते थे किस तरह से आदमी रहता है । इनमें भी वे उच्चाधिकारी जिनका गांव से लगाव है, उनके लिए तो मैं कह सकता हूं, वे दुःख–दर्द को समझ सकते हैं लेकिन इसके अलावा, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं उनको उच्च पद नहीं देते, उनके पास वो ताकत नहीं है जो गांव का आई. ए. एस. अधिकारी है वह इनका कंट्रोल कर सकता है । कंट्रोल कौन करेगा–कावड़ियाजी जो सवाईमाधोपुर को बंटाधार कर आये ? वही कावड़ियाजी आपके रोडवेज का बंटाधार कर रहे हैं । ऐसे अधिकारियों को आप देते हैं । मैंने उनके बारे में उस समय कहा था, स्थगन प्रस्ताव भी दे रखा है कि जो हालत यहां की है । तो मैं यह चाहता हूं, दोनों मंत्री जी सुन लें अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो छोटे प्लाट काटकर लोगों को 100–150 के दें और अभी यह घोषणा करें ।

मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, सभापति जी । आपको आश्चर्य होगा एक साजिश जो किस ढंग से की जाती है, जिसको आप और हम नहीं समझ सकते । उसको बहुत ऊंचा +++ समझ सकता है । इसकी लीज केन्सिल कर दी सरकार ने और लीज केन्सिल करने के बाद में वे अधिकारियों से मिलकर हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद में अधिकारी से मिल गए और कहा कि भाई 2 लाख लो, 10 लाख लो, 20 लाख लो, आप लोग तारीख पर मत जाओ । इसका जवाब मत भेजो और इकतरफा हो जायेगी कि पार्टी नहीं आयी । देखिये कितनी चतुराई है । +++ऐसे केस अगर माननीय खनिज मंत्री जी चाहें तो दे सकता हूं । मेरे पास 2–3 केस नामजद हैं ।

श्री कालूलाल गूजर (खनिज मंत्री) : जरूर दीजिए ।

श्री रामकरण सिंह : जरूर क्या दूंगा, दे रहा हूं । आप अपने यहां तलाश कर लीजिए । आपका विभाग है और फिर अगर आपको नहीं मिलते हैं और आप फेल होते हैं कि मैं अधिकारियों से कोई चीज नहीं ले सकता तो मैं दूंगा आपको । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और यह कामना करते हुए कि, गोयल साहब, आप तो बड़े संत आदमी हैं, प्रकृति ने ही आपको ऐसे ढंग से बनाया है, आप अगर कुछ कर सकें....

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : श्रद्धांजलि मत दो।

कुछ माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री रामकरण सिंह : इस तरह से अगर आप छेड़ोगे तो मैं नहीं बैठूंगा। शांति से मैं बैठ जाऊंगा। माननीय सभापति जी, वास्तविकता यह है कि अगर आप चाहते हैं राजस्थान में उद्योग लगे और खनिज का दोहन अच्छा हो तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे और आप अपने हिसाब से कुछ निर्णय लेंगे। आप अपने साथियों से बात कीजिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी बार–बार कह रहे थे, शायद हो सकता है इनको ज्यादा अनुभव हो तो इनसे भी राय लीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात आरम्भ करूं, उसके पूर्व मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य के अन्दर जब उद्योग विभाग की मांगों के ऊपर चर्चा हो तो निश्चित रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों को भी यहां होना चाहिए क्योंकि यह बात भी सुनकर के उनको लगेगा कि उसके ऊपर वे क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिले और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बात के ऊपर विचार करके भविष्य के लिए निर्णय लेवें।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार का उन बातों की तरफ उन घोषणाओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जो सरकार के मुख्य मंत्री ने समय-समय पर की और जिनको वे पूरा नहीं कर पाये। सबसे पहले सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी का मामला लीजिए। कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से चर्चा की लेकिन आज दिन तक सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत लम्बे–चौड़े भाषण दिये, धरने दिलवाये, धरने दिए लेकिन नतीजे कुछ निकले नहीं और जैसी मेरी जानकारी है इस कम्पनी से बातचीत चल रही है। तमाम सुविधाएं देने के बाद शायद औद्योगिक इतिहास में वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो सुविधाएं सरकार उनको देने जा रही है लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। एक साल निकलने के बाद भी आपने अपनी बात को पूरा नहीं किया और आपने वहां की जनता के साथ वादा खिलाफी की।

दूसरी बात, मुझे सदन के अन्दर काफी समय तक रहने का मौका मिला है। मुख्य मंत्रीजी बार–बार राजस्थान के अन्दर केन्द्रीय विनियोजन की बात कहते थे। आज साल भर होने को आया। एक साल निकलने के बाद भी और ढाई साल पहले रहे लेकिन जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का विनियोजन होना चाहिए वह दो पर्सेन्ट के ऊपर नहीं बढ़ा है। कोई इजाफा नहीं हुआ है, इजाफा तो दूर रहा कोई योजना भी एक साल के अन्दर, कोई नया उद्योग राजस्थान के अन्दर, पब्लिक सैक्टर के अन्दर लगाने वाली बात भी यहां नहीं आयी है यह भी मैं आपको याद दिलाना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहता हूं। धौलपुर गये थे, धौलपुर में इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर लगाने की बात थी। उसका भी न जाने क्या हुआ? तो ये मुद्दे ऐसे हैं, धौलपुर का ग्रोथ सेन्टर तो जहां-तहां रहा, उद्योगों की मांग की गई कुछ हुआ नहीं। तो ये जो आप वायदे करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं कृपया थोड़ा सोच-समझकर, संयम बरतकर वायदे और घोषणायें किया करें। जिन पर अमल नहीं कर सकें ऐसी घोषणाएं कृपया भविष्य में न करें।

सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर नए उद्योगों का लगाना बहुत जरूरी है। यह भी कई सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। हालत यह है कि राजस्थान में पानी उपलब्ध नहीं है। पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से खेती बंजर पड़ी हुई है और राज्य के अंदर आज की तारीख में जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अंदर बेरोजगार लड़कों की संख्या है वह 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 9 लाख 70-72 हजार के फीगर आए हैं। आज 10 लाख के करीब बेरोजगार लड़के हैं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या भी इस राज्य के अंदर बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप नए उद्योग नहीं लगायेंगे, कृषि के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। टैक्स का एवरेज बहुत ही कम है। प्रान्त के अंदर कोई और पानी का सोर्स है नहीं। गुजरात से जो पानी मिलना था, कडाना का पानी पश्चिमी जिलों के लिए या नर्मदा सागर से जो पानी मिलना था, सरदार सरोवर से पानी कब आयेगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसे उद्योगों को पनपाने के लिए उनको रियायत दीजिए। रियायत भी इस किस्म की देनी पड़ेगी कि आपको जमीन बहुत ही नोमिनल रेट पर उपलब्ध करानी होगी। सेल्स टैक्स का जहां तक सवाल है 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए श्योर कर दीजिए, नहीं लगेगा। यही कर सकते हैं, बाकी इन्कम टैक्स का देना न देना....

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री विधि एवं न्याय) : 20 साल का आपने ही नहीं किया और 20 साल की छूट ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सुझाव दे रहा हूं, मंत्री महोदय, यों उचकिये मत। यह बड़ा गंभीर मामला है। आप समझते कुछ है नहीं इस मामले में। मैं सुझाव दे रहा हूं। नहीं हुआ तो उसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। अब आगे के लिए, भविष्य के लिए, राजस्थान की जनता के लिए कुछ करिए। आप क्या नोट कर रहे हैं? उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। आपका विभाग है नहीं, आप उसके बारे में क्या समझेंगे? आप क्या नोट कर रहे हैं? और आप क्या हैं? राज्य मंत्री हैं, आपके नोट्स को कोई सुनेगा भी नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत : कांग्रेस में जो आपकी हैसियत थी उससे तो मेरी ज्यादा ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे मालूम है आपकी जो हैसियत है।

श्री शांतिलाल चपलोत : शायद आपको यह पता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो भी हैसियत है,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुझे आपकी हैसियत से मिलान नहीं करना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको, उद्योग मंत्रीजी, कुछ ऐसे उद्योगों का चयन करना पड़ेगा, दो का कर लीजिये, तीन का कर लीजिये। मैंने गुजरात में पढ़ा था वहां इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को उन्होंने बहुत लम्बी चौड़ी सुविधाएं दी हैं और एक तरह का इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स वहां पर तैयार हो रहा है। राजस्थान के अन्दर अब यहां की खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग हो सकते हैं। हालत यह है कि सीमेन्ट बेस्ड इंडस्ट्री जितनी थीं, लग गईं। मध्य प्रदेश के अन्दर नयी यूनिट आ रही हैं सीमेन्ट की, और जगह आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई नयी सीमेन्ट की यूनिट आ नहीं रही है। यह तो रहा मैंन जो आपका लाइम स्टोन है जिसके ऊपर आधारित उद्योग हो सकते हैं। अब आपके पास उद्योग क्या है, रॉ-मैटीरियल आपके पास कुछ है नहीं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर आप छोटे मोटे उद्योग जो कि आयल के ऊपर आधारित हो सकते है, मस्टर्ड के ऊपर आधारित हो सकते हैं, दस पांच मिल और लग....

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि कोई उद्योग सीमेंट में नहीं आ रहा है, यह सूचना आपकी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। काफी उद्योग सीमेंट के अन्दर आ रहे हैं, बड़े उद्योग भी आ रहे है, छोटे उद्योग भी आ रहे हैं नये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत खुशी की बात है। आपने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं बहुत आपका आभारी हूं। अगर आ रहे हैं तो आप उससे अवगत करा दीजियेगा और बड़ी खुशी की बात है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपके एरिया में भी आ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे यहां लाइम स्टोन है ही नहीं आप क्या करेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लिंकर लगायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब देखिये क्या होता है। मैं तो बहुत खुश हूं, आप इसको शुरू करवा दें। जो मैं मूल में बात कह रहा था, सभापति महोदय, अगर नये उद्योगों के लिये आप नहीं करेंगे कोशिश, ट्रेडीशनल जो है, मिनरल बेस्ड भी हो सकते हैं स्टेट के अन्दर एग्रीकल्चर बेस्ड के लिये तो आपके पास मस्टर्ड है और तो कुछ है नहीं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अलवर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, धौलपुर यह जिले हैं और उसमें कितना करेंगे ? पहले से ही वहां छोटे छोटे उद्योग बहुत मौजूद हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आपको विचार करना चाहिये। केन्द्रीय विनियोजन बढ़ नहीं रहा है पब्लिक सैक्टर में कोई इंडस्ट्री आ नहीं रही है। तब आपको कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी आइडेन्टिफाई करनी पड़ेंगी और उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो दूसरी स्टेट से ज्यादा सुविधाएं हों। क्योंकि यहां पर रहन सहन के लिये आपके पांच बड़े शहर हैं, आप किसी छोटे शहर में लोगों से जाने के लिये कहते हैं तो कोई जाने को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तैयार नहीं होता। तो जब तक आप उनको सुविधा अधिक नहीं देंगे, वहीं अट्रेक्शन उनको रहेगा। क्योंकि हमने यह देखा नया मुख्य मंत्री बनेगा, नया उद्योग मंत्री बनेगा, अपना पूरा पेराफर्नेलिया लेकर कलकत्ता बम्बई की यात्रा करेगा। नतीजा ढाक के तीन पात। कोई आता नहीं। क्योंकि सेठ तो बहुत होशियार है। जहां चार पैसे मुनाफे के होंगे वहां जायेगा। वह रोज जायें, रोज उनको बुला कर आयें, खाना खिला देगा, रोटी जिमा देगा लेकिन राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये कोई तैयार नहीं होगा। जहां उसकी कमाई होगी वहीं उद्योग लगायेगा। हमने भी बहुत प्रयत्न किये, धौलपुर में कोई उद्योग आ जाय। इस उम्मीद के अन्दर धौलपुर की बड़ी भारी जमीन, सौ एकड़ से ज्यादा जमीन वहां दे दी है एक्सप्लोजिव की फैक्टरी को इस उम्मीद में कि इसकी इंसीलियरी इंडस्ट्री आ जायगी। एक इंसीलियरी इंडस्ट्री वहां पर आयी नहीं उसका हाल यही हो गया कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से किसी और को वेच बाच कर उस इंडस्ट्री को जिन्दा रखा, उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता वरना उसके भी बंद होने की नौबत आ गई थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपके इंसेन्टिव, आप आइडेन्टिफाई कर लीजिये दो तीन इंडस्ट्री को, तभी आप उसके अन्दर कुछ आगे बढ़ सकेंगे अन्यथा कहीं के चक्कर लगा आइये, आप नयी औद्योगिक नीति बना लीजिये, आपने घोषणा कर दी, आपकी औद्योगिक नीति की घोषणा हो गई उससे आपने कितने लोगों को अट्रेक्ट किया, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, कितने लोग यहां आये? आज हालत यह कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन्होंने कई जगह बनाई, पुरानी सरकार ने भी बनाई, वैसी ही चली आ रही हैं। लोगों ने प्लाट खरीद खरीद कर मुनाफे के लिये लेकर डाल दिये। आज पांच-पांच, सात-सात वर्ष हो गये, कई जगह तो लोगों ने जमीन लेने के बाद एक उद्योग नहीं लगाया। इस बारे में आपकी नीति होनी चाहिये। एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिये कि आप लोग प्लाट ले लेते हैं, मुनाफे के लिये, कोई और आयेगा तो उसको बेच देंगे। मुनाफा कमाने के लिये जो जमीन किसानों से आपने सस्ती दर पर ली, डवलप करके लोगों को बेची वह लोग दूसरों को मुनाफे के लिये बेचते हैं। अगर इंडस्ट्री सरटेन पीरियड तक नहीं आती है तो आपको उन इंडस्ट्रियल प्लाट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आज आपके मैं किसी अधिकारी की आलोचना कभी करने के पक्ष में नहीं हूं, वैसे भी आज रीको के अन्दर, आर.एफ. सी. के अन्दर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अच्छे अफसर बैठे हुए हैं। मगर अच्छे अफसरों के बैठने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों से अच्छा व्यवहार कर लेंगे, भाई, कुछ करना है। लेकिन गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोरी यह अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी बातें वहां कर लें उससे तो उद्योग लगने वाले नहीं। उससे उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कुछ न कुछ ठोस कन्सेंशन देने पड़ेंगे। आप नहीं देंगे, कोई उद्योगपति राजस्थान के अन्दर नहीं आयेगा। आज हालत क्या है? लोगों ने उद्योग लगाया अभी कह रहे थे कि दो सौ करोड़ के आपके उद्योग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सिक हो गये। छोटी-छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज थीं।

आज रोज लिस्ट आती है आर. एफ. सी. की तरफ से कि आज कितने उद्योग, कितनी फैक्ट्री नीलाम हो रही हैं। कितनी फैक्ट्री नीलाम हो रही है, लम्बी–लम्बी लिस्ट आती है। क्या कारण है? इसके कारण बहुत लम्बे हैं। अगर डिस्कशन हो, एक्रोस दी टेबल, बातचीत हो सके, यहां उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इस तरह ध्यान दें। आज पैट्रो केमिकल इंडस्ट्री की जो बात है, मैंने सुना है मिस्टर थापर से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या हो गया है जोइन्ट सैक्टर में। खुशी की बात है। जल्दी इंडस्ट्री लगे यहां पर, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि लोगों का दिमाग बदलते भी देर नहीं लगती। इस तरह की एक दफा शुरूआत हो गयी। एक तरह से नये तरह के उद्योगों की जब शुरूआत हो जाती है, सभापति महोदय, तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी जोइन्ट सैक्टर के अन्दर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को आप जल्दी शुरू करें। यह मेरा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय।

आज मैं आपसे खान विभाग के बारे में दो बातें और कहूंगा। उद्योग के बारे में बहुत सी बातें कहने को और हैं लेकिन मूल में बात तो वहीं आती है कि नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जो मैं कह चुका। आईडेन्टिफाई करने की बात आपसे कह चुका। इसके अलावा और बातें हैं लेकिन सदन का समय बरबाद करना होगा।

मैं अब, खनिज मंत्रीजी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो नयी नीति निर्धारित की है, खनिज विभाग की चैक पोस्ट को नीलाम करने की, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं इसका बहुत विरोधी हूं। आपको पता नहीं कहां से किसने यह सीख दे दी कि आज आप नीलाम करने जा रहे हैं। शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। हमारे यहां 21 तारीख को पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले के अन्दर अब वसूली नीलामी से होगी। जो भी रवन्ने कटेंगे, वहां से जो भी कुछ आपकी वसूली होगी वह अब आप नीलामी से कर रहे हैं। भाई, यह क्या कर रहे हैं आप? आपने शराब के मामले में तो माफिया गिरोह खड़े कर दिये हैं, आप इधर भी माफिया गिरोह को खड़ा करना चाहते हैं। आज हालत क्या है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। टोल टैक्स के ठेके नीलामी से पुलों के दे रखे हैं। आपके पास भी शिकायतें होंगी, सभापति महोदय, सब सदस्य जानते हैं, जिस गाड़ी का दो रुपये है, उससे पांच रुपये वसूल कर रहे हैं, जिसका दस है उससे 15 वसूल कर रहे हैं। इसी प्रकार से नाकों के ऊपर आप नीलामी करने जा रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी? मुझे धौलपुर में जानकारी मिली है, अभी से लोग ग्रुप बना रहे हैं। सरकार ने जो अमाउंट फिक्स किया है उससे चौगुनी, पंचगुणी दे रहे हैं। हालत क्या होगी? खड़ा कर देते हैं। दस गुण्डे बैठा देंगे वहां पर, गुण्डों को बैठाकर जबर्दस्ती वसूलियां होंगी वहां पर। नहीं जायेगा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तेरा थैला। भरा हुआ है थैला। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सभापति महोदय, वह कहेगा, साहब, दो हजार फुट माल है मेरे थैले में। नहीं, 2500 फुट माल है। 2500 फुट माल है।, झगड़ा खड़ा होगा। वह कहेगा नहीं, 2500 फुट है। अब उतारिये उसको। अब वहां लेबर कितनी लगेगी। 2500 फुट माइन्स पर भी चढ़ाया है, पत्थर का उतारना इतना आसान नहीं है। 2500 फुट माल हैं, आप करेंगे क्या ? यह तो लोगों का हेरेसमेंट होगा।

आपका डिपार्टमेंट अगर नाकाबिल साबित हो रहा है, चोरी हो रही है वहां, अगर आप रोक नहीं सकते उसको तो इसका मतलब लोगों की आप कठिनाई और बढ़ाना चाह रहे हैं, गुण्डागर्दी बढ़ाने जा रहे हैं। तो राजस्थान की पुलिस वैसे ही ओवर वर्डन है, दबी हुई है, स्टाफ है नहीं आपके पास। रोज पुलिस में केस बढ़ेंगे जा करके। तो भगवान के लिये इसके ऊपर आप पुनर्विचार करिये। यह ठेके हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त के अन्दर नहीं हैं। नयी व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। इससे लोगों की कठिनाई बढ़ेगी। मैं मानता हूं, भयंकर चोरी हैं इस विभाग के अन्दर, सभापति महोदय, जब मेरे पास खनिज विभाग था नौ करोड़ की आमदनी थी। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, मुझे 15 करोड़ चाहिये। मैंने सख्ती की एक साल के अन्दर उसको 14 करोड़ और कुछ लाख पहुंचाया था, एग्जेक्ट फीगर मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अपने टार्गेट दीजिये, इफेक्टिवली कंट्रोल कीजिये, आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों की कठिनाई बढ़ाने जा रहे हैं। इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिये। इसको स्पेल आउट किया जाय सदन के अन्दर। आखिर है क्या यह। वहां आज गिरोह बना रहे हैं। गिरोह बना कर लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 50 लाख का लूंगा कोई कह रहा है 60 लाख का लूंगा। लोगों ने अभी से तरकीब निकाल ली है। जैसे टोल टैक्स के ऊपर है, वही की वही स्थिति पैदा होगी और आप भुगतेंगे उसको। भुगतेंगे आप, कठिनाई आपको होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि होगा क्या, एक दफे सरकार को चस्का लगा, यह तो आमदनी हो रही है तो भाड़ में जाय जनता की कठिनाई क्या हैं। अब एक किसान लेकर आ रहा है, आप यह जानते हैं कि गर्मी के मौसम में किसान अपना पैसा फसल के बाद वह गृह निर्माण कार्य शुरू करने में लगाता है। गृह निर्माण कार्य शुरू होगा तो हमारे जैसा मजबूत आदमी किसान को तंग करेगा कि एक ट्रैक्टर में इतना माल है। वह कहेगा इतना है। लड़ाई–झगड़े शुरू होंगे। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है पढ़ा लिखा है नहीं। उस लूट को आप रोकिये। राज्य को साल के 50–40 लाख मिल जायेंगे लेकिन जनता की कितनी परेशानी बढ़ जाएगी इसमें आपको विचार करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

श्री मिश्रीलाल : बजरी वाला ठेका कैसे लगा, मेरे ख्याल में आपने सोच कर लगाया होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है बजरी पर आप टैक्स लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप माफ कर दीजिए। मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री कालूलाल गूर्जर : यह बजरी का ठेका दिया था उनसे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह हमारे यहां नहीं है। जो जानकारी है वही कह सकता हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। सरकार आपकी है, करना न करना आपके हाथ में है। मैं कोई आलोचनावश इस बात को नहीं कह रहा। आप गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहें, न करें तो आपकी मर्जी है।

सभापति जी, आज माइनिंग विभाग ने इस बात को, भारत सरकार के खनिज मंत्रियों की बैठक हुई, तब भी उठाया। यह फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट राजस्थान के माइ-निंग में सबसे बड़ा आड़े आ रहा है। आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं ? मुख्य मंत्रीजी ने भी मांग की है, कहा है वहां पर। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए, मैं कोई जंगलात के खिलाफ नही हूं। जंगल लगने चाहिए, जीवन के लिए बहुत आव-श्यक है। लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो जंगलात की जमीन के रूप में दर्ज हो चुके हैं लेकिन पेड़ एक भी नहीं है लेकिन वहां आप माईनिंग नहीं कर सकते या तो अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है तो उनमें दुनिया-भर की खनिज सम्पदा दबी पड़ी है। मेरा निवेदन है राज्य सर-कार कोशिश करे और खनिज मंत्रियों से मिल कर इसकी कोशिश करनी चाहिये कि फोरेस्ट की जो भूमि है, वह तो कम हो नहीं, उसकी जगह दूसरी जगह पेड़ लगा दीजिये फारेस्ट विभाग आपके पास है, आप एश्योर कर सकते हैं कि हम इतनी जमीन पर पेड़ लगवा दें उतना एरिया छुड़वा दीजिये। नहीं तो आज रोजगार का सवाल है, लोगों के आर्थिक हित का सवाल है। हमारी राजस्थान सरकार को करना चाहिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आज बिहार में तो परवाह ही नहीं करते फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। मनमानी कर रही है बिहार सरकार। कोई एग्रीमेंट आपको करना है लेकिन मैं उसको फ्लाउट करने के पक्ष में नहीं हूं, फ्लाउट करें या तोड़ें लेकिन कुछ न कुछ संशोधन होना बहुत आवश्यक है जिसके लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिये।

सभापतिजी, अपनी बात समाप्त करने के पहले एक और कहना चाहूंगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि जैसलमेर में जो लाइम स्टोन है, स्टील ग्रेड, बहुत बढ़िया किस्म का लाइम स्टोन वहां पर है। मुझे ज्ञात हुआ है कि बड़े औद्योगिक घरानों को लीज देने जा रहे हैं। कृपया यह मत कीजिये। इससे राजस्थान का बहुत बड़ा अहित होगा। आपका जो एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया है क्योंकि इस तरह का लाइम स्टोन देहरादून में था वह पर्यावरण के कारण बन्द हो गया। आज हिन्दुस्तान के जितने स्टील, लोहे के कारखाने हैं बड़े-बड़े, उनकी जितनी डिमाण्ड है वह आपको पूरी करनी पड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है और मेरी विस्तृत जानकारी है कि बड़े घराने इसको लेना चाहते हैं। मैं यह कहना नहीं चाहता, आप मेरी प्रकृति जानते हैं, देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा और आरोप लगेंगे दुनिया भर के। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया उनको हाथ न लगाएं। पहले ही पब्लिक सैक्टर के नाम पर हमने हिस्सेदारी नहीं रखी। बहुत देरी हो गई, हमने कोशिश की थी रामपुरा गूचा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हिन्दुस्तान जिंक को दिया था। हमारी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूं हमारे खनिज मंत्री ने सोचा नहीं अब हिन्दुस्तान जिंक ने फैक्ट्री लगा रखी है और राजस्थान सरकार केवल रायल्टी, डैड रेंट पर बैठी हुई है। अपना हिस्सा रख लेते तो आमदनी का जरिया बढ़ता। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारी रार्क फास्फेट की माइन्स थी, भारत सरकार ने बहुत कोशिश की उनको हथियाने की। बड़ी निगाह थी लेकिन उस वक्त सरकार मुस्तैदी से डटी रही और वह खानें बच गई। यदि हमने पूर्व में सोचा होता, रामपुर गूचा का एरिया दे दिया इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक तो आपके हाथ में लीवर रहेगा, एक दफा आपके हाथ से निकल गया फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप किसी को रियायत मत बरतियेगा अपना कंट्रोल आप मत जाने दें, कोशिश आप यह करें कि किसी तरीके से वह इलाका बड़ी रेल लाइन से जुड़े जिससे हिन्दुस्तान के हर इलाके में वह आवश्यकता की पूर्ति कर सके, यह मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 43 और 42 के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज विभाग की कोई ठोस नीति नहीं रहने के कारण इस खनिज सम्पदा से भरे हुए प्रान्त में जिस तरीके से इसका दोहन हो रहा है वह कोई वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। आपका खान विभाग अपनी जिम्मेदारी केवल वहीं तक समझता है कि वह खानों का पट्टा दे दे और उसके बाद रायल्टी वसूल करता रहे। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर संगमरमर निकल रहा है और जिस अवैज्ञानिक तरीके से, अपर्याप्त साधनों से खनन किया जा रहा है, उसकी वजह से 10% रिकवरीज होती है और 90% वेस्टेज जाता है। वह जिस तरीके से कर रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है। वहां ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए आज हम संगमरमर के क्षेत्र में विदेशों के कम्पीटीशन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं चाहे हमारे यहां पर पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छा माल निकल रहा है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस खनन को उद्योग नहीं माना जाता। जिस तरह से होटल को उद्योग माना गया है, उसी तरह से खनन को भी उद्योग में लाना चाहिए और उसके लिए सारी सुविधाएं जो उद्योग को आप देते हैं, सब्सिडी आदि दी जाय क्योंकि खानों में बहुत कम पूंजी में बहुत अधिक लोगों को वहां पर रोजगार प्राप्त होता है। कम पूंजी लगती है लेकिन रोजगार प्राप्त होता है। इस दृष्टि से जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, जो जन जाति के क्षेत्र हैं उनकी तरफ आप लोगों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जो लोग नई मशीनरीज लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से खानों में काम बढ़ेगा उन पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए और उनकी वित्तीय साधन देने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मैं अपने क्षेत्र के सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि, हमारे यहां पर राजस्थान का एक बहुत बड़ा उद्योग उदयपुर में है राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 33 दिनों से वहां पर श्रमिकों की स्ट्राइक चल रही है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 33 दिनों से श्रमिक लोग उस उद्योग के बाहर बैठ करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और वहां पर उस उदयपुर जैसी जगह में, जहां कमिश्नर मौजूद है, कलक्टर जहां पर मौजूद है, एस. पी. जहां पर मौजूद है, और 33 दिनों तक उन लोगों से कोई बातचीत नहीं करता और जो प्रबन्धक है उस उद्योग के उन प्रबन्धकों ने भी उनसे कोई चर्चा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि 32 दिन तक उनसे बातचीत नहीं की गई बल्कि 32वें दिन उनके टेंट उठा करके ले गये। उन लोगों को अरेस्ट करके ले गये और उन लोगों को जमानत पर छोड़ा गया। इस जनतंत्र के अन्दर अपना विरोध प्रकट करना और वह भी शांति के साथ, गांधीवादी तरीके से यदि श्रमिक अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकेगा, तो क्या हम मुल्क में तानाशाही लाना चाहते हैं? क्या हम श्रमिकों के अधिकारों की बात करने के बाद में आप श्रमिकों का शोषण करना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खान मंत्री जी, यह विवाद कोई छोटा-मोटा विवाद नहीं है। इस विवाद में दो यूनियनों का मसला है एक रोक फास्फेट मजदूर संघ की मान्यता तथा एक आर.एस. एम.एम कर्मचारी संघ की मान्यता के सन्दर्भ में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1978 में इनके साथ में समझौता हुआ था। तब दोनों के साथ में समझौता होने के बाद में श्रम विभाग से कहा गया और श्रम विभाग ने इन दोनों का चुनाव कराया। चुनाव के बाद रोक फास्फेट वाले को उसकी मान्यता दी गई लेकिन वह मान्यता तब दी गई जब वह प्रबन्धकों के द्वारा दी गई और प्रबन्धकों ने जब उनको मान्यता दी तो उसमें यह शर्त थी कि आपको दो साल की मान्यता दी जा रही है। मैंने नियम 295 के प्रस्ताव में इसको लगाया था। प्रबन्धकों ने जिस तरह से जवाब दिया है, वह असत्य जवाब है। प्रबन्धकों ने यह कहा कि यह श्रम विभाग को करना चाहिये। श्रम विभाग के नियमों को देखें तो किसी भी ऐसे विवाद में चुनाव कराने की प्रक्रिया का कहीं भी उन नियमों में प्रावधान नहीं है। जब दो यूनियन एक साथ मिल करके यह तय करती हैं, तब श्रम विभाग उन नियमों के अन्तर्गत उनका विवाद हल करने के लिए चुनाव करा सकता है लेकिन ऐसे चुनाव नहीं करा सकता। उन प्रबन्धकों ने जो जवाब दिया है, उनका यह कहना पूर्णतया गलत है कि रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन द्वारा ही की जायेगी।

रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन द्वारा सिर्फ रिप्रेजेन्टेशन यूनियन का प्रमाण पत्र इश्यु किया जाता है और वह प्रमाण पत्र, मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, दोनों ही संगठनों के पास नहीं है। राक फास्फेट के यूनियन के पास नहीं है। अगर राक फास्फेट यूनियन के पास यह प्रमाण पत्र है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके

(श्री शिवकिशोर,सनाढ्य)

पास भी वह नहीं है और उनके पास भी वह नहीं है इसलिए इन दोनों को समानता के साथ में देखा जाना चाहिये और जब पिछले 10–11 साल से इस बात को कह रहे हैं, दो साल के बाद में इस मान्यता के प्रश्न को हल किया जाना चाहिये। प्रबन्धकों के द्वारा ही मान्यता दी जाती है और प्रबन्धकों के द्वारा मान्यता इसलिए दी जाती है कि यह तो सर्टिफिकेट है केवल उस रजिस्ट्रार के बिहाफ पर दिया जाता है, श्रम विभाग आप देता है लेकिन बोर्ड आफ डिसीप्लीन के अन्तर्गत मैनेजमेंट मान्यता प्रदान करता है और मान्यता के प्रश्न और उसके रजिस्ट्रेशन के प्रश्न को दोनों को अलग–अलग देखना पड़ेगा। यह केवल धोखा दिया जा रहा है केवल एक यूनियन को प्रोत्साहित करने के लिए, केवल एक यूनियन का पक्ष लेने के लिए यह सारा आपके सामने किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय....

श्री मदन लाल सैनी : मंत्रीजी तो बात कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय मंत्रीजी, यूनियन से सम्बन्धित मामला ही है। मैं मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मदन लाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, यह जो यूनियन की लड़ाई है। यह मांग पत्र की लड़ाई नहीं है।

श्री सभापति : वे सक्षम है अपनी बात को कहने में। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं खनिज मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं खनिज मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी तह तक जाइये। आपने एक पत्र लिखा था और आपने उस पत्र में दोनों को समान स्तर पर बातचीत करने के लिए कहा था क्योंकि 1878 में भी इसी तरह का निर्णय हुआ था कि मान्यता इनको मिली है लेकिन दूसरी यूनियन को भी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। आपको प्रबन्धकों के द्वारा गुमराह किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक साल के लम्बे अरसे तक वह कौनसी कानूनी प्रक्रिया है जो नहीं मालूम हो सकती, इस सचिवालय में लॉ डिपार्टमेंट है, यहां लेबर कमिश्नर रहते हैं। हम इतना रुपया खर्च करते हैं। आप और हम एक छोटे से विवाद को अभी तक हल नहीं करा सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं एक मुद्दा और आपके सामने रखना चाहता हूं जो 295 के अन्तर्गत मेरे पास जवाब आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो उत्पादन के आंकड़े बताये गये हैं क्योंकि मेरा एक आरोप यह भी था कि उत्पादन घटा है और इसमें जो उत्पादन के आंकड़े बताये गये हैं व जो श्रमिकों से जो काम कराया जाता है, मैंने उसके सम्बन्ध में कहा था कि उत्पादन घट रहा है। इन्होंने आपको धोखा देने के लिए विश्वासघात किया है और वे जिन ठेकेदारों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से खनन कराते हैं उसको भी उसमें जोड़ा हुआ बताया हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे अंधकार में रख रहे हैं। उन्होंने कहा था हमारा यह खनन इसलिए कम हुआ है, हमारा यह उत्पादन इसलिए कम हुआ है हमारे यहां पर कर्फ्यू लग गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों की कालोनी तो उन खदानों के पास में ही हैं। श्रमिक वहां रहते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि रोडवेज की हड़ताल हो गई। रोडवेज की हड़ताल के समय का रिकॉर्ड उठा कर देखियेगा कि रोडवेज की हड़ताल होने से इन्होंने प्राइवेट बसों का इंतजाम किया, महंगे दामों पर किया और वहां पर श्रमिक जाते रहे। हमारे वहां तो चारदीवारी के बाहर रहने वाले श्रमिक भी वहां पर जाते रहे। इनके पास में किसी डीजल की कमी नहीं है, तो डीजल आज तक दे रहे हैं। उसके बाद ये किस तरीके से कहते हैं कि इन कारणों से उत्पादन कम हुआ है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर इसमें देखेंगे कि यहां 1989–90 में 39 प्रतिशत का उत्पादन का लक्ष्य था और आज यह 1990-91 में 62 प्रतिशत और वह भी अनुमानित किया जा रहा है और आज जो मलबे का पर्सेन्टेज है, उसको भी देखिये कि वह 8.31.76 प्रतिशत हो गया है। यह आप देखिये कि किस तरीके से यह खनन हो रहा है। मैंने यह निवेदन किया था कि वहां पर अवैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है और इसलिए इन्होंने इस पत्र में स्वयं स्वीकार किया कि खदानों में अवैज्ञानिक तरीके से गहरा करना, जो लोग समझते नहीं हैं, उनके कारणों से यह गहरी हुई है। मशीनों का खराब होना, मशीनरी निश्चित रूप से खराब होती है लेकिन किसी बनिये के यहां पर आप देखिये, जहां पर काम चलता है उसके यहां पर मशीन खराब होने का कारण बता दिया जाय और उसकी वजह से उत्पादन गिर जाय और आप उन अफसरों का एक्सप्लेनेशन काल ही नहीं करे, उनको घर भी भेज दें लेकिन मुझे आज इस बात का दुःख है कि वह यहां कह करके कि सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है मशीनरी खराब हो गई है और इस तरीके से श्रमिकों के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने इसमें लिखा है कि हम श्रमिकों का बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन इतने लोग मर गये, इतने लोग घायल हो गये और इनके यहां पर जो बड़ी–बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीनरी होने के बावजूद भी इनका उत्पादन घट रहा है जब तक ठेकेदार काम करवा रहे हैं, उनका उत्पादन कम हो रहा हैं। इसका कारण है कि हैवी मशीनों का रखरखाव ठीक नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से उद्योगों के अन्दर इस तरह से काम चलता रहा और जैसा पण्डित रामकिशन जी ने कहा था कि इन लोगों के ऐशो आराम को देखियेगा। इन लोगों पर आप लोगों ने कण्ट्रोल नहीं किया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस तरीके से हवाई जहाजों की यात्रा होती है, जिस ऐशो आराम के साथ ये घूमते हैं, मैं आपसे कहना चाहता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हूं प्लांट लगाने के लिए विदेशों की यात्रा की गई है, उनका कोई आदमी आज नहीं है, वे तो केवल घूमने गये थे और आज जो आदमी हैं उन्होंने असत्य बोला है, वहां प्लांट लगा नहीं लेकिन जो एक्सपेरीमेंटल प्लांट था, वह दो साल पहले लग गया और उसकी क्षमता भी जितनी होनी चाहिये थी, उससे कम क्षमता पर हो रहा है। जब एक्सपेरीमेंट ही खराब गया, जब एक्सपेरीमेंटल प्लांट ही खराब है तो आगे के प्लांट से क्या उम्मीद करते हैं कि वह रखेंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार को केवल धोखे में रख करके, केवल मुस्करा करके, केवल हंस करके बात टालने से काम नहीं चलने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय सदस्यों की एक टीम बनायें और वह जाकर के वहां देखें। तब जाकर के आपको इसका पता लगेगा कि इसमें कितना गड़बड़ घोटाला है और किस तरीके से आज तक इस राजस्थान की विधानसभा में इस आर. एस. एम. एम. का नाम घोटाले के नाम से गूंजता रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से उसका कुप्रबन्ध चलता रहा, इसी तरीके के लोग उसमें बने रहे तो निश्चित रूप से यह होगा।

आपको मालूम होना चाहिये कि वहां पर इन्टरव्यू किया गया और इन्टरव्यू में किस तरह का सलेक्शन करने के लिए इतने लोगों को वहां पर बुला लिया गया। क्या उन लोगों को देखा नहीं जाना चाहिये था कि किन लोगों को बुलाना चाहिये ? सब लोगों को बुलाना कोई आवश्यक नहीं था। हमारे यहां पर भी इन्टरव्यू होते हैं और उनमें से सैंकड़ों लोगों की छंटनी होती है, स्क्रूटनी होती है और स्क्रूटनी के आधार पर लोगों को बुलाया जाता है। यह अनाप-शनाप गरीब लोगों का पैसा खर्च करा देना, यह ठीक नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का वह लैटर भेजा गया है, राजस्थान के अन्दर इन्टरव्यू का यह पहला लैटर होगा, जिस तरीके का यह लैटर भेजा गया है कि आदमी स्वयं यह सोचले कि वह उस योग्य हैं या नहीं। वह उस पद के योग्य है या नहीं। वह टेलीग्राम दे उनको और टेलीग्राम देने के बाद वह स्वयं चला जाय और 15–15 दिन तक उसमें लिखा है कि जब तक इन्टरव्यू नहीं हो तब तक वह अपने स्वयं के रहने की व्यवस्था करें आपको टी. ए./डी. ए. नहीं दिया जायेगा। यह गरीबों के साथ में खिलवाड़ है बड़े लोगों का। मेहरबानी करके इस लालफीताशाही को रोकने की कोशिश कीजियेगा।

मैं इसके साथ आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो खान विभाग है उस खान विभाग के सन्दर्भ में। आप निश्चित रूप से जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कहियेगा कि जैसलमेर के लिए तो आपको ही

(6.51 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

नियुक्त किया गया है, बाड़मेर के लिए नियुक्त किया गया है और वे बैठे है उदयपुर में। लेबोरेटरीज बनायी गई हैं लेकिन बाहर काम होता है। यह क्या केवल लोगों को खपाने के लिए रखा गया है। यह सारी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को मेहरबानी करके रोकने की कृपा कीजियेगा। मैं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं:...

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है, आपको बीस मिनट हो गये हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। केवल एक तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्रीजी आपने होटल को भी उद्योग का दर्जा दे दिया और इस तरीके से यह होटल उद्योग पनपेगा। लेकिन जो होटल का उद्योग पनप रहा है वह उन तालाबों के किनारे पर होटल बनाये जा रहे हैं। उसकी वजह से, मैं आपसे कह सकता हूं कि उदयपुर के अन्दर पिछौला और फतेहसागर झील के सारे नगर को पानी मिलता है, उसमें भी गटर का पानी जाता है। उस तरह से यदि इन होटलों को आपने परमिशन दे दी तो आप यह समझ लीजियेगा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से पानी का प्रदूषण हो जायेगा और लोगों का जीना मुश्किल हो जायेगा। मैं उद्योग मंत्रीजी से, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो होटल उद्योग हैं इनको यदि घर–घर में पनपने दिया जायेगा तो जो आदमी पैसा देकर के उसके घर में, उसके होटल में आयेगा तो वह अपनीमनमानी करेगा और इस तरीके से राजस्थान का नैतिक वातावरण दूषित हो जायेगा। इसलिए घर घर में होटल खोलने की जिस तरीके की पद्धति चल निकली हैं उस पद्धति को समाप्त कीजियेगा। आज भी उदयपुर में 400–450 होटल हैं लेकिन कितने होटलों को परमिशन दी है? इसे राज्य सरकार देखें। अनधिकृत रूप से होटल चल रहे हैं और उसमें जिस तरीके की मनमानी चल रही है, जो अनाचार चल रहा है उसको मेहरबानी करके रोकने की कोशिश कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्षजी, मैं केवल अपनी अंतिम बात कह कर बैठ रहा हूं। आज इस वित्त निगम के सम्बन्ध में, इस रीको के सम्बन्ध में, इस पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में, इस राजस्व विभाग के सम्बन्ध में और खास करके भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों के पास में जो उद्योग लगाने के लिए लोग आते हैं वे जलील होते हैं। मेहरबानी करके कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये, कोई ऐसा कोआर्डिनेटर बनायें। आज सभी लोगों ने इस बात को कहा कि ऐसा कोआर्डिनेटर बनायें जो इन सब विभाग को कोआर्डिनेट कर सके ताकि आदमी जलील नहीं हो। वह अपना पैसा लगाना चाहता है और जिस तरीके की आपकी नीति है और जिस तरीके से आपने वसूली प्रारम्भ की है, यह मुल्क तो सूदखोरों के खिलाफ लड़ता रहा है, हम लोगों ने तो सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज अगर उसी काम को सरकार करने लग जाय और उसी तरीके से करने लग जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारे विभागों के ऊपर एक कोआर्डिनेटर बनाया जाय और बिजली विभाग को भी उसमें शामिल किया जाय और इस तरीके से काम में लिया जाय ताकि जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं वह उद्योग लगा सकें और राजस्थान

(शिव किशोर सनाढ्य)

के लोगों को उससे काम मिल सके और हमारी बेरोजगारी दूर हो सके। यह कहता हुआ मेरा कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा। (अनुपस्थित)

श्री अमीन खां। (अनुपस्थित)

श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन मांगों पर जो बहस हुई है उसमें यद्यपि सारे पाइन्ट्स आ गये हैं, मैं सिर्फ एक पाइन्ट पर अपने विचार रखना चाहता हूं। विषय खान विभाग और उद्योग दोनों का है। असल में जो खान विभाग है उसमें जितने भी कार्य संपादित होते हैं उनको उद्योग की श्रेणी में रखना ही चाहिये। बिना उद्योग की श्रेणी में रखे जो खान विभाग के कार्य हैं, यद्यपि कुछ काम में सुविधा जरूर होती है पर निश्चित तौर से वह सम्पादन मजदूरों की वह रक्षा जो हम समझते हैं, उसको समाज में जिस रूप में लाभ पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच पाता। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि पश्चमी राजस्थान में जो ईंट उद्योग है और वह धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। राजस्थान कैनाल के पानी के साथ जो विकास हो रहा है, घनी आबादी हो रही है, जितने भी विकास के काम हैं वे सारे के सारे ईंट के द्वारा होते हैं क्योंकि पत्थर वहां है ही नहीं। ईंट उद्योग कहलाता है और खनिज के तहत डिपार्टमेंट है। लाइसेंस उनको माइनिंग डिपार्टमेंट देता है, परमिशन उनको उद्योग विभाग देता है। उस विभाग में जितनी कमाई है और जिस तरह से जनता से सम्बन्धित हैं। मैं आपके सामने दो शब्द इस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि ईंट के जो उपभोक्ता हैं, डाइरेक्ट उपभोक्ता उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं इसलिए कहीं भी समस्या इस उद्योग में नहीं है कि उनके माल की खपत नहीं हो। इसलिए एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की पूंजी लगा कर साल भर में 3-4 लाख वह कमाते हैं। ईंट के भाव पर कोई कन्ट्रोल राज्य सरकार का नहीं है। लाइसेंस देती है उस आथोरिटी का नहीं है। जो ईंट पिछले साल 400 में बिकती थी आज 700-750-800 तक बिकती है और सबसे बड़ा, अभी सैल्स टैक्स के मंत्रीजी नहीं है, वह बोल रहे थे, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे जिले गंगानगर की कह सकता हूं, एक भी ईंट उद्योग का मालिक नहीं है जो सैल्स टैक्स सही रूप से देता हो। जब उनसे रसीद मांगेंगे तो वह 300–350 या 400 के हिसाब से काटेंगे और एक्चुअल उसकी बिक्री होगी बाजार में 700 या 800 के हिसाब से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय दोनों मंत्रीजी से कि इस सिलसिले में नियम बना कर उन उद्योगों के बारे में अपनी नीति बनायें कि उन उद्योगों को राजस्थान में किस प्रकार संचालित करें। माइनिंग डिपार्टमेंट भी यह ध्यान रखे कि उनका रायल्टी का पैसा पूरी तरह से वसूल होता है कि नहीं होता। जितने भी खनन करते हैं जितने एरिया में, ईंट जितने एरिया में बनती है उससे बहुत छोटा एरिया दिखा कर वे लोग लाइसेंस लेते हैं और उसी का पैसा इनको पहुंचता है। इसलिए इन उद्योगों के बारे में ठोस कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा। (अनुपस्थित)

श्रीमती तारा भण्डारी। (अनुपस्थित)

श्री रखबचन्द मीणा। (अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री श्रीचन्द कृपलानी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में अपनी कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग में रीको के माध्यम से प्लाट आवंटित किये जाते हैं उसमें आर.एफ.सी. से जो लोन मिलता है इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए यदि देरी हो जाती है या उसमें जो उद्योग लगाने वाले उद्यमी होते हैं उसको अगर किसी प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस लेना होता है और समय पर यदि उसे लाइसेंस नहीं मिलता है तो प्लांट निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है क्योंकि उसमें समय अवधि दी हुई होती है जो कि बिल्कुल गलत है । आर.एफ.सी. की गलती की वजह से या लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से उस उद्यमी को परेशान होना पड़ता है । तो मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ सरलीकरण की नीति बनायी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की कुछ समस्याएँ आपके सामने रखना चाहता हूं । राजस्थान के जितने भी औद्योगिक स्थान आपने निश्चित कर रखे हैं उसमें निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्यायें हैं वह उसी प्रकार की हैं जो हर औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं हैं । निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आज के 10 वर्ष पूर्व रीको का आफिस बना था । अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरत होगी कि आज भी वह आफिस बिल्कुल खाली पड़ा है । उसमें न तो आफिस चला, न कुछ, यहां तक उसकी बाउण्डरी वाल के पत्थर तक लोग उखाड़ ले गये और उस आफिस में आज भी जानवर चरते हुए मिल जायेंगे । यह हालत है वहां की । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वे आज से 10 वर्ष पूर्व जो सड़कें बनी थी उसकी हालत, क्षतिग्रस्त हालत हो गई है, वहां न तो कोई व्हीकल निकल सकता है, जगह जगह खड्डे हो गये हैं । इन सड़कों को भी सही करने की आवश्यकता है और बिजली की मुख्य समस्या है । औद्योगिक क्षेत्र में 24 घण्टे में शायद 10 घण्टे या 8 घण्टे बिजली मिलती होगी क्योंकि जब भी बिजली विभाग से इस सम्बन्ध में जानकारी मांगते हैं तो कभी कहते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, कभी ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं या कभी कोई समस्या बता देते हैं तो इस संबंध में भी उद्योग विभाग को बिजली विभाग से मदद लेकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकी बने, काफी समय हो गया पर वह अब शुरु हुई है । वह भी क्षतिग्रस्त है । इसलिए सही ढंग से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में चार–पांच ट्यूब वैल की और व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, बजट में जो बड़ी-बड़ी इकाइयों को शुरू करने के लिए सरकार ने कहा है वह सराहनीय है और साथ ही सीमेण्ट फैक्टरी की बड़ी इकाइयों को केन्द्रीय बिक्री कर में 75 प्रतिशत की छूट है यह छूट छोटी सीमेण्ट इकाइयों को सरकार बजट में देने जा रही है, मैं इस बात की सराहना करता हूं किन्तु साथ साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी सीमेन्ट

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

फैक्टरी से जो प्रदूषण होता है उस पर कण्ट्रोल होना चाहिए। जिस प्रकार से निम्बाहेड़ा की जे. के. सीमेण्ट फैक्टरी के प्रदूषण के बारे में काफी समय से सदन में यह मांग हो रही थी कि इस प्रदूषण को रोका जाय मेरा आपसे निवेदन है कि जे.के. सीमेण्ट फैक्टरी से प्रदूषण फैल रहा है सिर्फ इसलिए कि डेढ़ से दो हजार यूनिट रोज इसमें बिजली खर्च होती है और आठ दस लाख रुपये का महीने में बिजली का बिल बनता है। आज निम्बाहेड़ा निवासियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि आसपास के इलाकों की जमीनें बंजर होती जा रही हैं और फसल कम होती जा रही है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों लगातार 100 दिन तक निम्बाहेड़ा की जे. के. सीमेण्ट फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल चली। वह बात अलग है कि वह हड़ताल फैल हुई लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे उनकी वाजिब मांगे न मानकर उनमें से 11 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरा उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि दबाव डालकर उन मजदूरों को फैक्टरी में नौकरी पर रखने की व्यवस्था करावें। इतना मैं विश्वास करता हूं।

अब मैं मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा। प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960, अप्रधान खनिज रियायत नियम 1977 में आवेदन-पत्रों का समय 12 माह है। मेरा निवेदन है इसको घटाकर 6 माह किया जाय ताकि जो आवेदन करता है उनको जल्द से जल्द खनिज क्षेत्र में लीज मिल सके और अवैध खनन बंद हो सके। साथ ही जो क्वारी लाइसेंस का आवेदन-पत्र का समय निर्धारण नहीं किया गया है उसका भी उस समय निर्धारण होना चाहिए ताकि समय समय पर क्वारी क्षेत्र में लीज मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा और रामनगर क्षेत्र मारबल का भण्डार है किन्तु यह आर. एस. एम. डी. सी. के लिए रिजर्व है। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट पार्टीज को नीलामी पर लीज देनी चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। मेरी जानकारी के अनुसार इसी प्रकार से जिप्सम के खनन कार्य भी आर. एस. एम. डी. सी. और आर. एस. एम. एम. को दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि यहां भी प्राइवेट पार्टी को नीलामी पर दिया जाय ताकि बेरोजगारी कम हो और अवैध खनन कम हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि कृषि भूमि या जो चरनोट की भूमि है उस पर खनिज की सम्भावना है वहां कोई आवेदन करता है तो खनिज विभाग वहां लीज जारी नहीं करता है। तब लगातार चक्कर लगाने के बाद मजबूर होकर आवेदनकर्ता वहां पर अवैध खनन शुरू करता है। चाहे अधिकारी की मिली भगत से हो या नहीं हो लेकिन अवैध खनन शुरू हो जाता है। मेरा इस सम्बन्ध में खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि कोई ऐसी नीति बनायें कि वहां पर भी उनको लीज मिल

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सके ताकि बेरोजगारी कम होगी अवैध खनन कम होगा और रायल्टी का भी फायदा होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

नगर पालिका सीमा क्षेत्र में खनन पर रोक है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने निम्बाहेड़ा में जे. के. सीमेण्ट को नगर पालिका क्षेत्र में खनन करने की इजाजत दी हुई है। उससे निम्बाहेड़ा नगरपालिका को कोई चुंगी नहीं मिलती है। 80 प्रतिशत लाइमस्टोन वहां से फैक्टरी निकालती है उसकी चुंगी नहीं मिलने से हर वर्ष करोड़ों का नुकसान सरकार को हो रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी क्षेत्र की जो खनिज विभाग की समस्या है उसमें मुख्य रूप से समस्या है वह यह है कि जहां खनिज विभाग को निम्बाहेड़ा से करोड़ों की रायल्टी मिलती है वहां आज तक केवल तीन चार सड़कें ही खनिज विभाग द्वारा बनायी गयी हैं। मेरा निवेदन है कि निम्बाहेड़ा क्षेत्र में निम्बाहेड़ा बडौली घाटा सड़क, पैट्रोमाला बिनोता सड़क, सम्पर्क सड़क मावलिया, सम्पर्क सड़क रावलिया, सम्पर्क सड़क कचरीया–खेड़ी, सम्पर्क सड़क अम्बामाता, बावड़ी खेड़ा सम्पर्क सड़क, सम्पर्क सड़क व विनोदा बड़ी खदान सेधवा से झालामाला चौराहे तक की सड़कों को सही कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज खनिज क्षेत्र में जो हालत यह है कि मेरे क्षेत्र में 15–20 हजार मजदूर काम करते हैं लेकिन उसको पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर जगह–जगह हैण्ड पम्प लगाये जायं या ट्यूब वैल लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था करें। साथ ही चिकित्सा सुविधा जहां पर उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में भी खनिज विभाग को सोचना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनट और। निम्बाहेड़ा क्षेत्र की खानों में साल में 10 महीने पानी भरा रहता है उससे सही माल नीचे खान में रहता है वहां पानी की वजह से खनन कार्य नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर लिफ्ट योजना चालू करें ताकि लिफ्ट के माध्यम से पानी निकालकर उससे इरिगेशन हो और खनन कार्य भी हो सके। अध्यक्ष महोदय, खनन कार्य के लिए जो भू–खण्ड का आवंटन होता है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसको शीघ्र कराया जाय। मेरे क्षेत्र छोटी सादड़ी में ग्रेनाइट का काफी भण्डार है। मैंने गयी बार भी विधान सभा में यह बात कही थी लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। छोटी सादड़ी क्षेत्र के गोलापानी, काला कोट भेंडवी, पीली खेड़ा आदि पंचायतों में ग्रेनाइट के काफी भण्डारों का पता चला है। मेरा निवेदन है कि वहां पर सर्वे कराके खनन शुरू करायें ताकि वह आदिवासी क्षेत्र है। वहां आदिवासियों का भी इससे कुछ भला होगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह कहना

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

चाहूंगा कि ओवर बरडन की हमारे यहां पर मुख्य समस्या हैं। खानों में ओवर बरडन निकलता है उससे 100 खनिज क्षेत्र हैं तो 75 प्रतिशत ओवर बरडन से दबा हुआ है। निम्बाहेड़ा जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास में टीला खेड़ा माइन्स और माला खेड़ा माइन्स से लाइम स्टोन लेती है तो जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री को बाध्य किया जाय कि जो ओवर बरडन निकलता है वह मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। उसकी किस्म भी वही है, अगर वहां से लाकर काम में ले तो ओवर बरडन भी घट जायेगा और खनिज क्षेत्र का भी अधिक से अधिक विस्तार होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश भामनानी।

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में और मांग सख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

यह बात सत्य है कि देश का विकास और विकसित देशों की संख्या में यदि देश जुड़ सकता है तो तब ही जुड़ सकता है जब औद्योगिक विकास हो। अभी गत चालीस सालों से लेकर जिस तरह का अपने यहां औद्योगीकरण हो रहा है वह नगण्य हो रहा है। विशेषतः राजस्थान जो पूर्व से पिछड़ा रहा है वह तो ऐसा हो गया है कि कहना नहीं चाहता, दोषारोपण की भी इच्छा नहीं है लेकिन अधिकारियों के मन में औद्योगिक विकास के लिए, राजस्थान में उद्योग पनपें, लगे उसके लिए न उनके मन में दर्द है, न उनके मन में इच्छा है, न उनके मन में कसम है। कारण यह है कि, सीधी सी बात है कि उद्योग लगाने के लिए सर्व प्रथम भूमि की आवश्यकता रहती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उद्योग लगाने के लिए शहरों में उद्योग लग नहीं सकते हैं, वहां पर नगर परिषद स्वीकृति नहीं देती है और यदि औद्योगिक एरिया, जो रीको का होता है वहां पर कोई लगाना चाहे तो वहां प्लाट उपलब्ध नहीं हैं। कितने ही वर्षों से इस प्रकार की स्थिति चली आ रही है। शहरों में उद्योग लग नहीं सकते हैं, उद्योग लगाने के लिए रीको के पास जमीन नहीं है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने चाहें तो जैसी राज्य सरकार की नीति रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का जाल बिछे तो वहां पर भूमि रूपान्तरण के मामले में परेशानी होती हैं। भूमि रूपान्तरण के लिए स्पष्ट कहता हूं कि हजारों की तादाद में केस राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। जो भूमि रूपान्तरण न होने के कारण इण्डस्ट्रीज लग नहीं पा रही है: एग्रीकल्चर जमीन इण्डस्ट्री जमीन में ट्रान्सफर नहीं हो रही है, इसके कारण वहां पर इण्डस्ट्री लग नहीं सकती है। कैसे विकास हो, किस प्रकार देश विकसित देशों की श्रृंखला में आयेगा। मुझे सुनकर दुख होता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उद्योग के लिए वहां जल, बिजली, लेबर और फिर जमीन की जरूरत होती है।

श्री हरीश भामनानी : पहले जमीन होगी तब ही काम होगा।

श्री अध्यक्ष : कच्चा माल भी चाहिए।

श्री हरीश झामनानी : मेरा निवेदन है कि भू-रूपान्तरण की प्रक्रिया है उसको कृपया सरल किया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग लग सकें।

अभी जो आवंटन की नयी नीति हमने बनायी है वह कितनी सोचनीय है। मेरे को समझ में नहीं आता है। कुछ जिले इस प्रकार के जोड़े गये हैं जहां पर जनसंख्या के आधार पर, उनके औद्योगिक विकास को न देखकर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने पर या विकास के काम करने पर जो अनुदान दिया जाता है वह नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार की रीति नीति ठीक नहीं है। कोटा जयपुर, जोधपुर में अजमेर को शामिल करना ठीक नहीं है मेरी इस प्रकार की मांग है उद्योग मंत्री जी से कृपया इस पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अजमेर में लगाना चाहते है इण्डस्ट्री ?

श्री हरीश झामनानी : वहां पर औद्योगिक एरिया में लगायेंगे तो उसको अनुदान नहीं दिया जाता है इसलिए मैं निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप तो अजमेर की सारी सिचुएवेशन ही बिगाड़ देंगे। अभी अजमेर में जो थोड़ा बहुत है वह बिल्कुल नहीं रहेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बता दूं यह मांग करके कि शहरों के अन्दर ही उद्योग कन्स्ट्रेटेट न हों और खासकर पोल्युशन की सबसे बड़ी समस्या है वह और अधिक मात्रा में न बढ़े इसके लिए जो केपीटल इन्वेस्टमेण्ट सब्सिडी की स्कीम बनायी गयी है, जिसके द्वारा अनुदान दिया जायेगा। इसमें कुछ स्थानों को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसमें पुष्कर को छोड़िए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसमें पुष्कर नहीं है।

श्री हरीश झामनानी : मेरा निवेदन यह है उद्योग मंत्री से कि जब इस प्रकार की सुविधा सेल्स टैक्स से सम्बन्धित उस इण्डस्ट्रियल एरिया के लिये दी हुई है, यह क्यों दी हुई है जब सेल्स टैक्स एग्जेम्प्शन की रीति नीति उस इण्डस्ट्रियल एरिया में दी हुई है, तो यह अनुदान देने की बात ठीक नहीं है सोचना, और विशेषकर जो राजस्थान में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे अजमेर है, उसको विकसित शहरों से जोड़ना, यह ठीक नहीं है।

एक दिक्कत और भी आ रही है। अजमेर के अन्दर लगभग तीन सालों से लेकर नई इण्डस्ट्रियल एरिया का विकास होना यह सरकार के पास विचाराधीन है। गेदल क्षेत्र को कब विकसित किया जायेगा, इस प्रकार का सोच कई बार विधान सभा में बोलने के बाद भी, मंत्री जी से निवेदन करने के बाद, मंत्रीजी के कहने के बाद में कि गेदल को इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया जायेगा, अभी तक इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने भाषण में इसका उत्तर दें और स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।

इण्डस्ट्री को चलाने के लिये, जिस प्रकार मनुष्य के सभी अंग बिल्कुल सही

(श्री हरीश झामनानी)

काम कर रहे हों, उसकी आंखे, उसके कान उसकी नाक, उसके हाथ, उसके पैर, परन्तु यदि सांस नहीं है तो वह इन्सान मुर्दे के बराबर है, ठीक उसी तरह से उद्योग का काम करने के लिये बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है। बिजली की जो रीति नीति रही है वह इण्डस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने की रीति नीति रही है। एक तो मिनिमम चार्जेज जो हैं वह इण्डस्ट्रीज को बिल्कुल पनपाने जैसी नीति नहीं है। फिर उसके बाद, जो 60 हार्स पावर के ऊपर अपना ट्रांसफार्मर लगाने की रीति नीति रही है, यह इण्डस्ट्रीज को बर्बाद करने वाली स्थिति है। यदि किसी के पास 55 हार्स पावर का पूर्व से....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कान्क्रीट सजेशन्स दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी भूमिका बना रहे हैं। जैसे घंटी बोलेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने सुझाव बतायें।

श्री हरीश झामनानी : यदि किसी के पास 55 हार्स पावर का कनेक्शन है, और 5 हार्स पावर और बढ़ाना चाहता है, तो नया इक्विपमेंट लेकर, मशीनरी लगाकर करना चाहे, तो उसको 5 हार्स पावर बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये का नया ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, तब जाकर वह 5 हार्स पावर का नया कनेक्शन ले सकेगा। मेरा निवेदन है कि यदि इण्डस्ट्रीज को पनपाना है, तो यह हार्ड और फास्ट जो रीति नीति है, वह नहीं की जाय। पूर्व में जिस प्रकार की रीति नीति थी उसी तरह की नीति को लागू किया जाय।

अजमेर के क्षेत्र की राजस्थान से बिल्कुल विभिन्न स्थिति है। शाम को छः बजे से लेकर पावरकट किया जाता है इण्डस्ट्रियल एरिया में। कहा जाता है कि वह पीक आवर्स हैं। राजस्थान में इस प्रकार की रीति नीति और कहीं नहीं है, केवल अजमेर के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस कारण से जो इण्डस्ट्रीज तीन शिफ्टस में चल रही है, वह तो ब्रेक होती ही हैं पर यदि शाम को इण्डस्ट्रीज बन्द हो करके अपनी मशीनरी का मेन्टीनेंस कराना चाहें, तो वह मेन्टीनेंस कार्य भी नहीं करा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि इस प्रकार की रीति नीति को दूर करने की व्यवस्था की जाय।

लगभग पांच महीने होने को आये वहां पर जो संयुक्त निदेशक थे, उनको उस जगह से हटाकर जयपुर में उनको प्रमोशन हो गया है, और उनका स्थान रिक्त पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपा करके उस रिक्त स्थान को भरने की व्यवस्था की जाय।

जिला औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से हर माह मीटिंग होनी चाहिये। उस कमेटी के चेयरमैन कलक्टर रहते हैं हर जिले के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात करने, उनकी दैनिक आने वाली समस्याओं और दिक्कतों पर विचार करने के लिये, इस प्रकार की व्यवस्था है। उनका सैक्रेटरी जाइन्ट डाइरेक्टर होता है। इस कमेटी की मीटिंग कभी भी तीन चार महीने में भी नहीं होती है। मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में कि यदि औद्योगिक दृष्टि से अपन

(श्री हरीश भामनानी)

विकास चाहते हैं तो वह बैठक प्रति माह होनी चाहिये और यहां से भी, जयपुर से भी, कोई न कोई अधिकारी उस बैठक में भाग लेने के लिए आना चाहिये ।

परबतपुरा क्षेत्र के इण्डस्ट्रीयल एरिया की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि लगभग 3-4 वर्ष में मैं देख रहा हूं, वहां पानी की टंकी बनी हुई है पर कभी भी 3-4 वर्ष में एक बार भी नहीं भरी । इसके कारण जो वाटर बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं वे तो नहीं लग सकतीं बल्कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको पानी पीने की वहां पर व्यवस्था नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था पानी की इण्डस्ट्रीयल एरिया में की जाने की व्यवस्था करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आर.एफ.सी. और रीको के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति सब जितने भी माननीय सदस्यों ने कही, वह तो सामने है । मेरा यह निवेदन है, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया था कि रीको और आर.एफ.सी. के दफ्तर के बाहर तेलकी घाणी का निशान लगाना चाहिये ताकि वहां पर यह दीख जाय कि यहां आदमी का अर्क निकाला जाता है । जो इण्डस्ट्रीज लगाने का मानस रखे, यदि उसको अर्क निकलवाना हो अपने आप का, उसके मन में यदि कोई इच्छा आकांक्षा हो इण्डस्ट्री लगाने की हो, वह धूमिल करनी हो तो आर. एफ. सी. और रीको के दफ्तर में जाय, चक्कर काटते काटते उसकी इच्छा धूमिल हो जायेगी । इसलिए इस प्रकार की स्थिति को नहीं निर्मित करके इण्डस्ट्री लगाने वाले के मन में इच्छा है, उसकी आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिये कोई रीति नीति तय करनी चाहिये कि एक इण्डस्ट्री लगाने को यदि किसी ने एप्लीकेशन लगाई है तो कब तक पूरी होगी, उसको ऋण कब दिया जायगा । यह इस प्रकार की कोई रीति-नीति तय करनी चाहिये ।

ब्यावर की कृष्णा मिल काफी वर्षों से बन्द पड़ी है । हम जब विपक्ष में थे तो हमने मांग की थी इसको चालू करने के लिये । मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से कि उसको कृपा करके तुरन्त चालू करने की व्यवस्था करें ।

एक दो पाइन्ट और हैं । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि अपने बजट में उन्होंने सैरेमिक इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये, क्योंकि सैरेमिक इन्डस्ट्रीज का जो रा- मैटेरियल है, कच्चा माल है, अजमेर जिले में बहुत है । वहां से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, गुजरात महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में, जाता है । मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बजट में सैरेमिक इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, जो श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिये ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की जो घोषणा की है, मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि कृपा करके उसको शीघ्रातिशीघ्र खोलने की व्यवस्था करें ।

कच्चे माल की अजमेर क्षेत्र में कमी रहती है । रहती तो पूरे राजस्थान में है लेकिन अजमेर में बहुत अधिक कमी रहती है । 20-22 गेज की सी. आर. शीट्स और 24-26 गेज की जी. पी. शीट्स की

218

(श्री हरीश झामनानी)

बिल्कुल कमी रहती है। इसके कारण से जो आलमारी बनाने वाली इण्डस्ट्री है, उसको आये दिन तकलीफ रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि उसकी बराबर व्यवस्था हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

औद्योगिक कच्चा माल की खरीद पर पूर्व में हमारा जो बजट था, उसमें 3 पर्सेण्ट सैल्स टैक्स लगता था। सरकार ने उसको डेढ पर्सेण्ट करके इण्डस्ट्री को राहत दी है।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट समाप्त हो गये हैं। 15 मिनट।

श्री हरीश झामनानी : एक सैकण्ड और।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड ही बोलिये।

श्री हरीश झामनानी : मेरी प्रार्थना रहेगी, यहां पर डेढ़ पर्सेण्ट पर जो कच्चा माल खरीदे, क्योंकि उद्योग में काम आने वाला जो भी माल बनता है, उस पर सैल्स टैक्स लगता है। इसलिये डेढ़ पर्सेण्ट का बाकी जो सैल्स टैक्स है, उस पर भी कृपा करके एग्जेम्पट करने की व्यवस्था की जाय।

सैल्स टैक्स जमा करने की इण्डस्ट्रीयल एरिया में लगभग 30 साल हो गये, सैल्स टैक्स जमा करने की प्रक्रिया चालू है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सैल्स टैक्स जमा करने करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये स्थिति यह होती है कि 10 किलोमीटर–15 किलोमीटर वहां से चल करके लोग सैल्स टैक्स जमा कराने स्टेट बैंक आफ इण्डिया में आते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कोई आदमी जो कि पीयोन टू पार्टनर खुद काम करता है, स्वयं काम करता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय से कि कृपा करके ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां पर सैल्स टैक्स जमा कराने की व्यवस्था हो, जाय इण्डस्ट्रीयल एरिया में।

नई मशीनरी के परचेज करने के लिये राज्य सरकार की रीति–नीति बनी हुई है कि नई मशीन के आने पर चुंगी एग्जेम्प्ट की जाती है। लेकिन जो ज्वाइण्ट मीटिंग की जाती है, ज्वाइण्ट मीटिंग के मायने नगर परिषद् के अधिकारी और इण्डस्ट्री के अधिकारी, वे मिलकर के ज्वाइण्ट मीटिंग करते हैं, करते बहुत दिनों में हैं, इसके कारण नई मशीनरी पर जो एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिये, वह नहीं मिलने के कारण से लाखों रुपये की पूंजी उद्यमी बन्धुओं की नगर परिषद् के पास जमा पड़ी है जो रिफण्ड नहीं होती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के स्पष्ट आदेश दें कि वहां यदि कोई नई इण्डस्ट्री लगायेगा, उसमें मशीनरी लगायेगा, उसको चुंगी मुक्त करने के लिये प्रमाण पत्र देने के लिये वहां के ज्वाइण्ट डायरेक्टर सक्षम होना चाहिये और उसी के आधार पर चुंगी मुक्त करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री हरीश झामनानी : आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग पर लगभग 118 कटौती प्रस्ताव आये हैं और 18 माननीय सदस्यों ने वाद–विवाद में भाग

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

लिया है। कटौती प्रस्ताव और वाद–विवाद में नीतिगत प्रश्न भी उठाये गये और विशेष समस्याओं को लेकर भी प्रश्न उठाये गये। वाद–विवाद में जिस गंभीरता से और ठोस सुझावों के द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। अध्यक्षजी, यह सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चाहे उस ओर बैठने वाले हों, चाहे इस ओर बैठने वाले हों, चाहे वह शहरी अंचल के रहने वाले हों, चाहे किसान अंचल के रहने वाले हों या वह किसी भी वर्ग से आये हों, किसी भी सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हों, सबने एक स्वर से इस बात की मांग की है कि जिस प्रकार से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और नौकरी के अन्य और कोई साधन नहीं हैं, उनमें केवल उद्योगों का प्रसार ही एकमात्र कारण बन सकता है और इस नाते सब सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की है। अध्यक्ष जी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्वयं नयी औद्योगिक नीति बनायी और इस औद्योगिक नीति को लाने के पहले गत सत्र के अन्दर इसका प्रारूप पेश किया, प्रारूप पेश करने के बाद अनेक सुझाव आये, विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हुई और बाद में इस औद्योगिक नीति को 3 दिसम्बर, 1990 को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी और आज अपने प्रदेश के अन्दर नयी औद्योगिक नीति लागू है। जितने भी मुद्दे उठाये गये हैं, चाहे वह लेबर इन्सेंटिव, कारखाने राजस्थान में लगाये जायें, इस बात को लेकर हो, चाहे पर्यावरण देश के अन्दर अधिक न फैले इस बात को लेकर हो, चाहे हमारे प्रदेश के अन्दर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर आधारित लगे कारखानों को प्रोत्साहन देने का सवाल हो, इन सारे सवालों को ध्यान में रखकर ही इस नयी औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ है और इस नाते मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, जो औद्योगिक नीति बनाते समय विशेष बातें हमने ध्यान में रखी हैं और जिनका उल्लेख किया है, उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता प्रकट की कि अगर हमें राजस्थान में उद्योगों को आकर्षित करना है तो हमें हर प्रकार के इन्सेंटिव देने पड़ेंगे, कई मामलों के अन्दर छूट देनी पड़ेगी और तभी सम्भव होगा कि जो उद्योगपति स्वार्थी होते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, वह अन्य प्रदेशों में न जाकर राजस्थान में ही आयें। इस बात के लिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किसी सीमा तक कहा था, लेकिन उन्होंने यह बात जरूर कही कि हमें केन्द्रीय सरकार के पास जाकर यह दबाव डालना चाहिये कि उद्योग लगाने के लिए छूट देने में विभिन्न राज्यों के अन्दर प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस प्रतिस्पर्धा को रोका जाये और मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रश्न को जिस समय नेशनल डवलपमैण्ट कौन्सिल की मीटिंग हुई थी तब इसको बड़े जोरादार शब्दों से उठाया था और मांग की थी कि इस प्रकार की दौड़ इन्सेंटिव देने में हमको नहीं करनी चाहिये लेकिन फिर भी वस्तु स्थिति यह है कि विभिन्न प्रदेशों की सरकारें अपने–अपने प्रदेशों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के इन्सेंटिव दे रही हैं और इसलिए राज्य सरकार ने भी इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर,

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

खासकर जो अपने पड़ौसी राज्य हैं, उनके सैल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को देखकर, उसके द्वारा उद्योगों को जो सुविधाएं दी जा रही है, उनको ध्यान में रखकर सारा प्रावधान अपनी इस औद्योगिक नीति में एक साथ किया है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज राजस्थान में इस औद्योगिक नीति में जहां तक छूट देने का सवाल है, जहां तक उद्योगपतियों को आकर्षित करने का सवाल है, आज किसी भी प्रदेश से पीछे नहीं है। हमने इस औद्योगिक नीति में जो पूंजी विनियोजन अनुदान, केपिटल इन्सेंटिव स्कीम लागू की है. उसमें हमने यह भी ध्यान रखा है कि राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। केवल कुछ जगहों को ही पिछड़ा घोषित कर दिया जाये, यह काफी नहीं है। हो सकता है कुछ बड़े शहरों के अन्दर औद्योगिकरण हुआ हो, लेकिन जिले तो खाली पड़े हैं और इसलिए जब हमने केपिटल इन्सेंटिव स्कीम बनाई, उस स्कीम के अन्दर केवल अपवाद रूप में कुछ बड़े बड़े शहर हमने छोड़े, इसके अलावा उसका लाभ बिना भेदभाव के सारे राजस्थान को दिया जायेगा और इसी नाते लघु उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम और वृहद उद्योगों को राजस्थान में 15 प्रतिशत तक का पूंजी विनियोजन अनुदान दिया जायेगा और जिसकी सीमा 15 लाख रुपये की है, लेकिन इसके विपरीत राज्य में लगने वाले निम्नलिखित उद्योगों में पूंजी विनियोजन का 20 प्रतिशत तक का पूंजी विनियोजन अनुदान दिया जायेगा, जबकि मीडियम और लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज को हमने केवल 15 प्रतिशत दिया और 15 लाख रुपये पर उसकी हमने सीलिंग कर दी। इसके मुकाबले लघु एवं एंसीलरी उद्योग, राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित चयनित उद्योग, राज्य में अप्रवासी भारतीयों द्वारा लगाये जाने वाले उद्योग और शत–प्रतिशत निर्यात करने वाले उद्योग, इनकी सीमा 20 प्रतिशत रखी और 20 लाख रुपये तक इसी सीलिंग, तो इससे दृष्टिगत हो जायेगा कि हमने इस औद्योगिक नीति को बनाने के लिए यह पूरा ध्यान रखा है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये। जो चीजें हमारे राज्य के अन्दर उत्पादित होती हैं, उन पर आधारित जो कारखाने लगाये जाते हैं उनको हम अपनी ओर अधिक से अधिक आकर्षित करें और इसी आधार पर यह केपिटल इन्सेंटिव स्कीम एक अप्रेल, 90 से राजस्थान के अन्दर लागू हो गई हैं। अध्यक्षजी, इसके अलावा जो अनिश्चितता बनी रहती थी, कभी भी कोई छूट दी गई और उसे वापस ले लिया गया और नतीजा यह होता था कि उस विश्वास के आधार पर उद्योग आ जाते थे, लेकिन बाद में वह छूट वापस ले लेने के कारण उद्योग सिसक जाते थे, पैसे की कमी आ जाती थी और इसीलिए हमने निश्चय किया कि 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो कुछ भी छूट हम दे रहे हैं, जो कुछ भी प्रोत्साहन हम दे रहे हैं, वह 8 वीं पंचवर्षीय योजना तक लागू रहेगा और इस नाते जो अभी तक राजस्थान के अन्दर सैल्स टैक्स इन्सेंटिव डिफरमैण्ट स्कीम 1987 और 89 थी, जो 92 तक के अन्दर समाप्त होने वाली थी, उसकी मार्च 1995 तक हमने सीमा बढ़ा दी। इसके द्वारा अनेकों छूट दी गई। इसी प्रकार इसको भी लागू कर दिया गया। इसके सम्बन्ध में जितने नोटिफिकेशन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

निकालने थे, सब निकाल दिये गये हैं। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुंगी के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिये, इस औद्योगिक नीति के अन्दर हमने बहुत स्पष्ट किया है कि कच्चा माल व उस कारखाने के लिए प्लाण्ट, व मशीनरी जो भी आयातित होंगे, उन्हें 5 वर्ष तक चुंगी से छूट रहेगी। यह केवल औद्योगिक नीति के अन्दर ही हमने घोषित नहीं किया बल्कि डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने भी इस आधार पर अपने स्पष्ट निर्देश सारी नगरपालिकाओं को भेज दिये हैं और इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये (व्यवधान)। इसी प्रकार से अभी तक भूमि के अर्जन के मामले में बड़ी दिक्कतें आती थीं, डबल–डबल पेमेण्ट करना पड़ता था, जो जमीन सरकार रीको के द्वारा खरीदे या उसको पूंजीपति कारखाना लगाने के लिए खोलें, तो वह जमीन का मूल्य तो अलग देता था और इसके अलावा उसको इतना ही प्रीमियम के रूप में रुपया और जमा कराना पड़ता था, यानि डबल खर्चा आता था। इस औद्योगिक नीति के अन्दर हमने इसको समाप्त कर दिया है, किसी प्रकार का प्रीमियम इस पर नहीं लिया जायेगा और इसके सम्बन्ध में भी रेवेन्यू डिपार्टमैण्ट ने आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिये हैं। इसी प्रकार से अभी तक जो सीलिंग थी, खातेदारी भूमि को इण्डस्ट्रियल परपज में कन्वर्ट करने के लिए उसकी सीमा केवल 500 स्क्वायर मीटर थी, अब इसको बढ़ाकर एक हजार स्क्वायर मीटर कर दिया है, इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसी प्रकार से बंद इकाइयों के बारे में सभी लोगों ने बड़ी चिन्ता प्रकट की है और यह वास्तव में ठीक है कि हमारा इतना अधिक पूंजी का विनियोजन कारखानों में हो, और वह कारखाने बंद हो जाये, तो उन कारखानों को चालू करने के लिए सरकार की कोई नीति होनी चाहिये। किसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर इण्डस्ट्री के लिए समय–समय पर निर्देश दिये जायं राज्य सरकार से, औद्योगिक विभाग से, ऐसा न करके निश्चित नीति तय कर दी है कि ये ये आधार होंगे जिन आधार पर यदि कोई उद्योग रुग्ण हो जाता है तो उसको उनका लाभ दिया जायेगा। यह नीति हमने अपनी औद्योगिक नीति में स्पष्ट की है।

इसी प्रकार ये जो उद्योग रुग्ण होते हैं उन उद्योगों को मानीटर करने के लिए कि उद्योग क्यों बीमार हुआ या उद्योग को वापस चालू करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, वह चालू करने लायक है या नहीं, डे टु डे, समय समय पर हर एक उद्योग के सम्बन्ध में डायरेक्टर, इण्डस्ट्रीज में एक स्पेशल सेल बना दिया गया है और उस स्पेशल सेल का इन्चार्ज डिप्टी सैक्रेटरी को बनाया गया है। इसी प्रकार इन रुग्ण उद्योगों को देखने के लिये, इनके समाधान हेतु, इन पर अपने सुझाव देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जिला एडवाइजरी कमेटी में एक सब कमेटी बना दी गयी है। अभी एक सवाल आया कि उद्योगपति चक्कर काटते फिरते हैं, जलील होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं, तो कोई समाधान निकाला जाय। यह बहुत समय से अनुभव किया जा रहा था। हमने अपनी औद्योगिक नीति में प्रस्तावना दी थी कि राज्य सरकार ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन, जिसे बी.

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आई. पी. कहते हैं, की स्थापना करेगी। मैं सदन को सूचित करता हूं कि ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन का गठन कर दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। शीघ्र ही यह इकाई अपने सचिवालय में काम करना आरम्भ कर देगी। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल है। राजस्थान से काफी निर्यात होता है। आवश्यकता थी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल हो। इसका पुनर्गठन करके एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल का भी गठन कर दिया गया है। जो और कुछ सुविधाएं हमने दी थी कि कोई कारखाना डी. जी. सैट लगाना चाहता है वह स्कीम हमने पारित कर दी है। टैस्टिंग इक्विपमेन्ट सब्सिडी चाहता है वह स्कीम हमने घोषित कर दी है, बल्कि आई.एस.आई. मार्क लेने के लिए जो सब्सिडी थी उस सब्सिडी को भी हमने दुगना कर दिया है। इस प्रकार जिन प्रमुख बातों की हमने अपने औद्योगिक नीति के अन्दर घोषणा की थी उन सबका समावेश कर दिया गया है, समावेश ही नहीं उनके सम्बन्ध में आवश्यक कानून, आवश्यक निर्देश, आवश्यक नियम जो बनाने थे वे भी सम्बन्धित विभागों ने जारी कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने बिजली की समस्या का जिक्र किया। यह सच है कि बिजली की समस्या है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग अन्य विभागों के साथ साथ मिलकर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उद्योगों की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में जिस प्रकार उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये उसको देखकर शीघ्र ही दोनों के बीच फैसला हो जायगा इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय लेकर उचित निर्देश दे दिये जायेंगे।

अध्यक्ष जी, एक इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा हुई कि मानो राजस्थान में उद्योग नहीं आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो हम चाहते हैं, तसल्ली कभी नहीं होनी चाहिये; सन्तोष कभी नहीं होना चाहिये। जितना औद्योगीकरण राजस्थान का हो, आवश्यक है, होना चाहिये, उसमें गति आनी चाहिये। जो अधिकारी कर्मचारी हमारे हैं। उद्योग विभाग से जुड़े हुए उनको संवेदनशील होना चाहिये। उनको संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका पुनर्गठन किया जा रहा है, चाहे वह आर. एफ. सी. हो, रीको हो। इसके लिये डिफरेन्ट सेल बनाये गये हैं। इन्फार्मेशन प्राप्त करने के के लिए डिफरेन्ट सेल बनाये गये हैं। अगर कोई कम्प्लेन्ट आती है तो उसके लिये डिफरेन्ट सेल बनाये गये हैं। लेकिन कमियां हैं, मैं मना नहीं करता हूं। आप लोगों ने कुछ भ्रष्टाचार की बात की, उसको भी इन्कार नहीं करता, लेकिन इन पर अधिक से अधिक अंकुश लगाया जा सके, अंकुश लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। टाइमबाउन्ड प्रोग्राम दिया जा रहा है कि इस पीरियड के अन्दर प्रोजेक्ट की क्लीयरेन्स हो जानी चाहिये, इस पीरियड के अन्दर उनका लोन सैंक्शन हो जाना चाहिये, इस पीरियड के अन्दर उनके लोन का डिस्बर्समेन्ट हो जाना चाहिये। लेकिन फिर भी डिस्क्रिशन हर जगह पर आता है, उसको कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

इस नाते हम कण्ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मैं जरूर हाउस के अन्दर कह सकता हूं कि जब कभी कोई प्रोजेक्ट पेश किया जाय, उसका एप्रेजल हो तो किसी उद्योगपति ने, उद्यमी ने अगर कोई किसी प्रकार की कमियां अपने उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में रखी हैं तो उसको एक बार ही सारी शिकायतें दे दी जायं। यह न हो कि बार बार उनकी पुनरावृत्ति की जाय। वह एक की पूर्ति कर दे फिर दूसरी बता दी, दूसरे की पूर्ति कर दे फिर तीसरी बता दी जाय। जितनी कमियां हैं एक बार बता दी जायं ताकि वह उद्यमी जो कारखाना लगाना चाहता है उन सबकी एक बार पूर्ति कर दे, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वित्त निगम द्वारा वर्ष 1991 में तीन हजार इकाइयों को 110 करोड़ रुपये का ऋण सेंक्शन किया गया है। उसके मुकाबले ऋण वितरण 67 करोड़ का किया गया है। अभी मार्च, 1991 में वित्त विभाग के पास 635 इकाइयों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं, जिन पर 19 करोड़ 21 लाख रुपये का विनियोजन अपेक्षित है। इसलिये यह कहना कि कारखाने राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, भ्रान्ति है। साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि काफी अप्रवासी राजस्थान में आये हैं। और सीमेण्ट के कारखानों के लिए तो एक तरह से भीड़ लग रही है। अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सीमेन्ट को आकर्षित करना चाहिये, यहां आने चाहिये, एक भी सीमेन्ट का कारखाना राजस्थान में नहीं आ रहा, सारे के सारे मध्य प्रदेश में चलते चले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा, अध्यक्ष जी कि इसी बजट में नये बड़े सीमेन्ट उद्योग के लिए सेन्ट्रल सैल्स टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट तथा राजस्थान सैल्स टेक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है, बल्कि बिलाड़ा में तो रीको स्वयं के पास माइन लीज है। उस माइन लीज के आधार पर एक बड़ा सीमेन्ट का कारखाना लगे इस नाते 10 लाख मैट्रिक टन की क्षमता का कारखाना खोलने के लिये रीको ने एडवर्टाइज किया है। हमें प्रसन्नता है कि इस एडवर्टाइजमैन्ट के रैस्पौंस में एक व्यक्ति नहीं एल. एन्ड टी., बिड़ला ग्रुप, बांगड़ ग्रुप, सौराष्ट्र गवर्नमैन्ट, गुजरात गवर्नमैन्ट सब लोगों ने उसमें आवेदन किये हैं, यानि कम्पिटीशन में लोग कूद कूद कर आ रहे हैं। इसलिये यह कहना कि सीमेन्ट का कारखाना नहीं आ रहा, भ्रान्ति है। बीसियों मिनी सीमेन्ट कारखानों की स्वीकृति दे दी गई है। कई सीमेन्ट कारखाने ऐसे हैं जो पाइप लाइन में चल रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इसी प्रकार इलैक्ट्रोनिक उद्योगों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए जो इन्सेण्टिव दिया गया गया है वह मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में इलैक्ट्रोनिक्स को आकर्षित करने के लिये, हमने जो छूट दी है, जो आकर्षण दिये हैं उनमें गुजरात की सरकार भी हम से पीछे है। हम चाहते हैं कि इलैक्ट्रोनिक के अधिक से अधिक कारखाने यहां पर आयें। इसी का परिणाम है

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कि समतल ग्रुप जो लगभग 300 करोड़ का विनियोजन करने वाला है....

श्री हेमराज मीणा : प्रति वर्ष कितनी छूट दी है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वही जो सेल्स टैक्स डैफरमेंट स्कीम है सात साल की, 5 साल की ।

श्री हेमराज मीणा : कितने साल की ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अलग अलग है, पांच साल की भी है, सात साल की भी है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय मंत्रीजी समतल जो कारखाना लगा रहा है वह तो टीवी ट्यूब बना रहा है, वह इलैक्ट्रोनिक्स नहीं है, उसको इलैक्ट्रोनिक्स नहीं कह सकते ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह इलैक्ट्रोनिक्स में है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : अब आप मर्जी हो सो कह दो ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं अभी आपको बता रहा हूं कि और कौन कौन से कारखाने आ रहे हैं ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त निगम ने 1991–92 के लक्ष्य निर्धारित किये है कि इस बार जो उन्होंने 1:0 करोड़ दिये हैं उनके मुकाबले 1991-92 में 150 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करेंगे और उसके मुकाबले 100 करोड़ के ऋण वितरित किये जायेंगे । इस प्रकार हम कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं । इसी प्रकार रीको द्वारा इण्डस्ट्रीज़ के साथ टाइड अप कर लिया गया है, मीमो आफ अण्डरस्टेण्डिग हो गया है जिन्होंने जमीनें अलाट करा ली हैं, जिन्होंने जमीनों के लिए एप्लाई कर दिया है । ऐसी बड़ी कम्पनियां लगभग 13 हैं इन 13 कम्पनियों के लिये 65522 लाख रुपये का विनियोजन अपेक्षित है । इसी प्रकार लार्ज प्रोजेक्ट जिन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनसे बातचीत चल रही है, हमें आशा है कि राजस्थान में लार्ज प्रोजेक्ट आयेंगे, इस प्रकार की 36 कम्पनियां हैं जो कि राजस्थान में दो लाख 33 हजार 68 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमैण्ट करने की स्थिति में हैं । इसलिये यह कहना कि राजस्थान में नये उद्योग नहीं आ रहे हैं, या नये उद्योग आने की गति धीमी है, मैं समझता हूं, भ्रान्ति है । हो सकता है कि हमारा सूचना तंत्र या प्रचार तंत्र....

श्री रामकरण सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि आने की आशा है, लेकिन आपकी लालफीताशाही उनको निराश कर देगी और वे वापस लौटेंगे, यह देख लेना । खुल जायं तब मुझे कहना ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अभी तो आप कह रहे थे कि एक भी नहीं आ रहा । इतने आवेदन आ तो रहे हैं ।

श्री रामकरण सिंह : आये हैं लेकिन आ नहीं सकते । खोलने के बाद बात करो, खोलकर फिर बाद में कहना ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में नही बोलें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं माननीय सदस्यों की भावना को अच्छी तरह जानता हूं। आपने कहा कि रेड टेपिज्म है, मैंने भी मना नहीं किया, है। जितना अधिक से अधिक प्रशासन को, जितना अधिक से अधिक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग को संवेदनशील भावना से बनाया जाकर जिस भावना से सरकार राजस्थान में उद्योगों को लाने के लिये उतावली है, हम प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि किसी सीमा तक सफल भी हुए हैं और इसमें निराशा नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं साथ-साथ यह सीमेन्ट कारखानें जो राजस्थान में आ चुके हैं रणकपुर सीमेंट लिमिटेड, कोटड़ा, इनको आशय-पत्र उदयपुर के लिये मिल चुका है, जुआरी एग्रो इण्डस्ट्रीज माण्डलगढ़ के लिये, बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज यह अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं, इनको 9 लाख मैट्रिक टन से 14 लाख मैट्रिक टन के लिये, ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज शम्भूपुरा-इनका आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है. मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड, शम्भूपुरा, मैसर्स हिन्दुस्तान एग्रो इण्डस्ट्रीज, शम्भूपुरा, इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज, शम्भूपुरा, लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, माण्डलगढ़-इस प्रकार से यह आशय-पत्र इनको मिल चुके हैं, आशय-पत्र के लिये एप्लाई किया हुआ है। तो यह कहना कि सीमेन्ट के कारखाने राज-स्थान के अन्दर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लाइम स्टोन का राजस्थान में इतना भण्डार है मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि बड़े से बड़े उद्योग, बड़े से बड़े घराने आज लाइम स्टोन के आधार पर सीमेन्ट के कारखाने राजस्थान में लगाने के लिये उतावले हैं और आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : आ जायेंगे, आ जायेंगे श्री रामकरणसिंह जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो राजस्थान के अन्दर आ रहे हैं जिनसे हमारा टाइड अप हो गया है, सब बातें कम्पलीट हो गई हैं—समतल ग्लास प्रोजेक्ट एट कोटा, 350 करोड़ रुपए का, मैथालोल प्रोजेक्ट कोटा, जो बलारपुर इण्डस्ट्रीज का है 100 करोड़ रुपए का है, ए. बी. एच. रेफरीज, आबू रोड, ग्रिविस काटन वालों के साथ 20 करोड़ रुपए का, टूल रूम यह क्राम्पटन ग्रीव्ज के साथ है, जयपुर के अन्दर 20 करोड़ रुपए का, वैस्टर्न इलेक्ट्रोनिक्स भिवाड़ी में 15 करोड़ रुपए का, दो साल-वेन्ट इलेक्ट्रोनिक्स रसायनिक प्लान्ट जिसमें 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा-कोटा और बून्दी के अन्दर। इसी प्रकार से इन्टर ग्रेटेड ग्रेनाइट प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए का, 10 आ रहे हैं इस प्रकार के। महा-राजा इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स 10 करोड़ का....

श्री हेतराम बेनीवाल : कोटा आ रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोटा में आने का कारण है वह गैस लाइन है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि गैस लाइन आपके यहां आ रही है तो कोशिश यह कर रहे हैं कि गैस लाइन के आधार पर जितने प्रोजेक्ट्स हम ले सकें,

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जितना लाभ हम उसका ले सकें लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक संस्कृति जो बननी चाहिये उसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बनाने में हम सफल हुये हैं और अच्छे से अच्छे उद्योग राजस्थान के अन्दर आने के लिये आकर्षित हैं, क्योंकि हम हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं बल्कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया उस बजट के अन्दर भी आपने देखा होगा कि इस बात का भी ध्यान बड़ा माइन्यूटली रख रहे हैं सैल्स टैक्स की रेट में अन्तर होने के कारण हमारे उद्योग या व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अन्य राज्यों के कारण तो उसमें भी नुकसान खा करके अपने सैल्स टैक्स की रेट को कम किया है और हम करने का प्रयास करते हैं फिर यह तो निरन्तर प्रक्रिया है, कन्टीन्यूअस प्रोसेस है। आज कुछ सुझाव आये हैं उन सुझावों का हमने समावेश किया है। कल यह लगता हैं कि किसी कारखाने के आने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रेस्टीजिअस प्रोजेक्ट हमारे यहां आना चाहता है और उसको लाना जरूरी है तो जो सुविधा हमको देनी है वह सुविधा भी देंगे लेकिन राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक उद्योग आयें इसका हम प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा कई योजनायें जो ठण्डी पड़ गई थीं वापस उनको चालू किया गया है जिनको वन विण्डो स्कीन भी कहा जाता है जैसे शिल्प बाड़ी योजना, अनुसूचित जाति, जन जाति योजना, महिला उद्यमी योजना, सेन्टेक्स—इन योजनाओं को भी हाथ में लिया गया है और 1990-91 के अन्दर अनुसूचित जाति/जन जाति योजना पर 223 लाख रुपए खर्च किया गया है, महिला उद्यमी योजना पर 201 लाख रुपए सैंक्शन किया गया है, सैन्टेक्स पर 207 लाख रुपया सैंक्शन किया गया है और ऋण की सीमा आर. एफ. सी. की जो अभी तक 60 लाख रुपये तक की थी, 60 लाख रुपये तक का ही ऋण दे सकती थी, उस सीमा को बढ़ाकर के 90 लाख रुपए कर दिया गया है, 90 लाख रुपये का ऋण सैंक्शन होने के बाद साढ़े 7 लाख रुपये तक की सैंक्शन ब्रांचेज लेवल पर ही हो जायेगी और ब्रांचेज को 40 लाख रुपए तक के ऋण वितरण का अधिकार दे दिया गया है और इस प्रकार से सैंक्शन की और डिस्बर्समेंट की पावर सैन्टरलाइज्ड थी उसको डी—सेन्ट्र—लाइज्ड कर दिया गया है, ब्रान्चेज को अधिकार दे दिया गया है।

इसी प्रकार से आप बता रहे थे कि हमको भागना पड़ता है, उद्यमियों को परेशान होना पड़ता है इसके लिये जन—अभाव अभियोग सैल बना दिया गया है, इसी प्रकार से बिजनैस प्रमोशन सैल बना दिया गया है, जोनल आफिसर्स को रेस्पोन्सिबिल कर दिया गया है डिफरेन्ट एरियाज के लिये कि आपकी जिम्मेदारी है वहां के रिपोर्टिंग की। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिड्यूल्ड कास्ट/ट्राइब्स एरिया के लिये कुछ नहीं किया गया है मैं उनकी सूचना के लिये कहना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के लिये पहले से ही अलग से योजना

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

है, सैल्स टैक्स की दृष्टि से, इन्ट्रेस्ट की दृष्टि से हर प्रकार की सुविधायें दी हुई हैं और स्वयं वित्त निगम ने जो अभी तक आधा पर्सेन्ट अन्य लोगों के, सामान्य लोगों के मुकाबले में जो इन्ट्रेस्ट में लाभ दिया जाता था, उस आधे पर्सेन्ट को बढ़ाकर 1 पर्सेन्ट ब्याज की छूट कर दी है। यह इस प्रकार की एक स्थिति है।

इसी प्रकार से रीको ने अपने नये औद्योगिक क्षेत्र के लिये भूमि का चयन आरम्भ कर दिया है। हम कह रहे हैं कि कारखाने नहीं आ रहे हैं। यह जरूर है....

श्री अध्यक्ष : लोग सब थक रहे हैं। इसलिये जल्दी जल्दी कर दीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : चलने दें साहब, थक नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अच्छा जल्दी निपटा देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां पर इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से कन्सट्रेशन हो रहा है, चाहे वह बहरोड़ हो, चाहे वह भिवाड़ी हो, शाहपुरा हो, चाहे अजमेर का एरिया हो, चाहे आबू का एरिया हो और चाहे उदयपुर का एरिया हो, जहां जहां पर इण्डस्ट्रीज का एट्रेक्शन है, वह दौड़ दौड़ कर इन एरियाज में आ रहे हैं। यह सच है कि उद्योग बिखरने चाहिये लेकिन यह सब कुछ कहते हुए स्थिति यह है, अध्यक्ष जी, देहली हैड क्वार्टर होने के कारण, रा–मैटेरियल की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से अधिक से अधिक लोगों का एट्रेक्शन रहता है कि दिल्ली के पास आयें या ऐसी जगह जायं जहां जहां अहमदाबाद के पास हो तो स्वाभाविक रूप से इण्डस्ट्रीज उस तरफ जा रही हैं लेकिन अधिक से अधिक क्षेत्र जमीनें अवाप्त की जाकर के रीको अपने हाथ में लें, डवलपमेन्ट करके, प्लाट बनाकर के इण्डस्ट्रीज को दे इसका प्रयास किया जा रहा है और मुझे आशा है कि अप्रेल और मई के अन्त तक जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें यह समस्या नहीं रहेगी कि वहां जमीनें नहीं है।

श्री हरीश भामनानी : अप्रेल और मई के अन्दर अन्दर ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हां, आपके बारे में जो चक्कर चल रहा है वह टाउन प्लानिंग का चल रहा है।

श्री हरीश भामनानी : टाउन प्लानिंग का है ही नहीं साहब।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्षजी, मैं थोड़ा इनको संतुष्ट कर दूं।

थानागाजी के लिये माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था कि इण्डस्ट्रीयल एरिया घोषित किया जाय, जवाब का उत्तर भी गया है। जैसे ही पानी की फिजिबिलिटी की रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी....

श्री रमाकान्त शर्मा : सर्वे टीम मेरे साथ गई थी उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पानी हमको उपलब्ध हो जायेगा, पानी वहां पर है, जैसी ही यह रिपोर्ट आई निश्चत रूप से हम....

श्री रमाकान्त शर्मा : पानी की उपलब्धि के आधार पर ही स्थान तय किया गया है आपकी टीम द्वारा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसी प्रकार से, अध्यक्ष जी, सावाईमाधोपुर के बारे में जो कहा गया....

श्री हीरासिंह चौहान : सवाई माधोपुर के साथ साथ कृष्णा ब्यावर मिल भी है। उसके बारे में भी आप।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कृष्णा मिल की बात आपने उठायी है, मैं पहले कृष्णा मिल की बात कह देता हूं, कृष्णा मिल के बारे में बी. आई. एफ. आर. के सामने मामला है, दो प्रमुख पार्टियां जो राजस्थान सरकार के पास आयीं थीं--एक तो है बजरंग इस्पात यह आसाम के रहने वाले हैं, अप्रवासी राजस्थानी हैं, यह आये हैं और एक मिस्टर मालानी हैं, जो दिल्ली के भी हैं और बोम्बे में इण्डस्ट्रीज चलाते हैं, इनके अलावा दो छोटे छोटे लोग आये हैं। उन दोनों की एप्लिकेशन्स को हमने बी. आई. एफ. आर. के सामने भेजी है कि जिनको उपयुक्त समझते हैं, उचित समझते हैं यह कारखाना उनको दे दिया जाय ताकि चालू हो जाय। और हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही बी. आई. एफ. आर. अपना निर्णय ले लेगी क्योंकि हम मजबूर हैं कि राजस्थान सरकार को कारखाना चलाने वाला मिल सके, जो चलाने वाला है उसको भेज सकती है और भेजने के बारे में निर्णय बी. आई. एफ. आर. को करना पड़ेगा और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय हो जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उद्योग मंत्री जी हम आपसे यह जानकारी चाहेंगे कि कब तक, कोई निश्चित तिथि हो, महीना, दो महीना, साल, छः महीना ताकि हम लोगों को कह तो सकें कि कितने ही परिवार बेकार हो रहे हैं, कइयों की देनदारियां बाकी हैं, कई बकाया बाकी हैं, वहां पर लाखों रुपए का कपड़ा पड़ा है। तो कब तक आप इसको प्रारम्भ कर सकेंगे इसके बारे में, क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव भी आने वाले हैं, हम लोगों को क्या कहेंगे, स्थिति क्या बतायेंगे कि यह अब तक शुरू क्यों नहीं हुई ?

श्री हरीश भामनानी : मेरा भी इस सम्बन्ध मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि कब तक इसको चालू कर देंगे, महीना, दो महीना, अप्रैल, मई, जून तक, कब तक चालू कर देंगे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : तारीख चुनाव के बाद की ही रखें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप ज्यादा करेंगे तो हर एक अपनी अपनी बात कहेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णा मिल वाली बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी और सारी बातों से हम सन्तुष्ट हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण समस्या सवाई-माधोपुर वाली और ब्यावर वाली है इसीलिए निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : बी. आई. एफ. आर. के पास पड़ी है वह तय करेगा तब करेंगे ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, सिर्फ यह कह देना सरकार ने तो कह दिया चला ले कोई भी, सरकार का खुद का क्या उत्तरदायित्व है, मंत्री महोदय आपका क्या उत्तरदायित्व है, कैसे चलेगा, इसकी कोई योजना बनानी पड़ेगी आपको....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष जी, और भी जो उद्योग बन्द थे उनके बारे में भी कोई टाइम बाउण्ड कार्यक्रम आना चाहिए। ग्रेनाइट के ऊपर भी टैक्स आप कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? राजस्थान में ग्रेनाइट का अपार भण्डार है, उसके बारे में भी कुछ कहिए मंत्री जी।

श्री हेतराम बेनीवाल बी. आई. एफ. आर. को उसका अनुभव क्या है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ऐसा है कानून के अधीन बी. आई. एफ. आर. को केस रेफर करना अनिवार्य है कानूनन। लेकिन यह सत्य है कि बी. आई. एफ. आर. में बहुत समय लगता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बी. एफ. आई. आर. का जो अनुभव है सिर्फ राजस्थान का नहीं, जिस जगह भी इनको रेफर होता है इसका मतलब बर्फ के कारखाने में गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अलग से बिन्दु उठा सकते हैं। बीच में काहे को बोल रहे हैं। मैं सवाई माधोपुर के बारे में बात कर रही हूं आप पता नहीं काहे के बारे में बोल रहे हैं। मुझे यह जवाब दे सरकार कि क्या केवल वह देने मात्र से हो जाएगा या व्यवस्थात्मक रूप से सवाई-माधोपुर और कृष्णा मिल के बारे में कोई कदम उठाने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : उजला जी, सब थके हुए हैं बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर का मामला बहुत ही महत्व-पूर्ण है साहब। सरकार ने पहले भी घोषणा की थी इसकी और आज तक फैक्ट्री चालू नहीं हुई। चार हजार श्रमिक बेकार पड़े हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : अब तक कहां थे आप। माननीय उजला जी बिराजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह बता दें कि व्यवस्थात्मक रूप से कुछ करने वाले हैं। केवल घोषणा ही कर दें कि हमने तो कह किया कि कोई भी ले ले यह कोई उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : तो आप क्या चाहती हैं कि सदन में इण्डस्ट्री लगा दी जाए। यहां तो घोषणा ही होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : असत्य घोषणा नहीं होनी चाहिए, सच्ची घोषणा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए अब आप। देखिए 8 बज चुके हैं एक घण्टा हो गया अब आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : साहब गण-गौर तो मेरी है आपको क्या फिक्र हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी गणगौर नहीं होती पुरुषों की होती है गणगौर। आप तो स्वयं गणगौर हैं। बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनको गणगौर याद आ रही हैं उन मजदूरों से पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी जहां वर्षों से कारखाना बन्द पड़ा है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : न तो आपको गणगौर की फिक्र, न मजदूरों की फिकर इसलिए बैठो आप। सारे गायब हो काहे की फिकर है आपको। एक भी कोई बैठा है क्या आपका। बड़े आ गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं क्वाइन्टेड प्रश्न करना चाहती हूं कि मंत्री महोदय उत्तर दें सवाई माधोपुर और कृष्णा मिल के बारे में कि यह मिल कब तक खुल जाएगी, क्या करनें वाले हैं. इन्होंने व्यवस्थात्मक रूप से कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे दो प्रश्न छोटे छोटे से हैं जिनके बारे में मैं बोल चुकी हूं कि निगम द्वारा मूल रकम में ब्याज हर तीसरे महीने जोड़ा जाता है। ब्याज हर तीसरे महीने जोड़े जाने से मूलधन बढ़ जाता है इसमें आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं और दूसरा आपने यहां 33 हजार इकाइयों का गलत बताया है लेकिन 27 हजार इकाइयां रूग्ण हैं। इनके बारे में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आप मुझे यह उत्तर दें कि क्या इन्हें बिकवाएगें या इनको चलाएगें ?

श्री अध्यक्ष : आज गणगौर है इसलिए आपको इतना मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लेकिन अध्यक्ष जी, गणगौर के समय रुद्र रूप नहीं होता, बड़ा सौम्य रूप होता है (व्यवधान)

जैसा कि आसन ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार तो अपनी ओर से प्रयास कर सकती है। अधिक से अधिक मामला एक्सपीडिएट किया जा सके इसका प्रयास कर सकती है। एक विशेष अधिकारी उच्च अधिकारी हर बी. आई. एफ. आर. केस के लिए इन्चार्ज बना दिया गया है फैसला तो बी. आई. एफ. आर. को करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कृष्णा मिल के बारे में स्वयं राज्य सरकार ने दो व्यक्ति ढूंढे उन दोनों के केसेज को हमने वहां पर बी. आई. एफ. आर. को रेफर कर दिया। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बी. आई. एफ. आर. अन्तिम निर्णय जल्दी से जल्दी दे। मैं इतना ही इस सम्बन्ध में कह सकता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो ऐसी कर दो कि जून में प्रारम्भ हो जाए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल . कृष्ण कुमार गोयल कर सकता है लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से उद्योग मन्त्री नहीं कर सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो कृष्ण-कुमार गोयल ही करे। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, सवाईमाधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री के जयपुर उद्योग के बारे में सदन ने काफी चिन्ता व्यक्त की है उस ओर से भी, इस ओर से भी। यह उद्योग सन् 1987 से बन्द है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना वर्किंग कैपिटल और उधार साख सुविधा को बन्द कर दिया था उसके बाद से यह कारखाना बन्द चल रहा है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि जितनी आपकी चिन्ता है उतनी ही हमारी है और शायद इस उद्योग के सम्बन्ध में यह कारखाना खुले,

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मुख्य मन्त्रीजी गए हैं मैं स्वयं भी वहां पर गया हूं, और मैंने पब्लिक मीटिंग अटेन्ड की है। चिन्ता हमें भी है। प्रश्न यह है कि 1987 से जो कारखाना बन्द पड़ा था, बुरा न मानें उस समय चिन्ता कहां गई। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने चुनाव में घोषणा की थी इस बात की कि आप इसका धुंआ निकाल देंगे। आप अपने वायदे से घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, वो पक्ष जब इस पक्ष में बैठता था इसी सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए इन्हीं बैंच से बहुत पुरजोर मांग की गई थी और धरने भी दिए गए थे। उसके बाद यह बात सत्य है कि पिछले चुनाव में आपने उसका राजनैतिक लाभ भी उठाया है। स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने इस बैंच पर बैठकर कहा कि इसको तुरन्त चालू किया जाए। मैं मानता हूं क्योंकि एक साल हो गया है सरकार को बने और एक साल में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। (व्यवधान)

हम यह चाहते हैं कि सरकार की उस सीमेण्ट फैक्ट्री के सम्बन्ध में क्या नीति है? क्या सरकार उसको अधिग्रहण करना चाहती है या प्राइवेट लोगों से उसको चालू करवाना चाहती है? इतना तो आप स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, जहां तक राजनैतिक लाभ उठाने का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : अब आप संक्षेप में करिए वरना जितने भी बैठे हैं सब पूछेंगे। आप जल्दी से जवाब दे दीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, सबको जयपुर उद्योग के बारे में मालूम है। कि बी. आई. एफ. आर. इसके सम्बन्ध में इसको लिक्विडेट करने के लिए आर्डर दे चुकी है। स्वयं राज्य सरकार के और उसकी अपील करने के बाद भी, जब आलोक जैन ने अपील की अपीलेट कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिए उसके आधार पर फिर यह लिक्विडेट होने वाली थी। लेकिन राज्य सरकार ने स्वयं ने अपने प्रयासों से बार बार यह कोशिश करके कि हमको एक प्रयास और दिया जाए, इसको लिक्विडेट नहीं होने दिया। आप कम से कम इसकी प्रशंसा तो करिए। अब आप कहते हैं कि साल भर में हमने क्या किया। हमने कोशिश की कि कई कारखानों को चलाने के लिए लोग आए, चलाएं। यह सारा आउट डेटेट प्रोसेस है। ये वेट प्रोसेस से चलने वाली इण्डस्ट्री हैं, वेट प्रोसेस खत्म हो चुका, आजकल ड्राई प्रोसेस चल रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर इस कारखाने को चलाने के लिए आते नहीं थे, टकराते नहीं थे, आज बातें बहुत करते हैं कोई आ नहीं रहा है (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप यह भी मत भूलो उन्होंने यह कहा था इसी बैंच से, इस जगह से बैठकर शेखावत साहब ने कि इसको सरकार अधिग्रहण करके चलाए, उस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।

एक माननीय सदस्य : आप जितने वोटों से जीते हो उतने से ही हारोगे अब। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह आप नहीं पूछ सकते, हम पूछेंगे । आपको हक ही नहीं है आप अपना हक खो चुके हैं। आपने फैक्टरी बन्द की है....

श्री ईश्वर लाल सैनी : आज गणगौर है आपको सब अधिकार हैं आज तो। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय जोशी जी ने आज समझदार व्यक्तियों को बैठाया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी बम्बई के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात-चीत हुई । इसको चालू करने के लिये उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी, कुछ पैकेज रखा । वाद-विवाद के बाद, सारे निष्कर्ष देखने के बाद कि बहुत सा अमाउण्ट इस प्रकार का है जो डेड है, किसी प्रकार रिकवरी की सम्भावना नहीं है । राज्य सरकार ने केवल इस हित के अन्दर कि यह कारखाना चले.... उसको दुबारा रोजी मिल सके। इस कारखाने को चलाने के लिये अपनी ओर से 26 करोड़ 26 लाख रुपये की जो सेक्रिफाइस हो सकती थी मैं समझता हूं, जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था इससे अधिक से अधिक सेक्रीफाइस और राजस्थान सरकार क्या कर सकती है ? जो कुछ राज्य सरकार ने चाहा था इस कारखाने को चलाने के लिये बी. आई. एफ. आर. ने कि राज्य सरकार इतनी सेक्रिफाइस से इतना पैसा छोड़ दे तो हम विचार कर सकते हैं । राज्य सरकार ने 26 करोड़ 60 लाख रुपया सेक्रिफाइस करने के लिये एग्री हो गई, मंत्रिमण्डल से उसकी अनुमति ली । अब जो विभिन्न समितियां हैं, वित्तीय संस्थायें हैं जिन पर उसका पैसा बाकी है उनसे बातचीत चल रही है क्योंकि यह उनको तय करना पड़ेगा यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । चाहे वह एक्साइज का पैसा हो, चाहे वह रेल भाड़े का किराया हो, इस सारे पैसे का हिसाब, या बैंकों का रुपया हो उसके संबंध में स्वयं इस पार्टी को जा कर वहां बात-चीत करनी पड़ेगी....

श्री अध्यक्ष : आप तो कन्क्लूड कर दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : और अभी हमने शर्त लगाई थी कि इस कम्पनी को मजदूरों के हित में मजदूरों के साथ समझौता करना पड़ेगा और वह समझौता संलग्न होगा तभी राज्य सरकार इस सेक्रिफाइस के लिये कमिट हुई है उसके लिये एग्री होगी । यह कंडीशनल है, कोई भी प्रोपर्टी को डिस्पोज आफ करेगा चाहे इमूवेबल हो, चाहे मूवेबल हो बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह प्रोपर्टी अपनी डिस्पोज आफ नहीं कर सकता । ये सारी शर्तें और दूसरी वित्तीय संस्थायें, केन्द्रीय सरकार उनके पैसे हैं, जो बैंक्स के पैसे हैं उन सबके लिये वह एग्री हो जायेगी तो हमने जो सेक्रिफाइस की है वह लागू होगी इस आधार के ऊपर बात-चीत हो गयी है मजदूरों का भी समझौता हो गया है हमें आशा है कि शीघ्र से शीघ्र जितने चिन्तन ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं मैं समझता हूं दिल से हम रो रहे हैं ये कारखाना जल्दी से जल्दी चालू हो ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। खनिज मंत्री जी।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां 13–14 साल से रीको ने कोटपूतली और पावटा से लिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : गोयल साहब आप बोलते रहेंगे क्या ? आप बोलिये आप शुरू करिये। उजलाजी प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (राज्य मंत्री, खनिज) : जिन माननीय सदस्यों ने खान और खनिज से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया है और विभिन्न प्रकार के उपाय उन्होंने यहां पर सुझाव के रूप में बताये मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने जिन्होंने यहां अभी इस डिबेट में भाग लिया, अधिकतर सदस्यों ने अवैध खनन के बारे में बहुत बड़ी समस्या बताते हुये जिक्र किया है। मैं स्वयं यह मानता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें सेंड स्टोन की जो खानें हैं वहां पर अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिये हमारे विभाग की ओर से नियन्त्रण करने के लिये खनिज विभाग में सतर्कता विंग संचालित है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण खनिज अभियन्ता एवं विभिन्न पांच वृत्तों में खनिज अभियंता कार्यरत हैं। अवैध खनन के अनेक मामले पकड़े गये हैं जिनमें अनेक मामले न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई एवं 49.17 लाख रुपये की मांग, अतिक्रमण के विरुद्ध इस साल कायम की गयी है। खनन को नियंत्रित करने के लिये बूंदी, बिजोली या करौली क्षेत्र में विशेष अभियान आयोजित किये गये जिसके फलस्वरूप 900 टन सेंड स्टोन विभाग के द्वारा जब्त किया गया, कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई एवं भारी मात्रा में अवैध खनन में काम आने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया। लेकिन अवैध खनन का मसला है जिसको विभाग द्वारा बार बार पूरा प्रयास कर रोकने के बाद भी यह रुक नहीं पा रहे हैं इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों पर जाना पड़ेगा। उन कारणों का निराकरण करना पड़ेगा तभी अवैध खनन बन्द हो सकेंगे। इसके लिये सबसे बड़ा कारण आज फोरेस्ट है क्योंकि जो एरिया फोरेस्ट में हैं उसको हम लीज आउट नहीं कर सकते और जो एरिया पहले लीज आउट था, फोरेस्ट में है और उसकी खान किसी वजह से कैंसिल हो गयी या वह पांच रिन्युवल पूरे हो गये और छटे रिन्यूअल का प्रावधान नहीं इसलिए एरिया खाली पड़ा रहता है इसकी वजह से अवैध खनन अधिक होता है। इसके लिए भी एक तरीका राज्य सरकार के विचाराधीन है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी जब इस विभाग की मानिटरिंग की थी तब यह कहा था कि जितनी जमीन है, जैसा कि माननीय सदस्यों के भी सुझाव आये हैं कि वहां पर फोरेस्ट नहीं है, पेड़-पौधे नहीं हैं ऐसी जमीन है जहां पर खनिज उपलब्ध है, लेकिन वह फॉरेस्ट में रिकार्ड में दर्ज हैं इसकी वजह से हम उसको लीज आउट नहीं कर सकते तो ऐसे मामलों में हमारे सारे राजस्थान के

(श्री कालूलाल गुर्जर)

जितने माइनिंग, इंजीनियर्स हैं, कलक्टर्स हैं सबको चिट्ठी लिखी है कि आप अपने क्षेत्र में कितनी भूमि ऐसी है जो खनन कार्य के लिये उपयोगी हो सकती है और वन विभाग में है और उसकी बजाय कौनसी जमीन ऐसी है जो वन विभाग को दे कर इस तरह से डीफारेस्ट हम उसको करा सकते हैं केन्द्रीय सरकार में भेज करके तो इसके लिये एक नोट बन चुका है और कई जगह से इसकी सूचनायें आ रही हैं। बांसवाड़ा के अन्दर भी जो भूमि है और अच्छा मार्बल वहां पर मिलता है उसके लिये भी एक फाइल बनकर हमारे राज्य सरकार के स्तर पर आ चुकी है और उसके ऊपर यह काम शुरू हो रहे हैं।

दूसरा जो खाली प्लाट पड़े हैं उनकी सरल प्रक्रिया नहीं होने की वजह से, आवंटन नहीं होने की वजह से भी अवैध खनन होता है उसके लिए भी प्रक्रिया में हम संशोधन कर रहे है और संशोधन करके सरल प्रक्रिया बना रहे हैं। ताकि जो जमीन खनन कार्य हेतु उपलब्ध है उसका आवंटन हो जाय जिससे अवैध खनन को बन्द कराया जा सके। इसके लिए भी हमने प्रक्रिया में जो संशोधन किया है। बिजोलिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 71 हजार एप्लीकेशन इस समय भी पेण्डिग पड़ी हुई हैं। इसका कारण यह रहा, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि लोकल जो लोग रहते हैं उनके लिए खाने को आरक्षित कर दिया जाय ताकि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक खानें मिले। इसके लिए बिजोलिया के अन्दर एक प्रावधान रखा था कि वहां उस तहसील के लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर खानें दी जायेगी जिसके विरुद्ध कई लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिटें पेश की और वहां से स्टे हो गया इसकी वजह से ये 71–72 हजार प्रार्थना-पत्र पेण्डिग चल रहे हैं। जो काफी लम्बे समय से हैं इसकी वजह से बिजोलिया क्षेत्र में अवैध खनन के अधिक मामले देखने को मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमने प्रक्रिया को सरल बना लिया है और यह 71 हजार प्रार्थना पत्र जो अभी वहां पर पेण्डिग है उनका जल्दी से जल्दी हम निस्तारण कर देंगे। इस तरह से दोनों तीनों कारण जो अवैध खनन के हैं उनके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है और अधिक से अधिक प्रयास करके इस अवैध खनन को रोकने का....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अवैध खनन के बारे में जो आप बता रहे हैं वह फॉरेस्ट की ही बता रहे हैं। एग्रीकल्चर लैण्ड और जो चरागाह की जमीन है उस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री कालूलाल गुर्जर : जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जो चरागाह की भूमि है उसके लिए भी हमने नीति निर्धारण कर ली है कि जहां कलक्टर एन. ओ. सी. देगा उस चरागाह की भूमि पर भी हम खनन पट्टे जारी कर देंगे, यह नीति हमने बना ली है। इसी प्रकार जो भूमि खातेदारी की है उसमें सेंड स्टोन को छोड़कर बाकी जितने हैं उसमें यह प्रावधान है नियमों में कि उस भूमि को हम खातेदार की एन. ओ. सी. प्राप्त करके उसके अन्दर हम खनन पट्टे दे सकते हैं। सैंड स्टोन में

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अभी इस तरह के पट्टे जारी करने का प्रावधान नहीं बना है लेकिन सरकार का विचार है कि बहुत जल्दी सैंड स्टोन में भी इस तरह के पट्टे, खाते की भूमि में जो कि खेती के काम नहीं आ रही है बन्जर है या बारानी भूमि है उसमें हम देना शुरू करेंगे ताकि अवैध खनन की समस्या और ज्यादा दूर हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने यहां कुल मिला कर 42 तरह के खनिज यहां पर मिलते हैं खनिज उत्पादन में निरन्तर, वृद्धि हुई है। ताम्बा, जस्ता, सैण्ड स्टोन, लाइम स्टोन, जिप्सम, रॉक फास्फेट, बेंटोनाइट, सैंड स्टोन, मार्बल मशीनरी स्टोन, ब्रेक अर्थ आदि प्रदान एवं अप्रदान खनिज के उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति इस साल यहां राजस्थान में हुई है।

इसके अलावा खनिज कार्यों में विकास की दृष्टि से जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि खनिज विभाग की ओर से कई जगह रोड्स नहीं बनी हैं, कुछ पुरानी रोड्स बनी हुई हैं। तो इस साल भी हमने विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न विकास कार्यों हेतु आयोजना मद के अंतर्गत 345 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है जिसमें निर्माण कार्यों के लिए 142 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। जिससे राजसमंद, बूंदी, सिरोही आदि स्थानों में 8 सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है एवं उद्योग भवन में खनिज विभाग कार्यालय के लिए काम्प्लेक्स निर्माण हेतु 70 लाख की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा खनिजों का अन्वेषण भी हमने चालू वित्त वर्ष में खनिजों के अन्वेषण एवं संरक्षण हेतु 73 परियोजनाओं में कार्य किये हैं। 3437 वर्ग किलोमीटर में रिकोनोसैंसस एवं 1152 मीटर क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य किया। ड्रिलिंग कार्य मुख्यतः नागौर जिले के कसनोरा, इग्यारा, बीकानेर जिले के मांडल चारणान एवं बाड़मेर जिले के गिरोल आंचलिक क्षेत्र में लिग्नाइट की खोज के लिए जैसलमेर जिले के स्टील ग्रेड (व्यवधान)

लाइम स्टोन एवं अजमेर जिले के धौला अलीपुरा क्षेत्र में बेंटोनाइट की खोज के प्रयोजनार्थ ड्रिलिंग कार्य किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप नागौर जिले के कसनाऊ क्षेत्र में लिग्नाइट के 7 मिलियन के भण्डार मिले हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : प्रगति प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर : लाइम स्टोन के 8 मिलियन टन के अतिरिक्त भण्डार पाये गये। सिरोही जिले में वाटेरा क्षेत्र में, उदयपुर एवं चित्तौड़ जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग कार्य चालू कर रखा है। पाली जिले के नाडोल एवं देसूरी क्षेत्र में ग्रेनाइट भण्डारों की खोज और की गई है। ग्रेनाइट के निर्यात की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष राज्य सरकार ने ग्रेनाइट के नये क्षेत्र का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिकों की 3 क्षेत्रीय समितियाँ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में गठित की हैं। इसी प्रकार....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मंत्री जी तो अपनी ही खान खोद रहे हैं। रहने दो, अब पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। अंत में बोलिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : एक निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से बीकानेर जिले में बरसिंगसर लिग्नाइट खनिज भण्डार पर आधारित 120 मेगावाट के 2 पावर प्लान्ट स्थापित करने की महत्वपूर्ण परियोजना को भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति मिलने की आशा है। इस योजना में कार्य भी भारत सरकार के प्रतिष्ठान नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा शुरू कर दिया गया है। यह भी एक उपलब्धि है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : एक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं। पहले बैठिए आप। अब बोलिए।

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा ही प्रश्न है। अलवर के बलदेवगढ़ में मार्बल के खनिज के पट्टे जारी किये जा रहे हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे पट्टे दिये जा रहे हैं पहले वे वहां के लोकल आदमियों को दिये जाय, उसके बाद जिले के बाहर के लोगों को दिए जाय।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपकी समस्याओं का निवारण अलग से कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,96,93,000/- (तिहत्तर करोड़ छियानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 42 पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,06,80,000/- (इक्कीस करोड़ छः लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 43 पारित की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 20-3-91 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.15 बजे बुद्धवार, दिनांक 20 मार्च, 1991 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

क्र. सं. 1	नाम जिला आबकारी अधिकारी 2	संख्या एवं नाम वृत 3	विशेष विवरण 4
1.	उदयपुर	1. उदयपुर पश्चिम	
		2. उदयपुर पूर्व	
		3. उदयपुर गिर्वा	
		4. नाथ द्वारा	
		5. मावली	
		6. देवगढ़	
		7. खेरवाड़ा	
		8. धरियावाद	
		9. झाड़ोल	
2.	जनजाति क्षेत्र, मुख्यालय, उदयपुर	1. सागवाडा	
		2. बांसवाडा	
		3. डूंगरपुर	
		4. कुशलगढ़	
3.	चित्तौड़गढ़	1. डूंगला	
		2. कपासन	
		3. चित्तौडगढ	
		4. प्रतापगढ़	
		5. बेगूं	
		6. छोड़ी सादड़ी	
4.	भीलवाड़ा	1. शाहपुरा	
		2. भीलवाड़ा	
		3. गंगापुर	
		4. आसीन्द	

1	2	3		4
	भीलवाड़ा	5.	मांडलगढ़	
		6.	नैनवा	
		7.	बूंदीरोड	
		8.	बूंदी नगर	
		9.	जहाजपुर	
5.	कोटा	1.	कोटा उत्तर	
		2.	कोटा दक्षिण	
		3.	बांरा	
		4.	छीपाबड़ोद	
		5.	रामगंज मण्डी	
		6.	भंवरगढ	
		7.	झालावाड़	
		8.	भवानी मंडी	
		9.	चौहमेला	
		10.	खानपुर	
6.	जोधपुर	1.	जोधपुर पश्चिम	
		2.	जोधपुर पूर्व	
		3.	फलौदी	
		4.	बिलाड़ा	
		5.	जैसलमेर	
		6.	पोकरण	
7.	श्री गंगानगर	1.	गंगानगर शहर	
		2.	गंगानगर ग्रामीण	
		3	संगरिया	
		4.	श्री करणपुर	
		5.	पदमपुर	
		6.	रायसिंह नगर	

1	2	3		4
	श्री गंगानगर	7.	हनुमानगढ़	
		8.	सूरतगढ	
		9.	नोहर	
		10.	भादरा	
		11.	अनूपगढ़	
8.	बीकानेर	1.	बीकानेर शहर	
		2.	बीकानेर ग्रामीण	
		3.	सुजानगढ	
		4.	रतनगढ़	
		5.	चूरू	
		6.	राजगढ़	
9.	जालोर	1.	जालोर	
		2.	भीनमाल	
		3.	सिरोही	
		4.	आबूरोड	
		5.	बाड़मेर	
		6.	बालोतरा	
10.	अजमेर	1.	अजमेर दक्षिण	
		2.	अजमेर उत्तर	
		3.	अजमेर ग्रामीण	
		4.	केकड़ी	
		5.	नसीराबाद	
		6.	ब्यावर	
		7.	किशनगढ़	
11.	भरतपुर	1.	भरतपुर	
		2.	बयाना	
		3.	धौलपुर	

(240)

1	2	3		4
	भरतपुर	4.	डीग	
		5.	बाडी	
12.	अलवर	1.	अलवर पूर्व	
		2.	अलवर पश्चिम	
		3.	खैरथल	
		4.	राजगढ	
		5.	भिवाडी	
		6.	बहरोड	
13.	सवाईमाधोपुर	1.	सवाई माधोपुर	
		2.	गंगापुर सिटी	
		3.	करौली	
		4.	हिण्डौन	
14.	जयपुर नगर	1.	जयपुर पश्चिम	
		2.	जयपुर दक्षिण	
		3.	जयपुर पूर्व	
		4.	जयपुर उत्तर	
		5.	जयपुर दक्षिण-पूर्व	
		6.	फागी	
		7.	फुलेरा	
		8.	शाहपुरा	
		9.	चाकसू	
		10.	चौमू	
15.	पाली	1.	पाली	
		2.	बाली	
		3.	सोजत	
		4.	जैतारण	
16.	नागौर	1.	नावां	
		2.	डीडवाना	

1	2	3	4
	नागौर	3. नागौर	
		4. नोखा	
		5. मेड़ता रोड	
		6. परबतसर	
17.	जयपुर ग्रामीण	1. दौसा	
		2. बांदीकुई	
		3. टौंक	
		4. मालपुरा	
		5. देवली	
		6. अलीगढ़	
18.	सीकर	1. सीकर	
		2. नीमका थाना	
		3. श्रीमाधोपुर	
		4. झुन्झुनु	
		5. चिड़ावा	
		6. नवलगढ़	
		7. खेतड़ी	
		8. फतेहपुर	

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची

बाल विकास परियोजना कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
के अधीन बन्द किये गये केन्द्रों की सूचना।

क्रमांक	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
1.	काकनवानी
2.	खाखारियां
3.	रामगढ़
4.	उदयगढ़ वसूनी
5.	पाण्डवा साथ
6.	जमरई
7.	दर्रा
8.	चूलीपाड़ा
9.	चरकनी–II
10.	रिमेड़ा बड़ा–II
11.	कोटड़ा
12.	पोटलिया
13.	कुशलगढ़ (बागड़िया कला)
14.	कुशलगढ़ (हरिजन बस्ती)
15.	कुशलगढ़ मोमेडनवाड़ा

२५३

बाल विकास परियोजना तलवाड़ा (बांसवाड़ा)
के अधीन बन्द किये गये केन्द्रों की सूचना।

क्रमांक	नाम आंगन बाड़ी केन्द्र
1.	गागरी
2.	सुरतगढ़ी
3.	लालपुरा (हरिजन बस्ती)
4.	खडदेव
5.	नाथपुरा (वाटा डूंगरी)
6.	घोड़ा
7.	चौबीसों का पारड़ा
8.	सालिया
9.	वीरपुर
10.	निचला घन्टाला
11.	भगोरा पाड़ा
12.	शिपुरा
13.	बनाला
14.	नवाटायरा
15.	लाम्बा बरड़ा

(२४४)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

निगम के जोधपुर एवं ब्यावर आगारों द्वारा सोजत होकर संचालित बस सेवाओं की समय सारणी

जोधपुर आगार द्वारा

सोजत	जोधपुर	जोधपुर	सोजत
0700	1000 (द्रुतगामी)	1730	2045
0820	1330	1400	1845 (वाया पीपाड सिटी)
0900	1200 (द्रुतगामी)	1815	2115 (द्रुतगामी)
जैतारण	जोधपुर	जोधपुर	जैतारध
0700	1245	1515	2100(वाया सोजत)
		बिलाड़ा	सोजण
		1830	1945

ब्यावर आगार द्वारा

ब्यावर	सोजत	पाली	पाली	सोजत	ब्यावर
1200	1430	1545	1645	1745	1930
0900	1138	1230	1330	1445	1700
0745	1030	1115	1715	1815	2000
0945	1215	1315	1530	1645	1900
1630	1800	1900	1430	1530	1730
			0930	1830	1300
कोटा	सोजत	पाली	पाली	सोजत	कोटा
0716	1600	1645	1200	1300	2145
अजमेर	सोजत	अहमदाबाद	अहमदाबाद	सोजत	अजमेर
1530	1900	0600	1900	0600	0915
जयपुर	सोजत	पाली	पाली	सोजत	जयपुर
1100	1730	1815	0630	0730	1400
1400	2115	2200	0815	0915	1600
1530	2200	2245			

अजमेर	सोजत	पाली	पाली	सोजत	अजमेर
0915	1345	1445	0730	0830	1300

निगम के जोधपुर एवं ब्यावर आगारों द्वारा सोजत होकर संचालित बस सेवाओं की समय सारणी

जोधपुर आगार द्वारा

सोजत	जोधपुर	जोधपुर	सोजत
0700	1000 (द्रुतगामी)	1730	2045
0820	1330	1400	1845 (वाया पीपाड सिटी)
0908	1200 (द्रुतगामी)	1815	2115 (द्रुतगामी)
जैतारण	जोधपुर	जोधपुर	जैतारण
0700	1245	1515	2100 (वाया सोजत)
		बिलाड़ा	सोजत
		1830	1945

ब्यावर आगार द्वारा

ब्यावर	सोजत	पाली	पाली	सोतत	ब्यावर
1200	1430	1545	1645	1745	1930
0900	1138	1230	1330	1445	1700
0745	1030	1115	1715	1815	2000
0945	1215	1315	1530	1645	1900
1632	1800	1900	1430	1530	1730
			0930	1030	1300
कोटा	सोजत	पाली	पाली	सोजत	कोटा
0716	1600	1645	1200	1300	2145
अजमेर	सोजत	अहमदाबाद	अहमदाबाद	सोजत	अजमेर
1530	1900	0600	1900	0600	0915
जयपुर	सोजत	पाली	पाली	सोजत	जयपुर
1100	1730	1815	0630	0730	1400
1400	2115	2200	0815	0915	1600
1530	2200	2245			
अजमेर	सोजत	पाली	पाली	सोजत	अजमेर
0915	1345	1445	0730	0830	1300

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित स्थानों को अनुदान

51. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मकराना व कुचामन सिटी में खादी ग्रामोद्योग की ओर से संस्थाएं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितनी व उनको सालाना कितना अनुदान दिया जाता है ? वर्ष 1988 से 1990 तक प्रत्येक संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

(2) क्या मकराना व कुचामन सिटी स्थित संस्थाओं में महिला श्रमिक कार्यरत है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? उनको कितनी मजदूरी प्रति मीटर दी जाती है ?

(3) क्या मकराना खादी संस्था के अन्तर्गत चूना भट्टा भी चलाया जाता है ? यदि हां, तो कितने चूने भट्टे हैं, एवं उन पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? उन श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जाती है एवं उक्त चूना भट्टा से वर्ष 1989–90 में खादी संस्था को कितनी आय हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं में कच्ची ऊन खरीदने के बजाय व्यापारियों से ऊन खरीदी जाती है जिससे सहकारिता श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ?

उत्तर

(1) मकराना व कुचामन सिटी में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत ग्राम स्वराज्य समिति मकराना एवं खादी ग्रामोद्योग समिति कुचामन सिटी कार्यरत हैं । इन संस्थाओं को सालाना आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है । इन संस्थाओं को निम्न प्रकार से पूंजी वृद्धि हेतु अनुदान दिया गया है :—

संस्था	वर्ष	राशि
ग्राम स्वराज्य समिति मकराना	88-89	25,000.00
खादी ग्रामो. समिति कुचामनसिटी	88-89	25,000.00
	89-90	20,000.00

(1) इन संस्थाओं में महिला श्रमिक कार्यरत नहीं है । अतः मजदूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) वर्तमान में मकराना संस्था द्वारा चूने भट्टे का कार्य नहीं किया जा रहा है अतः श्रमिकों को मजदूरी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । संस्था ने चूने भट्टे को किराये पर उठा रखा है जिससे वर्ष 89-90 में 9 हजार 600 रुपये की आय हुई है ।

(4) खादी संस्थाओं द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार ऊन की खरीद उनके नियमानुसार क्रय किये जाने का प्रावधान है । अतः बाजार से ऊन खरीदने का संबंध सहकारिता श्रमिकों की बेरोजगारी से जोड़ा जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

चूरू में समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त

52. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद कब से किन कारणों से रिक्त है ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण पद को शीघ्र भरना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक उक्त अधिकारी का पदस्थापन हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू स्थित समाज कल्याण विभाग का छात्रावास अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हालत में है ? क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने इस छात्रावास का अवलोकन किया था ? यदि हां, तो छात्रावास के मरम्मत हेतु अब तक क्या किया गया ?

(3) सरकार समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रहने वाले प्रति छात्र पर प्रति दिन खाने पर कितना पैसा खर्च करती है ? कृपया मदवार सूची सदन की मेज पर रखें ? क्या यह पैसा पर्याप्त है ? नहीं, तो क्या सरकार राशि बढ़ाने पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

(4) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 में चूरू तहसील की कितनी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किये जाने के प्रस्ताव विद्युत मण्डल चूरू को भेजे और कितनी बस्तियां विद्युतिकृत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह पद दिनांक 3–7–90 से रिक्त है क्योंकि विभाग में इस स्तर के अधिकारियों की कमी है। जी हां यथा–शीघ्र पदस्थापन कर दिया जायगा।

(2) जी हां। जिला मुख्यालय पर स्थित होने के कारण इस छात्रावास भवन की मरम्मत हेतु मुख्य अभियन्ता, सार्व–जनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है।

(3) एक छात्रावासी के लिये प्रतिदिन पांच रुपये सड़सठ पैसे भोजन, वस्त्र, बिजली पानी, तेल, साबुन इत्यादि पर व्यय किया जाता है। यह पैसा पर्याप्त नहीं है। इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) वर्ष 1990–91 में जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, चूरू द्वारा चूरू तहसील की 8 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भेजे गये। वर्ष 90–91 के लिये चूरू तहसील की 9 हरिजन बस्तियों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य विद्युत मण्डल द्वारा रखा गया है तथा 15–2–91 तक विद्युतिकृत हुई तीन हरिजन बस्तियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट (अ)

वर्ष 1990-91 में चूरू तहसील में विद्युतिकृत हुई हरिजन बस्तियों की सूची

1. ढाणी लालसिंहपुरा
2. ढाणी डूंगरसिंहपुरा
3. कोट बादताल

झुन्झुनू जिले के पशु चिकित्सालय

53. श्री **मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झनू) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनू जिले में कितने पशु चिकित्सालय कहां–कहां हैं ? उनमें चिकित्सकों, पशु सहायकों, सइसों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या झुन्झनू तहसील व चिड़ावा तहसील में आगामी वित्त वर्ष में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है ? यदि हां तो कहां कहां ?

उत्तर

(1) झुंझुनू जिले में वर्तमान में 32 पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं। स्वीकृत संस्थाओं की सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन चिकित्सालयों में स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार है :—

स्वीकृत पद		रिक्त पद
सहायक पशु शल्य चिकित्सक	32	2
वेटेनरी असिस्टेन्ट/ पशुधन सहायक	64	3
सइस	32	–
जलधारी	32	1
सफाईकर्ता	32	4

(2) रिक्त पदों की पूर्ति प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण होते ही कर दी जायेगी।

(3) अग्रिम वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने हैं। प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची "क"

झुन्झुनू जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालयों की सूची।

1. झुन्झुनू
2. बिसाऊ
3. मंडावा
4. चिड़ावा
5. सूरजगढ़
6. खेतडी
7. उदयपुरवाटी
8. नवलगढ़
9. मुकन्दगढ़
10. बडागांव
11. पूंख
12. पिलानी
13. मंडेला
14. बुहाना
15. मलसीसर
16. हीरवा
17. चिराणा
18. पचलंगी

(पशुपालन मंत्री)

19. महरामपुरा
20. बबई
21. बागोली
22. चावसरी
23. काजड़ा
24. बुड़ाना
25. भड़ोदा खुर्द
26. सिमला
27. अलसीसर
28. भारू
29. बड़ाऊ
30. राणासर
31. केड
32. खाकड़ा

प्रान्त में सरकार द्वारा संचालित महिला, बच्चे एवं पोषाहार केन्द्र

54. **श्री हुक्माराम मेघवाल** (सिवाना) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या महिला बच्चे एवं पोषाहार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में महिला बच्चे एवं पोषाहार विभाग द्वारा कितने पोषाहार केन्द्र संचालित किये जाते हैं ?

(2) उक्त पोषाहार केन्द्रों पर कितनी मात्राओं में क्या सुविधायें सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(3) क्या यह सही हैं कि उक्त पोषाहार केन्द्रों पर सड़ी गली पोषाहार सामग्री वितरण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस केन्द्र की ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्रान्त में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11,619 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार की कार्यवाही की जाती है।

(2) यह केन्द्र पोषाहार केन्द्र नहीं है बल्कि आंगनबाडी केन्द्र है। इन केन्द्रों पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है तथा इनके स्वास्थ्य की जांच एवं टीकाकरण करवाया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। पोषाहार की मात्रा अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग मात्रा में दी जाती है जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। जोधपुर बाल विकास परियोजना के सम्बन्ध में अवधि पार पोषाहार सामग्री के वितरण की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई उसके परिणामस्वरूप दो महिला पर्यवेक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

राजस्थान सरकार

महिला और बाल विकास विभाग

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लाभान्वितों को पूरक पोषाहार का वितरण वर्ष 1989–90

क्र. सं.	नाम खाद्य सामग्री	0 से 6 वर्ष के बच्चे		6 से 12 वर्ष के बच्चे/अति. कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती तथा दूध पिलाती मातायें			नाम खाद्य सामग्री (पोषाहार अनुमानित)	पैसे प्रति बालक एवं प्रति महिला
		पैसे (दलिया)	मात्रा ग्राम (दलिया) (पोषाहार अनुमानित	पैसे (दलिया)	मात्रा ग्राम (दलिया पोषाहार अनुमानित)			
	स्थानीय खाद्य सामग्री						केन्द्रीय अर्थ प्रबंधित	(गेहूं आधारित)
1.	गेहूं	18	80	34	150	1.	गेहूं	16 पैसे
2.	दाल	09	10	18	20	2.	दाल	9 पैसे
3.	तेल	15	09	15	09	3.	गुड़	5 पैसे
4.	गुड़/नमक	05	स्वाद के अनुसार	05	स्वाद के अनुसार	4.	तेल	10 पैसे
5.	परिवहन	02	—	02	—	5.	नमक	1 पैसे
6.	ईंधन	05	—	05	—	6.	ईंधन	5 पैसे
7.	पिसाई	01	—	01	—	7.	पिसाई	2 पैसे
						8.	परिवहन	2 पैसे
	योग	55		80				50 पैसे

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान सरकार

महिला और बाल विकास विभाग

पोषाहार का वितरण प्रतिदिन प्रति लाभान्वित

क्र. सं.	विवरण	स्थानीय खाद्य सामग्री	विश्व खाद्य कार्यक्रम (पोषाहार अनुमानित)	केयर (पोषाहार अनुमानित)	केन्द्रिय अर्थ प्रबंधित (गेहूं आधारित)
1.	0 से 6 वर्ष के बच्चे	55 पैसे	1.65 ग्राम एस.एफ.बी.डब्ल्यू. (दलिया)	1.65 ग्राम सी.एस.एम./सी.एस.बी. (आटा)	प्रति बालक एवं प्रति महिला 50 पैसे 6 महिने से 2 वर्ष तक के बच्चों को।
			2.8 ग्राम एस.एस. आयल	2.8 ग्राम एस.एस. आयल,–	60 ग्राम पंजरी देते हैं।
2.	अत्यधिक कुपोषित एवं गर्भवती तथा दूध पिलाती महिलाऐं।	80 पैसे	1.130 ग्राम एस.एफ.बी. डब्ल्यू.	1.130 ग्राम सी.एस.एम./सी.एस.बी.	– 2 वर्ष से 6 वर्ष में 70 ग्राम मुरमुरें।
			2.16 ग्राम एस.एस. आयल	2.16 ग्राम एस.एस. आयल।	गर्भवती व धात्री महिलाओं को 120 ग्राम मुरमुरें।

पंचायत मुख्यालयों पर महाविद्यालयों की स्थापना

55. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र राजस्थान के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति मुख्यालयों पर खोलने का विचार है ? वर्तमान में किन-किन पंचायत समिति मुख्यालयों पर महाविद्यालय की शिक्षा उपलब्ध है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मुख्यालय, लालसोट के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त छात्र संख्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी शिक्षा सत्र में वहां महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोलने के लिए मानदण्ड पंचायत समिति मुख्यालय न होकर अपितु निम्न प्रकार हैं :—

(अ) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

(ब) प्रस्तावित स्थान के आसपास कम से कम चार हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

(स) प्रस्तावित स्थान के 30 कि. मी. की परिधी में कोई भी महाविद्यालय नहीं हो।

(द) क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

वर्तमान में 48 पंचायत समिति मुख्यालयों पर महाविद्यालय चल रहे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति मुख्यालय, लालसोट पे सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीनियर हायर सैकण्डरी कक्षा में छात्रों की संख्या 431 है।

महाविद्यालय खोलने के बारे में निर्धारित मानदण्डों एवं गुण-अवगुण के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा।

जिलेवार पंचायत समिति मुख्यालय का नाम जहां महाविद्यालय हैं :—

क्र. सं.	नाम जिला	कुल पंचायत समितियों की संख्या	पंचायत समिति मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं
1	2	3	4
1.	अजमेर	8	1. केकड़ी 2. किशनगढ़
2.	अलवर	14	1. राजगढ़ 2. बहरोड़

1	2	3	4
3.	भरतपुर व धौलपुर	13	1. डीग
			2. धौलपुर
4.	बांसवाड़ा	8	1. कुशलगढ़
5.	भीलवाड़ा	11	1. शाहपुरा
6.	बीकानेर	4	1. बीकानेर
7.	बूंदी	4	शून्य
8.	बाड़मेर	8	1. बाड़मेर
9.	चूरू	7	1. सरदारशहर
			2. रतनगढ़
			3. राजगढ़
			4. सुजानगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	1	1. चित्तौड़गढ़
			2. प्रतापगढ़
			3. निम्बाहेड़ा
11.	डूंगरपुर	5	1. डूंगरपुर
12.	गंगानगर	10	1. रायसिंहनगर
			2. श्री गंगानगर
			3. हनुमानगढ़
			4. नोहर
			5. सूरतगढ़
			6. पदमपुर
13.	जैसलमेर	3	1. जैसलमेर
14.	जालौर	7	1. जालौर
			2. भीनमाल
15.	जोधपुर	9	1. शून्य
16.	जयपुर	17	1. बांदीकुई
			2. कोटपूतली
			3. दौसा

1	2	3	4
17.	झालावाड़	6	शून्य
18.	झुन्झुनू	8	1. झुन्झुनू 2. खेतड़ी 3. नवलगढ़ 4. चिड़ावा
19.	कोटा	12	शून्य
20.	नागौर	11	1. डीडवाना 2. कुचामन 3. नागौर
21.	पाली	10	1. पाली
22.	सिरोही	5	1. सिरोही 2. आबूरोड
23.	सवाईमाधोपुर	11	1. हिण्डौन 2. गंगापुर 3. करौली 4. सवाईमाधोपुर
24.	सीकर	8	1. लक्ष्मणगढ़ 2. फतेहपुर 3. नीम का थाना
25.	टौंक	6	1. टौंक 2. देवली
26.	उदयपुर	18	शून्य

(तारांकित प्रश्न संख्या 56)

(स्थगित)

पाली जिले में शराब के ठेकेदार

57. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में किस ठेकेदार को वर्ष 1988 से 1990 तक देशी व अंग्रेजी शराब का ठेका दिया गया ? ठेके की शर्तें व शराब की दर क्या-क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार द्वारा शराब मनमानी दर पर बेची जा रही है व दुकानें भी शर्तों से अधिक खोल रखी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार कब तक उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 88–89 में पाली जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का ठेका निम्न व्यक्तियों को दिया गया था :—

1. श्री पुखराज पुत्र मोहनलाल सिसोदिया जोधपुर

2. श्री जगदीशलाल पुत्र अमरदास तलवार शास्त्री नगर जोधपुर

3. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल मेवाड़ा घासमंडी जोधपुर

4. श्री मुरलीधर पुत्र रोचीराम गंगवानी रातानाड़ा जोधपुर।

5. श्री कमला पत्नी चान्द खां मुसलमान सी–58, जोधपुर

6. श्री रोशनी पत्नी बीरबल खां सी–58, जोधपुर

7. श्री सरदार खां पुत्र भादरखां सी–58, जोधपुर

8. श्री भंवर कंवर पत्नी श्यामलाल 59–डी, जोधपुर

9. श्री मगन बिहारी कक्कड़ रणछोड मन्दिर, जोधपुर

10. श्री राजाराम पुत्र दानाराम जाट सी–142, बापू नगर जयपुर

11. श्री हबीब मोहम्मद पुत्र अलादीन सी–75, शास्त्री नगर जोधपुर

12. श्री अब्दुल रहमान पुत्र जान मोहम्मद सी–77, अम्बावाडी जयपुर

13. श्री हनुमान सिंह पुत्र भोपालसिंह मानभवन रातानाड़ा, जोधपुर

14. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी भीकमचंद मेवाड़ा हाउसिंग बोर्ड, पाली

15. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरलाल चौहान बस स्टेण्ड, रोहिट

16. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी अमरदास सी–99 शास्त्री नगर, जयपुर

वर्ष 89–90 व 90–91 के लिये पाली जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त दो समूहों में हुआ था तथा इनका ठेका निम्न व्यक्तियों को दिया गया :—

पाली समूह

1. लेखराज पुत्र लाल चंद मेवाड़ा सोजती गेट, जोधपुर

(आबकारी मंत्री)

2. गोपाल सिंह पुत्र भंवरलाल मेवाड़ा बस स्टेण्ड, रोहिट

3. मिश्रीलाल पुत्र लादूराम मेवाड़ा कैलाश टाकीज, फालना

4. श्रीमती कला देवी पत्नि जयसिंह कलाल बस स्टेण्ड, रोहिट

बाली समूह

1. कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीनारायण मेवाड़ा जवाई बांध, पाली

2. गेरालाल पुत्र ओटरमल मेवाड़ा चोकरी, पाली

3. भंवरलाल पुत्र पूनमचंद मेवाड़ा मानावें, बाली

4. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र मेवाड़ा सोमसर, पाली

5. रमेशकुमार पुत्र छोटालाल मेवाड़ा रानी

6. भंवरी देवी पत्नि मिश्री लाल मेवाड़ा, फालना

ठेके की शर्तों की प्रति संलग्न है। देशी मदिरा की इश्यू प्राइस निम्न अनुसार थी :—

क्र. सं.	किस्म मदिरा	88-89	89-90 व 90-91 (रुपये प्रति ब. लि. में)
1.	केसर कस्तूरी	34.62	30.40
2.	गुलाब	16.92	13.65
3.	सादा	12.53	11.55
4.	साठिया	7.56	7.20

विदेशी मदिरा विभाग सप्लाई नहीं करता है। किसी भी किस्म की मदिरा के विक्रय मूल्य पर विभाग का नियंत्रण नहीं।

(2) राज्य में एकाकी विशेषाधिकार प्रणालीहोने के कारण मदिरा के विक्रय मूल्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण अनुज्ञाधारी अपनी इच्छा अनुरूप विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 1691 दिनांक 23.8.90 अनुसार उनके क्षेत्र में कोई अनधिकृत दुकान नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केशोरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र में सहायक अभियन्ता सिंचाई का कार्यालय

58. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) बून्दी जिले के केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र के दइखेडा, लबान, पापडी बडाखेडा, माखीदा, बसवाडा, उगारिया, रेबारपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्रों का कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आता है ?

(2) क्या सरकार इस टेल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में लबान में कार्यरत सहायक अभियन्ता कार्यालय को फिर से स्वीकृति प्रदान कर सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विधान सभा क्षेत्र में 10,741 हैक्टेयर रकबा सिंचित क्षेत्र में आता है।

(2) जी, नहीं। वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण, पद को पुनः सृजित करना संभव नहीं।

जयपुर–दिल्ली मार्ग पर संचालित डी–लक्स बसों में सुविधायें

59. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर-दिल्ली मार्ग व अन्य मार्गों पर चल रही डीलक्स बसों की सीटें, पर्दे, शीशे आदि को सुधारे जाने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार बढ़े हुए किराये को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधाओं हेतु डीलक्स बसों की कन्डीशन में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर–दिल्ली मार्ग पर चल रही डीलक्स बसों व अन्य मार्गों पर चल रही सेमी डीलक्स बसों की सीटों के कवर एवं पर्दों को सुधारे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिन सेमी डीलक्स वाहनों के शीशे टूट गये थे उन्हें बदला जा चुका है।

(2) यात्रियों की सुविधार्थ इसी वर्ष 48 नई डीलक्स वाहनें निर्मित कराई जा रही हैं जिनमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

खैरवाड़ा क्षेत्र के जागीरदारों से अवाप्त भूमि का आवण्टन

60. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में जागीरदार पहाड़ा पाटियां और जवास से जो भूमि सीलिंग में ली गई थी वह अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी उनको अब तक कब्जे नहीं मिले हैं और भूमि पर अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व खातेदारियों के खाते निरस्त कर आवंटियों को कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी, उनमें से मात्र दो व्यक्तियों को कब्जे नहीं मिल सके हैं। अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। एक प्रकरण में निर्णय हो चुका है और कब्जा दिलाने की कार्यवाही जारी है। दूसरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णयोपरान्त शीघ्र कब्जा दिलाना संभव होगा।

राज्य में विभाग द्वारा अनुदानित संस्थायें

61. **श्रीमती सूर्यकान्ता (जोधपुर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी संस्थाएं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर से अनुदान प्राप्त कर रही हैं ? क्या सरकार की जानकारी में है कि कुछ लोग अलग अलग नामों से संस्थाएं बनाकर अनुदान ले रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं के सदस्य एक से अधिक संस्थाओं की कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं ?

(3) अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड एवं वैलफेयर अधिकारियों ने 1988 से दिसम्बर, 1990 तक कहां-कहां व कब-कब निरीक्षण किया ? क्या किसी संस्था को अनुदान का दुरुपयोग करते हुए पाया गया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 467 संस्थायें समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रही हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) यह जांच का विषय है, जो विचाराधीन है।

(3) निरीक्षणों की सूची परिशिष्ट "अ" तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गौ–पालक योजना

62. **श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गौ–पालक योजना के अन्तर्गत अब तक कितने गौ–पालकों को नियुक्ति दी जा चुकी है ?

(2) इस पर कितना व्यय हो चुका है ?

(3) इस योजना की अब तक भौतिक उपलब्धियां क्या रही हैं ?

उत्तर

(1) गोपाल योजना के अन्तर्गत अब तक 272 युवकों को प्रशिक्षित कर लगाया गया है।

(2) अब तक इस कार्यक्रम पर 39 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(3) इस योजना के तहत इन युवकों को प्रशिक्षित कर लगा दिया गया है, जिनके

(पशुपालन मंत्री)

माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य कार्य जैसे बधियाकरण, उन्नत चारा प्रदर्शन एवं संतुलित आहार वितरण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

सोजत-मारवाड़ जंक्शन की मुंसिफ अदालतें

63. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत उप खण्ड मुख्यालय पर सोजत-मारवाड़ जंक्शन तहसीलों के मुंसिफ कोर्ट मारवाड़ जंक्शन सोजत के नाम से अलग अलग बैठकर पेशियां करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मारवाड़ जंक्शन मुन्सिफ कोर्ट खोलने की प्रक्रिया 1978 से चालू हुई थी जो आज तक नहीं खुला, जब कि मारवाड़ जंक्शन के मुकदमे भी ज्यादा संख्या में हैं। पेशी पर आने जाने में भी जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ?

(3) क्या अब राज्य सरकार सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु मुंसिफ कोर्ट मारवाड़ जंक्शन पर खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण मारवाड़ जंक्शन पर मुंसिफ कोर्ट न्यायालय खोलना अभी सभव नहीं है।

सपोटरा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना

64. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों के विकास के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में करौली तथा सपोटरा पंचायत समिति सम्मिलित हैं। करौली पंचायत समिति में बाल विकास परियोजना वर्ष 1989-90 में स्वीकृत कर दी गई है। सपोटरा पंचायत समिति में बाल विकास परियोजना स्वीकृत करने का निर्णय भारत सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार यथा समय लेगी।

(2) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की करौली पंचायत समिति में बाल विकास

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परियोजना वर्ष 89–90 में स्वीकृत करदी गई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग का कोई अन्य कार्यक्रम इस क्षेत्र में नहीं चल रहा है।

राजस्थान स्टेट को- ऑपरेटिव बैंक भरतपुर, पाली व अजमेर के कार्यालय

65. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक, भरतपुर, पाली और अजमेर कार्यालयों को बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ? क्या उन्हें पुनः प्रारम्भ करने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा भरतपुर, पाली एवं अजमेर क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्याप्त कार्य नहीं होने और आर्थिक मितव्ययता की दृष्टि से 30 जून, 90 से बन्द कर दिया गया है। इन कार्यालयों को पुनः प्रारम्भ किये जाने का अभी कोई विचार नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर के दूसरे चरण से सिंचाई

66 **श्री. केदारनाथ शर्मा** (गंगानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर से दूसरे चरण में कुल कितना रकबा सिंचित होगा ?

(2) कितना प्रतिशत रकबा विशेष आवंटन के लिए सुरक्षित किया गया है ?

(3) अब तक रखा गया विशेष आवंटन में से कितना अलाट किया गया।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में सिंचाई योग्य क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

(i) बहाव प्रणालियों द्वारा	7.00 लाख हैक्टेयर
(ii) जलोत्थान प्रणालियों द्वारा	3.12 लाख हैक्टेयर
कुल योग :—	10.12 लाख हैक्टेयर

(2) द्वितीय चरण के क्षेत्र में अब तक कुल 5,93,907 बीघा कमाण्ड क्षेत्रफल विशेष आवंटन के लिये आरक्षित किया गया है जो 7.35 प्रतिशत है।

(3) विशेष आवंटन हेतु द्वितीय चरण में आरक्षित 5,93,907 बीघा कमाण्ड भूमि में से 15,515 बीघा कमाण्ड भूमि का विशेष आवंटन किया गया है।

खोखाला मानगढ़ (बस्सी) के कोली बुनकर की विवादग्रस्त भूमि

67. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामकिशन)

(1) क्या जिला जयपुर, तहसील बस्सी ग्राम खोखाला मानगढ़ के कोली, बुनकर नानगा पुत्र ग्यारस्या, जगदीश पुत्र भूंथा बिरदा पुत्र चुन्या, कजोड़ पुत्र गोविन्दा, शंकर पुत्र छूटू रियासती काल से ठिकाना सिवाड़ की भूमि खसरा नं. 3 पर काश्त करते आ रहे थे ? यदि हां, तो क्या इन्होंने रियासती काल के पट्टे भी कलक्टर जयपुर को प्रस्तुत किये थे ?

(2) क्या उक्त अनुसूचित जाति के काश्तकारों ने खसरा नं. 3 पर अपनी कश्त के प्रमाण में नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 2042 तक की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो क्या प्रस्तुत प्रमाणों की कलक्टर जयपुर द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच में प्रमाण सही पाये गये, ?

(3) क्या न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम) जयपुर के निर्णय 31 दिसम्बर, 1986 में पत्रावली सं. 28/1981 में दि. 17 दिसम्बर, 1981 के निर्णयानुसार नायब तहसीलदार ने उक्त पत्रावली का उल्लेख करते हुए बताया कि गैर सायलान नानगा, शंकर आदि का खसरा नं. 3 पर संवत 2012 से पूर्व का कब्जा है और यह भी इनको काश्त के लिए जागीरदार के द्वारा दी गई थी ? यदि यह भूमि संवत् 2012 से पूर्व से इन अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जा काश्त में है तो अभी तक कृषि भूमि का नियमन इनके हक में क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर तहसील बस्सी के ग्राम मानगढ़ खोखाला के खसरा नं. 3 राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है जिस पर नानगा पुत्र ग्यारसा, जगदीश पुत्र गोविन्दा, शंकर पुत्र छोटू का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड से यह साबित नहीं होता है कि उक्त लोगों का रियासत काल से निरन्तर कब्जा काश्त है। यह सही है कि इन लोगों ने रियासती काल के पट्टे भी प्रस्तुत किये थे।

(2) यह सही है कि उक्त अनु. जाति के काश्तकारों द्वारा ग्राम मानगढ़ खोखाला के ख. नं. 3 पर काश्त के प्रमाण में खसरा गिरदावरी की नकलें सम्वत 2019 से 2042 तक की पेश की थी परन्तु इनके बीच में सम्वत् 2030, 2031, 2032 में कोई कब्जा होना नहीं पाया गया। इस प्रकार निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा। यह सही है कि प्रस्तुत प्रमाणों की कलक्टर द्वारा जांच की गई थी- लेकिन जांच में संवत् 2030 से 2032 में कब्जा होना नहीं पाया गया।

(3) यह सही है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम) जयपुर द्वारा अपनी निर्णय दिनांक 31.12.86 में नायब तहसीलदार बस्सी की पत्रावली संख्या 28/1981 का उल्लेख करते हुए गैर सायलान नानगा, शंकर आदि का खसरा नं. 3 पर सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा होना व काश्त के लिए भूमि जागीरदार द्वारा दी जाने का जिक्र किया है, लेकिन भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है। चरागाह भूमि का नियमन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)राज–4/3/5 दिनांक 2.2.1983 के अनुसार चरागाह भूमि पर अतिक्रमी

(राजस्व मंत्री)

का 1 जनवरी, 1970 से पूर्व से लगातार तथा निर्बाधित रूप से कब्जा काश्त होना अनिवार्य है। इस प्रकरण में अतिक्रमियों का निर्बाध रूप से 1.1.70 से कब्जा काश्त नहीं है और संबंधित ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या 4 दि. 26.10.83 में नियमन/आवंटन का विरोध करते हुए भूमि चरागाह में ही रखी जाने की सिफारिश की गई है।

वृद्धावस्था अपाहिज एवं विकलांगों हेतु पेंशन

68. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है ?

(2) यदि हां, तो अजमेर जिले के वृद्धावस्था, अपाहिज एवं असहाय पेंशन के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये, उनमें से कितने विचाराधीन हैं ?

(3) विचाराधीन आवेदन पत्रों की स्वीकृति के विलम्ब के क्या कारण हैं ? अब कब तक स्वीकार कर पेंशन दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अजमेर—जिले में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं असहाय पेंशन के 1701 आवेदन पत्र चालू वर्ष में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 76 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(3) अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण कराने तथा आवेदन पत्र में दिये गए तथ्यों की जांच में समय लगता है। सभी विचाराधीन मामलों की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में दी जाने की सम्भावना है।

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची

एक से अधिक भूखण्डधारकी अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	सेवा का नाम		नाम समिति जिससे एक से अधिक भूखण्ड लिया
1	2	3	4	5
1.	श्री सुधीर वर्मा	भा. प्र. से.		1. नेशनल हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी, जयपुर 2. मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर 3. ग्रुप हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी, दिल्ली
2.	श्री वी. एन. बहादुर	,,		1. हरियाणा विकास प्राधिकरण 2. दिल्ली विकास प्राधिकरण 3. जयपुर, गोपाल पुरा बाइपास 4. जयपुर, गांधीनगर, क्वीन्स रोड
3.	श्री तेज कुमार	,,		1. पत्नी एवं पुत्री के नाम एक-एक भूखण्ड 2. दिल्ली 3. जयपुर, गोपाल बाड़ी
4.	श्री डी. कुमार	,,		1. समिति, जयपुर 2. आवासन मण्डल, जयपुर 3. गृह निर्माण समिति, जयपुर
5.	श्री जी एस. नरवानी	,,		1. मित्र गृह निर्माण सह. समिति 2. मित्र गृह निर्माण सह. समिति सदस्यों से क्रय 3. मित्र गृह निर्माण सह. समिति अम्बाबाड़ी, जयपुर

1	2	3	4	5
6.	श्री एल. पी. कोठारी	भा. प्र. से.		1. गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर
				2. विश्वकर्मा गृह निर्माण समिति जयपुर
7.	श्री एन. के. वर्मा	,,		1. किसान गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर
				2. श्रीरामपुरा हाउ. कोप. सोसा. जयपुर
8.	श्री नवदीप सिंह	,,		1. जयपुर सिटी हनुमान नगर जयपुर
				2. ,,
9.	श्री नवीन शर्मा	,,		1. नवजीवन गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर
				2. जयपुर, पुष्पांजली स्कीम गोपालपुरा
10.	श्री पी. के. तिवाड़ी	,,		1. एक भवन डबल स्टोरी, जमनालाल मार्ग जयपुर
				2. प्लाट, जयपुर
				3. प्लाट, जयपुर
				4. उदयपुर आवासन मण्डल, राज.
11.	श्री पुखराज सीरवी	भा. पु. से.		1. एक पुराना मकान पैतृक
				2. एक पुराना पक्का कटल हाउस
				3. एक प्लाट राज. स्टेट सह. हाउसिंग सोसा., अजमेर रोड, जयपुर
				4. एक प्लाट, खुदावादी, सोनार, सह. हाउसिंग सोसा. अजमेर रोड, जयपुर

1	2	3	4	5
12.	श्री मुख राम	भा. पु. से.		1. पक्का मकान
				2. छोटा पक्का मकान
				3. रामजीपुरा
				4. कच्चा/पक्का मकान का 1/2 भाग
				5. खरीदा/बनवाया
				6. खरीदा बनवाया
				7. पैतृक
13.	श्री के. के. शर्मा	,,		1. भवन
				2. रिहायशी भवन, देहली
				3. दो प्लाट, देहली
				4. एक प्लाट, देहली
				5. एक प्लाट, देहली
				6. एक प्लाट, क्वीन्स रोड, जयपुर
14.	श्री एच. सी. शर्मा	,,		1. रिहायशी भवन
				2. खुदाबादी गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर
				3. पथिक भवन गृह, जयपुर
15.	श्री जी. पी. नाग	,,		1. कानोता बाग, जयपुर
				2. नवजीवन गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर
				3. ,,
16.	श्री अजीत सिंह	,,		1. प्लाट, जयपुर
				2. प्लाट, माउन्ट आबू
				3. इन्द्र नगर गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर
				4. डी. डी. ए. फ्लेट

1	2	3	4	5
17.	श्री बी. आर. सूरी	भा. पु. से.		1. भवन 2. भवन, शान्ती पथ, तिलक नगर, जयपुर 3. प्लाट फरीदाबाद 4. प्लाट खातीपुरा, जयपुर 5. भवन
18.	श्री एस. सी. मेहता	,,		1. जोधपुर 2. जयपुर, सी–स्कीम, जयपुर 3. जे. पी. भवन गृह निर्माण सह. समिति, जयपुर 4. हंस भवन हाऊ. सोसा. दिल्ली
19.	श्री. डी. पी. एन. सिंह	,,		1. भवन 2. आवासीय काटेज कोनारा घाट, हाजीपुर 3. पैतृक भवन 4. कोटा भवन, गृह निर्माण सह. समिति, खातीपुरा 5. सहकारी समिति, जयपुर खातीपुरा 6. गृह निर्माण सह. समिति, खातीपुरा 7. गृह निर्माण सह. समिति, खातीपुरा
20.	श्री एच. के. एल. खट्ट	रलेखा सेवा		1. बनीपार्क, जयपुर 2. न्यू पिंकसिटी हाउसिंग सोसा. जयपुर
21.	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	,,		1. प्लाट जयपुर, शास्त्री नगर 2. दुकान

267

1	2	3 4	5
22.	श्री पी. के. लोरिया	सा. नि. वि. मुख्य अभियंता	1. श्याम नगर जयपुर 2. जयपुर
23.	श्री शंकर लाल टांक	तकनीकी शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा	1. यू. आई. टी. अजमेर, 4 राजहंस गृह निर्माण सह. समिति जयपुर। 2. जे. डी. ए. जयपुर 3. यू. आई. टी. कोटा
24.	श्री के. सी. चौधरी	आर्थिक एवं सांख्यिकी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक विभाग	1. जे. डी. ए. जयपुर 2. सोसायटी (कृषि भूमि) कृष्णा नगर, जयपुर।
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी	सिंचाई सेवा मु. अभियन्ता	1. मकान, जयपुर 2. बनोपार्क, जयपुर 3. भूखण्ड, अजमेर
26.	श्री रमेश चन्द अग्रवाल	जन स्वा. अभि. मु. अभि.	1. राज. आवासन मण्डल, जयपुर 2. गृह निर्माण समिति कृषि भूमि भूखण्ड, श्याम नगर, जयपुर
27.	श्री वी. बी. एल. माथुर	भा. प्र. सेवा मुख्य सचिव	1. भूखण्ड संख्या 10 व 12, बरवाड़ा हाऊस, अजमेर रोड, जयपुर

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का विवरण

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

विश्वविद्यालय में 15 जनवरी, 1991 को शैक्षणिक रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विषय	प्रोफेसर	एसोसियेटेड प्रोफेसर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	वि. विवरण तदर्थ नियुक्तियां
1	2	3	4	5	6
(1)	वनस्पित विज्ञान	1 (1.10.90)	1 (1.1.1991)	2 1.(1.2.88) 11.(2.9.87)	3
(2)	भू-विज्ञान	1 (1.10.89)	–	1 (1.11.90)	–
(3)	रसायन विज्ञान	–	3 (15.1.90)	4 1.(16.7.86) 11.(1.7 89)	4
(4)	भौतिक शास्त्र	1 (1.5.90)	2 1.(6.7.90) 11.(5.6.86)	1 (1.4.88)	1
(5)	गणित	–	1 (1.9.89)	2 1.(1.9.88) 11.(1.2.90)	3
(6)	जन्तु विज्ञान	1 (1.6.90)	1 (1.6.89)	1 (1.9.86)	3
(7)	बैंकिग एवम् बिजनेस इकानामिक्स	1 (1.7.90)	1 (1.4.87)	1 (1.7.89)	2
(8)	लेखा एवं सांख्यिकी	–	1	–	–
(9)	विधि	–	1 (1.1.90)	2	1

1	3	4	5	6
(10) अंग्रेजी	–	1 (1.6.90)	–	–
(11) हिन्दी	1 (1.8.89)	1 (17.8.86)	2 (1.7.79)	2
(12) इतिहास	1 (1.1.88)	–	1 (3.10.86)	2
(13) मनोविज्ञान	–	–	1 (जुलाई, 89) (लीव वेकेन्सी)	1
(14) ड्राईंग एवं पेन्टिंग	–	–	1 (9.10.86)	1
(15) भूगोल	1 (1.7.88)	–	4 I.(31.10.87) II.(31.8.89) III.(8.6.86) I.(5.8.90)	4
(16) समाज शास्त्र	–	1 (1.6 88)	–	–
(17) राजनीतिक विज्ञान	1	–	2 (1.8.87)	3
(18) दर्शन शास्त्र	1 (1.9.88)	–	–	1
(19) राजस्थानी	1 (जनवरी, 86)	1 (अक्टूबर, 86)		1

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद जिनका जनवरी, 90 में विज्ञापन जारी किया गया है :—

(1) पोलीमर विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर	–	1
(2) कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर	–	1

(3) नारी अध्ययन	सहायक प्रोफेसर	–	1
(4) कम्प्यूटर विज्ञान	सहायक प्रोफेसर	–	2
(5) रेडीमेड एण्ड गारमेन्ट्स	सहायक प्रोफेसर	–	1
(6) उर्दू	प्रोफेसर	–	1

परिशिष्ट–"ब"

गत वर्ष भरे गये प्राध्यापकों के (नियमित चयन समिति द्वारा) पदों का विवरण

1. नियमित चयन (विज्ञापन द्वारा)	एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर)	2
	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (लेक्चरार)	3
2. नियमित चयन (विज्ञापन द्वारा)	टेक्नीकल पोस्ट –	6
3. नियमित चयन केरियर एडवांसमेंट स्कीम)	एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर)	14

परिशिष्ट–(स)

जुलाई 1988 से जुलाई 1990 तक

कुलपति द्वारा यात्रा भत्ता दावे

क्र. सं.	माह	दिन
1.	जुलाई, 1988	6
2.	अगस्त, 1988	13
3.	सितम्बर, 1988	6
4.	अक्टूबर, 1988	10
5.	नवम्बर, 1988	13
6.	दिसम्बर, 1988	14
7,	जनवरी, 1989	4
8.	अप्रेल, 1989	5
9.	अगस्त, 1989	6

(271)

क्र. सं.	माह	दिन
10.	सितम्बर, 1989	11
11.	अक्टूबर, 1989	6
12.	जनवरी, 1990	2
13.	मार्च, 1990	4
14.	अप्रैल, 1990	4
15.	मई, 1990	2
16.	जून, 1990	3
17.	जुलाई, 1990	11
	योग	120 दिन

(272)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची

गोपनीय

मुख्य सूची के अभ्यर्थियों की अंतिम प्राप्तांकों की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	जिले का नाम	अन्तिम प्राप्तांक प्रतिशत
1.	अजमेर	64.5
2.	अलवर	65
3.	बांसवाड़ा	63.5
4.	बाड़मेर	63.5
5.	भरतपुर	62.5
6.	भीलवाड़ा	64
7.	बीकानेर	37.5
8.	बून्दी	49.5
9.	चित्तौड़गढ़	62.5
10.	चूरु	58
11.	धौलपुर	47
12.	डूंगरपुर	55.5
13.	जयपुर	66
14.	जैसलमेर	61.5
15.	जालौर	43.5
16.	झालावाड़	55
17.	झुन्झुनू	68
18.	जोधपुर	63.5
19.	कोटा	59
20.	नागौर	55.5
21.	सवाई माधोपुर	61.5
22.	श्रीगंगानगर	57
23.	सीकर	63.5
24.	सिरोही	54.5
25.	टौंक	63
26.	उदयपुर	66

गोपनीय

परिशिष्ट "ख"

आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों की अन्तिम प्राप्तांकों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	अन्तिम प्राप्तांक प्रतिशत
1.	अजमेर	61.5
2.	अलवर	63
3.	बांसवाड़ा	61.5
4.	बाड़मेर	61
5.	भरतपुर	60.5
6.	भीलवाड़ा	60
7.	बीकानेर	37.5
8.	बून्दी	40.5
9.	चित्तौड़गढ़	59.5
10.	चूरू	55.5
11.	धौलपुर	40.5
12.	डूंगरपुर	51.5
13.	जयपुर	64.5
14.	जैसलमेर	57.5
15.	जालौर	43.5
16.	झालावाड़	52
17.	झुन्झुनू	67
18.	जोधपुर	60.5
19.	कोटा	56
20.	नागौर	47.5
21.	सवाईमाधोपुर	58
22.	श्री गंगानगर	52
23.	सीकर	60.5
24.	सिरोही	49
25.	टौंक	60.5
26.	उदयपुर	64.5

2774

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची

परिशिष्ट "अ"

ग्राम खुरई तहसील छबड़ा में आवंटित सीलिंग भूमि की सूची

क्र. सं.	नाम-	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)
1.	श्री घीस्या पुत्र मूल्या चिण्डार	422/644	10
2.	श्री नन्दराम पुत्र बलराम धोबी	422/644	10
3.	श्री भंवरिया पुत्र गोरिया हरिजन	422/644	10
4.	श्री रामचरण पुत्र भंवरिया खाती	422/644	10
5.	श्री हल्का पुत्र सेवा सहर	422/644	10
		कुल योग	50 बीघा

परिशिष्ट "ब"

अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	
			बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	श्री रामसिंह पुत्र कालूसिंह	22	5	15
2.	,, मांगीलाल पुत्र मालमसिंह अहीर	197	7	3
3.	,, बंशीलाल पुत्र माधोलाल अहीर	49	7	0
4.	,, पूरनसिंह पुत्र माधोसिंह अहीर	51	8	5
5.	,, पूरन पुत्र चुन्नीलाल अहीर	141	–	8
6.	,, बंशी पुत्र माधोलाल अहीर	345	1	5
7.	,, छोगा पुत्र सुखलाल	368	1	0
		371	–	11
8.	,, गजराजसिंह अहीर	369	1	2
		370	1	–
9.	,, मांगीलाल पुत्र बलवन्तसिंह	442	–	8
		162	1	5
		257	–	18

1	2	3	4	5
10.	श्री रामसिंह पुत्र मोतीलाल अहीर	128	1	16
11.	,, पूरन पुत्र चुन्नीलाल	138	—	19
		139	—	15
		140	1	01
		243	1	12
12.	,, मगनजी पुत्र गबरू ढीमर	142	1	—
		162	1	5
13.	,, बंशीलाल पुत्र मिश्री सहर	169	3	3
14.	,, रामचरण पुत्र जगन्नाथ	35	3	1
15.	,, मलतू पुत्र रमन ढीमर	43	2	16
16.	,, पर्वतसिंह पुत्र कन्हैयालाल	254	1	06

परिशिष्ट "स"

उन अतिक्रमियों की सूची जिनके विरुद्ध वन विभाग द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत केस चलाये जा रहे हैं।

क. सं.	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा
1.	श्री हमीरसिंह पुत्र भरतसिंह अहीर	422/644	10 बीघा
2.	श्री भगवानसिंह पुत्र गणपतसिंह अहीर	422/644	3 बीघा
3.	श्री गिरधारी लाल पुत्र लालजीराम लोधा	422/644	4 बीघा
4.	श्री कमलसिंह पुत्र रामरतन अहीर	422/644	10 बीघा
		कुल योग	27 बीघा

परिशिष्ट--9

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

सहायक छात्रावास अधीक्षक वेतन श्रृंखला 6 के रिक्त पदों की सूचना :--

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	छात्रावास का नाम/स्थान 3	कब से रिक्त है 4
1.	अजमेर	1. गंगवाना अनु. जाति	30.1.91
		2. केकडी विमुक्त जाति	30.6.90
2.	अलवर	3. भंगी कष्ट मुक्ति अलवर	30.11.91
		4. अनु. जनजाति अलवर	,,
3.	बांसवाड़ा	5. अनु. जनजाति छोडा बडरेल	28.7.89
		6. ,, ,, तलपाड़ा	29.9.89
		7. ,, ,, छोटा डूंगर	22.4.89
		8. ,, ,, घटाली	30.6.90
		9. ,, ,, छोटी सरबा	1.1.90
		10. ,, ,, बडी सरबा	21.9.89
		11. ,, ,, छीदू	—
		12. ,, ,, घाटोल	21.9.89
4.	बाड़मेर	13. भंगी कष्ट मुक्ति बाड़मेर	28.8.89
		14. अनु. जनजाति बाकासर	4.1.91
		15. अनु. जाति पादरु	21.9.89
5.	भीलवाड़ा	16. अनु. जाति कोटड़ी	10.5.89
		17. अनु. जाति आमली	6.8.88
		18. अनु. जाति लाडपुरा	8.12.88
		19. अनु. जनजाति पारोली	27.2.87
		20. विमुक्त जाति बागौर	21.9.88
		21. अनु. जाति बुरडा	21.9.87
6.	बीकानेर	22. अनु. जाति बिज्जू	3.1.91

1	2	3	4
7.	भरतपुर	23. अनु. जाति बैर	20.6.90
		24. विमुक्त जाति डीग	30.1.91
8.	धौलपुर	25. भंगी कष्ट मुक्ति धौलपुर	30.1.91
		26. अनु. जाति धौलपुर	
9.	बूंदी	27. अनु. जाति गरडदा	21.2.89
		28. ,, ,, लक्ष्मीपुरा	27.2.89
		29. भंगी कष्ट मुक्ति बूंदी	18.10.89
		30. अनु. जनजाति डाबेरी	19.9.89
		31. अनु. जाति इन्द्रगढ़	10.10.90 (पी)
10.	चित्तौड़गढ़	32. अनु. जनजाति कुलथाना	23.3.89
		33. ,, धामोत्तर	17.9.87
		34. ,, सामलगढ	18.1.89
		35. ,, दलोट	19.6.89
		36. ,, गन्धेर	14.6.89
		37. ,, रावतभाटा	23.5.89
		38. ,, अरनोद	10.10.90 (कन्या)
11.	चूरू	39. अनु. जाति डूंगरगढ़ (पी)	10.10.90
12.	डूंगरपुर	40. अनु. जाति साबला (कन्या)	30.6.90
		41. ,, पाण्डवा	28.8.89
		42. ,, चुण्डावाला	23.6.89
		43. ,, ओबरी	27.2.89
		44. ,, कुचियाबड़ा	28.8.89 (कन्या)
		45. ,, बोखलापाल	27.2.89
		46. अनु. जनजाति चिखली	21.9.89 (कन्या)
13.	गंगानगर	47. अनु. जाति सूरतगढ़	11.1.91
		48. ,, पीलीबंगा	,,
		49. ,, गंगानगर	24.4.87 (कन्या)

1	2	3	4
		50. अनु. जाति रायसिंह नगर (कन्या)	
		51. भंगी कष्ट मुक्ति नोहर	11.1.91
		52. विमुक्त जाति श्री करणपुर	,,
14.	जोधपुर	53. अनु. जाति बीसलपुर	29.2.89
		54. ,, पीपाड़शहर	27.2.89 (कन्या)
		55. भंगी कष्ट मुक्ति जोधपुर	22.11.88 ,,
15.	जैसलमेर	56. अनु. जाति मोहनगढ़ (कन्या)	29.3.87
		57. अनु. जनजाति जैसलमेर	16.5.89
16.	झालावाड़	58. भंगी कष्ट मुक्ति भवानी मंडी	27.2.89
		59. विमुक्त जाति झालरापाटन	19.9.91
		60. ,, चौमहला	6.12.89
17.	झुन्झुनू	61. अनु. जाति बूडी अजीतगढ़	30.1.91
18.	जालौर	62. अनु. जाति सायला	27.2.89
		63. भंगी कष्ट मुक्ति जालौर	20.6.90
19.	कोटा	64. अनु. जाति सांगोद	1.12.90
		65. भंगी कष्ट मुक्ति अटरू	27.2.89 (कन्या)
		66. विमुक्त जाति छबड़ा	29.9.89
		67. अनु. जनजाति नाहरगढ़ (कन्या)	16.1.88
		68. ,, समरिया	27.2.89 (कन्या)
		69. ,, गरडा (कन्या)	,,
		70. ,, गावातर	10,10.90
		71. ,, मागरोल	,,
		72. ,, बारां (कन्या)	,,
		73. ,, जलवाडा	,,
20.	नागौर	74. अनु. जाति मकराना	30.1.91
		75. ,, नागौर (कन्या)	15-9.87
21.	पाली	76. अनु. जनजाति बेडापाली	21.9.89

1	2	3	4
22.	सवाईमाधोपुर	77. अनु. जनजाति सवाई माधोपुर	30.6.90 (कन्या)
		78. ,, नादौती	19.1.91
23.	सीकर	79. भंगी कष्ट मुक्ति सीकर (कन्या)	27.2.87
24.	सिरोही	80. अनु. जनजाति आबू पर्वत (कन्या)	30.6.90
		81. ,, पावा	1.1.90
		82. ,, कैलाडा नगर	27.2.89
		83. भंगी कष्ट मुक्ति सिरोही	21.9.89
25.	टौंक	84. विमुक्त जाति देवली	30.1.91
26.	उदयपुर	85. अनु. जनजाति उदयपुर	15.1.81
		86. ,, कोटडा	28.12.89
		87. ,, सरेरा	20.6.90
		88. ,, बारापाल	30.6.90
		89. ,, पारिया	,,
		90. ,, कल्याणपुरा	20.6.90
		91. ,, खमनौर	15.1.91
		92. ,, जवासा	27.2.89
		93. ,, जलारा (सलूम्बर)	21.9.89

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित निगम वाहनों की
समय सारिणी दर्शाते हुये विवरण

घाटगेट	बांदीकुई	बांदीकुई	घाटगेट
0930	1232	1300	1600
घाटगेट	अलवर	अलवर	घाटगेट
1345	1915	0745	1315
घाटगेट	राजगढ़	राजगढ़	घाटगेट
1715	2115	0600	1000
सिकन्दरा	टहला	टहला	सिकन्दरा
0645	0930	—	—
बालाजी	अलवर	अलवर	बालाजी
0700	1045	0800	1100
1000	1400	0900	1245
1145	1445	0930	1330
1515	1815	1100	1515
		1145	1445
		1600	1900
बालाजी	मेरठ	मेरठ	बालाजी
0730	1730	0745	1745
1330	2330		
बालाजी	राजगढ़	राजगढ़	बालाजी
0900	1115	0800	1015
1045	1300	1500	1715
1615	1845		
1745	2000		
गंगापुर	अलवर	अलवर	गंगापुर
0616	1200	0700	1230
1415	2000	1230	1830
बांदीकुई	राजगढ़	राजगढ़	बांदीकुई
1330	1430	1345	1445
		1700	1800

बांदीकुई	अलवर	अलवर	बांदीकुई
1500	1745	1000	1300
		1700	1930
बालाजी	गोला का बास	गोला का बास	सिकन्दरा
1415	1915	1400	1830
जयपुर	अलवर	अलवर	जयपुर
1500	2030	0600	1130
बांदीकुई	गुढ़ाचन्द्रजी	गुढ़ाचन्द्रजी	बांदीकुई
1715	1845	0645	0800
बालाजी	बांदीकुई	बांदीकुई	बालाजी
1830	1930	0730	0830
		0815	0915
बांदीकुई	गंगापुर	गंगापुर	बांदीकुई
0715	1015	0730	1030
0830	1130	0830	1130
1200	1500	0915	1215
1300	1600	1030	1330
1400	1700	1116	1415
1445	1745	1215	1515
1630	1930	1315	1615
		1615	1915
बांदीकुई	हिण्डौन	हिण्डौन	बांदीकुई
0630	1000	1045	1415
1100	1445	1415	1800

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

सोजत–फुलाद–देसूरी–पीपाड़–रानी–हरीपुर–जैतारण–बजलियावास–एकीकृत मार्ग

क. सं. परमिटधारी का नाम	वाहन संख्या
1. श्री देवीलाल पुत्र श्री ढगलाराम, सोजत सिटी	आरपीए–8517
2. ,, ओमप्रकाश जरीवा पुत्र श्री ताराचंद सोजत सिटी	आरजेटी–9174
3. ,, दिनेशकुमार पुत्र श्री कानाराम, सोजत सिटी	आरआरएल–7905
4. ,, प्रभुदयाल पुत्र श्री जौहरी लाल अरोड़ा, सोजत सिटी	आरपीए–4651
5. ,, पुखराज पुत्र श्री मोहनलाल, सोजत सिटी	आरएनएम–4755
6. ,, चोलाराम पुत्र श्री नीमाराम सोजत सिटी	आरएसक्यू–1764
7. ,, शेख मोजूदीन पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, सोजत सिटी	आरजे–19/3147
8. ,, कानाराम पुत्र श्री मनरूप जी, सोजत सिटी	आरएसएन–1271
9. ,, अम्बाराम पुत्र श्री भानाराम छांची सोजत सिटी	आरआरएम–1066
10. ,, नारायणलाल पुत्र श्री तनाराम सोजत सिटी	आरजेटी–2051
11. ,, श्रीमती सुखदेवी पत्नी श्री सोजतराम, सोजत सिटी	आरजेटी–1529
12. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नारायण सिंह सोजत सिटी	आरजेटी–1973
13. ,, पूसाराम पुत्र श्री प्रतापजी सोजत सिटी	आरपीए–7325
14. ,, ढगलाराम पुत्र श्री भानाजी सोजत सिटी	आरएसएल–1845
15. ,, पूसाराम पुत्र श्री प्रतापराम सोजत सिटी	आरएनबी–5687
16. ,, प्रकाशचंद पुत्र श्री भैराराम, सोजत सिटी	आरपीए–7361
17. ,, हनुमानदास पुत्र श्री सेवादास सोजत सिटी	आरएसक्यू–1361
18. ,, मिश्रीलाल पुत्र श्री घीसाराम, सोजत सिटी	आरपीए–5651
19. ,, मोहनलाल पुत्र श्री खुलाराम, सोजत सिटी	आरएसक्यू–1084
20. ,, भोमाराम पुत्र श्री बोराजी सोजत सिटी	आरजेवाई–6051
21. ,, विजयराज पुत्र श्री शंकरलाल, सोजत सिटी	आरजेएफ–2061
22. मै. किशनलाल एण्ड सन्स, अटपड़ा	आरएसक्यू–3901
23. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण सिंह, सोजत सिटी	आरएसएन–2496
24. ,, गोपाराम पुत्र श्री त्रिलोकाराम	आरजेई–901
25. ,, हनुमानदास पुत्र श्री सेवादास, सोजत सिटी	आरजेटी–5031
26. ,, दुर्गाराम पुत्र श्री घीसाराम, सोजत सिटी	आरआरएन–6317
27. ,, कैलाश चन्द पुत्र श्री मिश्री लाल, मारवाड जं.	आरएनबी–6212
28. ,, घनश्याम लाल पुत्र श्री पूसाराम, सोजत सिटी	आरजेटी–1525

क्र. सं.	परमिटधारी का नाम	वाहन संख्या
29.	श्री कालूराम पुत्र श्री भोलाराम, सोजत सिटी	आरपीए–5075
30.	,, लालाराम पुत्र श्री हरिराम, सोजत सिटी	आरजेई–961
31.	,, गोवर्धनलाल पुत्र श्री दीपाराम, सोजत सिटी	आरजेएफ–3163
32.	मै. किशनलाल बोहरा एण्ड सन्स, सोजत सिटी	आरपीसी–753
33.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चोलाराम, सोजत सिटी	आरआरक्यू–9352
34.	,, मोहनलाल पुत्र श्री घेवरचंद, सोजत सिटी	आरएसवाई–4318
35.	,, सूरजमल पुत्र श्री घेवरचंद सोजत सिटी	आरएसएन–4651
36.	,, ,, ,, ,,	पीबीएस–1545
37.	,, मोहनलाल पुत्र श्री घेवरचंद, सोजत सिटी	आरजेटी–1851
38.	,, जोगाराम पुत्र श्री भुगनाराम कुंटालिया	आरपीसी–755
39.	,, लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह गुढ़ा	आरपीसी–41
40.	,, उदाराम पुत्र श्री आईदानाराम, सोजतरोड	आरआरजी–81
41.	,, मदनलाल पुत्र श्री कोजाराम, सोजत सिटी	आरपीए–4229
42.	,, लाला राम पुत्र श्री पुखजी, सोजत रोड	पीडीसी–3591
43.	,, सूरजमल पुत्र श्री घेवरचंद।	पीडीबी–9848

सोजत–पुष्कर अजमेर मार्ग

क्र. सं.	परमिटधारी का नाम	वाहन संख्या
1.	श्री रामपाल पुत्र श्री पुखराज, जैतारण	आरआरक्यू–4285
2.	,, ,, ,,	आरएसक्यू–4551
3.	,, ,, ,,	आरएनएम–8085
4.	श्रीमती भौरीदेवी पत्नी श्री रामचंद्र, मेड़ता सिटी	आरआरएम–1465
5.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री तेजाराम, जैतारण	आरजेवी–4861
6.	,, भागीरथ पुत्र श्री हरीराम, जैतारण	आरजे–21/1015
7.	,, हमीमुद्दीन पुत्र श्री अमरादीन मेड़ता सिटी	आरएनएन–3783
8.	,, मोतीलाल पुत्र श्री डालूराम, नागौर	आरआरजेड–9651

284

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

प्रतापगढ़ क्षेत्र में गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूची :—

1. बरड़िया
2. थड़ा
3. चमतावदा
4. रठाजना
5. बोरी
6. भुवासिया
7. बरखेड़ा
8. पानमोड़ी
9. गादोला
10. कुलमीपुरा
11. सैलारपुरा
12. हथुनिया
13. डाबड़ा
14. गरदोड़ी
15. पलथान
16. वरमण्डल
17. असावता
18. अवलेश्वर
19. बसाड़
20. बसेरा
21. बजरंगगढ़
22. नागडेरा
23. मण्डावरा
24. बिलेसरी
25. कुलथाना
26. अक्षयपुरा
27. झामडी
28. गन्धेर
29. खैरोट

परिशिष्ट— 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची

प्रतिलिपि अ. शा. पत्र दिनांक 8–9–89 ओर से श्रीकुबेर सिंह, सदस्य विधानसभा प्रेषित यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं प्रति अध्यक्ष, राजस्थान राज्य परिवहन निगम जयपुर।

आदरणीय श्रीमान्,

मेरा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर एक आदिवासी ग्रामीण एवं पिछड़ा है जिसमें गरीब जनता निवास करती है। यह क्षेत्र गुजरात राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र की जनता का अधिकतर व्यापार अहमदाबाद (गुजरात) से होता है। इस कार्य हेतु व्यापारियों एवं यहां की जनता को अपने कार्य हेतु अधिकांश अहमदाबाद आना जाना पड़ता है इनका एक दिन जाने में एवं एक दिन आने में लग जाता है। इनको अहमदाबाद पहुंचने में दो तीन जगह बसें बदलनी पड़ती हैं जिससे जनता को भारी असुविधा एवं आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपसे जनहित में पुरजोर मांग करता हूं कि आप एक रात्रिकालीन बस सेवा उदयपुर से अहमदाबाद वाया झाड़ोल-सोम गरणवास, खोखरा, विजयनगर एवं हिम्मत नगर जो एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है इस पर अविलम्ब प्रारम्भ करने के के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

इस बारे में आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था उसके उत्तर में आपने बताया कि अभी उक्त मार्ग कच्चा होने के कारण उक्त बस सेवा प्रारम्भ करना संभव नहीं है। उक्त मार्ग अभी पक्का बन गया है। अतः उक्त रात्रिकालीन बस सेवा अविलम्ब प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करें जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को अहमदाबाद जाने में जो दो दिन लग जाते हैं वह एक दिन में ही अहमदाबाद जाकर अपने कार्य का निपटारा कर वापस आ सकें।

आप द्वारा इस पर की गई कार्यवाही से मुझे भी अविलम्ब अवगत कराने कष्ट कर अनुग्रहीत करें।

सादर।

भवन्निष्ठ

ह./

(कुबेर सिंह)

प्रतिलिपि श्री कुबेर सिंह, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा माननीय यातायात मंत्री महोदय को प्रेषित अ. शा. पत्रांक एफ. (5) 91/157 दिनाक 9-1-91

पिछले विधान सभा सत्र में राज्य सरकार ने मुझे लिखित उत्तर में आश्वासन दिया था कि उदयपुर वाया सोम, खोखरा, विजय नगर से अहमदाबाद (गुजरात) तक की बस सेवा जल्दी ही प्रारम्भ कर दी जावेगी । परन्तु मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उक्त बस सेवा राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ नहीं की गई है । अतः आपसे मेरा निवेदन है कि उक्त बस सेवा अविलम्ब प्रारम्भ करवाने के आदेश प्रदान करें । जिससे मेरा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर जो कि एक आदिवासी पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र की जनता इससे लाभ उठा सकें । साथ ही साथ में आपका ध्यान वर्तमान समय में जयपुर से उदयपुर डीलक्स, सुपर डीलक्स बसें, रारापनि द्वारा चलाई जा रही हैं वे सभी अनुबंधित हैं । जिसमें सीटों में कम स्थान होना, सीटों के बीच का कम स्थान होना, सीटों का आराम दायक नहीं होने से यात्रियों को यात्रा करने में भारी असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस तरह का सौतेला व्यवहार मात्र उदयपुर के साथ किया जा रहा है । जबकि अन्य मार्गों पर निगम ने अपनी अच्छी वाली बसें लगा रखी हैं । अतः आपसे निवेदन है कि आप जयपुर उदयपुर मार्ग पर अविलम्ब निगम की अच्छी वाली बसें लगाने के आदेश प्रदान करने का श्रम करें एवं आप द्वारा इस पर की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का श्रम कर अनुग्रहीत करें ।

सादर । भवन्निष्ठ

ह./

(कुबेर सिंह)